रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102024-257729
CG-DL-E-07102024-257729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946
No. 771] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

## भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2024

**फा. सं. बीओए / 2-आई/2024.—**भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग और स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा न्यूनतम मानक) विनियम, 2024' कहा जाएगा।

(2) अन्यथा प्रदान किए गए के अतिरिक्त, वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

### अध्याय - I
### प्रारंभिक

2. **परिभाषाएँ** – (1) इस नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14);

(ख) "अनुलग्नक" का अर्थ है इन नियमों से जुड़ा एक अनुलग्नक;

(ग) "परिशिष्ट" का अर्थ है इन नियमों से जुड़ा परिशिष्ट;

(घ) "आवेदक" का अर्थ है एक समाज या ट्रस्ट या विश्वविद्यालय या कोई विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राधिकरण परंतु केंद्र सरकार शामिल नहीं है;

(ङ) किसी संस्थान के "आकलन" का अर्थ है, प्रत्येक वर्ष एक संस्थान और उसके संलग्न शिक्षण चिकित्सालय के बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में इन नियमों में प्रदान किए गए न्यूनतम आवश्यक मानकों की उपलब्धता को सत्यापित करने का कार्य;

(च) "संलग्न शिक्षण चिकित्सालय" का अर्थ है एक आयुर्वेद चिकित्सालय जो मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान से जुड़ा हुआ है;

(छ) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन' (एमडी) का अर्थ है इन नियमों के अनुसार प्रदान की गई स्नातकोत्तर डिग्री।

(ज) "डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन" (डीएम), का अर्थ है इन नियमों के अनुसार प्रदान की गई सुपर-स्पेशियलिटी डिग्री;

(झ) "विस्तारित अनुमति" का अर्थ है पूर्ण रूप से स्थापित आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों को दी गई अनुमति जो इन विनियमों में निर्धारित "विस्तारित अनुमति" स्थिति के मानदंडों को पूरा करते हैं। विस्तारित अनुमति वाले संस्थानों को स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेने की अनुमति है। ऐसे संस्थान शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय आकलन के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से वार्षिक अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

(ञ) "आयुर्वेद चिकित्सालय की कार्यात्मकता" का अर्थ है एक संलग्न शिक्षण चिकित्सालय जो चौबीसों घंटे खुला रहता है और इन नियमों में प्रदान किए गए सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करते हुए अपने मानव संसाधनों और आधारभूत सुविधाएँ का उपयोग करते हुए किसी भी समय किसी भी प्रकार के रोगियों का उपचार करने या उनकी देखभाल करने के लिए तत्पर रहता है। चिकित्सालय मेडिकल स्टूडेंट्स को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और बाह्य रोगी विभागों, अंतरंग रोगी विभागों और सार्वजनिक स्वास्थ्य में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में परामर्श, निदान नैदानिक और जांच, उपचार सहित सर्जिकल, प्रक्रियात्मक (प्रोसीजर), चिकित्सा और मातृत्व, निवारक, उपशामक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा सलाह, परामर्श (काउंसलिंग), नर्सिंग देखभाल, औषधि वितरण, सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियां, उचित अभिलेख और चिकित्सालय प्रबंधन सिस्टम के साथ शामिल हैं और जिनके संबंधित खर्च चिकित्सालय के आधिकारिक बैंक खाते में परिलक्षित होते हैं।

(ट) "संस्थान की कार्यक्षमता" का अर्थ है एक ऐसा आयुर्वेद संस्थान जो आयोग द्वारा निर्धारित किए गए सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करता है। यह एक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके आयोग द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम आवश्यक मानकों के अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार होगा।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए "शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र" का अर्थ है एक पारिस्थितिकी तंत्र जहां संस्था के सभी हितधारकों में, सभी विभाग और संस्थान की अन्य इकाइयां एक अकादमिक वातावरण में छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग में कार्य करती हैं;

(ठ) 'पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान' का अर्थ है एक संस्थान जिसके पास अनुमति के दूसरे नवीनीकरण के बाद वर्ष से विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति है।

(ड) "आशय पत्र" का अर्थ है एक नया आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान स्थापित करने, या आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम को प्रारंभ करने या मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए इन नियमों में प्रदान की गई प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा जारी शर्तों और समय-सीमा के साथ प्रारंभिक अनुमोदन;

(ढ) "अनुमति पत्र" का अर्थ, इन विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदक को दी गई स्वीकृति या अनुमति, से है। यह एक आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान स्थापित करने, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम को आरंभ करने, या वर्तमान के कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यह संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देता है।

(ण) "एम.ए.आर.बी.आई.एस.एम." का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड;

(त) 'एमईएस-यूजी' का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024

(थ) "मास्टर ऑफ सर्जरी" (एमएस), का अर्थ है इन नियमों के अनुसार प्रदान की गई स्नातकोत्तर डिग्री;

(द) "न्यूनतम आवश्यक मानक" का अर्थ है मूलभूत सुविधाएँ, मानव संसाधन, कार्यक्षमता, गुणवत्ता और मानकों के संदर्भ में अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताएं जो आवश्यक हैं;

(ध) 'पीएच.डी' का अर्थ है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री, एक स्नातकोत्तर डॉक्टरेट की डिग्री जो कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए किए गए शोध कार्य के लिए (स्नातकोत्तर के बाद) या तो संबंधित विषय या इंटर-डिसिप्लिनरी, इंट्रा-डिसिप्लिनरी, ट्रांसजिसिप्लिनरी, मल्टी-डीसिप्लिनरी में प्रदान की जाती है;

(न) "पीजीएनईटी" का अर्थ है स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा;

(ऩ) "स्नातकोत्तर शिक्षा" में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम (एमडी और एमएस), स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी), और स्नातकोत्तर सुपर-स्पेशियलिटी डिग्री प्रोग्राम (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन-डीएम) शामिल हैं;

(प) आयुर्वेद में "स्नातकोत्तर डिग्री" में 'आयुर्वेद वाचस्पति (एमडी आयुर्वेद) और आयुर्वेद धन्वंतरि (एमएस आयुर्वेद)' शामिल हैं, जो स्नातक स्तर की शिक्षा के पश्चात तीन वर्ष के कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रदान या प्रदान किए जाते हैं।

(फ) स्नातकोत्तर विभाग की "रेटिंग" का अर्थ है एक स्कोर या माप कि स्नातकोत्तर विभाग कितना अच्छा है; यह रेटिंग, आयुर्वेद बोर्ड द्वारा स्थापित मानकों और मापदंडों के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या किसी नामित आकलन एजेंसी द्वारा आयोजित एक प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित की जाएगी। रेटिंग, आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन और कार्यक्षमता जैसे कारकों के आधार पर की जाएगी, जो इन नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अतिरिक्त हैं।

(ब) "अनुमति का नवीनीकरण" का अर्थ इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक नए स्नातकोत्तर संस्थान, विभाग या विशिष्टा को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति से है। यह अनुमति भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुमति पत्र जारी करने के बाद शैक्षणिक वर्षों के लिए है। अनुमति का ऐसा नवीनीकरण तब तक अनिवार्य है जब तक कि संस्थान, विभाग या विशिष्टता पूर्ण रूप से स्थापित इकाई का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेती।

(भ) "स्वीकृत प्रवेश क्षमता" का अर्थ, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्थान या विभाग की कार्यक्षमता, मूलभूत सुविधाएँ, मानव संसाधन, और संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय के आधार पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या, से है;

(म) "स्टैंड अलोन स्नातकोत्तर संस्थान" का अर्थ एक शिक्षण संस्थान है जिसके साथ एक संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय है जो केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के संचालन के लिए समर्पित है;

(य) 'सुपर स्पेशियलिटी 'का अर्थ है तीन वर्ष का सुपर स्पेशियलिटी प्रोग्राम, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम), जो स्नातकोत्तर के बाद किसी विशेष विषय में सुपर स्पेशियलिटी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दिया या प्रदान किया जाता है।

(र) "वार्षिक अनुमति" का अर्थ है प्रत्येक वर्ष पूर्ण रूप से स्थापित चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों को दी गई अनुमति जो इन नियमों में निर्धारित "विस्तारित अनुमति" स्थिति के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, और ऐसे संस्थान प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेंगे।

(2) यहां प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए परंतु अधिनियम, नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम, नियमों या विनियम में दिए गए हैं।

## अध्याय -II

## सामान्य विचार

**3.** सामान्य बातें- (1) प्रत्येक संस्थान इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक ढांचागत मानकों, योग्य और कुशल मानव संसाधनों, कार्यक्षमता मानदंड शिक्षा के न्यूनतम मानक, और एक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखेगा।

(2) स्नातकोत्तर डिग्री का शैक्षणिक पदानुक्रम डीएम से पीएच.डी से एमडी या एमएस तक अवरोही क्रम में होगा।

(3) (क) इन विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित विषय में संस्थान द्वारा अंशकालिक आधार पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे प्रोफेसर को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विशिष्ट शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ख) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से और उसके बाद से स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और इन कार्यक्रमों में पहले से ही प्रवेश लेने वाले छात्र पिछले विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम को जारी रखेंगे और पूरा करेंगे**;**

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमत मौजूदा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में सीटों को 2:1 के अनुपात में मूल विभाग में एमडी या एमएस सीटों में परिवर्तित किया जाएगा। प्रत्येक दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीटों के लिए, एक स्नातकोत्तर डिग्री सीट स्वीकृत की जाएगी, बशर्ते स्नातकोत्तर मार्गदर्शक और स्नातकोत्तर छात्र अनुपात की उपलब्धता के अधीन, अर्थात ,जो प्रोफेसर के लिए 1: 3, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1: 2 और सहायक प्रोफेसर के लिए 1: 1 है।

(4) (क) संस्थान, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या के साथ संगत), आधार-सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, आईरिस रिकग्निशन, या फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम जैसी ऑनलाइन सिस्टम स्थापित करेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल के कर्मचारियों और स्नातकोत्तर छात्रों की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(ख) संस्थान, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) और कोई अन्य सिस्टम स्थापित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सिस्टम को आयोग द्वारा नामित केंद्रीय सर्वर के साथ संरेखित या इंटरफेस किया गया है और संस्थान, आयोग एवं उसके स्वायत्त बोर्डों को आवश्यकतानुसार वास्तविक समय डेटा या प्रासंगिक डेटा प्रदान करेगा।

(ग) बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा संबंधित नियामक निकाय, आयोग या आयोग के स्वायत्त बोर्डों को आयोग द्वारा सौंपी गई किसी भी एजेंसी के माध्यम से पूरे वर्ष वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) आयोग या स्वायत्त बोर्डों के पास ऑनलाइन उपस्थिति डेटा तक पहुंचने और विश्लेषण करने का अधिकार होगा।

(ङ) रोगियों का प्रमाणीकरण आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट संख्या के माध्यम से किया जाएगा।

(5) शिक्षकों को संबंधित विभागों में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक अलग कमरे या कक्ष में पर्याप्त स्थान और गोपनीयता के साथ समायोजित किया जाएगा; प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कमरे या कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल क्रमशः पंद्रह, तेरह और दस वर्ग मीटर होगा; एक कॉमन रुम, हॉल या विभाग में कई शिक्षकों के लिए खुली बैठने की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी; प्रत्येक शिक्षक को एक कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी;

(6) विभागों और उनसे जुड़ी इकाइयों में उचित वेंटिलेशन और प्रकाश की व्यवस्था होगी**,** जिनका निर्माण उपयुक्त इंटीरियर के साथ उचित रूप से किया जाएगा। विक्षोभ (क्रॉस-डिस्टर्बेंस) को रोकने और एक उपयुक्त वातावरण के लिए आंतरिक विभाजन पर्याप्त होंगे। प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में शिक्षण कर्मचारी, गैर-शिक्षण कर्मचारी, एक विभागीय पुस्तकालय, एक विभागीय कंप्यूटर, एक प्रिंटर, इंटरनेट एक्सेस और वीडियो, इमेजेस चार्ट, सूचना आदि प्रदर्शित करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा होगी।

(7) परिसर के भीतर लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग छात्रावास अधिमानतः एकल आवास के साथ होंगे, प्रत्येक में एक मेस सुविधा, पर्याप्त फर्नीचर, रीडिंग रूम, मनोरंजन सुविधाएं और सुरक्षा सेवाएं होंगी। यदि अस्पताल एक अलग परिसर में स्थित है, तो छात्रावास अस्पताल परिसर के भीतर होंगे।

(8) प्रत्येक संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान के सभी हितधारक, विभाग, अनुभाग और इकाइयां एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग से कार्य करें ताकि स्नातकोत्तर छात्रों को एक उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण में अपने अध्ययन, प्रशिक्षण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जा सके।

(9) गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के साथ उपकरणों, सहायक उपकरणों, रसायनों, अभिकर्मकों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि का उपयोग उपलब्धता की सीमा तक किया जा सकता है।

(10) किसी भी स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए वार्षिक प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष बारह सीटों से अधिक नहीं होगी, छात्र और स्नातकोत्तर-मार्गदर्शक अनुपात की उपलब्धता के अधीन जो प्रोफेसर के लिए 3: 1 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2: 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1: 1 है।

## अध्याय - III

## स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

**4.** इन विनियमों की प्रकाशन की तिथि से और उसके पश्चात, आयुर्वेद में अठारह स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम होंगे। स्नातकोत्तर विशिष्टताओं की सूची, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों का नामकरण, स्नातकोत्तर विशिष्टताओं का नामकरण, और स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित करने वाले स्नातकोत्तर विभाग तालिका 1 में विस्तृत होंगे।

**तालिका-**1

स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर विशिष्टता और स्नातकोत्तर विभागों का नामकरण

| क्रम संख्या | पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिटी | स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम का नामकरण | समकक्ष आधुनिक शब्दावली सहित स्नातकोत्तर विशेषज्ञ का नामकरण | वह विभाग जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम संचालित किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I. आयुर्वेद वाचस्पति (एमडी आयुर्वेद) | | | | |
| 1. | आयुर्वेद संहिता और सिद्धांत (सार-संग्रह और बुनियादी सिद्धांत) | एमडी (संहिता और सिद्धांत) | संहिता विशेषज्ञ | संहिता सिद्धांत और संस्कृत |
| 2. | आयुर्वेद – बायोलॉजी | एमडी (आयुर्वेद बायोलॉजी) | आयुर्वेद - बायोलॉजिस्ट | आयुर्वेद बायोलॉजी |
| 3. | रचना शारीर (ह्यूमन एनाटोमी) | एमडी (रचना शारीर) | रचना शारीर तज्ञ (आयुर्वेद एनाटोमिस्ट) | रचना शारीर |
| 4. | क्रिया शारीर (ह्यूमन फिजियोलॉजी) | एमडी (क्रिया शारीर) | क्रिया शारीर तज्ञ (आयुर्वेद फिजियोलॉजिस्ट) | क्रिया शारीर |
| 5. | द्रव्यगुण विज्ञान (आयुर्वेद फार्माकोलॉजी) | एमडी (द्रव्यगुण विज्ञान) | द्रव्यगुण तज्ञ (आयुर्वेद फार्माकोलॉजिस्ट - हर्बल) | द्रव्यगुण विज्ञान |
| 6. | रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना (फार्मास्यूटिक्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी) | एमडी (रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना) | रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना तज्ञ (आयुर्वेद फार्मास्युटिकल विशेषज्ञ) | रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना |
| 7. | रोगनिदान,- विकृतिविज्ञान (पैथोलॉजी और प्रयोगशाला निदान) | एमडी (रोगनिदान-विकृतिविज्ञान) | रोगनिदान तज्ञ (आयुर्वेद पैथोलॉजिस्ट) | रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान |
| 8. | आगद तंत्र और विधि वैद्यक (क्लीनिकल टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिकल जुरीसप्रूडेंस) | एमडी (अगद तंत्र और विधि वैद्यक) | आगद तंत्र तज्ञ (आयुर्वेद क्लीनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट) | आगद तंत्र |
| 9. | स्वस्थवृत्त और योग (सार्वजनिक स्वास्थ्य, जीवन शैली प्रबंधन और योग) | एमडी (स्वस्थवृत्त और योग) | स्वस्थवृत्त तज्ञ (आयुर्वेद विशेषज्ञ - सार्वजनिक स्वास्थ्य, जीवन शैली प्रबंधन और योग) | स्वस्थवृत्त एवं योग |
| 10. | कौमारभृत्य (बाल चिकित्सा) | एमडी (कौमारभृत्य) | कौमारभृत्य तज्ञ (आयुर्वेद बाल रोग विशेषज्ञ) | कौमारभृत्य |
| 11. | काय-चिकित्सा (इंटरनल मेडिसिन) | एमडी (काय-चिकित्सा) | काय-चिकित्सा तज्ञ (आयुर्वेद विशेषज्ञ – जनरल मेडिसिन) | काय-चिकित्सा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | पंचकर्म (प्रोसीज़रल मैनेजमेंट) | एमडी (पंचकर्म) | पंचकर्म तज्ञ (पंचकर्म विशेषज्ञ) | पंचकर्म |
| 13. | मानसरोग और मनोविज्ञान (आयुर्वेद साइकोलॉजी एंड साइकाइट्री) | एमडी (मानसरोग और मनोविज्ञान) | मानसरोग तज्ञ (आयुर्वेद मनोचिकित्सक) | मानसरोग |
| 14. | रसायन-वाजीकरण (आयुर्वेद में रेजुवेनेट एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन) | एमडी (रसायन-वाजीकरण) | रसायन-वाजीकरण तज्ञ (आयुर्वेद विशेषज्ञ - रेजुवेनेट एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन) | रसायन-वाजीकरण |
| | | II. आयुर्वेद धन्वंतरि (एमएस आयुर्वेद) | | |
| 15. | स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र (आयुर्वेद गायनेकोलॉजी एंड आब्सटेट्रिक्स) | एमएस (स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र) | स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र तज्ञ (आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टट्रिशन) | स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र |
| 16. | शल्य तंत्र (आयुर्वेद सर्जरी) | एमएस (शल्य तंत्र) | शल्य तंत्र तज्ञ (आयुर्वेद सर्जन) | शल्य तंत्र |
| 17. | शालाक्य – नेत्र रोग चिकित्सा (आयुर्वेद ऑप्थल्मोलॉजी) | एमएस (शालाक्य तंत्र – नेत्र) | शालाक्य – नेत्र रोग तज्ञ (आयुर्वेद नेत्र रोग विशेषज्ञ) | शालाक्य तंत्र |
| 18. | शालाक्य – कर्ण, नासा और मुख रोग चिकित्सा (आयुर्वेद ओटो-राइनो-लैरींगोलॉजी) | एमएस (शालाक्य तंत्र – कर्ण, नासा और मुख) | शालाक्य – कर्ण, नासा और मुख रोग तज्ञ (आयुर्वेद ईएनटी विशेषज्ञ) | |
| **नोट 1:-** इन विनियमों के प्रकाशन से पहले दिए गए नामकरण "प्रसूति और स्त्री रोग" और इन विनियमों में "स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र" को परस्पर और समकक्ष माना गया है। | | | | |
| **नोट 2:-** इन विनियमों के प्रकाशन से पहले दिए गए नामकरण "मनोविज्ञान" और "मानसरोग" और इन विनियमों में "मानसरोग" और "मनोविज्ञान" को परस्पर और समकक्ष माना गया है। | | | | |

(2) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 के अंतर्गत स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के नामकरण और समकक्ष आधुनिक शब्दावली को उसी प्रकार जारी रखा जाएगा क्योंकि वे इन विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रविष्ट किए गए बैचों के लिए हैं।

(3) शैक्षणिक सत्र 2025-26 और उसके बाद से मौजूदा शालाक्य स्नातकोत्तर विभाग शालाक्य-नेत्र या शालाक्य-केएनएम (कर्ण, नासा और मुख) में से किसी एक को चुनेंगे और स्नातकोत्तर शिक्षकों को तदनुसार विशिष्ट शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा। इन विनियमों के अनुसार पर्याप्त रूप से कर्मचारियों की उपलब्धता के मामले में, दोनों स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को चुना जा सकता है। ऐसे मामले में शिक्षकों को दो स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विभाजित किया जाएगा और तदनुसार विशिष्ट शिक्षक कोड जारी किया जाएगा। प्रवेश क्षमता या तो एक विभाग या दोनों विभागों को उस शैक्षणिक सत्र के लिए संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर गाइड की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत की जाएगी।

## अध्याय -IV
## स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक जहां स्नातक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अस्तित्व में है।

**5.** **सामान्य**- (1) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के साथ-साथ स्नातक डिग्री कार्यक्रम के संचालन के लिए संबंधित विषय में एक स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभाग होगा।

(2) स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों का संचालन करने वाला कॉलेज या संस्थान मूलभूत सुविधाएँ, (निर्मित क्षेत्र, उपकरण और सहायक उपकरण), मानव संसाधन, और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में प्रदान किया गया है और संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम के लिए इन नियमों में प्रदान की गई अतिरिक्त आवश्यकताएं को पूरा करेगा।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत किसी स्नातक संस्थान के विरुद्ध की गई किसी भी कार्रवाई के प्रकरण में, इसी प्रकार की कार्रवाई संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम पर लागू होगी।

(4) यदि कोई स्नातकोत्तर विभाग इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति को अस्वीकार कर देगा या अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) का खंड (एफ) के अनुसार उपाय करेगा।

**6. स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं**- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 के अंतर्गत प्रदान की गई आवश्यकताओं के अतिरिक्त, स्नातकोत्तर विभागों के लिए निम्नलिखित मानकों को अतिरिक्त रूप से पूरा किया जाएगा; अर्थात:-

(1) स्नातकोत्तर सेमिनार हॉल**:** (क) प्रत्येक स्नातकोत्तर विशिष्टता या प्रोग्राम के लिए एक सेमिनार हॉल होगा, जिसमें प्रति छात्र 18 वर्ग फुट (किसी विशेष विभाग या प्रोग्राम के तीन वर्ष के सभी छात्रों के लिए) और पर्याप्त फर्नीचर के साथ न्यूनतम निर्मित क्षेत्र होगा।

**(ख)** आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान के स्नातकोत्तर अध्येता (सभी स्नातकोत्तर विशिष्टताओं या प्रोग्रामों के सभी तीन बैच) की कुल संख्या को समायोजित करने के लिए 20% (6.5 वर्ग फुट प्रति छात्र) की अतिरिक्त बैठने की क्षमता के साथ एक सामान्य सेमिनार हॉल या सभागार प्रदान किया जाएगा।

**(ग)** स्नातकोत्तर सेमिनार हॉल उपयुक्त बैठने की व्यवस्था के साथ इनफार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) सक्षम होंगे।

**(घ)** संबंधित विशिष्टता या विभाग में सभी स्नातकोत्तर अध्येता (स्कॉलर्स) के लिए पर्याप्त लॉकर होंगे।

(2) केंद्रीय पुस्तकालय: (क) स्नातकोत्तर प्रवेश क्षमता के अनुसार अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था (1: 2, वार्षिक प्रवेश क्षमता के प्रत्येक दो स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक सीट) केंद्रीय पुस्तकालय में प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में प्रदान किए गए अनुसार होंगे।

(ख) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए न्यूनतम 200 अतिरिक्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये अतिरिक्त पुस्तकें स्नातकोत्तर विभाग के लिए विशिष्ट होंगी। पुस्तकों के जोड़ में कम से कम 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी।

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में प्रदान किए गए पत्रिकाओं के अतिरिक्त प्रत्येक स्नातकोत्तर विशिष्टता में कम से कम चार अतिरिक्त पत्रिकाएं (इंडेक्स्ड) होंगी।

(3) विभागीय पुस्तकालय**:** प्रत्येक स्नातकोत्तर विभागीय पुस्तकालय के लिए न्यूनतम **100** पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

(4) डिजिटल लाइब्रेरी**:** स्नातकोत्तर छात्रों के लिए **1:5** के अनुपात में अर्थात् प्रत्येक पांच छात्रों के लिए एक कंप्यूटर (सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता के आधार पर) अतिरिक्त कंप्यूटर सिस्टम, प्रदान किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे ग्रामरली**,** साहित्यिक चोरी जांचकर्ता (प्लागिअरिस्म)**,** सांख्यिकीय कार्यक्रम**,** अनुलेखन **(**साइटेशन**)** या बिबलियोग्राफी मेकर और जनरेटर आदि डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) नैदानिक कौशल प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त पुतला (मैनिक्विन)**,** सिमुलेटर और अन्य शिक्षण प्रौद्योगिकियां योग्या-नैदानिक कौशल प्रयोगशाला या सिमुलेशन प्रयोगशाला में उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची- VI में निर्दिष्ट है।

**7. विभागवार न्यूनतम आवश्यक मानक** - (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्र इन विनियमों की अनुसूची-I में प्रदान किए गए अनुसार होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में संबंधित विभागों हेतु प्रदान किए गए न्यूनतम आवश्यक मानकों के अतिरिक्त, प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए आधारभूत सुविधाएं, जैसा कि नीचे और इन नियमों की अनुसूची II में विस्तृत है, उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात:-

**(क)** एकीकृत स्वास्थ्य **(**इंटीग्रेटेड हेल्थ**)** और अनुवादात्मक अनुसंधान (ट्रांसलेशनल रिसर्च) विभाग **:** (i) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान संचालित किए जा रहे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के निरपेक्ष**,** इस विभाग की स्थापना करेगा। केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला**,** गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला**,** पशु घर**,** नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ**,** और साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म) कक्ष**,** जैसा लागू हो**,** इस विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा।

(ii) संस्थागत अनुसंधान समिति**,** मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति**,** संस्थागत पशु आचार समिति**,** और इसी प्रकार की अनुसंधान समितियां भी इस विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगी।

(iii) यह विभाग मार्गदर्शक आवंटन प्रक्रिया का समन्वय**,** आपात स्थिति के मामले में वैकल्पिक मार्गदर्शक की व्यवस्था**,** अनुसंधान जांच और इसी प्रकार की गतिविधियां करेगा।

**(ख)** संहिता और सिद्धांत स्नातकोत्तर विभाग **–** संस्कृत के लिए भाषा प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा स्नातक भाषा प्रयोगशाला में अतिरिक्त कम्प्यूटर सिस्टम जोड़े जाएंगें ताकि कम्प्यूटर सिस्टम और स्नातकोत्तर स्कॉलर्स (प्रति वर्ष स्वीकृत प्रवेश क्षमता) की कुल संख्या का अनुपात 1: 1 हो।

**(ग)** रचना शारीर स्नातकोत्तर विभाग**:** 3 डी वर्चुअल डिसेक्शन टेबल और ई-डिसेक्शन सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। यह विभाग शल्य**,** शालाक्य और स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र के स्नातकोत्तर स्कॉलर्स के लिए कैडवेरिक सर्जरी के माध्यम से शल्य चिकित्सा तकनीकों के अभ्यास की सुविधा भी प्रदान कराएगा।

**(घ)** क्रिया शारीर स्नातकोत्तर विभाग **:** डिजिटल स्पाइरोमेट्री**,** पर्सनालिटी असेसमेंट स्केल्स**,** ट्राइकोस्कोप**,** डिजिटल स्किनफोल्ड कैलिपर**,** ऑटो मेजरिंग टूल फॉर हाइट**,** वेट**,** और बीएमआई**;** नाड़ी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट (उन्नत मॉडल)**,** प्रासंगिक सॉफ्टवेयर**,** सहायक उपकरण**,** आदि के साथ**,** उपलब्ध कराए जाएंगे।

**(ङ)** आयुर्वेद-जीव विज्ञान स्नातकोत्तर विभाग: मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी **(**इन विनियमों की अनुसूची-**VII** के अनुसार**)** और इसी प्रकार उपलब्ध कराए जाएंगे।

**(च)** द्रव्यगुण विज्ञान स्नातकोत्तर विभाग**:** फार्माकोग्नॉसी प्रयोगशाला**,** फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला**,** ग्रीन हाउस और इसी प्रकार उपलब्ध कराए जाएंगे।

**(छ)** रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना स्नातकोत्तर विभाग**:** पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप प्रोग्रैमेबल मफल फर्नेस आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

**(ज)** रोगनिदान-विकृतिविज्ञान स्नातकोत्तर विभाग: इम्यूनोलॉजी प्रयोगशाला**,** हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला और इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

**(झ)** अगद तंत्र स्नातकोत्तर विभाग **:** पॉइजन डिटेक्शन फैसिलिटी**,** विशेष बहिरंग रोगी विभाग**,** और 4:1 के अनुपात में अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बेड (एक छात्र के लिए चार बेड)**,** वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात की ड्यूटी पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अगद तंत्र अंतरंग रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगा।

**(ञ)** स्वस्थवृत्त एवं योग स्नातकोत्तर विभाग**:** विशेष बहिरंग रोगी विभाग**,** क्षेत्र भ्रमण के लिए विभागीय वाहन**,** उन्नत सुविधाओं के साथ पोषण प्रयोगशाला**,** स्वस्थ व्यक्तियों को डे केयर सुविधाओं के साथ ऋतुशोधन और कायाकल्प प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए एक पंचकर्म सुविधा प्रदान की जाएगी।

**(ट)** कौमारभृत्य स्नातकोत्तर विभाग: (i) विशेष बहिरंग रोगी विभाग**;** अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बेड 4: 1 के अनुपात में (प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता चार बेड)**,** कौमर-पंचकर्म सुविधा**,** वार्ड में बैठने की व्यवस्था**;** रात्रि ड्यूटी पर स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। कौमरभृत्य अंतरंग रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(ii) स्तनपान क्षेत्र: - बहिरंग रोगी विभाग के समीप स्तनपान के लिए सीमांकित क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) खेल क्षेत्र: - उपयुक्त खेल वस्तुओं के साथ खेलने के लिए एक सीमांकित क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) निओनेटल (नवजात) इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू):- इन विनियमों की अनुसूची-XIII के अनुसार होगा।

(v) आवश्यक उपकरणों के साथ नवजात अभ्यंग और स्नान इकाई (ट्यूब, बेबी होल्डर)

(vi) अंतःशिरा कैनुलेशन (IV कैनुलेशन), नासो-गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, स्टेबिलाइजेशन, मेडिकेशन, और अन्य संभावित संबंधित प्रक्रियाओं जैसे सामान्य बाल चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री और औषधिओं के साथ बाल चिकित्सा और नवजात प्रक्रिया कक्ष प्रदान किए जाएंगे।

(vii) बाल विकास क्लिनिक:- स्नातकोत्तर विभाग वाला प्रत्येक संस्थान नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने वाले कम से कम दो स्कूलों को गोद लेगा। संस्थान समय-समय पर स्वास्थ्य, विकास और मनोवैज्ञानिक विकास का आकलन करने के लिए बाल विकास क्लिनिक चलाएगा। बच्चे के उचित स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ प्रति वर्ष कम से कम दो ऐसे आकलन किए जाएंगे।

**(ठ)** काय-चिकित्सा स्नातकोत्तर विभाग**:** विशेष बहिरंग रोगी विभाग, अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बेड 4: 1 के अनुपात में (चार बेड प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता), वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी पर स्नातकों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। काय-चिकित्सा विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगा।

**(ड)** पंचकर्म और उपकर्म स्नातकोत्तर विभाग: विशेष बहिरंग रोगी विभाग, अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बेड 4: 1 के अनुपात में (चार बेड प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता), वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्री ड्यूटी पर स्नातकोत्तर के

लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। पंचकर्म और उपकर्म अंतरंग रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगा।

**(ढ)** स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र स्नातकोत्तर विभाग: विशेष रूप से दो बहिरंग रोगी विभाग स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र के लिए एक-एक और स्त्री रोग- प्रसूति तंत्र से संबंधित सर्जरी के लिए एक विशेष ऑपरेशन थियेटर; योनि धावन, योनि पिचू, और इसी प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए एक प्रोसीजर रूम या माइनर ऑपरेशन थियेटर; 4: 1 के अनुपात में अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बेड (चार बेड प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता); वार्ड में बैठने की व्यवस्था; रात्री ड्यूटी पोस्टग्रेजुएट्स के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र अंतरंग रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग न्यूनतम अस्सी प्रतिशत होगा; प्रति माह न्यूनतम 20 प्रसव की आवश्यकता होगी।

**(ण)** शल्य तंत्र स्नातकोत्तर विभाग: एक माइनर ऑपरेशन थिएटर के साथ जुड़ा विशेष बाह्य रोगी विभाग; अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बेड 4:1 के अनुपात में (प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता के लिए चार बेड); वार्ड में बैठने की व्यवस्था; रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। शल्य तंत्र अंतरंग रोगी विभाग में औसत बेड अधिभोग न्यूनतम अस्सी प्रतिशत होगा। मेजर ऑपरेशन थियेटर, माइनर ऑपरेशन थियेटर और अनुशस्त्र कर्म सुविधा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों विभागों के लिए कॉमन होगी।

**(त)** शालाक्य-नेत्र रोग स्नातकोत्तर चिकित्सा विभाग : उन्नत नैदानिक सुविधाओं से लैस विशेष नेत्र रोग बहिरंग रोगी विभाग; एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के साथ विशेष नेत्र ऑपरेशन थियेटर; अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बेड 4: 1 के अनुपात में (चार बेड प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता); वार्ड में बैठने की व्यवस्था; नाइट ड्यूटी पोस्टग्रेजुएट्स के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अलग से अंतरंग रोगी विभाग, अलग क्रियाकल्प -नेत्र सुविधा होगी। शालाक्य-नेत्र बेड में औसत बेड ऑक्यूपेंसी अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगी।

**(थ)** शालाक्य-कर्ण, नासा और मुख रोग चिकित्सा स्नातकोत्तर विभाग**:** विशेष बाह्य रोगी विभाग जिसमें उन्नत नैदानिक सुविधाएं हैं; कान, नाक-गले की सर्जरी के लिए विशेष ऑपरेशन थियेटर; क्रियाकल्प सुविधा, अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बेड 4: 1 के अनुपात में (चार बेड प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता); वार्ड में बैठने की व्यवस्था; रात्री ड्यूटी पोस्टग्रेजुएट्स के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। शालाक्य-कर्ण, नासा और मुख रोग विभाग में औसत बेड ऑक्यूपेंसी अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगी।

**(द)** मानसरोग और मनोविज्ञान स्नातकोत्तर विभाग : विशेष बहिरंग रोगी विभाग; काउंसलिंग के लिए क्यूबिकल्स; नशामुक्ति की सुविधा; इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम (ईईजी); अंतरंग रोगी विभाग बेड 4:1 के अनुपात में (प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता चार बेड); वार्ड में बैठने की व्यवस्था; नाइट ड्यूटी पोस्टग्रेजुएट्स के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अंतरंग रोगी विभाग की सुविधा उचित सुरक्षा उपायों के साथ होगी। मानसरोग विभाग में औसत बेड ऑक्यूपेंसी अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगा।

**(ध)** रसायन और वाजीकरण स्नातकोत्तर विभाग : विशेष बहिरंग रोगी विभाग; प्रोसीजर रूम, रेतस परीक्षा और इसी प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोगशाला, ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप वीडियोग्राफी उपकरण और लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले के साथ, अंतरंग रोगी विभाग बेड 4:1 के अनुपात में (चार बेड प्रति स्नातकोत्तर सीट प्रवेश क्षमता); वाजीकरण से संबंधित प्रोसीजर जैसे उत्तरबस्ती आदि के लिए प्रोसीजर कक्ष; वार्ड में बैठने की व्यवस्था; नाइट ड्यूटी पोस्टग्रेजुएट्स के लिए आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। रसायन और वाजीकरण अंतरंग रोगी विभाग में औसत बेड ऑक्यूपेंसी अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगी।

**(न)** स्नातकोत्तर स्कॉलर्स के साथ-साथ शिक्षण संकाय द्वारा विभिन्न अनुसंधान प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी। न्यूनतम बुनियादी ढांचा, सुविधाएं, उपकरण, सहायक उपकरण और मानव संसाधन और इसी प्रकार के अन्य प्रावधान इन विनियमों की अनुसूची- I, III और X में किए गए प्रावधान के अनुसार होंगे।

**(ऩ)** द्रव्यगुण और रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना में स्नातकोत्तर शिक्षा के प्रकरण में, एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला (या तो अलग से या जो केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला से जुड़ी हो), उपलब्ध होगी। न्यूनतम आधारभूत संरचना, सुविधाएं, उपकरण, सहायक उपकरण और मानव संसाधन और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं इन विनियमों की अनुसूची-I और IV में यथा उपबंधित होंगी।

**(प)** स्नातकोत्तर शिक्षा के प्रकरण में द्रव्यगुण, रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना, अगद तंत्र, संहिता और सिद्धांत विभागों में एक अनुमोदित पशु घर और पशु प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूनतम आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं, उपकरण, सहायक उपकरण और मानव संसाधन और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं इन विनियमों की अनुसूची-I, V और X में यथा उपबंधित होंगी।

**(फ)** संस्थान के नैदानिक अनुसंधान कार्यकलापों के समन्वय के लिए चिकित्सालय में एक नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ (सेल) होगा। प्रकोष्ठ (सेल) में अनुसंधान समन्वय कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए फर्नीचर सहित एक कार्यालय जिसमें अभिलेख भंडारण, अनुसंधान औषधिओं और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं भी होंगी। यह प्रकोष्ठ (सेल) अनुसंधान

विषयों के यादृच्छिकीकरण (रेंडमाइजेशन), ब्लाइंड ड्रग ट्रायल, अनुसंधान लेखापरीक्षा, अनुसंधान औषधि लेखापरीक्षा और अन्य अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को भी सुविधाजनक बनाएगा। इस प्रकोष्ठ के लिए न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ इन विनियमों की अनुसूची-X में किए गए प्रावधान के अनुसार होगा।

**(ब)** प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान में साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म) जांच प्रकोष्ठ होगा। समन्वयक (किसी भी स्नातकोत्तर विभाग का एक एसोसिएट प्रोफेसर) होगा जिसे साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म) के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और उपयुक्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रदान किया जाएगा।

**8. मानव संसाधन की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएं**- (1) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग को छोड़कर प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम के लिए न्यूनतम एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर होगा। न्यूनतम आवश्यक शिक्षण स्टाफ इन नियमों की अनुसूची- VIII में प्रदान किए गए अनुसार होगा;

(2) प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष संबंधित विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों विभागों के लिए कॉमन हो सकता है, बशर्ते प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो। यदि स्नातक विभाग के प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है, तो स्नातकोत्तर विशिष्टता या कार्यक्रम के लिए इन नियमों में प्रदान किए गए स्नातकोत्तर योग्यता और अनुभव के साथ एक अलग प्रोफेसर की आवश्यकता होगी।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में निर्धारित संबंधित स्नातक विभाग के लिए प्रदान किए गए शिक्षण कर्मचारियों के अतिरिक्त एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर स्नातकोत्तर विभागों के लिए और अलग होंगे।

(4) इंटीग्रेटिव हैल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग : इस विभाग में न्यूनतम एक पूर्णकालिक, नियमित प्रोफेसर (स्वस्थवृत्त एवं योग में स्नातकोत्तर डिग्री धारक, अधिमानतः पीएचडी के साथ) होगा और एक बायोस्टेटिस्टिसियन, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

(5) मानसरोग एवं मनोविज्ञान, रसायन एवं वाजीकरण और आयुर्वेद जीव विज्ञान के स्नातकोत्तर विभागों के लिए, जहां कोई स्नातक प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है, न्यूनतम एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर प्रत्येक संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पूर्ण रूप से नियुक्त किया जाएगा।

(6) स्नातकोत्तर विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर की उपलब्धता की स्थिति में, विभाग के प्रमुख का पद प्रत्येक प्रोफेसर को रोटेशन के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।

(7) शिक्षण स्टाफ की योग्यता और अनुभव इन विनियमों के विनियम 30 के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

(8) अंशकालिक शिक्षक प्रति माह न्यूनतम तीस घंटे, प्रति विजिट के साथ कम से कम चार घंटे, प्राथमिकता के साथ निश्चित दिनों पर उपस्थित होंगे ।

(9) स्नातक और स्नातकोत्तर विभागों या प्रोग्राम के बीच संकायों (फैकल्टी) का दोहराव किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(10) प्रत्येक संस्थान उन संबंधित विभागों में, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, इन विनियमों की अनुसूची-X में प्रदान किए गए अनुसार अतिरिक्त रूप से नॉन टीचिंग स्टाफ प्रदान करेगा;

(11) नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए योग्यता और अनुभव इन नियमों की अनुसूची-X के अनुसार होगा; और

(12) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त चिकित्सालय स्टाफ इन विनियमों की अनुसूची-XII में प्रदान किए गए अनुसार होगा।

**9. इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित स्नातकोत्तर संस्थानों द्वारा न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुपालन के लिए समय-सीमा** - (1) जिन विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उन विभागों में इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से बारह माह की अवधि के भीतर अलग स्नातकोत्तर विभाग स्थापित किए जाएंगे।

(2) तालिका-2 में दी गई समय-सीमा अधिकतम है और उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

**तालिका-2**

इन नियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित स्नातकोत्तर संस्थानों द्वारा न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन करने की समयसीमा।

| क्रम संख्या | मानक या यूनिट या अनुभाग या सुविधा | समय-सीमा (आधिकारिक राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | स्नातकोत्तर विभागों का निर्माण | 12 माह |
| 2. | केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, उपकरण सहायक उपकरण और मानव संसाधन | माह 01 |
| 3. | गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला उपकरण ,सहायक उपकरण और मानव संसाधन | माह 01 |
| 4. | नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ (सेल) और मानव संसाधन | 12 माह |
| 5. | पशु घर और पशु प्रयोगशाला और मानव संसाधन | 18 माह |
| 6. | साहित्यिक चोरी जांच प्लागिअरिस्म) प्रकोष्ठ (सेल) | 06 माह |
| 7. | पीजी विशेषज्ञता के लिए ओपीडी (जैसा लागू हो) | 12 माह |
| 8. | शिक्षण कर्मचारी | 12 माह |
| 9. | विभागवार उपकरण और सहायक उपकरण | 06 माह |

**नोट 1:** उपर्युक्त निर्दिष्ट समय सीमा भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास और उपकरण या-सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए है। तथापि, समितियों का गठन और विभिन्न इकाइयों या प्रकोष्ठों के लिए कार्यों की शुरुआत एक माह के भीतर शुरू होगी।

**नोट 2:** इन विनियमों के प्रकाशन से पहले पूर्ण रूप से स्थापित या स्थापना के अधीन चिकित्सा संस्थान तालिका-2 में प्रदान किए गए मानकों को छोड़कर, समान बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के साथ जारी रह सकते हैं, जिन्हें तालिका में प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा। उक्त तालिका में प्रदान की गई समय-सीमा अधिकतम है, और उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

## अध्याय –V

## स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों के न्यूनतम आवश्यक मानक

**10. भूमि की आवश्यकता** - (1) स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान या कॉलेज या केंद्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित भूमि तालिका-3 में दी गई व्यवस्था के अनुसार होगी

**तालिका-3**

न्यूनतम आवश्यक भूमि

| **क्रम संख्या** | **क्षेत्र श्रेणी** | **न्यूनतम आवश्यक भूमि (एकड़ में)** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | टियर **I** या मेगा और मेट्रो शहर * | $ |
| 2. | टियर II शहर, पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र | 3.5 |
| 3. | क्रम संख्या 1 और 2 में प्रदान किए गए क्षेत्रों के अतिरिक्त कोई अन्य क्षेत्र | 5.0 |

* मेगा और मेट्रो शहर**:** "भारत में लागू जनगणना के अनुसार ग्रेटर मुंबई**,** दिल्ली**,** कोलकाता**,** चेन्नई**,** बैंगलोर**,** हैदराबाद**,** अहमदाबाद**,** पुणे और सूरत।

$ भूमि की आवश्यकताओं के लिए**,** निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है **-**

(क) मेगा और मेट्रो शहरों में आवश्यक भूमि की गणना इन विनियमों और नगर निगम उपनियमों में दिए गए आवश्यक निर्मित क्षेत्र के आधार पर की जाएगी।

(ख) निर्मित क्षेत्र को उन शहरों में नवीनतम भवन नियमों के अनुसार संब (विकास नियंत्रण)ंधित विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होना चाहिए ।

(ग) आवेदक संस्थान भवन के नियमनुसार प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएगा ।

| | |
|---|---|
| (घ) | स्थानीय वैधानिक निकाय से अनुमोदित भवन नक्शा और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । |
| (ङ) | अनंतिम अधिभोग प्रमाणपत्र केवल लगातार तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए माना जाएगा |
| (च) | इसके बाद, अनुमोदन जारी रखने के लिए केवल पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्णता योजना पर विचार किया जाएगा। |

(2) भूमि दो भूखंडो से अधिक नहीं होगी और दो भूखंडो के बीच की दूरी पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि भूखंड सड़क, नहर या नाले से अलग हैं, परंतु एक पुल से जुड़े हैं, तो उन्हें भूमि के एक भूखंड के रूप में माना जाएगा।

(4) आवेदक के पास या तो भूमि का स्वामित्व या आवेदक निकाय के नाम पर कम से कम तीस वर्ष के लिए पट्टे (लीज) पर दी गई भूमि होगी और पट्टे (लीज) की समाप्ति से पहले उसका नवीनीकरण किया जाएगा।

(5) भूमि के लिए लीज समझौते वाले संस्थानों के प्रकरण में, संस्थान को लीज अवधि के अंतिम तीन वर्षों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि संस्थान प्रत्येक वर्ष एक नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि लीज की समाप्ति से पहले और बाद में लीज का नवीनीकरण एवं लीज अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकृत लीज अनुबंध जमा किया जाएगा।

(6) नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स मान्यता (न्यूनतम प्रवेश स्तर) के साथ एक पूर्ण रूप से स्थापित और कार्यशील आयुर्वेद चिकित्सालय, जिसमें न्यूनतम साठ (60) बेड हों, औसत बेड ऑक्यूपेंसी 60 प्रतिशत से कम न हो, और एम ई एस – यूजी में साठ बेड वाले चिकित्सालय के लिए निर्धारित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूर्ण करता हो, न्यूनतम आवश्यकता होगी।

**11. सामान्य रूप से परिसर -** (1) स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान और संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय के लिए नामित परिसर में उचित पहुंच मार्ग, सुरक्षा की उचित व्यवस्था के साथ उचित रूप से निर्मित परिसर की दीवार होगी।

(2) स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान के लिए नामित परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी-,-
- (क) स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान
- (ख) संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय
- (ग) जलपान गृह
- (घ) हॉस्टल

(3) सभी भवनों में संबंधित प्राधिकारियों से सभी संगत अनुमतियां होंगी।

(4) संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति या अनुमोदन के साथ अग्नि सुरक्षा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, आपदा प्रबंधन उपाय और इसी प्रकार के अन्य उपाय होंगे।

(5) संस्थान को शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सुविधा और सुरक्षा के लिए निर्बाध परिसर प्रदान करना होगा।

(6) परिसर में वाहनों का निर्बाध आवागमन और सीमांकित पार्किंग क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त लेआउट योजना होगी।

(7) पार्किंग क्षेत्र को उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए लेबल या चिह्नित किया जाएगा।

(8) परिसर में पर्याप्त जल आपूर्ति, उचित जल निकासी सिस्टम और पावर बैक-अप सिस्टम सहित बिजली आपूर्ति होगी।

(9) केंद्रीय कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी सेल, कॉलेज की वेबसाइट, बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम, क्लोज सर्किट सर्विलांस सिस्टम, आधिकारिक संपर्क विवरण, आधिकारिक बैंक खाता विवरण, और इसी प्रकार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में प्रदान किए गए अनुसार होंगे।

**12. स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक -** (1) प्रशासन अनुभाग की विभिन्न इकाइयों के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्र आवश्यकताओं को तालिका 4 में प्रदान किया गया है।

**तालिका-4**

प्रशासन अनुभाग की उप-इकाइयाँ और विशिष्टताएँ

| क्रम संख्या | यूनिट | न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र (वर्ग मीटर) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | स्नातकोत्तर संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) कार्यालय जिसमें प्रवेश कक्ष और अटैच्ड टॉयलेट शामिल है। | 50 |
| 2 | संस्थान प्रमुख के निजी सहायक | 10 |
| 4 | पैंट्री | 05 |
| 5 | संस्थान प्रमुख के आगंतुकों के लिए आगंतुक लाउंज | 10 |
| 6 | कॉलेज कार्यालय (अधीक्षक के बैठने की व्यवस्था, क्लर्कों, एकाउंटेंट, रिकॉर्ड रूम और कार्यालय आगंतुकों के लिए आगंतुक लाउंज) | 50 |
| 7 | कॉलेज काउंसिल मीटिंग हॉल | 30 |
| 8 | सेंट्रल स्टोर | 30 |
| कुल | | 185 |

**नोट:** इन विनियमों के प्रकाशन से पहले पूर्ण रूप से स्थापित या स्थापना के अधीन चिकित्सा संस्थान तालिका-5 में प्रदान किए गए अवसंरचनात्मक मानकों को छोड़कर, उसी बुनियादी ढांचे के साथ जारी रह सकते हैं, जिन्हें तालिका-5 में प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा।

(2) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग और उनकी संबद्ध इकाइयों के लिए अनिवार्य न्यूनतम आवश्यक मानक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होंगे:

(क) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग और उनकी संबद्ध इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र इन विनियमों से जुड़ी अनुसूची- II के अनुसार होंगे ।

(ख) एकीकृत स्वास्थय अनुवादत्मक अनुसंधान विभाग अनिवार्य विभाग है और इसे सभी स्नातकोत्तर संस्थानों में स्थापित होना चाहिए ।

(ग) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में शिक्षण स्टाफ के लिए बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं विनियम 3 के उप-विनियमन (6) में प्रदान के अनुसार होगी ।

(3) (क) तीन वर्षों के सभी छात्रों को समायोजित करने के लिए, प्रत्येक स्नातकोत्तर विशिष्टता या कार्यक्रम के लिए एक सेमिनार हॉल होगा, जिसमें प्रति छात्र 18 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

(ख) सभी स्नातकोत्तर विशिष्टताओं या कार्यक्रमों में सभी तीन बैचों को समायोजित करने के लिए एक सामान्य सेमिनार हॉल या सभागार उपलब्ध होगा, जिसकी गणना अतिरिक्त बीस प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ, प्रति छात्र 6.5 वर्ग फीट की दर से की जाएगी।

(ग) स्नातकोत्तर सेमिनार हॉल उपयुक्त बैठने की व्यवस्था के साथ इनफार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) सक्षम होंगे।

(4) संबंधित विशिष्टता या विभाग में सभी स्नातकोत्तर स्कॉलर्स के लिए पर्याप्त लॉकर होंगे।

(5) (क) केन्द्रीय पुस्तकालय का क्षेत्र एक सौ पचास वर्ग मीटर से कम नहीं होगा और केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों और अन्य विनिर्देशों, आवश्यकताओं, पुस्तकालय के कामकाज और सुविधाओं की न्यूनतम संख्या वही होगी जो साठ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में उल्लिखित है;

(ख) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए न्यूनतम दो सौ अतिरिक्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी; ये अतिरिक्त पुस्तकें स्नातकोत्तर विशेषज्ञता या कार्यक्रम या विभाग के लिए विशिष्ट होंगी; पुस्तकों की संख्या में वार्षिक वृद्धि होगी;

(ग) दस सामान्य शोध पत्रिकाओं के अतिरिक्त, केंद्रीय पुस्तकालय में प्रत्येक स्नातकोत्तर विषय या विशेषता के लिए कम से कम चार पत्रिकाएं उपलब्ध होगी ।

(घ) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में न्यूनतम एक सौ पुस्तकों के साथ एक विभागीय पुस्तकालय भी उपलब्ध होगा ।

(6) डिजिटल लाइब्रेरी में कुल निर्मित क्षेत्र चालीस वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कंप्यूटर सिस्टम 1: 5 के अनुपात में होगा, अर्थात, वार्षिक प्रवेश क्षमता के पांच छात्रों के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जैसे साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म), सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरण, और उद्धरण (साइटेशन) या ग्रंथ (बिबलियोग्राफी) मेकर या जनरेटर आदि डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध होंगे। -

(7) योग्या-क्लिनिकल स्किल लेबोरेटरी या सिमुलेशन लेबोरेटरी में इन विनियमों की अनुसूची-V। में दी गई सुविधाएं होंगी।

(8) (क) एक परीक्षा, बहुउद्देशीय, या योग हॉल प्रति स्नातकोत्तर छात्र दो वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ, साथ ही तीन वर्षों में स्नातकोत्तर छात्रों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत का अतिरिक्त क्षेत्र, उपयुक्त बैठने की व्यवस्था के साथ, उपलब्ध होगा ।

(ख) इस बहुउद्देश्यीय हॉल का उपयोग बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, परीक्षाओं, योग प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के संचालन के लिए किया जाएगा और इसमें ऑडियो-विजुअल सुविधा, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन और टॉयलेट सुविधा उपलब्ध होगी ।

(9) प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में एक केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी जिसमें छात्रों द्वारा विभिन्न अनुसंधान प्रयोगों को करने के लिए उन्नत अनुसंधान सुविधाएं होंगी। केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम उपकरण और सहायक उपकरण इन विनियमों की अनुसूची-III में दिए गए अनुसार होंगे।

(10) इन विनियमों की अनुसूची-IV में यथा उपबंधित न्यूनतम उपकरणों और सहायक उपकरणों के साथ एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला द्रव्यगुण और रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगी ।

(11) (क) एक पशु घर और पशु प्रयोगशाला, जैसा कि इन नियमों की अनुसूची- V में प्रदान किया गया है, द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, अगदतंत्र, और आयुर्वेद संहिता और सिद्धांत में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगा ।

(ख) यदि कॉलेज विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है और पशु गृह एक सामान्य सुविधा के रूप में एक ही परिसर के भीतर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में, आयुर्वेद कॉलेज के लिए उसी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

(12) (क) संस्थानों की नैदानिक (क्लीनिकल) शोध गतिविधियों के कोआर्डिनेशन के लिए चिकित्सालय में नैदानिक शोध प्रकोष्ठ (सेल) उपलब्ध होगा । प्रकोष्ठ (सेल) में अनुसंधान (रिसर्च) कोआर्डिनेशन स्टाफ को समायोजित करने के लिए फर्नीचर के साथ एक कार्यालय होगा और इसके साथ ही अभिलेख भंडारण, शोध औषधियाँ और इसी प्रकार की सुविधाएं भी होंगी।

(ख) यह प्रकोष्ठ (सेल) शोध विषयों के यादृच्छिककरण (रैंडमाइजेशन) और ब्लाइंडिंग ऑफ़ ट्रायल ड्रग्स, शोध लेखा परीक्षा, शोध औषधि लेखा परीक्षा और अन्य शोध संबंधी गतिविधियों का संचालन करने में भी सहायता करेगा। इस प्रकोष्ठ (सेल) के लिए न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी इन विनियमों की अनुसूची-XI। के अनुसार होगी।

(13) (क) प्रत्येक आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान में साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म) प्रकोष्ठ (सेल) उपलब्ध कराया जाएगा जो एकीकृत स्वास्थ्य (इंटीग्रेटेड हेल्थ) और ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। किसी भी स्नातकोत्तर विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर और उससे ऊपर के स्तर पर किसी भी संकाय सदस्य में से एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा;

(ख) प्रकोष्ठ (सेल) को साहित्यिक चोरी (प्लागिअरिस्म) की जांच के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और उपयुक्त सॉफ्टवेयर कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा।

(14) (क) प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में न्यूनतम साठ अंतरंग रोगी विभाग (इन-पेशेंट) बेड वाला एक संबद्ध चिकित्सालय होगा, जो आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, कार्यक्षमता, उपकरण और सहायक उपकरणों सहित सुविधाओं आदि के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करेगा जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में दिया गया है।

(ख) चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त, जहां स्नातकोत्तर कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, उस विभाग में न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध की जाएंगी, जैसा कि इन नियमों 7 और 8 में विस्तार से दिया गया है।

(15) संस्थान की कुल छात्र संख्या के अनुरूप पर्याप्त स्थान एवं बैठने की व्यवस्था के साथ कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(16) लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग छात्रावास, अधिमानतः एकल आवास उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक छात्रावास में मेस सुविधाएं, पर्याप्त फर्नीचर, एक वाचनालय (रीडिंग रूम), मनोरंजन सुविधाएं और सुरक्षा सेवाएं शामिल होंगी। यदि चिकित्सालय एक अलग परिसर में स्थित है, तो छात्रावास चिकित्सालय परिसर के भीतर होंगे।

(17) सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन के लिए निम्नानुसार पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्: -

(क) शारीरिक शिक्षा सुविधा;

(ख) मनोरंजन सुविधा;

(ग) क्लब गतिविधियां जैसे फाइन आर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, साइंस क्लब, लैंग्वेज क्लब, जर्नल क्लब, फोटोग्राफी क्लब, एनिमल लवर क्लब और आवश्यकता के अनुसार अन्य क्लब।

(घ) परिवहन, बैंक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इनडोर और आउटडोर गेम्स दोनों के लिए प्लेग्राउंड, व्यायामशाला या फिटनेस सेंटर, कैफेटेरिया और इसी प्रकार की अन्य छात्र सुविधाएं;

(ङ) पुरुष और महिला छात्रों के लिए उपयुक्त और सुगमता से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में अलग-अलग शौचालय;

(च) महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसिनरेटर ।

(छ) कुल वार्षिक प्रवेश का न्यूनतम बीस प्रतिशत समायोजित करने की क्षमता वाला, पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग, एक कॉमन रूम, पर्याप्त क्षेत्र, फर्नीचर और अटैच्ड शौचालय सुविधाओं के साथ ।

(ज) प्रत्येक संस्थान परिसर के भीतर दो हजार पांच सौ वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ एक हर्ब उद्यान स्थापित करेगा और क्विक रिस्पांस कोड के साथ लेबल की गई न्यूनतम दो सौ पचास औषधीय पौधों की प्रजातियों को समायोजित करेगा।

(झ) बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम क्षेत्र, कक्षाओं, पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, व्यावहारिक प्रयोगशालाओं, नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला, गलियारों, बहुउद्देश्यीय हॉल और संस्थान द्वारा आवश्यक अन्य क्षेत्रों में क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा स्थापित किया जाएगा।

(18) प्रत्येक संस्थान में मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी और यह भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में निर्धारित कार्य करेगा और मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के लिए आवश्यक क्षेत्र पचास वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

(19) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कॉलेज परिषद की स्थापना की जाएगी और कार्य किया जाएगा। कॉलेज काउंसिल रूम के लिए जगह पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और रिकॉर्ड रखने की सुविधाओं के साथ न्यूनतम तीस वर्ग मीटर होगी।

(20) प्रत्येक संस्थान शैक्षिक, दार्शनिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत और कैरियर विकास में छात्रों को समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए छात्र सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना करेगा। इसका गठन और कार्य विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा; यदि ऐसे दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो यह संस्थान की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा। छात्र सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ (सेल) के लिए सेल में रिकॉर्ड रखने की सुविधा और अन्य संबंधित सुविधाओं सहित उचित बैठने की व्यवस्था के साथ कम से कम बीस वर्ग मीटर का स्थान प्रदान किया जाएगा।

(21) प्रत्येक संस्थान छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित करेगा। समिति का गठन किया जाएगा और संस्थान की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य किया जाएगा। छात्र सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ (सेल) के लिए आवंटित कक्ष का उपयोग शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (सेल) द्वारा उनकी बैठकों और संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।

(22) प्रत्येक संस्थान में एक सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी परिसर वातावरण के निर्माण के लिए संस्थान की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार गठित और कार्यरत यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक समिति होगी। समिति यौन उत्पीड़न के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी और परिसर में छात्रों, कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यौन अनाचार और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों या शिकायतों का निवारण करेगी। यह सुनिश्चित करना समिति का उत्तरदायित्व है कि गोपनीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। छात्र सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ (सेल) के लिए आवंटित कक्ष का उपयोग यौन उत्पीड़न समिति के विरुद्ध समिति द्वारा उनकी बैठकों के लिए और संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।

(23) प्रत्येक संस्थान में संस्थान की गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता वृद्धि गतिविधियों की योजना, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल होगा। सेल का गठन और कार्य भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में निर्धारित अनुसार होंगे। उचित बैठने की व्यवस्था और रिकॉर्ड रखने की सुविधाओं के साथ न्यूनतम तीस वर्ग मीटर जगह वाला एक कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा;

(24) (क) गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए दो कॉमन रूम, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए अलग-अलग, पर्याप्त फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, संलग्न शौचालय, पीने का पानी और जलपान सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाएगा।

(ख) भवन के प्रत्येक तल पर शिक्षण स्टाफ और गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए उपयुक्त और आसानी से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा होगी;

(घ) महिला शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर की व्यवस्था की जाएगी।

**13. मानव संसाधनों की न्यूनतम आवश्यकता** - (1) शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः इन विनियमों की अनुसूची-IX और XI में वर्णित होगी।

(2) शिक्षण स्टाफ की योग्यता और अनुभव इन नियमों के विनियमन 30 में दिए गए अनुसार होगा।

**14. इन विनियमों के प्रकाशन से पूर्व स्थापित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों द्वारा न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन करने के लिए समय सीमा**-(1) इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व स्थापित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान तालिका-5 में दिए गए विवरण के अनुसार इन विनियमों का पालन करेंगे।

(2) तालिका-5 में दी गई समय-सीमा अधिकतम है और उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

## तालिका-5

इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व स्थापित स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थानों द्वारा न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन करने की समय सीमा

| क्रम संख्या | मानक या इकाई या अनुभाग या सुविधा | इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से समय सीमा |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | केन्द्रीय कार्यशाला या अनुरक्षण कक्ष | 18 माह |
| 2. | डिजिटल लाइब्रेरी | 18 माह |
| 3. | सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ | माह 06 |
| 4. | केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला | माह 01 |
| 5. | गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला | माह 01 |
| 6. | क्लिनिकल रिसर्च सेल | 18 माह |
| 7. | पशु गृह एवं पशु प्रयोगशाला | 18 माह |
| 8. | साहित्यिक चोरी जांच सेल | 6 माह |
| 9. | योग्या - क्लिनिकल स्किल या सिमुलेशन लैब | 18 माह |
| 10. | मानव संसाधन विकास सेल | 18 माह |
| 11. | कॉलेज परिषद बैठक कक्ष | 18 माह |
| 12. | विद्यार्थी परिषद कक्ष | 18 माह |
| 13. | शैक्षणिक समिति | माह 01 |
| 14. | छात्र सहायता, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल | 18 माह |
| 15. | शिकायत निवारण सेल | 18 माह |
| 16. | यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति (सीएएसएच) | माह 01 |
| 17. | आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष (आईक्यूएसी) | 18 माह |
| 18. | सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधि | 18 माह |
| | चिकित्सालय | |
| 19. | स्क्रीनिंग ओपीडी | माह 01 |
| 20. | मेडिकल रिकॉर्ड रूम | 18 माह |
| 21. | विष चिकित्सा ओपीडी | माह 01 |
| 22. | विष चिकित्सा वार्ड | माह 01 |
| 23. | क्लिनिकल कक्षाएँ | 24 माह |
| 24. | वार्ड संलग्न प्रोसीजर कक्ष | 24 माह |
| 25. | अनुशस्त्र कर्म अनुभाग | 18 माह |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | क्रियाकल्प (शालाक्य) | 18 माह |
| 27. | योग हॉल | 24 माह |
| 28. | पथ्य डाइट सेंटर | 18 माह |
| 29. | डॉक्टर्स लाउंज | 24 माह |
| 30. | चिकित्सालय स्टाफ कक्ष | 24 माह |
| 31. | चिकित्सालय मीटिंग हॉल | 24 माह |
| 32. | गर्भ संस्कार | 18 माह |
| 33. | फार्माकोविजिलेंस सेल | 18 माह |
| | अन्य नए मानक या परिवर्धन या विस्तार | |
| 34. | निर्माण | 18 माह |
| 35. | विभागवार उपकरण एवं यंत्र | 06 माह |
| 36. | मानव संसाधन | 12 माह |

**नोट 1:** उपर्युक्त समय-सीमा भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास और उपकरण या सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए है। तथापि, विभिन्न इकाइयों या प्रकोष्ठों (सेल) की समितियों और कार्यों का गठन एक माह के भीतर आरंभ किया जाएगा।

**नोट 2 :** इन विनियमों के प्रकाशन से पहले पूरी तरह से स्थापित या स्थापना के तहत चिकित्सा संस्थान समान बुनियादी ढांचे के साथ जारी रह सकते हैं, तालिका -5 में प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के मानकों को छोड़कर, जिन्हें तालिका -5 में प्रदान की गई समय सीमा के अनुसार पूरा किया जाएगा।

## अध्याय-VI

निरीक्षण या विसिटेशन या आकलन

**15.** (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 28 के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तर संस्थानों, जहां स्नातक कार्यक्रम अस्तित्व में हैं, के साथ-साथ स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर विभागों का स्वतः संज्ञान निरीक्षण, विज़िटेशन या आकलन करेगा।

(2) स्नातकोत्तर संस्थानों के प्रकरण में जहां एक स्नातक कार्यक्रम मौजूद है, विशेष रूप से स्नातकोत्तर विभागों के लिए नियुक्त किए गए विशेष आगंतुकों (विजिटर), निरीक्षकों या आकलनकर्ताओं के साथ निरीक्षण, विज़िटेशन, या आकलन यो तो एक ही समय या अलग-अलग समय पर किया जाएगा।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्नातकोत्तर संस्थानों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण, विसिटेशन या आकलन किया जाएगा। आकलन स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।

(4) पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मानदंडों के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगाः

(क) 'विस्तारित अनुमति' और
(ख) 'वार्षिक अनुमति'।

(5) धारा 28 के अंतर्गत एक पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए लगातार अनुमति दी गई है, को "विस्तारित अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।

(6) "विस्तारित अनुमति" की श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशलिटी काउन्सलिंग प्रक्रिया में भाग लेने और प्रत्येक वर्ष स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना प्रवेश देने के लिए पात्र है, जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वतः संज्ञान विजिट या आकलन के परिणामस्वरूप अस्वीकृत नहीं किया जाता है; निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत "विस्तारित अनुमति" स्थिति का प्रावधान स्नातकोत्तर विभागों या स्पेशलिटी के लिए लागू नहीं होगा:

(क) यदि स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशलिटी के विरुद्ध भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत कार्रवाई कि गई है;

(ख) यदि स्नातकोत्तर विभाग, स्पेशलिटी या संस्थान के विरुद्ध कोई लंबित कानूनी मुद्दे या अनुशासनात्मक कार्रवाई है;

(ग) यदि कॉलेज या संस्थान ने इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार स्नातकोत्तर छात्रों के प्रवेश से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी काउन्सलिंग और प्रवेश दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि स्नातकोत्तर विभाग अधिनियम की धारा 29 के अधीन हैं; तथापि, एक ही विभाग में कई स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रकरण में, स्नातकोत्तर कार्यक्रम जो पहले से ही विस्तारित श्रेणी में है, विस्तारित अनुमति स्थिति में जारी रखे जाएगें।

(ङ) यदि संस्थान ने विस्तारित अनुमति के वर्ष के लिए वार्षिक निरीक्षण या विज़िटेशन शुल्क जमा नहीं किया है।

(7) धारा 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशलिटी संस्थान जो उप-नियम (4) में प्रदान किए गए मानदंडों को पूर्ण नहीं करते हैं, और धारा 29 के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग को "वार्षिक अनुमति" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।

(8) स्नातकोत्तर विभाग या "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा स्पेशलिटी वाले संस्थान काउन्सलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे और प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश देंगे।

(9) (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा किया गया निरीक्षण, विज़िटेशन, या आकलन विस्तारित अनुमति की निरंतरता या वार्षिक अनुमति देने या अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत ऐसे उपाय करने के लिए होगा।

(ख) सभी चिकित्सा संस्थान, विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति श्रेणी की परवाह किए बिना भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर वास्तविक समय या आवधिक विवरण (डेटम) अपलोड करते रहेंगे;

(ग) सभी संस्थान प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम एक लाख रुपये का वार्षिक निरीक्षण या विज़िटेशन शुल्क के साथ-साथ लागू करों सहित प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम पचास हजार रुपये के डिजिटलीकरण शुल्क को आयोग के बैंक खाते में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर जमा करेंगे।

(घ) स्नातकोत्तर विभाग या 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत स्पेशलिटी, संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप और प्रस्तुत करने की अवधि के अनुसार एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे;

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति का आकलन करने के लिए, शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी समय भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए तरीके और मोड में निरीक्षण, विज़िटेशन, या आकलन करेगा।

(च) आकलन की अवधि बारह माह की होगी, जो विज़िटेशन, निरीक्षण या आकलन के पूर्ववर्ती माह से आरंभ होगी। उक्त बारह माह की अवधि के लिए खंड (ख) के अंतर्गत संस्थान द्वारा प्रकट किए गए आंकड़ों (डेटा) को आकलन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

उदाहरण: यदि अगस्त 2024 के माह में किसी संस्थान का आकलन, निरीक्षण या विज़िटेशन किया जा रहा है, तो आकलन की अवधि0 1 अगस्त, 2023 से 31 जुलाई, 2024 तक होगी;

(छ) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड सामान्यत: आकलन पश्चात प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए काउन्सलिंग से साठ दिन पहले, "वार्षिक अनुमति "श्रेणी के अंतर्गत संस्थानों को आकलन, निरीक्षण या विज़िटेशन के निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

(ज) यदि "विस्तारित अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशलिटी विभाग को, उस विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति द्वारा काउन्सलिंग प्रक्रिया आरंभ होने से सामान्यत: साठ दिन पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से कोई संचार प्राप्त नहीं होता, तो यह माना जाएगा कि स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशलिटी विभाग उस विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए विस्तारित अनुमति की अपनी स्थिति रखता है और उसे प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार काउन्सलिंग और प्रवेश प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी;

(झ) (i) आकलन या विज़िटेशन या निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान यदि अभिलेखों या डेटा या न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति या स्नातकोत्तर विभाग की कार्यक्षमता या 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर संस्थानों की स्पेशलिटी में कोई कमी पाई जाती है और इस अवलोकन के आधार पर, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड, अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा न करने के कारण कोई कार्रवाई करता है, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा इस प्रकार के निर्णय की सूचना केंद्रीय

आयुष प्रवेश परामर्श समिति द्वारा प्रवेश के लिए काउन्सलिंग आरंभ होने से साठ दिन पहले संबंधित कॉलेज या संस्थान को दी जाएगी;

(ii) ऐसे प्रकरण में, ऐसे स्नातकोत्तर विभाग या स्पेशलिटी के लिए विस्तारित अनुमति के पद (स्टेट्स) को वापस ले लिया जाएगा और 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी से संबंधित सभी नियम और विनियम लागू होंगे; ऐसे संस्थान इस विनियम में प्रदान की गई शर्तों को पूरा करने के बाद ही 'विस्तारित अनुमति' के स्थान को (स्टेटस) प्राप्त कर सकते हैं;

(ञ) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड के पास शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी समय और किसी भी संख्या में आकलन, निरीक्षण या विज़िटेशन के लिए संस्थानों का पुन :विज़िटेशन करने की शक्ति होगी;

(ट) (i) लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अस्वीकृति मांगने वाले संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग, स्पेशलिटी संस्थान जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति से वंचित कर दिया गया है, को बंद माना जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड आयोग ऐसे संस्थानों को बंद करने की सिफारिश करेगा;

(ii) यदि ऐसा संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग पुनः प्रारंभ करना चाहता है, तो वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत नई स्थापना की प्रक्रिया से गुजरेगा;

(ठ) (i) "दोषों को सुधारने "का प्रावधान मौजूदा पूर्ण रूप से स्थापित संस्थानों पर लागू नहीं होगा;

(ii) ये न्यूनतम आवश्यक मानक हैं, इसलिए धारा 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्थापित मौजूदा चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों को "दोषों को सुधारने" का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा ।

## अध्याय- VII

## पोस्टग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) और मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस) की न्यूनतम शिक्षा मानक।

**16. स्नातकोत्तर डिग्री के लिए कार्यक्रम के अनुसार विशिष्ट दक्षताएँ।**

(1) आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत:

(क) संहिताओं को पढ़ने और समझने की क्षमता;
(ख) तंत्र युक्तियों को उचित रूप से लागू करने की क्षमता;
(ग) अनुक्त और लेशोक्त को समझने और लागू करने की क्षमता;
(घ) टिप्पणियों और संहिता को समझने में उन्हें उचित रूप से लागू करने की क्षमता।
(ङ) संहिताओं में वर्णित सिद्धांतों को स्थापित करने की क्षमता, उन्हें परिकल्पना के रूप में मानते हुए और समकालीन वैज्ञानिक लाइनों पर एक प्रमाण उत्पन्न करना; और
(च) संहिता एवं सिद्धांत में स्नातकोत्तर संहिता के विवेचनात्मक आकलन और नैदानिक अभ्यास में इसके अनुप्रयोग में विशेषज्ञ होगा।

(2) आयुर्वेद जीव विज्ञान (बायोलॉजी):

(क) आयुर्वेद जीव विज्ञान, आयुर्वेद सूचना विज्ञान और आयुर्जेनॉमिक्स के ज्ञान को समझने और लागू करने की क्षमता;
(ख) उन्नत वैज्ञानिक तरीकों या मापदंडों के आधार पर आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों को स्थापित करने की क्षमता;
(ग) मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स आदि में प्रयोगों के माध्यम से आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रदर्शित करने की क्षमता;
(घ) फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझने और प्रदर्शित करने की क्षमता;
(ङ) आनुवंशिकी (जेनेटिक्स) की तर्ज पर बीज और बीज दोष को समझने और प्रदर्शित करने की क्षमता;
(च) आनुवंशिकी (जेनेटिक्स) काउन्सलिंग के लिए क्षमता; और
(छ) आयुर्वेद-जीव विज्ञान (बायोलॉजी) में स्नातकोत्तर आयुर्वेद-जीव विज्ञान, आयुर्वेद सूचना विज्ञान और आयुर्जेनॉमिक्स में विशेषज्ञ होंगे।

(3) रचना शारीर:

(क) मानव शरीर की संरचना की विस्तृत समझ;
(ख) मानव शरीर को व्यवस्थित रूप से विच्छेदित (डीसेक्ट) करने की क्षमता;
(ग) मानव शरीर के टिश्यू के संदर्भ में सप्त धातु को समझने की क्षमता;
(घ) मानव शरीर में मर्म का पता लगाने की क्षमता;
(ङ) सर्जिकल एनाटॉमी व्यक्त करने की क्षमता;
(च) एनाटॉमी संग्रहालय के लिए ऑर्गन और स्पेसिमेन के वर्गों के एम्बाल्मिंग और प्रोसीजर के लिए क्षमता;
(छ) ऑर्गन के प्लास्टिनेशन की क्षमता;

(ज) 3 डी एनाटॉमी टेबल और अन्य ई-विच्छेदन सॉफ्टवेयर जैसी उन्नत एनाटॉमी साधन को समझने और प्रदर्शित करने की क्षमता;

(झ) रचना शारीर में स्नातकोत्तर 'रचना शारीर' के विशेषज्ञ होंगे।

(4) क्रिया शारीर:

(क) मानव शरीर के शारीरिक कार्यों को विस्तार से समझने और व्यक्त करने की क्षमता;

(ख) प्राकृतिक, सार, संहनन, दोष, क्षय वृद्धि और अन्य आयुर्वेदिक शारीरिक अवधारणाओं जैसे आयुर्वेदिक फिजियोलॉजिकल संस्थाओं का आकलन और प्रदर्शन करने की क्षमता;

(ग) शारीरिक परीक्षणों और प्रयोगों का संचालन और प्रदर्शन करने की क्षमता;

(घ) क्रिया शारीर में स्नातकोत्तर 'क्रिया शारीर' का विशेषज्ञ होगा।

(5) द्रव्यगुण विज्ञान:

(क) रस पंचक को समझने और प्रदर्शित करने की क्षमता;

(ख) वनस्पति द्रव्य (औषधीय पौधों) की पहचान और प्रमाणीकरण करने की क्षमता;

(ग) फार्माकोग्नॉसी प्रयोगों का संचालन और प्रदर्शन करने की क्षमता;

(घ) कच्ची हर्बल औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दों सहित ग्राह्य और अग्राह्य लक्षण को लागू करने की क्षमता;

(ङ) विवादों का समाधान करने और वैकल्पिक औषधिओं का सुझाव देने की क्षमता;

(च) नई जड़ी बूटियों के लिए आयुर्वेद औषधीय गुणों को परिभाषित करने की क्षमता;

(छ) पशु अध्ययन सहित औषधीय प्रयोगों का संचालन और प्रदर्शन करने की क्षमता;

(ज) टिश्यू कल्चर, बायो-इन्फार्मेटिक्स , नेटवर्क फार्माकोलॉजी, स्टेम सेल प्रयोगों आदि का ज्ञान, और द्रव्यगुण से संबंधित उभरते अन्य क्षेत्र;

(झ) द्रव्य गुण विज्ञान में स्नातकोत्तर 'जड़ी बूटियों की पहचान और जैविक क्रियाओं' के विशेषज्ञ होंगे।

(6) रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना**:**

(क) रस शास्त्र और भैषज्य कल्पना में मौलिक और व्यावहारिक ज्ञान विस्तार से;

(ख) रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) और रासायनिक प्रौद्योगिकी (केमिकल टेक्नोलॉजी) के प्रकाश में रस शास्त्र में वर्णित प्रक्रियाओं को समझने की क्षमता;

(ग) नई डोज़ के रूप और औषधि विकास सहित औषधि निर्माण पर शास्त्रीय (क्लासिकल) और समकालीन (कंटेम्पररी) ज्ञान;

(घ) रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना में शोध की आवश्यकता और क्षेत्रों की पहचान करने की क्षमता;

(ङ) औषधि मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ-साथ गुणवत्ता आश्वासन विधियों और संबंधित उपकरणों से परिचित,

(च) औषधि से संबंधित मानक डेटाबेस का ज्ञान और औषधि डोजियर तैयार करने की क्षमता; औषधिओं और कॉस्मेटिक और अन्य प्रासंगिक कृत्यों से परिचित;

(छ) फार्माकोविजिलेंस का ज्ञान इसकी आवश्यकता, दायरे और उद्देश्यों के साथ;

(ज) रसशास्त्र के कच्चे माल को प्रमाणित करने की क्षमता;

(झ) सामग्री और परिचालन प्रबंधन, नैदानिक फार्मेसी और फार्मेसी अभ्यास की समझ और अनुप्रयोग;

(ञ) रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना में स्नातकोत्तर 'आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स' में विशेषज्ञ होंगे।

(7) रोगनिदान- विकृति विज्ञान**:**

(क) सम्प्राप्ति और पंच लक्षण निदान को समझने की क्षमता;

(ख) बेसिक पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी और पैथोलॉजिकल प्रोसेस को समझने और आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में व्याख्या या लागू करने की क्षमता;

(ग) नैदानिक निदान की पुष्टि के लिए उचित जांच, बायोकैमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, इमेजिंग तकनीक, हिस्टोपैथोलॉजी और इसी प्रकार की क्षमता;

(घ) रोगनिदान-विकृति विज्ञान के स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक नैदानिक जांच या परीक्षणों पर हस्ताक्षर करने और प्रमाणित करने के लिए अधिकृत हैं;

(ङ) रोगनिदान-विकृतिविज्ञान के स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक नैदानिक सुविधाओं के साथ नैदानिक प्रयोगशाला की स्थापना और प्रबंधन के लिए अधिकृत हैं;

(च) रोगनिदान-विकृतिविज्ञान में स्नातकोत्तर 'पैथोलॉजी और लेबोरेटरी डायग्नोसिस' के विशेषज्ञ होंगे।

(8) अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक:

(क) विषाक्त स्थितियों का निदान और इसका चिकित्सा प्रबंधन करने की क्षमता;

(ख) वर्तमान संदर्भ में, दूषीविषगर विष , की पहचान करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने की क्षमता;

(ग) विष और एलर्जी के कारण नैदानिक स्थितियों और उनकी जटिलताओं के समाधान की क्षमता;

(घ) चिकित्सा न्यायशास्त्र (मेडिकल जुरीसप्रूडेंस) को प्रस्तुत करने की क्षमता;
(ङ) अगद तंत्र में स्नातकोत्तर 'विष चिकित्सा और चिकित्सा न्यायशास्त्र' के विशेषज्ञ होंगे।

(9) स्वस्थवृत्त एवं योग**:**

(क) नैदानिक अभ्यास में आयुर्वेद के अनुसार 'लाइफस्टाइल मैनेजमेंट (दिनचर्या, ऋतुचर्या) के लिए क्षमता;
(ख) स्वस्थ और रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए योग का प्रबंध करने की क्षमता;
(ग) आहार संबंधी अभ्यासों की क्षमता;
(घ) सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की क्षमता;
(ङ) स्वस्थवृत्त एवं योग में स्नातकोत्तर 'लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ' के विशेषज्ञ होंगे।

(10) कौमार भृत्य**:**

(क) 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में सामान्य रूप से नैदानिक स्थितियों का संभालने की क्षमता;
(ख) 'सामान्य बच्चे' को भली भांति जानने की क्षमता;
(ग) सुवर्णप्राशन सहित टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन;
(घ) 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पंचकर्म प्रक्रियाओं को प्रशासित करने की क्षमता;
(ङ) वह 'बालरोग' के प्रबंधन में विशेषज्ञ होगा।

(11) कायचिकित्सा-**:**

(क) नैदानिक रूप से निदान करने की क्षमता;
(ख) नैदानिक जांच रिपोर्टों की व्याख्या और सहसम्बद्ध और निदान करना और तदनुसार रोगी का उपचार करना;
(ग) गंभीर (एक्यूट) और चिरकालिक (क्रोनिक) नैदानिक स्थितियों में उचित उपचार देने की क्षमता;
(घ) सामान्य रूप से नैदानिक और विशेष रूप से रेफरल स्थितियों का प्रबंधन करने की क्षमता;
(ङ) पंचकर्म, शल्य, शलाक्य और स्त्री रोग-प्रसूति तंत्र प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्तता का आकलन करने और संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की क्षमता;
(च) रोगियों के हित में निदान की पुष्टि के लिए उचित जांच, बायोकैमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, इमेजिंग तकनीक, बायोप्सी और इसी प्रकार का परामर्श देने की क्षमता;
(छ) काय चिकित्सा में स्नातकोत्तर-'काय-चिकित्सा' के विशेषज्ञ होंगे।

(12) पंचकर्म एवं उपकर्म **:**

(क) किसी भी पंचकर्म या उपकर्म के लिए उपयुक्त रोग स्थितियों की पहचान करने की क्षमता;
(ख) नैदानिक स्थिति के लिए उपयुक्त पंचकर्म प्रक्रियाओं का चयन, योजना और प्रशासन करने की क्षमता;
(ग) पंचकर्म के लिए फिटनेस प्रमाणित करने की क्षमता;
(घ) पंचकर्म प्रक्रियाओं को प्रशासित करने की क्षमता;
(ङ) पंचकर्म प्रक्रियाओं की जटिलताओं का उपाय करने की क्षमता;
(च) पंचकर्म में स्नातकोत्तर 'पंचकर्म प्रक्रियात्मक (प्रोसीजर) प्रबंधन' के विशेषज्ञ होंगे।

(13) स्त्री रोग **-** प्रसूति तंत्र**:**

(क) स्त्री रोग संबंधी स्थितियों का प्रबंधन करने की क्षमता;
(ख) शिक्षण और प्रशिक्षण के अनुसार स्त्री रोग और प्रसूति शल्य चिकित्सा(सर्जरी) करने की क्षमता, और विशेषज्ञता से संबंधित उत्तरबस्ती आदि जैसी अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाएं;
(ग) प्रसवपूर्व देखभाल और प्रसव क्रिया के संचालन की क्षमता;
(घ) विशेषता से संबंधित नैदानिक परीक्षण करने की क्षमता;
(ङ) प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण के अनुसार गर्भाधान (कन्सेप्शन) और गर्भनिरोधक (कंट्रासेप्शन) उपायों को करने की क्षमता;
(च) स्त्रीरोग-प्रसूति तंत्र में स्नातकोत्तर व्यक्ति 'स्त्रीरोगी- प्रसूति तंत्र' के विशेषज्ञ होंगे।

(14) शल्य तंत्र**:**

(क) प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण के अनुसार शल्य चिकित्सा (सर्जरी) करने की क्षमता;
(ख) शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) स्थितियों का निदान करने, विशेषज्ञता के लिए विशिष्ट आवश्यक नैदानिक परीक्षणों का सुझाव देने और प्रदर्शन करने और इन परीक्षणों के परिणामों की व्याख्या करने की क्षमता;
(ग) नीचे सूचीबद्ध के रूप में शल्य चिकित्सा (सर्जरी) करने की क्षमता: -
(i) दुष्ट निज व्रण का लेखन या छेदन **(**डेब्राइडमेंट या फेसियोटॉमी या क्यूरेटेज**);**

(ii) विद्रधिका भेदन (इन्सिशन और एब्सेस ड्रनेज), गुदविद्रधि, स्तन विद्रधी (पेरिअनल एब्सेस, ब्रैस्ट एब्सेस, एक्सिलरी एब्सेस, सेल्युलाइटिस, आदि);

(iii) संधान कर्म (सभी प्रकार की त्वचा ग्राफ्टिंग अर्थात, एसएसजी, ईईजी, क्रॉस फ्लैप्स), कर्ण पालिसंधान (ईयर लोब रिपेयर), आदि;

(iv) ग्रंथी अर्बुद का छेदन कर्म, (एक्सिशन सिंपल सिस्ट, सिबेशियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, म्यूकोसल सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट आदि का उच्छेदन या बिनाइन ट्यूमर (लिपोमा, फाइब्रोमा, गैर महत्वपूर्ण अंगों के श्वान्नोमा);

(v) सिरा-स्नायुकोथ का छेदन कर्म (गैंग्रीन का उच्छेदन या विच्छेदन);

(vi) सद्यो-व्रण प्रबंधन (ट्रॉमेटिक वाउन्ड मैनेजमेंट);

(क) सीवन कर्म (सभी प्रकार की स्यूचरिंग, हेमोस्टैटिक लिगेचर्स),

(ख) सिरा-कंडरा-स्नायुकासंधानकर्म (लिगेशन एंड रिपेयर ऑफ टेंडन एंड मसल्स)।

(I) प्राणष्टशल्य निर्हरण (रिमूवल ऑफ़ मैटेलिक एंड नॉनमैटेलिक फॉरेन बॉडीज फ्रॉम नॉन वाइटल - ऑर्गन्स)

(II) भग्न चिकित्सा- आंछन- पीडन- संक्षेप - कुशबंधन (क्लोज रिडक्शन, स्थिरीकरण, स्प्लिंट्स या कास्ट)।

(III) संधिमोक्ष (संधिभ्रंश और अपूर्णसन्धिभ्रंश में कमी)।

(IV) उदर रोग निदान चिकित्सा, या दकोदरविस्त्रावण (लैपरोटॉमी या पेरटसिंटेसिस)।

(V) अर्श – क्षार कर्म, छेदन (हेमोराहाइडेक्टॉमी के विभिन्न तरीके, रबर बैंड लिगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, आईआरसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी या लेजर एब्लेशन आदि)

(VI) परिकार्तिका, सन्निरुद्ध गुदा (एनो में फिशर – गुदा डिलेशन, स्फिंक्टेरोटॉमी, एनोप्लास्टी)।

(VII) भगंदर छेदन, क्षारसूत्र (फिस्टुलेक्टोमी, फिस्टुलोटॉमी)।

(VIII) नाडीव्रणछेदन, क्षारसूत्र (पाइलोनिडल साइनस का उच्छेदन)।

(IX) गुदा-भ्रंश- संधान कर्म (विभिन्न रिक्टोपेक्सीज़)।

(X) अश्मरी - निर्हरण (सुपरप्यूबिक सिस्टोस्टॉमी या सिस्टोलिथोटॉमी)।

(XI) मुत्रग्रह या मूत्रकृच्छ- मुत्रमार्ग विवर्धन (यूरेथ्रल डिलेटेशन मियेटोरोमी)।

(XII) निरुद्ध प्रकाश (फिमोसिस), परिवर्तिका (पैराफिमोसिस खतना)।

(XIII) वृद्धि रोग चिकित्सा, संधान कर्म (जन्मजात या वंक्षण या नाभि या अधिगठर या फीमोरेल या इनसिस्जनल हर्निया, हर्नियोटॉमी, हर्नियोराफी, हर्नियोप्लास्टी)।

(XIV) मूत्र वृद्धि-वेधन (हाइड्रोसील एवरशन ऑफ सैक)

(XV) वक्षीय आघात के लिए इंटरकोस्टल ड्रेन।

(XVI) हेमेंगीओमा का लिगेशन, वैस्कुलर लिगेशन, वैरिकोसील कालिगेशन, वैरिकोज़ वेन्स स्ट्रिपिंग सर्जरी। /

(XVII) स्तनग्रंथी या अर्बुदछेदन सुसाध्य घावोंस्तन की गां ,ठ या टयूमर का उच्छेदन, लंप बायोप्सी।

(XVIII) आशुकारीउदरशूलशस्त्र कर्म-उदरपातन (एक्सप्लोरेटरीलैपरोटॉमी)।

(XIX) उदर से बाहरी तत्वों की निकासी (पाइलोरोमियोटॉमी)।

(XX) स्त्रोतोदर्शनार्थ-क्रियासौकर्य के लिए उन्नत नाड़ियंत्र का उपयोग (वीडियो प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी)

(XXI) इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी, आपातकालीन स्थिति में रिसेक्शन एनास्टोमोसिस।

(XXII) सिग्मोयोडोस्कोपिक बायोप्सी, पॉलीपेक्टोमी।

(XXIII) उंडुकपुच्छशोथ (एपेंडिसेक्टोमी)।

(XXIV) अभ्यंतरविद्रधि का वेधन- विस्त्रावन (एपंडिकुलर फोड़ा आदि)।

(XXV) पित्ताशमरिनिर्हरण - छेदन (कोलेसीस्टेक्टोमी)।

(XXVI) लैरिंजल मास्क एयरवे, इंटुबेशन, बैग / मास्क वेंटिलेशन।

(XXVII) सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टॉमी।

(XXVIII) सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटॉमी।

(XXIX) कैल्सीफाइड प्लाक पाइरोनीज डिसीज़ का छेदन।

(XXX) ऑर्किडोपेक्सी।

(XXXI) ऑर्किडेक्टोमी।

(XXXII) वैरिकोसीलहाई लिगेशन

(XXXIII) स्पर्मेटोसील, काइलोसील, पोयोसील, हेमेटोसील ड्रेनेज

(घ) सर्जिकल जटिलताओं को प्रबंधित करने की क्षमता

(ङ) अनुशस्त्र कर्म करने और उनकी जटिलताओं को प्रबंधित करने की क्षमता

(च) पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं को करने और उनकी जटिलताओं का प्रबंधन करने की क्षमता।

(छ) नैदानिक सर्जरी करने की क्षमता,

(ज) शल्य तंत्र में स्नातकोत्तर 'शल्य तंत्र और शल्य चिकित्सा' के विशेषज्ञ होंगे।

(15) शालाक्य – नेत्र:

(क) नेत्र से संबंधित नैदानिक स्थितियों का निदान और प्रबंधन करने की क्षमता,
(ख) नेत्र विज्ञान से संबंधित अग्रिम नैदानिक उपकरण संचालित करने की क्षमता,
(ग) नेत्र विज्ञान से संबंधित नियमित और आधुनिक नैदानिक प्रक्रियाओं को करने और परिणामों की व्याख्या करने की क्षमता,
(घ) नेत्र से संबंधित विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं को करने की क्षमता,
(ङ) शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक विशेषता से संबंधित शल्य चिकित्सा (सर्जरी) करने की क्षमता।
(च) नीचे सूचीबद्ध के रूप में सर्जरी करने की क्षमता

(i) वर्त्मगत रोग (पलकों के रोग) :- वर्त्मगत

क. वातहत वर्त्म शरस्त्रकर्म (टोसिस के लिए शल्य चिकित्सा (सर्जरी) अर्थात् स्लिंग शल्य चिकित्सा (सर्जरी)
ख. वतर्मविकृति –शस्त्र (एक्ट्रोपियन और एन्ट्रोपियन – सुधार शल्य चिकित्सा (सर्जरी)
ग. लगण-भेदन और लेखन शस्त्र कर्म (चलैजियन –छेदन और निष्कासन / क्युरेटेज);
घ. अघातक वर्त्मअर्बुद -छेदन कर्म (सुसाध्यलिड ट्यूमर – उच्छेदन शल्य चिकित्सा सर्जरी)।

(ii) शुक्लगत रोग:

क. अर्म – छेदन शस्त्रकर्म (टेरिजियम-एक्सिजन एंड कंजंक्टवल लिंबल ऑटोग्राफ(एमनियोटिक मेम्ब्रेनग्राफ्ट/

(iii) कृष्णगत रोग:

क. अजाकजात - छेदन कर्म (आइरिस प्रोलैप्स-एक्सिशन सर्जरी)।

(iv) सर्वगत रोग:

क. अधिमंथ – भेदन शस्त्रकर्म (ग्लूकोमा-ट्रैबेकुलेक्टोमी)।

(v) नयनाभिघात (आंख में आघात): भ्रू, वर्तम, शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडलभीघात - संधान शस्त्रकर्म। (आई ब्रों, लिड, कंजक्तिटवा, स्लोरा एंड कॉर्निया –ट्रामारिपेयर शल्य चिकित्सा (सर्जरी)

(vi) त्रियकनेत्र: प्राकृत नेत्रस्थापन शास्त्र कर्म (भेंगेपन की सर्जरी- एसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हॉरिजोंटलमसल रिसेक्शन एंड रिसेशन)।

(vii) पुयालस: – भेदन या छेदन शस्त्र कर्म (डैक्रोसिसटाइटिस- डीसीटी या डेक्रोसिस्टोरिनोस्टॉमी [डीसीआर])।

(viii) लिंगनाश (कफज) शस्त्रकर्म- मोतियाबिंद सर्जरी- आईओएल प्रत्यारोपण सर्जरी से मोतियाबिंद निष्कर्षण:-
क. इंट्राकैप्सुलर मोतियाबिंद निष्कर्षण (आईसीसीई);
ख. अतिरिक्त कैप्सुलर मोतियाबिंद निष्कर्षण (ईसीसीई);
ग. ह्रस्वभेदन मोतियाबिंद सर्जरी (एसआईसीएस);
घ. फेकोइमल्सीफिकेशन
ङ. आईओएल के प्रकार: - पीसीआईओएल; एसीओएल; आइरिस फिक्सेटेड आईओएल।

(ix) आंख में स्थानिक संज्ञाहरण (लोकल एनेस्थेसिया)। (नेत्र विज्ञान): - पेरिबलबार; रेट्रोबलबार; पैराबलबार; इंट्रा कैमरल।

(छ) शालाक्य-नेत्र में स्नातकोत्तर 'नेत्र रोगचिकित्सा' के विशेषज्ञ होंगे।

(16) शालाक्य – कर्ण(ईयर) , नासा (नोज), एवम मुख रोग:

(क) कर्ण, नासा और मुख (केएनके) से संबंधित नैदानिक स्थितियों का निदान और प्रबंधन करने की क्षमता।
(ख) कर्ण, नासा और मुख से संबंधित आधुनिक नैदानिक उपकरण संचालित करने की क्षमता।
(ग) कर्ण, नासा और मुख से संबंधित नियमित और आधुनिक नैदानिक प्रक्रियाओं(प्रोसीजर) को क्रियान्वित करने और परिणामों की व्याख्या करने की क्षमता।
(घ) शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक कर्ण, नासा और मुख से संबंधित विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं (प्रोसीजर) को करने की क्षमता।
(ङ) शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक विशेज्ञषता से संबंधित शल्य चिकित्सा (सर्जरी) करने की क्षमता।
(च) नीचे सूचीबद्ध शल्य चिकित्सा (सर्जरी) करने की क्षमता:

(i) कर्णपालि संधान शास्त्रकर्म (विदीर्णकर्ण पिंडिका-लोब्यूलोप्लास्टी)।

(ii) आशुकारीमध्यकर्णशोथ – भेदनशस्त्रकर्म (एक्यूट सुप्युरेटिव ओटिटिस मीडिया / ग्लू इयर / सेक्रेटरी या सीरस ओटिटिस मीडिया – मायरिंगोटॉमी)

(iii) जीर्ण मध्य कर्ण शोथशस्त्रकर्म का ज्ञान (क्रोनिक सुप्युरेटिव ओटिटिस मीडिया- सेफ-टाइम्पेनोप्लास्टी असुरक्षित-मास्टोइडेक्टोमी)।

(छ) नासा (नोज):

(i) नासानाह या नासाजवनिकवक्रता - शस्त्रकर्म (विसामान्य नाक की सेप्टम सर्जरी- सेप्टोप्लास्टी या एसएमआर)।

(ii) नासार्श – छेदन शस्त्रकर्म (नेसल पॉलीप पॉलीओक्टोमी)।

(iii) एफईएसएस शल्य चिकित्सा (सर्जरी) **–** कार्यात्मक एंडोस्कोपिक साइनस शल्य चिकित्सा (सर्जरी)

(iv) नासाविकृति **–**नासासंधान (विकृत नासा- राइनोप्लास्टी)

**(ज)** मुख रोग -

(i) गला रोग **(**थ्रोट डिसीज़**) :-**

क. गलकोष **:**

I. आशुकारी गिलायु वृद्धि - भेदन शस्त्र कर्म **(**पेरिटोंसिलरफोड़ा- क्विंसी**) –**छेदन और निष्कासन**;**

II. जीर्णगिलायुशोथ – गिलायुनिर्हरणशस्त्रकर्म (क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस – टॉन्सिलोटॉमी)

ख. ओष्ठगत **–** ओष्ठाभेद **–** संधानकर्म (हेयरलिप रिपेयर)।

(ii) शालाक्य-केएनएम में स्नातकोत्तर 'कर्ण, नासा और मुख चिकित्सा' के विशेषज्ञ होंगे।

(17) मानसरोग और मनोविज्ञान**:**

**(**क**)** मानसरोग का निदान और प्रबंधन करने की क्षमता,
**(**ख**)** परामर्श क्रियान्वित करने की क्षमता,
**(**ग**)** डी-एडिक्शन प्रकरणों और सेंटर का समाधान करने की क्षमता,
**(**घ**)** विशेज्ञता से संबंधित विशेष जांच करने की क्षमता,
**(**ङ**)** मानसरोग और मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर 'मानसरोग चिकित्सा' के विशेषज्ञ होंगे

(18) रसायन और वाजीकरण**:**

**(**क**)** बांझपन का निदान और समाधान करने की क्षमता
**(**ख**)** यौन रोगों का निदान और समाधान करने की क्षमता
**(**ग**)** सुसंतान के लिए उपाय करने की क्षमता
**(**घ**)** स्वास्थ्य संवर्धन और कायाकल्प के संबंध में रसायन-ऊर्जा का चयन और प्रबंधन **/**प्रशासन करने की क्षमता।
**(**ङ**)** वैरिकोसील के लिए डॉपलर, पेनाइल डॉपलर अध्ययन, रेतोपरिक्षा, कंप्यूटर एडेड सीमेन एनालिसिस **(**सीएएसए**),** सर्वाइकल म्यूकस एग्जामिनेशन, पोस्ट कोइटल टेस्ट, स्पर्म फंक्शन टेस्ट, आदि जैसी नैदानिक प्रक्रियाओं का संचालन करने की क्षमता, विशेषता से संबंधित और परिणामों की व्याख्या करने की करने की क्षमता।
**(**च**)** उत्तरबस्ती **(**पुरुष और महिला दोनों**),** इंट्रा यूटेरिन इनसेमिनेशन आदि जैसी चिकित्सीय प्रक्रियाओं को प्रशासित करने की क्षमता, विशेषता से संबंधित।
**(**छ**)** रसायन और वजीकरण में स्नातकोत्तर कायाकल्प और प्रजनन चिकित्सा के विशेषज्ञ होंगे।

**17. निर्देश का माध्यम** - निर्देश का माध्यम संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी या संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत शामिल कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा होगी। यदि स्नातकोत्तर विभाग विभिन्न राज्यों के छात्रों को प्रवेश दे रहा है, तो ऐसे प्रकरण में, संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी जैसी सामान्य भाषा को अपनाया जाएगा।

**18. स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश का माध्यम** - (1) स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:

**(**क**)** आयुर्वेदाचार्य स्नातक - किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक**;**
**(**ख**)** पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय रजिस्टर में पंजीकृत**;**
**(**ग**)** राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नामक एक समान प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा आयोग द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी। बशर्ते कि उक्त स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा विदेशी नागरिक उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी।

(3) स्नातकोत्तर कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए अस्थायी पंजीयन आवश्यक होगा यदि प्रवेश स्थायी पंजीयन के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दिया जाता है।

(4) एक शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार के लिए उक्त शैक्षणिक वर्ष मे आयोजित 'राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा' में न्यूनतम **50** प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा**:**

बशर्ते कि

**(क)** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होंगे;

**(ख)** दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत निर्दिष्ट बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए, न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत होंगे।

(5) सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा के लिए पंद्रह प्रतिशत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोटा के लिए पचासी प्रतिशत होगा।

बशर्ते कि,

**(क)** सभी मानद (डीम्ड )विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी और निजी दोनों) में प्रवेश के उद्धेश्य से अखिल भारतीय कोटा शत-प्रतिशत होगा।

**(ख)** जिन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पहले से ही पंद्रह प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें हैंवे , उस कोटा को बनाए रखेगें।

**(ग)** सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का पांच प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

(6) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थानों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कोटा की काउन्सलिंग के लिए नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से होगा, जैसी भी स्थिति हो।

(7) सरकार द्वारा स्थापित डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निजी डीम्ड विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों में 100% सीटों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोग द्वारा नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी।

(8) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत सीटों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोग द्वारा नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी।

(9) विदेशी नागरिकों को छोड़कर प्रबंधन कोटा सहित सभी सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से सीधे प्रवेश को अमान्य माना जाएगा।

(10) संस्थान, सत्यापन के लिए आयोग द्वारा प्रदान किए गए प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि पर सांय0 6:00 बजे या उससे पहले आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रवेश लेने वाले छात्रों की सूची प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न करने पर परीक्षा प्रकोष्ठ (सेल) की सिफारिश / अनुशंसा पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा एक लाख रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

(11) काउन्सलिंग प्राधिकारी आयोग द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप, मोड और समय-सीमा में अनुमत छात्रों के आंकड़े (डेटा) प्रस्तुत करेंगे।

(12) (क) कोई भी प्राधिकरण या संस्थान इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं देगी।

(ख) उक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किया गया कोई भी प्रवेश अमान्य होगा और आयोग द्वारा इसे रद्द कर दिया जाएगा।

**19. वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता और छात्र- मार्गदर्शक अनुपात;** (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता एक शैक्षणिक वर्ष में बारह सीटों से अधिक नहीं होगी,

**(2)** छात्र-स्नातकोत्तर मार्गदर्शक की उपलब्धता के अधीन अनुपात जो प्रोफेसर के लिए 3: 1 (एक प्रोफेसर के लिए तीन छात्र); एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2: 1 (एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दो छात्र); और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1: 1 (एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक छात्र) है ।

**20. पाठ्यक्रम और उपस्थिति की अवधि-** (1) छात्र को परीक्षा या आकलन प्रक्रिया सहित तीन वर्ष के लिए अध्ययन की अवधि से गुजरना होगा।

(2) छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु पात्र होने के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियों में से कम से कम अस्सी प्रतिशत में भाग लेना होगा। इन गतिविधियों में व्याख्यान, व्यावहारिक या नैदानिक सत्र, ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यशालाएं,

सेमिनार, जर्नल क्लब, नैदानिक प्रकरण प्रस्तुतिकरण, समूह चर्चा और संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या संस्थान द्वारा निर्धारित अन्य समान गतिविधियां शामिल हैं।

(3) छात्र को अध्ययन के दौरान सौंपे गए चिकित्सालय, विभाग या प्रयोगशालाओं और अन्य कार्यों में भाग लेना होगा।

(4) उस विशेष बैच के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि आयोग द्वारा जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) नीचे दी गई अवकाश नीति स्नातकोत्तर स्कॉलर्स के लिए लागू होगी:

**(क)** प्रति शैक्षणिक वर्ष 12 तक आकस्मिक अवकाश;

**(ख)** यात्रा के दिनों सहित शैक्षणिक गतिविधियों जैसे संगोष्ठी, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिविन्यास कार्यक्रम, संगोष्ठी आदि में भाग लेना 'ड्यूटी पर' माना जाएगा;

**(ग)** मातृत्व, पितृत्व और अन्य छुट्टियां संबंधित राज्य सरकार या अनुबंध नियमों के अनुसार लागू होंगी।

(6) अपेक्षित उपस्थिति प्राप्त करना स्नातकोत्तर छात्र का उत्तरदायित्व होगा। बशर्ते कि उपस्थिति के कमी के प्रकरण में, पाठ्यक्रम की अवधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(7) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में अवकाश और प्रारंभिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।

**21. अध्ययन और विषयों का पैटर्न** - (1) **(क)** कार्यक्रम छह सेमेस्टर में संरचित तीन वर्ष के लिए होगा।

**(ख)** स्नातकोत्तर कार्यक्रम सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले कार्य दिवस पर प्रारंभ होगा।

**(ग)** स्नातकोत्तर कार्यक्रम समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित एक अभिविन्यास कार्यक्रम **(**सामान्य और विशेषज्ञता-विशिष्ट**)** के साथ प्रारंभ होगा।

(2) **(क)** प्रत्येक सेमेस्टर छह माह की अवधि का होगा;

**(ख)** प्रत्येक सेमेस्टर में नोशनल लर्निंग आवर 750 घंटे से कम नहीं होंगे, जो शिक्षण, व्यावहारिक या नैदानिक प्रशिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षा और थीसीस (डिसर्टेशन)अनुसंधान गतिविधियों के लिए समर्पित हैं;

**(ग)** शिक्षण और प्रशिक्षण की विधि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में विस्तृत होगी;

**(घ)** प्रत्येक सेमेस्टर में अनिवार्य मुख्य विषय और ऐच्छिक होंगे ,जैसा कि तालिका 6 -में बताया गया है;

(3) **(क)** 750 नोशनल लर्निंग आवर 25 क्रेडिट में विभाजित हैं, प्रत्येक क्रेडिट में 30 घंटे शामिल हैं।

**(ख)** स्नातकोत्तर कार्यक्रम के कुल नोशनल लर्निंग आवर **4,500** घंटे) **6** सेमेस्टर के लिए **750** घंटे प्रति सेमेस्टर (से कम नहीं होंगे, कार्यक्रम पूरी अवधि के लिए **150** क्रेडिट) **6** सेमेस्टर के लिए प्रति सेमेस्टर **25** क्रेडिट (में विभाजित किया गया है।

**(ग)** प्रत्येक क्रेडिट में **1: 2: 3** अनुपात में शिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षा शामिल होगी। तदनुसार, ऐसे क्रेडिट में **5** घंटे का शिक्षण, **10** घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण और **15** घंटे का अनुभवात्मक शिक्षण शामिल होगा।

(4) **(क)** मुख्य विषयों को मॉड्यूल के रूप में पढ़ाया जाएगा।

**(ख)** प्रत्येक मॉड्यूल में एक या अधिक क्रेडिट हो सकते हैं।

**(ग)** प्रत्येक माड्यूल के अंत में विद्यार्थियों का रचनात्मक आकलन किया जाएगा।

(5) **(क)** ऐच्छिक की दो श्रेणियां होंगी अर्थात् ;

(i) डोमेन विशिष्ट ऐच्छिक; और

(ii) क्षमता वृद्धि ऐच्छिक।

**(ख)** छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर में डोमेन विशिष्ट श्रेणी से एक वैकल्पिक और क्षमता वृद्धि श्रेणी से एक वैकल्पिक अर्हता प्राप्त करनी होगी।

**(ग)** एक छात्र को पूरे स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान न्यूनतम 12 ऐच्छिक (6 डोमेन विशिष्ट और 6 क्षमता वृद्धि**)** अर्हता प्राप्त करनी होगी।

**(घ)** आयोग द्वारा पाठ्यचर्या में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वैकल्पिक पाठ्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।

(6) **(क)** प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में आकलन होगा।

**(ख)** प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, "सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए)" की गणना की जाएगी;

**(ग)** एसजीपीए का 60% प्राप्त करना योगात्मक आकलन में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड होगा।

**(घ)** पहले सेमेस्टर एसजीपीए का उपयोग पहले आकलन के लिए किया जाएगा, दूसरे सेमेस्टर एसजीपीए का उपयोग दूसरे आकलन के लिए किया जाएगा, और तीसरे, चौथे, 5वें और6 वें सेमेस्टर के कम्युलेटिव एसजीपीए का उपयोग तीसरे योगात्मक आकलन के लिए किया जाएगा।

(7) (क) वर्तमान आकलन संरचना को ध्यान में रखते हुए और छात्रों को शोध प्रबंध (डिसर्टेशन), नैदानिक जोखिम, औद्योगिक जोखिम और अन्य बाहरी पोस्टिंग आयोजित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, पहले, दूसरे और छठे सेमेस्टर के अंत में योगात्मक आकलन प्रस्तावित किए गए हैं;

**(ख)** सेमेस्टर 3, 4, 5 और 6 को एक ब्लॉक अवधि के रूप में रखा गया है ताकि उपर्युक्त गतिविधियों को बिना किसी रुकावट के किया जा सके;

**(ग)** संपूर्ण स्नातकोत्तर कार्यक्रम संरचना तालिका-6 में दिए गए प्रावधान के अनुसार होगी।

**तालिका-6**
**सेमेस्टर वार विषय और गतिविधियां**

| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम | क्रेडिट की संख्या |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| सेमेस्टर **-1 (1-6** माह**)** | | |
| 1. | संस्कार अभिविन्यास कार्यक्रम **–** सामान्य | 3 |
| | विशेषता के लिए विशिष्ट | 1 |
| 2. | अनुसंधान पद्धति **(**मॉड्यूल**)** | 9 |
| 3. | जैवसांख्यिकी **(**मॉड्यूल**)** | 8 |
| 4. | इलेक्टिव **-** डोमेन विशिष्ट | 2 |
| | इलेक्टिव **-** क्षमता वृद्धि | 2 |
| | **सब टोटल** | **25** |
| | | **योगात्मक आकलन**-1 |
| सेमेस्टर **- 2 (7-12** माह**)** | | |
| 5. | रूपरेखा (सिनॉप्सिस) | 5 |
| 6. | संबंधित विशेषज्ञता की व्यवहारिक मूल बातें (मॉड्यूल) | 16 |
| 7. | इलेक्टिव **-** डोमेन विशिष्ट | 2 |
| | इलेक्टिव **-** क्षमता वृद्धि | 2 |
| | **सब टोटल** | **25** |
| | | **योगात्मक आकलन**-2 |
| सेमेस्टर **-3 (13-18** माह**)** | | |
| 8. | डिसर्टेशन एक्टिविटी | 5 |
| 9. | अनिवार्य मुख्य विषय (मॉड्यूल) | 16 |
| 10. | इलेक्टिव **-** डोमेन विशिष्ट | 2 |
| | इलेक्टिव **-** क्षमता वृद्धि | 2 |
| | **सब टोटल** | **25** |
| सेमेस्टर **- 4 (19-24** माह**)** | | |
| 11. | शोध प्रबंध गतिविधि (डिसर्टेशन) | 5 |
| 12. | अनिवार्य मुख्य विषय (मॉड्यूल) | 16 |
| 13. | इलेक्टिव **-** डोमेन विशिष्ट **(**कोई एक**)** | 2 |
| | इलेक्टिव **-** क्षमता वृद्धि **(**कोई भी दो**)** | 2 |
| | **सब टोटल** | **25** |
| सेमेस्टर **-**5 (25-30 माह**)** | | |
| 14. | शोध प्रबंध (डिसर्टेशन)गतिविधि | 5 |
| 15. | अनिवार्य मुख्य विषय (मॉड्यूल) | 16 |
| 16. | इलेक्टिव **-** डोमेन विशिष्ट | 2 |
| | इलेक्टिव **-** क्षमता वृद्धि | 2 |
| | **सब टोटल** | **25** |

| सेमेस्टर -6 (31-36 माह) | | |
|---|---|---|
| 17. | शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) गतिविधि | 5 |
| 18. | अनिवार्य मुख्य विषय (मॉड्यूल) | 16 |
| 19. | इलेक्टिव - डोमेन विशिष्ट | 2 |
| | इलेक्टिव - क्षमता वृद्धि | 2 |
| | **सब टोटल** | **25** |
| | **ग्रैंड टोटल** | **150** |
| | | **योगात्मक आकलन-3** |

**22. परीक्षा और आकलन** - (1) आकलन रचनात्मक और योगात्मक आकलन के माध्यम से किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन योगात्मक आकलन या परीक्षाएं होंगी।

(3) विश्वविद्यालय योगात्मक परीक्षाएं आयोजित करेगा जैसा कि नीचे दिया गया है :–

**(क)** पहले सेमेस्टर पाठ्यक्रम के लिए पहले सेमेस्टर के अंत में पहला योगात्मक आकलन;

**(ख)** दूसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के लिए दूसरे सेमेस्टर के अंत में दूसरा योगात्मक आकलन; और

**(ग)** तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के लिए छठे सेमेस्टर के अंत में तीसरा योगात्मक आकलन।

(4) दूसरे सेमेस्टर के अंत में दूसरे योगात्मक आकलन के लिए उपस्थित होने से पहले, छात्र को निर्दिष्ट अवधि के भीतर रूपरेखा (सिनोप्सिस) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(5) छठे सेमेस्टर के अंत में तीसरे योगात्मक आकलन के लिए उपस्थित होने से पहले, **(क)** छात्र द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के पहले और दूसरे सेमेस्टर के सभी मुख्य विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए;

**(ख)** छात्र पाठ्यक्रम में प्रदान किए गए ऐच्छिक की संख्या में योग्यता प्राप्त होगा;

**(ग)** छात्र ने शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत किया होगा;

**(घ)** छात्र ने बायोरेक्सिव या मेडरिक्सिव जैसे प्रीप्रिंट रिपॉजिटरी सर्वर में शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) से कम से कम एक प्रीप्रिंट प्रकाशित किया होगा, या एक प्रतिष्ठित सूचीकृत शोध पत्रिका) यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, या स्कोपस (में कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशित या स्वीकृत किया होगा।

**(ङ)** छात्र द्वारा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार कम से कम एक पेपर प्रस्तुत किया गया होगा।

(6) विश्वविद्यालय सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई माह में योगात्मक परीक्षा आयोजित करेगा।

(7) पाठ्यक्रम में प्रदान किए गए प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में संबंधित स्नातकोत्तर विभाग द्वारा रचनात्मक (फॉर्मेटिव) आकलन (मॉड्यूलर आधारित) किया जाएगा।

(8) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज **(**एसजीपीए**)** का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्त करना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित योगात्मक आकलन में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है -

**(क)** पहले योगात्मक(समरेटिव) आकलन में उपस्थित होने के लिए पहले सेमेस्टर का न्यूनतम साठ प्रतिशत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत;

**(ख)** दूसरे योगात्मक आकलन में उपस्थित होने के लिए दूसरे सेमेस्टर का न्यूनतम साठ प्रतिशत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत;

**(ग)** तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर का औसत 'सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत' विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीसरे योगात्मक आकलन के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम साठ प्रतिशत होगा; और

**(घ)** **(क), (ख)** और **(ग)** में प्रदान किए गए सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की कमी के कारण अयोग्य छात्र उसी सेमेस्टर के शिक्षण और प्रशिक्षण में भाग लेकर आवश्यक सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त करने के पश्चात ही बाद की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हो जाएंगे, ऐसे प्रकरण में कार्यक्रम की अवधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(9) योगात्मक आकलन और अंकों के वितरण के लिए विषयों या परीक्षाओं (पेपर)की कुल संख्या तालिका-7 में प्रदान की जाएगी।

**तालिका-7**

योगात्मक आकलन, सेमेस्टर, विषय, परीक्षाओं (पेपर) की संख्या और अंकों का वितरण

| विषयों | सत्र | परीक्षाओं (पेपर) की संख्या | अधिकतम अंक | |
|---|---|---|---|---|
| | | | परिकल्पना | प्रैक्टिकल या क्लिनिकल जिसमें मौखिक परीक्षा (वाइवा-वॉयस) शामिल है |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| शोध क्रियाविधि | पहला | एक | 100 | ---- |
| जैव सांख्यिकी | पहला | एक | 100 | ---- |
| विशेषता की (एप्लाइड) मूल बातें | दूसरा | एक | 100 | 200 |
| विशेषता विशिष्ट विषय | छठा | चार | 400 | 400 |

(10) प्रत्येक सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना विधि निम्नानुसार होगी-

चरण **1:** मॉड्यूल ग्रेड प्वाइंट **(**एमजीपी**)** की गणना**: –**

$$\frac{\text{(एक मॉड्यूल में भाग लेने वाले नोशनल लर्निंग अवर्स की संख्या) X (मॉड्यूलर आकलन में प्राप्त अंक)}}{\text{(मॉड्यूल में नोशनल लर्निंग अवर्स की कुल संख्या) X (मॉड्यूल के प्राप्त अंक)}} \times 100$$

चरण 2**:** प्रत्येक विषय के लिए सेमेस्टर जीपीए की गणना :सेमेस्टर के भीतर सभी मॉड्यूल ग्रेड पॉइंट्स का औसत।

(11) सफल घोषित किए जाने के लिए **:** —

**(**क**)** पहली और दूसरी योगात्मक परीक्षाओं में, छात्र को सिद्धांत **(**थ्योरी**)** में कम से कम पचास प्रतिशत और व्यावहारिक **(**प्रैक्टिकल**)** या नैदानिक आकलन में पचास प्रतिशत प्राप्त करना होगा, जिसमें मौखिक परीक्षा सहित जहां भी लागू हो।

**(**ख**)** तीसरी योगात्मक परीक्षाओं में, छात्र को सभी पेपरों में कुल पचास प्रतिशत और प्रत्येक थ्योरी पेपर में न्यूनतम चालीस प्रतिशत, साथ ही मौखिक परीक्षा सहित व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षाओं में पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

(12) पैंसठ प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को विषय में प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा, और पचहत्तर प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विषय में विशिष्टता **(**डिस्टिंक्शन**)** से सम्मानित किया जाएगा।

(13) यदि कोई छात्र किसी भी योगात्मक आकलन में सैद्धांतिक (थ्योरी), व्यावहारिक (प्रैक्टिकल), नैदानिक (क्लीनिकल), या दोनों में विफल रहता है, तो छात्र को व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) परीक्षाओं सहित उस आकलन के सभी विषयों के लिए पुन: उपस्थित होना होगा।

(14) असफल छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छह माह में आयोजित कि जाने वाली आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होंगे।

(15) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) स्वीकार किए जाने और छात्र द्वारा तीसरा योगात्मक आकलन उत्तीर्ण करने के बाद स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की जाएगी।

(16) स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अनुग्रह अंकों का कोई प्रावधान नहीं होगा

**23. परीक्षकों की नियुक्ति-** (1) सेमेस्टर-I और सेमेस्टर-II में प्रत्येक विषय के लिए, योगात्मक परीक्षा या आकलन दो परीक्षकों द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिनमें से एक किसी अन्य चिकित्सा संस्थान या विश्वविद्यालय से बाहरी परीक्षक होगा और दूसरा आंतरिक परीक्षक के रूप में उसी संस्थान से होगा।

(2) पहले और दूसरे योगात्मक आकलन की थ्योरी आंसर-स्क्रिप्ट के लिए डबल वैल्यूएशन होगा और डबल वैल्यूएशन सिस्टम का कार्यान्वयन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(3) छठे सेमेस्टर या तीसरे योगात्मक आकलन या परीक्षण चार परीक्षकों की एक टीम द्वारा किया जाएगा जैसा कि नीचे बताया गया है :–

**(**क**)** अन्य विश्वविद्यालयों के दो बाहरी परीक्षक, जिनमें से कम से कम एक दूसरे राज्य से होगा;

**(ख)** दो आंतरिक परीक्षक एक ही संस्थान या एक ही विश्वविद्यालय से होंगे, जिनमें से कम से कम एक एक ही संस्थान से होगा।

(4) तीसरे योगात्मक आकलन की सैद्धांतिक (थ्योरी) उत्तर-पुस्तिकाओं (आंसर-स्क्रिप्ट ) का आकलन सभी चार परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, और सभी चार आकलनों के औसत को अंतिम अंक माना जाएगा, और इसी प्रकार मौखिक परीक्षा (वाइवा-वोसी) सहित व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) या नैदानिक परीक्षाएं सभी चार परीक्षकों द्वारा संचालित की जाएंगी और सभी चार परीक्षकों के औसत अंकों को मौखिक परीक्षा (वाइवा-वोसी) सहित व्यावहारिक या नैदानिक के अंतिम अंक माना जाएगा।

(5) उत्तर-लिपियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।

**24. योग्य स्नातकोत्तर परीक्षक:** (1) संबंधित विशेषता में कम से कम पांच वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण अनुभव के साथ एक स्नातकोत्तर शिक्षक, जिसने कम से कम एक स्नातकोत्तर शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) को मार्गदर्शित किया है जिसे स्वीकृत किया गया है, को सैद्धांतिक (थ्योरी) आकलन और व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) या नैदानिक परीक्षाओं के संचालन के लिए स्नातकोत्तर परीक्षक के रूप में योग्य माना जाएगा।

(2) योग्य स्नातकोत्तर परीक्षक रूपरेखा और शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) दोनों के आकलन के लिए भी पात्र होंगे।

(3) एक ही परीक्षक को लगातार तीन से अधिक परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा केंद्र पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

**25. शोध प्रबंध (डिसर्टेशन**): (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र विभाग के एक योग्य संकाय सदस्य (स्नातकोत्तर मार्गदर्शक) की देखरेख में एक शोध विषय पर थीसीस (डिसर्टेशन) कार्य करेगा और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति में थीसीस (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करेगा।

(2) (क) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान में एक अनुमोदित स्नातकोत्तर मार्गदर्शक निर्धारण नीति होगी, जो थीसीस (डिसर्टेशन) गतिविधियों के लिए स्नातकोत्तर गाइडों के उचित निर्धारण की सुविधा प्रदान करेगी।

(ख) संस्थान प्रत्येक अनुमोदित स्नातकोत्तर मार्गदर्शक के लिए इन विनियमों में संबंधित स्नातकोत्तर विभाग, विशेषता या कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा और वह अनुसंधान के समान क्षेत्रों में अनुमत स्नातकोत्तर छात्रों का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा।

(ग) मार्गदर्शक निर्धारण विभाग में छात्र- मार्गदर्शक अनुपात का पालन करेगा जैसा कि इन विनियमों में प्रदान किया गया है।

(घ) इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर डिसिप्लिनरी, और ट्रांस डिसिप्लिनरी शोध के प्रकरण में, न्यूनतम स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एक सह-मार्गदर्शक (सह - मार्गदर्शक) को संबंधित या सहयोगी विशेषज्ञता या इकाई से चुना जाएगा।

(ङ) एक सह - मार्गदर्शक को एक ही विभाग से अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) सहयोगात्मक शोध गतिविधि के प्रकरण में ही किसी अन्य विभाग से सह - मार्गदर्शक की अनुमति दी जाएगी।

(छ) सह - मार्गदर्शक सहयोगी अनुसंधान गतिविधि की संबंधित विशेषता में स्नातकोत्तर होगा।

(3) (क) यह शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) विज्ञान के लिए एक अभिनव और अनुवादात्मक योग होगा और आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

(ख) यह विषय-क्षेत्र-संबंधी विषय विशेषज्ञता के दायरे में और संबंधित विभाग के अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों से होगा जैसा कि इन विनियमों में प्रदान किया गया है।

(4) (क) विनिर्देशों के अनुसार विकसित रूपरेखा की विभागीय समीक्षा की जाएगी। विभागीय समीक्षा के बाद, पूरी रूपरेखा संबंधित विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) विभाग का प्रमुख सभी रूपरेखा को संस्थान के प्रमुख को भेजेगा।

(ग) संस्थान का प्रमुख, बदले में, सभी रूपरेखा को संस्थागत अनुसंधान समिति को समीक्षा और अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

(घ) उपर्युक्त समिति द्वारा सुझाए गए सुधार या संशोधन संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजे जाएंगे;

(ङ) सुझावों को शामिल करने के लिए दोष-रहित या संशोधित रूपरेखा, छात्र द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुखों को और विभाग के प्रमुख से संस्थान के प्रमुख को पुन: प्रस्तुत किया जाएगा।

(च) संस्थान के प्रमुख उस रूपरेखा को अग्रेषित करेंगे जिसके लिए संबंधित समिति को नैतिक स्वीकृति (नैदानिक अध्ययन या पशु अध्ययन के लिए): मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति या पशु अध्ययन के लिए संस्थागत पशु आचार समिति, की आवश्यकता होगी; जैसी भी स्थिति हो।

(छ) उपर्युक्त समितियों द्वारा सुझाए गए सुधार या संशोधन संबंधित विभागों को भेजे जाएंगे;

(ज) संबंधित समिति के सुझावों को शामिल करने के लिए छात्र द्वारा दोष-रहित या संशोधित रूपरेखा को संबंधित विभागीय प्रमुख को पुन: प्रस्तुत किया जाएगा, जो पुन: इसे संस्थान के प्रमुख को भेज देगा।

(झ) सभी चरणों में रूपरेखा प्रस्तुत करना सॉफ्ट कॉपी में होगा। अंतिम रूपरेखा की एक हार्ड कॉपी, जो छात्र, मार्गदर्शक, विभाग के प्रमुख और संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है, संबंधित विभाग में रखी जाएगी।

(5) (क) सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण की गई और प्रासंगिक संस्थागत शोध और आचार समितियों द्वारा अनुमोदित रूपरेखा की एक सॉफ्ट कॉपी, पंजीयन के लिए सेमेस्टर II के दौरान स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 9 वें माह के अंतिम कार्य दिवस पर या उससे पहले संस्थान के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को भेज दी जाएगी।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दूसरे सेमेस्टर योगात्मक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए निर्धारित समय के भीतर रूपरेखा प्रस्तुत करना एक अनिवार्य मानदंड है।

(ग) यदि छात्र खंड (क) के अंतर्गत प्रदान की गई अवधि के भीतर थीसीस (डिसर्टेशन) और रूपरेखा का शीर्षक प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के दूसरे सेमेस्टर के लिए उनकी अवधि को छह माह तक बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी योगात्मक परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले रूपरेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा करने में असफल होने पर छात्र को दूसरी योगात्मक परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए अयोग्य माना जाएगा, और दूसरे सेमेस्टर को एक अतिरिक्त छह माह तक बढ़ा दिया जाएगा, और इसी प्रकार आगे भी।

(घ) एक बार जब छात्र रूपरेखा जमा कर देता है, तो संस्थानों के लिए निर्धारित समय के भीतर अनुमोदन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।

(ङ) संस्थान रूपरेखा अनुमोदन प्रक्रिया के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे।

(6) (क) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) और रूपरेखा का शीर्षक प्राप्त करने पर, विश्वविद्यालय एक पंजीयन संख्या आवंटित करके शीर्षक और रूपरेखा पंजीकृत करेगा।

(ख) विश्वविद्यालय संबंधित स्नातकोत्तर संस्थान को शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) शीर्षक और रूपरेखा की पंजीकृत सूची को सूचित करेगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। संस्थान द्वारा इस सूचना को संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग) एक बार शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) का शीर्षक विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत हो जाने के बाद, छात्र को विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) के शीर्षक में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) (क) विश्वविद्यालय द्वारा शीर्षक और रूपरेखा पंजीकृत करने के पश्चात ही शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) अनुसंधान गतिविधि आरंभ होगी।

(ख) विश्वविद्यालय से पंजीयन अधिसूचना प्राप्त करने के पश्चात, छात्र, अपने संबंधित मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में, शोध कार्यकलाप के लिए कार्यक्रम का एक कैलेंडर तैयार करेगा और इसे विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। अध्ययन की प्रगति की समीक्षा करते समय संस्थागत अनुसंधान समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा।

(ग) संस्थागत अनुसंधान समिति समय-समय पर निम्नलिखित के अनुसार शोध प्रबंध गतिविधि की निगरानी करेगी: -

(i) अध्येता (स्कॉलर) द्वारा प्रस्तुत शोध कार्यकलापों के कैलेंडर के संबंध में शोध कार्यकलापों की प्रगति;

(ii) अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार शोध की गुणवत्ता और विधियों और मानकों का पालन।

(8) (क) अनुसंधान या शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) कार्यकलाप के पूरा होने पर, और विभाग के प्रमुख के माध्यम से मार्गदर्शक की अनुशंसा के साथ, शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) के पूर्व-प्रस्तुत करने की व्यवस्था स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 30 वें से 32 वें माह तक की जाएगी। इस अवधि के दौरान, संस्थागत अनुसंधान समिति, पूरे अध्ययन की समीक्षा करेगी।

(ख) संस्थागत अनुसंधान समिति, सुधार या संशोधनों को स्वीकृति या सुझाव दे सकती है, जिसे विभाग के प्रमुख के माध्यम से छात्र को सूचित किया जाएगा;

(ग) संस्थागत अनुसंधान समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों या सुधारों को शामिल करने के पश्चात, छात्र द्वारा शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) का प्रारूप विभाग के मार्गदर्शक और प्रमुख के माध्यम से साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म) सेल को भेजा जाएगा, जैसा कि विनियमन 27 में दिया गया है;

(घ) साहित्यिक चोरी जाँच (प्लागिअरिस्म) सेल के बाद, यदि साहित्यिक चोरी जांच सेल यह पाता है कि साहित्यिक चोरी (प्लागिअरिस्म) अनुमेय सीमा जो कि पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है, के भीतर है, साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म) सेल (अनुलग्नक-I) में साहित्यिक चोरी (प्लागिअरिस्म) शुद्धि प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(ङ) यदि साहित्यिक चोरी (प्लागिअरिस्म) पंद्रह प्रतिशत से अधिक है, तो शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रारूप को साहित्यिक चोरी (प्लागिअरिस्म) की जांच रिपोर्ट के साथ संबंधित विभाग को वापस भेजा जाएगा।

(च) साहित्यिक चोरी (प्लागिअरिस्म) की जांच रिपोर्ट की समीक्षा विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा समिति जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में विभाग के प्रमुख, संबंधित विभाग से एक संकाय सदस्य और दूसरे विभाग से एक संकाय सदस्य शामिल हैं, के द्वारा समीक्षा की जाएगी। संतुष्ट होने पर, समिति साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म) सेल को (अनुलग्नक-II) में, साहित्यिक चोरी शुद्धि प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंशा करेगी। यदि समिति संतुष्ट नहीं है, तो छात्र को साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म) सेल को शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रारूप को संशोधित करने और पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा।

(छ) पुनः प्रस्तुत ड्राफ्ट शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रारूप खंड (च) में निर्दिष्ट उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

(ज) अंतिम शोध प्रबंध (डिसर्टेशन), प्लागिअरिस्म क्लीयरेंस प्रमाण पत्र सहित प्रमाण पत्रों के साथ, विभाग के प्रमुख के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी में, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 31 और 32 वें माह के बीच संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।

(झ) छात्र, मार्गदर्शक, विभाग के प्रमुख और संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) की एक हार्ड कॉपी विभाग में रखी जाएगी;

(ञ) साहित्यिक चोरी (प्लागिअरिस्म) से संबंधित प्रक्रियाओं को निम्नलिखित चित्र में निर्दिष्ट किया गया है, -

चित्र - 1 प्लागिरिसम जाँच के चरण

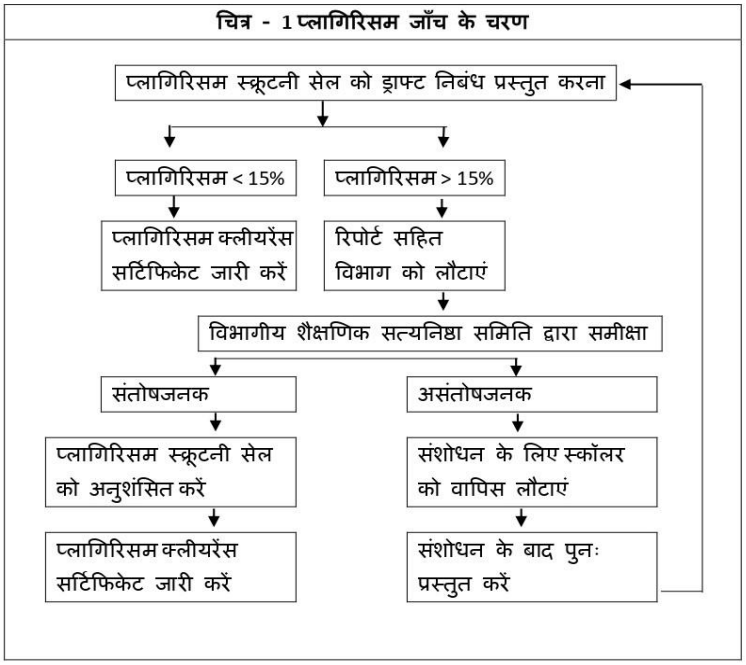


(9) पृष्ठों, शब्दों, फ़ॉन्ट का प्रकार, लाइन स्पेसिंग के संदर्भ में प्रारूप और विशेष विवरण आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम में प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

(10) (क) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति द्वारा अनुमोदित सभी शोध प्रबंध (डिसर्टेशन), जैसी भी स्थिति हो, संस्थान के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को सॉफ्ट कॉपी में अग्रेषित किया जाएगा।

(ख) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 33 वें माह के दौरान विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत किए जाएंगे, जो छठे सेमेस्टर के दौरान आता है और 33 वें माह की गणना आयोग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के माह से की जाएगी।

(ग) संस्थान के प्रमुख नीचे दिए गए कार्यक्रमों के लिए तिथियों को पहले से सूचित करेंगे, नामत: —

(i) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) पुन: प्रस्तुत करने की तिथियां;

(ii) विभाग को शोध प्रबंध(डिसर्टेशन) प्रस्तुत करने की तिथि;

(iii) विभागों द्वारा शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) संस्थान प्रमुख को प्रस्तुत करने की तिथि; और;

(iv) संस्थान के प्रमुख द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने की तिथि।

(घ) किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के इकतीसवें माह से पहले शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और छात्र पाठ्यक्रम के तीन वर्ष पूरे करने के लिए शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) जमा करने के बाद संस्थान में अपना नियमित अध्ययन जारी रखेगा।

(11) (क) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) का आकलन या मूल्यांकन तीन परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(ख) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) के आकलन परिणाम तालिका-8 में दिए गए स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

**तालिका-8**

शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) का आकलन और परिणाम

| **आकलनकर्ता-I** | **आकलनकर्ता-II** | **आकलनकर्ता-III** | **परिणाम और टिप्पणियाँ** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| स्वीकृत | स्वीकृत | स्वीकृत | स्वीकृत |
| स्वीकृत | स्वीकृत | अस्वीकृत | स्वीकृत |
| स्वीकृत | अस्वीकृत | अस्वीकृत | चौथे आकलनकर्ता को भेजा गया<br>(यदि चौथे आकलनकर्ता द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) को स्वीकृत माना जाएगा। यदि उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, तो शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) को अस्वीकृत माना जाएगा और शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी) |
| अस्वीकृत | अस्वीकृत | अस्वीकृत | अस्वीकृत<br>शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है) |

(12) छठे सेमेस्टर के अंत में आयोजित तीसरी विश्वविद्यालय समेटिव परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के लिए शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करना पूर्व-आवश्यकता होगी। छात्र द्वारा शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करने में विलंब की स्थिति में, छात्र शोध प्रबंध (डिसर्टेशन)जमा करने तक तीसरे समेटिव आकलन या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा।

(13) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) की आकलन प्रक्रिया में विलंब की स्थिति में, उन छात्रों के परीक्षा परिणाम उनके शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) के अनुमोदन तक रोक दिए जाएंगे।

(14) सभी स्वीकृत शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) संस्थागत वेबसाइट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और अन्य संबंधित डेटाबेस जैसे शोधगंगा पर या तो शीर्षक (टाइटिल) के रूप में या पूर्ण शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) के रूप में प्रदर्शित (डिस्प्ले) किए जाएंगे।

(15) एक बार रूपरेखा के लिए पोर्टल के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रबंधन पद्धति चालू हो जाने पर, रूपरेखा प्रस्तुत करने और अनुमोदन, अनुसंधान प्रगति की जांच, शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करने और आकलन इत्यादि की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग पोर्टल के माध्यम से होगी।

**26. स्नातकोत्तर मार्गदर्शक पात्रता.-** (1) स्नातकोत्तर शिक्षक तीन वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के बाद शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) कार्य के लिए संबंधित विशेषज्ञता के स्नातकोत्तर छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए पात्र होगा।

(क) आयोग द्वारा नामित एजेंसी, या आयोग द्वारा समय-समय पर अनुशंसित किसी अन्य समकक्ष कार्यक्रम या आयोग द्वारा आयोजित "साइंटिफिक राइटिंग, पब्लिकेशन एथिक्स और रिसर्च इंटीग्रिटी" पर स्नातकोत्तर मार्गदर्शक ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूर्ण किया हो।

(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर मार्गदर्शक अनुमोदन पत्र जारी करेगा ।

(2) स्नातकोत्तर छात्रों और स्नातकोत्तर डॉक्टरेट छात्रों जैसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन सहित छात्रों की अधिकतम संख्या, स्नातकोत्तर मार्गदर्शक द्वारा मार्गदर्शन किए जाने के लिए किसी भी समय दस से अधिक नहीं होगी।

(3) सह-मार्गदर्शक सहयोग के प्रासंगिक अनुसंधान क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री धारक होगा।

(4) संविदा के आधार पर, नियुक्त शिक्षण कर्मचारी छात्रों के शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) हेतु छात्रों का मार्गदर्शन करने के पात्र नहीं होंगे।

(5) किसी प्रतिनियुक्त शिक्षक को स्नातकोत्तर शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) हेतु मार्गदर्शक करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से कम न हो।

**27. अनुसंधान समितियाँ –** (1) सभी स्नातकोत्तर संस्थान आवश्यकता के अनुसार नीचे उल्लिखित अनुसंधान समितियों का गठन करेंगी, -

(1) (क) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान एक संस्थागत अनुसंधान समिति, का गठन करेगा। पाँच स्नातकोत्तर कार्यक्रमों तक एक साझा संस्थागत अनुसंधान समिति होगी। पाँच से अधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की स्थिति में, दो संस्थागत अनुसंधान समितियाँ होंगी, अर्थात्

(i) अवधारणात्मक (कंसेप्चुअल) और प्रयोगात्मक (एक्सपेरिमेंटल) अध्ययन के लिए संस्थागत अनुसंधान समिति।

(ii) नैदानिक (क्लीनिकल) अध्ययन के लिए संस्थागत अनुसंधान समिति।

(ख) समिति कार्यकलापों का निष्पादन करेगी, अर्थात्: —

(i) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तावों की जांच और शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) या अनुसंधान गतिविधियों का निरीक्षण करना;

(ii) सुनिश्चित करना कि चयनित विषय इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसंधान के सूचीबद्ध प्रमुख क्षेत्रों के भीतर हैं;

(iii) इंटर- डिसिप्लनरी या ट्रांस-डिसिप्लनरी अध्ययन के प्रकरण में, सहयोगी विभाग, संस्थान या संगठन से सह-मार्गदर्शक सुनिश्चित करना;

(iv) संस्थागत अनुसंधान समिति, की सभी गतिविधियों का समन्वय इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांससलेशनल रिसर्च विभाग द्वारा किया जाएगा।

(v) समिति की संरचना नीचे दी गई तालिका-9 में दिए गए अनुसार होगी ।

**तालिका - 9**
**संस्थागत अनुसंधान समिति की संरचना**

| क्रम संख्या | अधिकारियों के नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | संस्थान प्रमुख | अध्यक्ष |
| 2 | स्नातकोत्तर समन्वयक या डीन-स्नातकोत्तर अध्ययन या डीन-अनुसंधान | सदस्य |
| 3 | स्नातकोत्तर विभागों के प्रमुख | सदस्य |
| 4 | जैव सांख्यिकीविद् (बायोस्टैटिस्टिशियन) | सदस्य |
| 5 | अनुसंधान परिषदों या अन्य चिकित्सा या आयुर्वेद या फार्मेसी संस्थानों से दो बाह्य सदस्य (एक बेसिक साइंस से और एक मेडिकल साइंस से) | सदस्य |
| 6 | इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांससलेशनल रिसर्च विभाग के प्रमुख | सदस्य सचिव |

**नोट:** 1. प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग से एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा;
2. बाह्य सदस्य स्नातकोत्तर विभागों के प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।

(2) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) मानदंडों के अनुसार मानव विषयों के लिए संस्थागत अनुसंधान समिति (आईआरसी) और संस्थागत आचार समिति (आईईसी) का गठन करेगा।

(3) पशु अध्ययन के लिए संस्थागत पशु आचार समिति: संस्थागत पशु आचार समिति का गठन पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से बनाई गई समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से बनाई गई समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(4) सभी गठित समितियां में स्पष्ट रूप से मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित किया जाएगा। समितियां, अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन के अतिरिक्त, अध्ययनों का निरीक्षण और अनुसंधान के मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगी।

**28. अनुसंधान के क्षेत्र** - (1) प्रत्येक विभाग या विशेषता के अंतर्गत नीचे सूचीबद्ध अनुसंधान के क्षेत्र उस संबंधित विशेषज्ञता के लिए अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र होंगे। शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) विषय उस विशेष विशेषज्ञता के लिए निर्दिष्ट अनुसंधान के किसी एक प्रमुख क्षेत्र के लिए प्रासंगिक होंगे। यह चयनित क्षेत्रों में अधोमुखी (लोंगिटूडिनल) अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है और अनुवाद

संबंधी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। अनुसंधान के नए उभरते क्षेत्रों को शामिल करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं।

(2) इसे सभी स्नातकोत्तर संस्थानों या कॉलेजों द्वारा अपनाया जाएगा :—

(क) आयुर्वेद संहिता और सिद्धांत:

(i) विभिन्न टिप्पणियों का समीक्षात्मक विश्लेषण;
(ii) विभिन्न संहिता में एक विशेष अवधारणा पर उपलब्ध साहित्य का संकलन और तुलनापरिकल्पना का निर्माण और इसका , सत्यापन;
(iii) पांडुलिपियों की समीक्षा और आकलन;
(iv) विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से बुनियादी अवधारणाओं या परिकल्पना का सत्यापन;
(v) संहिताओं के मौलिक सिद्धांतों के लिए स्पष्ट ठोस / तरीकों या तकनीकों का विकास;
(vi) विभिन्न आयुर्वेदिक अवधारणाओं के आकलन के लिए उपकरण या स्कोर या विधियों का विकास;
(vii) आयुर्वेदिक ग्रंथों को समझने के लिए प्राचीन उपकरणों का अनुप्रयोग जैसे तंत्रयुक्ति आदि;
(viii) संहिताओं के विशेष संदर्भ में भारतीय ज्ञान को समझने के लिए उपयोग की जाने वाली अनुसंधान पद्धति का समीक्षात्मक अध्ययन और उसी के लिए उपकरण या सहायक उपकरण बनाना;
(ix) प्रमाण के अनुप्रयोग;
(x) आयुर्वेद के लिए अनुसंधान विधियों का विकास;
(xi) आयुर्वेद के बुनियादी सिद्धांतों को समझने के लिए गणितीय, कम्प्यूटेशनल सोच का उपयोग; और
(xii) आयुर्वेद के लिए संहिता आधारित शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(ख) रचना शारीर:

(i) विशिष्ट आयुर्वेदिक अवधारणाओं जैसे मर्म, कला, स्त्रोतस, अंगुली और अंजलि प्रमाण के नैदानिक अनुप्रयोग;
(ii) आधुनिक भ्रूणविज्ञान के संदर्भ में गर्भशारीर को समझना-;
(iii) मृत शरीर संशोधन (सुश्रुत के अनुसार) और मृत शरीर संरक्षण (मानव शव की संरक्षण विधि);
(iv) शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) एनाटॉमी, पंचकर्म, अनुशस्त्र कर्म, क्रियाकल्प आदि के संबंध में अनुप्रयुक्त रचना शारीर विज्ञान से संबंधित अध्ययन;
(v) धातु और ऊतकों, स्त्रोतस, विवादास्पद अंगों जैसे क्लोम आदि से संबंधित अध्ययन.;
(vi) धातुओं का ऊतकीय अध्ययन; और
(vii) रचना शारीर के लिए शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास ।

(ग) क्रिया शारीर

(i) धातु पोषण सिद्धांतों की-व्याख्या;
(ii) स्वास्थ्य की रक्षा और अहार परिणाम की प्रक्रिया के बीच संबंध;
(iii) आधुनिक विज्ञान और मल्टी-ओमिक्स जैसी उन्नत तकनीकों के संदर्भ में दोष – धातु – मल को समझना;
(iv) मन और इंद्रिय की सिद्धांत की खोज और उपलब्धि में उनकी भूमिका;
(v) मानव शरीर में विभिन्न पद्धतियों के कार्यों को समझने में श्रोतविचार की भूमिका-;
(vi) अग्नि, कोष्ठ, सार, संहनन, प्रकृति आदि जैसी विभिन्न अवधारणाओं के लिए पैमानों या यंत्रों या सहायक उपकरणों का विकास और सत्यापन;
(vii) विभिन्न व्यवसायों में प्रकृति का अनुप्रयोग; और
(viii) क्रिया शारीर के लिए शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(घ) आयुर्वेदजीव विज्ञान-:

(i) आधुनिक वैज्ञानिक सहायक उपकरणों के संदर्भ में आयुर्वेद के बुनियादी सिद्धांतों की खोज करना;
(ii) जैविक सहायक उपकरणों की तर्ज पर आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों पर अध्ययन;
(iii) शारीरिक और रोग अवस्था में मानव शरीर के मौलिक सिद्धांतों और जैविक प्रक्रिया का एकीकरण;

(iv) गुण के लिए निरूपक और आकलन उपकरणों का विकास;
(v) जीन के संदर्भ में बीज पर अध्ययन;
(vi) बीज दुष्टि की खोज और सत्यापन;
(vii) अतुल्यगोत्रिय से संबंधित अध्ययन;
(viii) आयुर्वेद में गणितीय सोच और कम्प्यूटेशनल विचार का अनुप्रयोग;
(ix) स्टेम सेल की तर्ज पर धातु विचार, और;
(x) आयुर्वेद-जीव विज्ञान के लिए शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(ङ) द्रव्यगुण विज्ञान:

(i) रसपंचक का अनुमान लगाने या आकलन करने के लिए उपकरणों का विकास;
(ii) रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का नई औषधियों का निर्धारण,
(iii) औषधि की पहचान के पारंपरिक तरीकों की तुलना;
(iv) क्लिनिकल फार्माकोलॉजी: औषधि प्रयोग (मार्ग या गमित्व, कल्पना, मात्रा, अनुपना, सीवन कला आदि) -प्रायोगिक अध्ययन;
(v) अग्रय संग्रहप्रायोगिक अध्ययन -;
(vi) अनुक्त द्रव्य, अभाव प्रतिनिधि द्रव्य, नृवंशविज्ञान (एथनोफार्माकोलॉजी);
(vii) नई औषधियों का समावेश;
(viii) सिलिको अध्ययन में- नेटवर्क फार्माकोलॉजी;
(ix) गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता परीक्षण (प्रायोगिक) चरकोक्त भैषज्य परीक्षा का उपयोग करके;
(x) अच्छी खेती, संग्रह प्रथाएं और भंडारण प्रथाएं;
(xi) आयुर्वेद सिद्ध और ,यूनानी औषधियों की फार्माकोविजिलेंस
(xii) प्रभावकारिता परीक्षण : इन विट्रो या पशु में;
(xiii) औषधीय और एरोमैटिक पौधों के औषधीय गुणों पर नई कल्टीवेशन प्रौद्योगिकियों का प्रभाव;
(xiv) फार्माकोएपिडेमियोलॉजी; और
(xv) द्रव्यगुण के लिए शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(च) रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना:

(i) भस्म निर्माण (शोधन और मरण प्रक्रियाओं) के उन्नत तरीके;
(ii) विभिन्न प्रकार के भस्मों का वर्णन;
(iii) विभिन्न प्रकार के भस्मों की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन;
(iv) रस-भस्म निर्मिति के रसायन विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी को चरण-वार समझना;
(v) नए रसौषधिओ और भस्मों का निर्माण। गणितीय मॉडलिंग सहित परिकल्पना और प्रयोग;
(vi) प्रायोगिक अध्ययनों के माध्यम से भैषज्य कला की अवधारणा की खोज;
(vii) प्रायोगिक अध्ययनों के माध्यम से नई खुराक (डोज) रूपों की खोज करना;
(viii) उन्नत माइक्रोस्कोपी और इमेज प्रोसेसिंग सहित भस्म परीक्षा की स्थापना और भस्म परीक्षा के लिए तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास;
(ix) औषधीय प्रौद्योगिकी का विकास; तथा
(x) रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना के लिए शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(छ) अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक:

(i) गर और दूषी विष-खाद्य अपमिश्रण के लिए आधुनिक दृष्टिकोण;
(ii) विरुद्ध आहार की अवधारणा और जैव रासायनिक (बायो केमिकल) मापदंडों का उपयोग करके स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के लिए लगने वाला समय;
(iii) वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि के संदर्भ में जनपदोध्वंस व्याधि और उनका प्रबंधन;
(iv) चतुर्विंशति उपक्रम (24 प्रबंधन प्रक्रियाएं) और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता;
(v) खाद्य विषाक्तता का प्रबंधन;
(vi) विषाक्तता का सामान्य और आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन - आयुर्वेदिक पहलू;

(vii) विष या संपर्क विष के त्वचीय प्रत्यक्षीकरण का निदान और प्रबंधन - आयुर्वेदिक पहलू;
(viii) विभिन्न अगद पर प्रयोगात्मक और नैदानिक अध्ययन;
(ix) हर्बल या खनिज चेलेटिंग एजेंटों पर प्रयोगात्मक अध्ययन; तथा
(x) अगद तंत्र के लिए शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(ज) स्वस्थवृत्त और योग:

(i) हेल्थ प्रमोशन में दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या की प्रासंगिकता;
(ii) ऋतु और दोष के निर्धारण के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों का विकास;
(iii) धारणीय एवं अधारणीय वेगों आवेगों का नैदानिक प्रभाव;
(iv) आयुर्वेद में आहार और पोषण का वैचारिक और नैदानिक अध्ययन;
(v) स्वास्थ्य के संबंध में बल और ओजस की अवधारणा और उपकरण या पैमानों के साथ इसके लिए उद्देश्य मापदंडों का निर्माण;
(vi) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोगों की रोकथाम में ऋतुशोधन और रसायन की भूमिका;
(vii) जरा चिकित्सा और प्रजनन और बाल स्वास्थ्य में रसायन का दायरा;
(viii) संचारी और गैर-संचारी रोगों और जीवन शैली विकारों में स्वस्थवृत्त की भूमिका;
(ix) आयुर्वेद और योग का एकीकरण - विभिन्न जीवनशैली विकारों के प्रबंधन के लिए निवारक और उपचारात्मक पहलुओं के रूप में;
(x) आयुर्वेद द्वारा परिभाषित रोगों की व्यापकता को समझने के लिए महामारी विज्ञान(एपिडेमियोलॉजिकल) सर्वेक्षण, उदाहरण के लिए, आयुर्वेद के अनुसार मोटापा # बीएमआई;
(xi) प्रचलित रोगों में दोषों के प्रचलन को समझने के लिए महामारी विज्ञान (एपिडेमियोलॉजिकल) अध्ययन;
(xii) निद्रा और विभिन्न जीवन शैली या मनोदैहिक (साइकोसोमैटिक) विकारों या प्रतिरक्षा के बीच संबंध;
(xiii) आयुर्वेद आधारित फिटनेस मापदंडों का विकास;
(xiv) आकलन पैमानों का विकास जैसे निद्रा आदि का आकलन; तथा
(xv) स्वस्थवृत्त एवं योग के लिए शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(झ) रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान :

(i) विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों के निदान स्थान में आधुनिक संदर्भ में रोगों की सम्प्रप्ति की समझ;
(ii) आम - इसके आकलन के लिए अवधारणा, इसके प्रभाव और उद्देश्य मापदंडों को समझना;
(iii) शोथ-अवधारणा को समझना, विभिन्न इन्फ़्लैमटॉरी मार्कर, हाल में हुई प्रगति आधुनिक और सम्प्राप्ति के साथ इसके जुड़ाव सहित उद्देश्य मानदंड;
(iv) नए इटियोलॉजिकल कारक और उनका प्रभाव जैसे, कॉन्टिनेंटल फूड, कम्यूटिंग तरीके आदि;
(v) आवरण की अवधारणा को समझना और आवरण के लिए निदान विकसित करना;
(vi) विभिन्न रोगों में षट् क्रिया काल को समझना;
(vii) प्रोग्नोसिस और वस्तुनिष्ठ मापदंडों के विकास में उपद्रव और अरिष्ट जैसी अवधारणाओं का अनुप्रयोग;
(viii) देह बल, रोग बल, अग्नि बल और चेतस बल के लिए उपकरणों का विकास;
(ix) आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित नैदानिक उपकरणों का विकास;
(x) आयुर्वेद सिद्धांतों के संदर्भ में आधुनिक नैदानिक परीक्षण रिपोर्टों की व्याख्या या अध्ययन के लिए कार्यपद्धति का विकास; तथा
(xi) रोग निदान के लिए शिक्षण तरीकों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास

(ञ) पंचकर्म:

(i) पंचकर्म के लिए उपकरणों या सहायक उपकरणों का विकास - संभावित संशोधन;
(ii) पंचकर्म प्रक्रियाओं और इसके उद्देश्य मापदंडों के अंतिम बिंदुओं को परिभाषित करना;
(iii) निवारक स्वास्थ्य, प्रोत्साहन स्वास्थ्य, उपचारात्मक स्वास्थ्य, पुनर्वास स्वास्थ्य और वृद्धावस्था स्वास्थ्य में पंचकर्म के प्रयोग;
(iv) प्रक्रियाओं की क्रियाविधि को स्पष्ट करना;
(v) प्रक्रियाओं में आधुनिक संशोधन;
(vi) पंचकर्म और उपकर्म प्रक्रियाओं का मानकीकरण;

(vii) विभिन्न शोधन प्रक्रियाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए जैव रासायनिक (बायोकैमिकल) पैरामीटर:
(viii) पंचकर्म के लिए समझाई गई विभिन्न औषधियों की अन्वेषण (खोज) और स्थापना;
(ix) प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक फिटनेस सिस्टम और प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का विकास
(x) फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन आदि के साथ एकीकृत दृष्टिकोण का विकास; और
(xi) पंचकर्म के लिए शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(ट) कायचिकित्सा:

(i) विकट नैदानिक स्थितियों का आपातकालीन प्रबंधन;
(ii) असाध्य रूप से बीमार रोगियों का आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रबंधन;
(iii) होस्ट, स्त्रोत, धातु, मल आदि के सुदृढ़ीकरण से संबंधित संक्रमण;
(iv) नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हृदय प्रणाली, गैस्ट्रो- इंटेस्टिनल सिस्टम, मुतराजननांगी प्रणाली आदि जैसे प्रणालीगत रोगों या विकारों का नैदानिक प्रबंधन;
(v) प्रशामक (पैलिएटिव) देखभाल;
(vi) अपक्षयी (खराब) स्थितियां;
(vii) अनुवांशिक रोग या विकार;
(viii) च्यपाच्य रोग;
(ix) वृद्धावस्था संबंधी समस्याएं;
(x) गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट (जीआईटी) विकार;
(xi) न्यूरोलॉजिकल स्थितियां;
(xii) ऑटो-इम्यून विकार;
(xiii) अंतस्रावी : विकार;
(xiv) गैर-संचारी रोग एनसीडी की रोकथाम;
(xv) व्याधिहरण रसायन; तथा
(xvi) कायचिकित्सा के लिए शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(ठ) शल्य तंत्र:

(i) विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उपकरणों या सहायक उपकरणों का विकास;
(ii) विभिन्न प्रक्रियाओं का मानकीकरण;
(iii) सर्जिकल प्रक्रियाओं का मानकीकरण;
(iv) मौजूदा सर्जिकल प्रथाओं में संशोधन;
(v) शास्त्रीय प्रक्रियाओं की अन्वेषण (खोज) और स्थापना जो व्यवहार में नहीं है;
(vi) विभिन्न अनुशस्त्र कर्मों के लिए नए तरीकों, प्रौद्योगिकी आदि की खोज;
(vii) क्षार सूत्र के दायरे का विस्तार; तथा
(viii) शल्य तंत्र के लिए शिक्षण तरीकों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(ड) शालाक्य तंत्र- नेत्र:

(i) विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उपकरणों या सहायक उपकरणों का विकास;
(ii) नैदानिक प्रौद्योगिकी का विकास;
(iii) विभिन्न प्रक्रियाओं का मानकीकरण;
(iv) शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) प्रक्रियाओं का मानकीकरण;
(v) मौजूदा शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) प्रथाओं में संशोधन;
(vi) शास्त्रीय प्रक्रियाओं की अन्वेषण खोज और स्थापना जो अभ्यास में नहीं;
(vii) विभिन्न क्रियाकल्प प्रक्रियाओं के लिए नए तरीकों, प्रौद्योगिकी, उपकरणों आदि की खोज; तथा
(viii) शालाक्य-नेत्र के लिए शिक्षण तरीकों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(ढ) शालाक्य तंत्र- कर्ण, नासा और मुखरोग:

(i) विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उपकरणों या सहायक उपकरणों का विकास;
(ii) नैदानिक प्रौद्योगिकी का विकास;

(iii) विभिन्न प्रक्रियाओं का मानकीकरण;
(iv) शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) प्रक्रियाओं का मानकीकरण;
(v) मौजूदा शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) प्रथाओं में संशोधन;
(vi) शास्त्रीय प्रक्रियाओं की अन्वेषण (खोज) और स्थापना जो अभ्यास में नहीं;
(vii) विभिन्न क्रियाकल्प प्रक्रियाओं के लिए नए तरीकों, प्रौद्योगिकी, उपकरणों आदि की खोज; तथा
(viii) शालक्य कर्ण, नासा, मुख के लिए शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(ण) कौमार भृत्य:

(i) वृद्धि और विकास;
(ii) भारत में 'सामान्य बच्चे' के पैरामीटर;
(iii) आवर्ती संक्रमण;
(iv) पोषण, कुपोषण और बचपन में होने वाला मोटापा;
(v) सामान्य प्रतिरक्षा, आहार संबंधी एलर्जी;
(vi) शिशुओं में होने वाले स्तन्यदुष्टि और रोग;
(vii) गैजेट की लत, व्यवहार संबंधी समस्याएं;
(viii) ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी आदि;
(ix) सेरेब्रल पाल्सी;
(x) वैक्सीन एडजुवेंट्स;
(xi) स्वर्ण प्राशन और अन्य संस्कार;
(xii) मेध्य रसायन और संज्ञानात्मक कार्य;
(xiii) कौमार पंचकर्म
(xiv) बच्चों में प्रकृति, सार आदि का आकलन
(xv) आनुवंशिक, जन्मजात रोग और जन्मजात विसंगतियां;
(xvi) एनीमिया, कृमि संक्रमण आदि और
(xvii) बालरोग के लिए शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(त) स्त्रीरोग - प्रसूति तंत्र:

(i) महिला बांझपन (इनफर्टिलिटी) ;
(ii) फैलोपियन ट्यूबों से संबंधित विषय;
(iii) प्रीकॉन्सेप्शनल केयर;
(iv) प्रसवपूर्व, प्रसव और प्रसव के बाद की देखभाल;
(v) एंडोमेट्रियोसिस और यूटेराइन डिसफंक्शन;
(vi) मासिक अनियमितताएं, अंडाशय संबंधी समस्याएं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी;
(vii) इंट्रायूटेराइन वृद्धि में कमी;
(viii) गर्भावस्था, गर्भावधि मधुमेह, एक्लैम्पसिया आदि में एनीमिया,
(ix) अंतस्रावी : विकार विशेषता संबंधी समस्याएं;
(x) गर्भास्यग्रीवशोध, प्रदर आदि।
(xi) प्रीमेंसट्रूअल सिंड्रोम;
(xii) रजोनिवृत्ति सिंड्रोम;
(xiii) महिला योन रोग डिसफंक्शन;
(xiv) प्रसव पूर्व देखभाल;
(xv) गर्भ संस्कार; तथा
(xvi) स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र के लिए शिक्षण पद्धति, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(थ) मनोविज्ञान एवं मानस रोग:

(i) सत्व, काय और अन्य मनोभावों के लिए आकलन पैमानों का विकास;
(ii) मानस रोग और इसका आयुर्वेदिक प्रबंधन;
(iii) नई उभरती मानसिक स्थितियों के लिए सम्प्राप्ति और सम्प्राप्ति घटक की स्थापना;
(iv) परामर्श तकनीक विकसित करना;

(v) मानस रोग के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन;
(vi) मानसिक स्वास्थय, निद्रा आदि से संबंधित अध्ययन; तथा
(vii) मानस रोग एवं मनोविज्ञान के लिए शिक्षण पद्धति, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(द) रसायन और वाजीकरण:

(i) विभिन्न वाजीकरण भव के लिए आकलन पैमानों का विकास;
(ii) रेतसपरीक्षा, गर्भाशय ग्रीवा , बलगम, पोस्ट कोइटल परीक्षण से संबंधित अध्ययन;
(iii) बांझपन, योन रोगों, डिसफंक्शन के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन;
(iv) सुसंतान से संबंधित अध्ययन (स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र के सहयोग से)
(v) उत्तर बस्ती आदि जैसी प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
(vi) विभिन्न अनन्वेषित (अनएक्सप्लॉरड) वाजीकरण औषधियों और सूत्रों की खोज करना;
(vii) अंतर्गर्भाशयी, गर्भाधन और प्रजास्थापन औषधियों की भूमिका;
(viii) इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीकों और वाजीकरण की भूमिका के साथ सहयोगी अध्ययन;
(ix) वाजीकरण समस्याएं (पंचकर्म विभाग के सहयोग से) के लिए विभिन्न पंचकर्म प्रक्रियाओं की खोज; तथा
(x) रसायन और वाजीकरण के लिए शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण उपकरणों का विकास।

(3) सभी स्नातकोत्तर विभागों से प्रति वर्ष केवल एक छात्र को "शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रौद्योगिकी और शिक्षण के लिए उपकरणों के विकास" के प्रमुख क्षेत्र में एक शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) विषय का चयन करने की अनुमति होगी।

**29. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए शिष्यवृति/ वृत्तिका -** केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश संस्थानों से संबंधित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, वृत्तिका / शिष्यवृति संबंधित सरकारों के अंतर्गत अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बराबर भुगतान किया जाएगा और चिकित्सा पद्धतियों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

**30. स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय की अर्हता और अनुभव**- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त संबंधित विशेषता या विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची में शामिल या अधिनियम की धारा 35 और धारा 36 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है;

(2) संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद के साथ एक वैध पंजीयन, या भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार एवं पंजीयन बोर्ड द्वारा जारी एक वैध केंद्रीय या राष्ट्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र; तथापि, गैर-चिकित्सा अर्हता वाले शिक्षकों के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा।

(3) प्रोफेसर के पद के लिए, - (क) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा में दस वर्ष के नियमित शिक्षण अनुभव के साथ एक शिक्षक, या संबंधित विषय में नियमित आधार पर स्नातकोत्तर शिक्षण में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; या

(ख) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों के अनुसंधान संस्थानों या परिषदों में नियमित नियुक्तियों के साथ, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने के बाद एक पूर्णकालिक शोधकर्ता के रूप में कुल दस वर्षों का अनुसंधान अनुभव, या नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाएं, बशर्ते कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाए:

(i) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में योग्यता प्राप्त; और
(ii) सूचीकृत पत्रिकाओं में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्र (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए कंसोर्टियम (UGC-CARE), पबमेड (PubMed), वेब ऑफ़ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस) में सूचीकृत; अथवा आयुर्वेद से संबंधित दो प्रकाशित पुस्तकें या मैनुअल; अथवा
(iii) तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के साथ किसी भी प्रमुख शोध परियोजना के लिए अन्वेषक।

(4) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए: (क) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शिक्षण में नियमित शिक्षक के रूप में पांच वर्ष का कुल शिक्षण अनुभव; अथवा

(ख) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री रखने के बाद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, विश्वविद्यालयों, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं में नियमित नियुक्तियों के साथ पूर्णकालिक शोधकर्ता के रूप में कुल पांच वर्ष का शोध अनुभव, बशर्ते कि निम्नलिखित मानदंड पूरे हों: –

(i) आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त; और

(ii) सूचीकृत पत्रिकाओं में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्र (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए कंसोर्टियम (UGC-CARE) पबमेड (PubMed), वेब ऑफ़ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस) में सूचीकृत; या आयुर्वेद से संबंधित एक प्रकाशित पुस्तक या मैनुअल;

(iii) किसी भी शोध परियोजना के लिए न्यूनतम तीन वर्ष से अवधि के साथ अन्वेषक।

(5) शल्य तंत्र, शालाक्य – नेत्र, शालाक्य – कर्ण, नासा और मुख और स्त्री रोग - प्रसूति तंत्र के स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए अनुसंधान अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।

(6) असिस्टेंट प्रोफेसर का पद धारण करने के लिए, एक व्यक्ति को आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(7) राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी कैडर का हो, जो आयुर्वेद में शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करना चाहता है।

(8) एक नियमित पूर्णकालिक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम के दौरान अर्जित वास्तविक शोध अनुभव, प्रवेश लेने की तिथि से लेकर शोध प्रबंध जमा करने की तिथि तक, और अधिकतम तीन वर्ष, को शिक्षण अनुभव माना जाएगा। पीएचडी आवंटन पत्र, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश लेने का प्रमाण (प्रूफ़) और विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध जमा करने का प्रमाण (प्रूफ़) इस संबंध में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

(9) एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवादात्मक अनुसंधान विभाग में, स्वस्थवृत्त एवं योग में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ कम से कम एक पूर्णकालिक नियमित प्रोफेसर अधिमानतः पीएचडी के साथ होगा। इसके अतिरिक्त, एक बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट और बायोस्टैटिस्टिशियन को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

(10) (क) अस्थायी या संविदात्मक नियुक्तियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, सरकारी संस्थाओं के प्रकरण में संविदात्मक नियुक्तियों की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दी जा सकती है –

(i) एक अस्थायी व्यवस्था माना जाएगा;

(ii) विशेष विभाग में किसी विशेष पद के लिए दो वर्ष से अधिक नहीं होगा;

(iii) राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त होगी।

(ख) संबंधित कैडर के अनुसार वेतन लाभ के बिना अस्थायी पदोन्नति या पदोन्नति को मान्य नहीं किया जाएगा ।

(11) संस्थान के प्रमुख, प्रिंसिपल, डीन, या निदेशक के पद के लिए योग्यता और अनुभव पूर्वकथित योग्यता और अनुभव होगा जो इन विनियमों में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित है, जिसमें कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जैसे, वाइस प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष, उप चिकित्सा अधीक्षक, या चिकित्सा अधीक्षक होगा।

(क) आयोग द्वारा आयोजित 'शैक्षिक प्रशासन' पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम या आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष कार्यक्रम में भाग लिया होगा, या संस्थान के प्रमुख के रूप में पद धारण करने की तिथि से छह माह के भीतर इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेंगे।

(ख) शैक्षणिक प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना संस्थान के प्रमुख के पद पर बने रहने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।

(ग) ऐसा न करने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्थान के प्रमुख के पद के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

(12) (क) इन विनियमों के अनुसार प्रत्येक पात्र शिक्षक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा विशिष्ट शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा।

(ख) विशिष्ट शिक्षक कोड प्राप्त करने की प्रक्रिया और विशिष्ट शिक्षक कोड को वापस लेने का विवरण नियम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम 2024 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(13) शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु:- शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु केंद्र, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के आदेश के अनुसार होगी और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्णकालिक नियमित शिक्षकों के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु तक फिर से नियोजित किया जा सकता है।

(14) शिक्षक की उपस्थिति:-(क) प्रत्येक शिक्षक की उपस्थिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या आकलन वर्ष के कार्य दिवसों के दौरान पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ख) उपस्थिति की गणना शिक्षक दिवसों के अनुसार की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, 'शिक्षक दिवस' का तात्पर्य उन दिनों की कुल संख्या से है जो एक पूर्णकालिक

नियमित शिक्षक ,कॉलेज और उसके शिक्षण अस्पताल में बारह माह की अवधि में कार्य करता है या उपस्थित रहता है, जहां उन्हें आयोग द्वारा लागू उपस्थिति सिस्टम के आधार पर नियुक्त किया गया है।

(15) अनुमति पत्र जारी करने से पहले शिक्षण कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने और प्रतिस्थापन, शिक्षण कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, सलाहकारों और शिक्षण कर्मचारियों के अनुभव पर नियम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम 2024 में प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे।

(16) प्रत्येक शिक्षण संकाय को तीन वर्ष में एक बार "चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी अथवा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अथवा संकाय विकास कार्यक्रम" से गुजरना होगा।

**31. शिक्षण शुल्क**- "राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय द्वारा गठित संबंधित शुल्क निर्धारण समिति, शुल्क नियामक समिति या शासी समिति द्वारा निर्दिष्ट और निर्धारित शिक्षण शुल्क केवल तीन वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि के लिए लिया जाएगा। परीक्षा में असफल होने या किसी अन्य कारण से अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

**32. पाठ्यक्रम प्रारंभ और प्रवेश की कट-ऑफ तिथि**- (1) प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर कार्यक्रम सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले कार्य दिवस पर आरंभ होगा, और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि सामान्य रूप से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के 31 जुलाई को होगी, या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(2) प्रत्येक संस्थान तालिका-10 में निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों या कार्यक्रमों का संचालन करेगा।

**तालिका-10**

**स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए टेंटेटिव शैक्षणिक कैलेंडर**

**(डॉक्टर ऑफ मेडिसिन -एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस)**

**(कार्यक्रम की कुल अवधि - 36 माह)**

| क्रम संख्या | शैक्षणिक गतिविधि या कार्यक्रम | समयसीमा |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | कार्यक्रम का आरंभ | अगस्त माह का पहला कार्यदिवस |
| 2 | स्नातकोत्तर अभिविन्यास कार्यक्रम | पंद्रह से बीस कार्य दिवस |
| 3 | स्नातकोत्तर शोध प्रबंध(डिसर्टेशन) गतिविधि के लिए मार्गदर्शक आवंटन | अक्टूबर (तीसरा माह) |
| 4 | विश्वविद्यालय द्वारा पहला योगात्मक आकलन | जनवरी का तीसरा या चौथा सप्ताह (छठा माह) (पहले सेमेस्टर के अंत में) |
| 5 | रूपरेखा प्रस्तुत करना | अप्रैल (नौवां माह) |
| 6 | विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा योगात्मक आकलन | जुलाई का तीसरा या चौथा सप्ताह (बारहवां माह) (दूसरे सेमेस्टर के अंत में) |
| 7 | पहली प्रगति समीक्षा | अठारहवां माह (जनवरी) |
| 8 | दूसरी प्रगति की समीक्षा | चौबीसवां माह (जुलाई) |
| 9 | तीसरी प्रगति की समीक्षा | तीसवाँ माह (जनवरी) |
| 10 | शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) कार्य का पूर्व-प्रस्तुतीकरण | जनवरी-मार्च (तीसवें से बत्तीसवें माह) |
| 11 | शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करना | जनवरी-मार्च (तीसवें से बत्तीसवें माह) |
| 12 | संस्थान के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध(डिसर्टेशन) प्रस्तुत करना | अप्रैल (तैंतीसवां माह) |
| 13 | विश्वविद्यालय द्वारा तीसरा योगात्मक आकलन | जुलाई का तीसरा या चौथा सप्ताह (छत्तीसवां माह) (छठे सेमेस्टर के अंत में) |

**नोट:-** तीसरे योगात्मक आकलन के अंतिम दिन (सिद्धांत, व्यावहारिक, या नैदानिक, जैसी भी स्थिति हो) को कार्यक्रम का अंतिम कार्य दिवस माना जा सकता है।

## अध्याय VIII

## नए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का प्रारंभ (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन -एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) और मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि

**33.** नए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का प्रारंभ:- (1) एक नए चिकित्सा संस्थान की स्थापना, छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि, या किसी भी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए एक आवेदन के उत्तर में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी।

(2) नए चिकित्सा संस्थानों का प्रारंभ, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों का आरंभ और छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि अधिनियम की धारा 29 के अनुसार होगा।

**34.** **सामान्य विचार**- (1) नई योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष आयोग की वेबसाइट पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदर्शित की जाएगी।

(2) आवेदन एक व्यक्ति विश्वविद्यालय, सोसाइटी, ट्रस्ट या किसी अन्य निकाय द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे (केंद्र सरकार शामिल नहीं है)।

(3) एक नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसा कि समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है।

(4) आवेदन इन विनियमों की तालिका-11 में दिए गए अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

(5) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) अंतिम तिथि से पहले आवेदन वापस लेने के प्रकरण में, आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(7) स्थानीय भाषा में कोई भी संलेख हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रतिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;

(8) आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक को अधिनियम और संबंधित नियमों की समीक्षा करनी चाहिए और समझना चाहिए।

**35.** **पूर्व-आवश्यकताएं**-(1) संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र इन नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाएगा। यह स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान की स्थापना अथवा नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने अथवा सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता को बढ़ाने पर लागू होता है। (कृपया अनुलग्नक – III देखें)

(2) संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति, स्पष्ट रूप से शैक्षणिक वर्ष या संबद्धता के वर्षों का उल्लेख करते हुए, निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक – IV) में प्रदान की जाएगी।

(3) एक ही ट्रस्ट, सोसाइटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किन्हीं दो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के बीच रेडियल दूरी पच्चीस किलोमीटर से कम नहीं होगी।

(4) (क) स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान के प्रकरण में, एक आवेदन, प्रस्ताव या योजना जमा करते समय, इसमें पूर्ण रूप से कार्यशील साठ बिस्तरों वाला आयुर्वेद चिकित्सालय होगा जिसने उचित पंजीयन के साथ स्थापना के बाद अस्तित्व के कम से कम चौबीस माह (अर्थात दो वर्ष की कार्यशीलता) पूर्ण कर लिए हों।

(ख) चिकित्सालय ने आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, कार्यक्षमता, उपकरण और सहायक उपकरणों सहित सुविधाओं के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया होगा, जैसा कि आवेदन जमा करते समय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में प्रदान किया गया है।

(5) चिकित्सालय की कार्यक्षमता के दो वर्षों के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा।

(क) चिकित्सालय के नाम पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक स्वतंत्र बैंक खाते में सलाहकारों और अन्य चिकित्सालय के कर्मचारियों के वेतन को दर्शाते हुए बैंक लेनदेन;

(ख) चिकित्सालय की कार्यक्षमता को इंगित करने वाले बैंक लेनदेन, जैसे औषधिओं और चिकित्सालय की उपभोग्य सामग्रियों की आवधिक खरीद, प्रासंगिक करों का भुगतान, चिकित्सालय की आय, और इसी प्रकार;

(ग) सुव्यवस्थित रूप से प्रलेखित (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है) चिकित्सालय के रिकॉर्ड, जिसमें बहिरंग रोगी विभागों और अंतरंग रोगी विभागों में रोगी की उपस्थिति, चिकित्सालय के रखरखाव को दिखाने वाले अभिलेख और स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों का नवीनीकरण शामिल है;

(घ) चिकित्सालय में आवेदन के समय कम से कम चिकित्सालयों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, (एनएबीएच) प्रवेश स्तर होगा ।

**36. एक स्नातक कॉलेज में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु आवेदन के लिए**;.- कॉलेज निम्नलिखित को पूरा करेगा: -

(1) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्थापित स्नातक कॉलेज या संस्थान;

(2) एक सौ (100), एक सौ पचास (150), या दो सौ (200) की प्रवेश क्षमता वाले स्नातक कॉलेज और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान ग्रेड 'ए' या 'बी' रेटेड स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए पात्र होंगे;

**37. विभागवार पात्रता**: (1) स्नातक विभाग जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रस्तावित है, निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे:-

(क) जिन विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रस्तावित है, उनमें आधारभूत संरचना, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन के वर्ष सहित पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों के दौरान किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई होगी।;

(ख) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रंटिंग बोर्ड विभाग पर कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) विभागीय अंतरंग रोगी (इनपेशेंट) वार्डों में अंतरग रोगी बेड ऑक्यूपेंसी अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगी जहां स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रस्तावित है।

(घ) स्त्री रोग और प्रसूति विभाग के लिए प्रति माह कम से कम बीस प्रसव आवश्यक हैं।

**38. स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना के लिए आवेदन हेतु पात्रता।-** (1) इन नियमों के अंतर्गत आवेदन करने के लिए, एक व्यक्ति, समाज, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, संस्थान या कोई अन्य निकाय पात्र होगा यदि:-

(क) आवेदक का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति या आयुर्वेद में शिक्षा प्रदान करना होगा।

(ख) न्यूनतम अपेक्षित भूमि और अन्य विनिर्देश इन विनियमों में विनियम 10 में दिए गए अनुसार होंगे।

(ग) भूमि के लिए पट्टा (लीज) समझौते वाले संस्थानों के प्रकरण में, संस्थान को पट्टा (लीज) अवधि के अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि संस्थान प्रत्येक वर्ष एक नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें कहा गया है कि पट्टे (लीज) को इसकी समाप्ति से पहले नवीनीकृत किया जाएगा और संस्थान को पट्टे (लीज) की अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकृत पट्टा (लीज) समझौता प्रस्तुत करना होगा।

(घ) एक पूर्ण रूप से स्थापित और कार्यशील आयुर्वेद चिकित्सालय के पास चिकित्सालयों और स्वास्थय सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से कम से कम प्रवेश स्तर की मान्यता होगी, जिसमें साठ बेड हों और बेड अधिभोग दर साठ प्रतिशत से कम न हो। इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में प्रदान किए गए साठ की छात्र प्रवेश क्षमता के साथ एक स्नातक कॉलेज या संस्थान से जुड़े शिक्षण चिकित्सालय के लिए आवश्यक सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करना होगा।

(ङ) आयोग के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों, स्थान, उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने वाले अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम।

(च) एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि, स्नातकोत्तर विभागों के लिए नामित भूमि और भवनों को विशेष रूप से स्नातकोत्तर विभागों या विशेषज्ञता के लिए बनाए रखा जाएगा और कोई अन्य पाठ्यक्रम या कॉलेज या कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा।

(छ) एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिसमें कहा गया है कि केवल उन छात्रों को जो राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें ही केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से योग्यता के आधार पर, विदेशी नागरिकों को छोड़कर, प्रवेश दिया जाएगा;

(ज) एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि स्नातकोत्तर डिग्री और शिक्षक-छात्र अनुपात का नामकरण इन नियमों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा, इन विनियमों में यथा उपबंधित रीति से अवसंरचना और जनशक्ति स्थापित करने की स्थिति में सक्षम होगा।

**39. मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु आवेदन के लिए पात्रता :** आवेदन करने के लिए, कोई व्यक्ति या सोसाइटी या ट्रस्ट या विश्वविद्यालय या संस्थान या कोई अन्य निकाय पात्र होगा यदि-

(क) स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता को आवेदन, प्रस्ताव या योजना जमा करने के समय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित रेटिंग प्रक्रिया में ग्रेड 'ए' या 'बी' की रेटिंग प्राप्त होगी।

(ख) इन विनियमों के विनियम 35 के अंतर्गत उप-विनियम (1) और (2) में प्रदान की गई पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा किया है।

(ग) एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिसमें कहा गया है कि विदेशी नागरिकों और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर, केवल राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को विशेष रूप से केंद्रीय, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाएगा।

(घ) एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि सीटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए इन विनियमों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात को बनाए रखा जाएगा।

(ङ) इन विनियमों में प्रदान किए गए तरीके से बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति स्थापित करने की स्थिति में होगा।

**40. आवेदन करने की विधि** - (1) इन विनियमों में प्रदान की गई पूर्व शर्तों और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मोड (ऑनलाइन, ऑफ़लाइन या दोनों) और समय-सीमा के अनुसार अपना आवेदन, प्रस्ताव या योजना जमा कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक स्नातकोत्तर विशेषता या कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा;

(3) तालिका-11 में दिखाए गए लागू करों के साथ गैर-वापसी योग्य आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण या वास्तविक समय सकल निपटान) के माध्यम से आयोग के खाते में 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग कोष' के पक्ष में किया जाएगा।

**तालिका-11**

**स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की स्थापना और प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क**

| विवरण | शुल्क विवरण | |
|---|---|---|
| | आवेदन शुल्क | प्रसंस्करण शुल्क |
| (1) | (2) | (3) |
| मौजूदा स्नातक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए | 2,00,000/- प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम | 10,00,000/- प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम |
| स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान प्रारंभ करने के लिए | 2,00,000/- | 10,00,000/- प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम |
| अतिरिक्त स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए | 2,00,000/- प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम | 10,00,000/- प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम |
| छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए | 2,00,000/- प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम | 5,00,000/- प्रति सीट |

(4) इन विनियमों में प्रदान किए गए सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई समय सीमा और मोड (ऑनलाइन या ऑफ़लाइन या दोनों) के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

41. **आवेदन की प्रक्रिया:** सभी प्राप्त आवेदनों को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा जांच के अधीन किया जाएगा:

(1) आवेदक पात्रता
(2) पूर्व आवश्यकताएं-
(3) इन विनियमों में प्रदान किए गए न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति
(4) लागू करों के साथ आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क
(5) सहायक प्रलेख
(6) चिकित्सालय डेटा
(7) राष्ट्रीयकृत बैंकों के आधिकारिक बैंक खातों (चिकित्सालय और कॉलेज के लिए पृथक खाते) मे लेनदेन
(8) भारतीय चिकित्सा पद्धति आंकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रदान किए गए किसी भी अन्य माध्यम से ।

42. **आशय पत्र जारी करना** : (1) जाँच के बाद, आवेदनों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा -

(क) न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले अनुप्रयोग

(ख) त्रुटियों वाले आवेदन

(ग) गैर-संशोधनीय त्रुटियों वाले आवेदन

(क) न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले आवेदन: (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा ऐसे संस्थानों का निरीक्षण या दौरा विजिटेशन किया जाएगा।

(ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड संस्थान द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों (डेटा) के साथ- साथ आवेदन और निरीक्षण या विजिटेशन के दौरान अन्वेषक (विजिटर) द्वारा की गई टिप्पणियों का सत्यापन करेगा और यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो संस्थान को अधिनियम के 29 के अंतर्गत आशय पत्र जारी किया जाएगा।

(iii) यदि निरीक्षण या विजिटेशन के दौरान कोई कमी / त्रुटि पाई जाती है, तो उसे सूचित किया जाएगा और इन विनियमों के उपखंड (V) के आइटम (क) में दी गई कमियो / त्रुटियो को छोड़कर शुद्धि के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

(iv) जिन संस्थानों को शुद्धि का अवसर दिया गया है, उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक सहायक प्रलेखों के साथ अनुपालन रिपोर्ट, प्रदान की गई कमियों के लिए जांच के अधीन होगी;

(v) यदि संतोषजनक पाया जाता है तो आवेदन को स्वीकृति दे दी जाएगी और आशय पत्र जारी किया जाएगा।

(vi) यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है या अनुपालन रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई नियत तिथि के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन अननुमोदित और अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) कमियों वाले आवेदन : (i) कमियों वाले आवेदनों की शुद्धि के लिए आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(ii) प्रदत्त अवधि के भीतर संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सहायक अभिलेखों के साथ अनुपालन रिपोर्ट की भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा एक बार पुन: जांच की जाएगी; यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो संस्थान का निरीक्षण किया या विजिट किया जाएगा। यदि आवेदन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे अननुमोदित और अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और अन्वेषकों (विजिटर) द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा; यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो संस्थान को आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आवेदन को अननुमोदित और अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ग) गैर-संशोधनीय कमियों वाले आवेदनः तथापि, गंभीर प्रकृति की कमियां, जैसे कि इन नियमों में प्रदान किए गए न्यूनतम आवश्यक मानकों में कमियां, जिनमें चिकित्सालय की कार्यक्षमता, भूमि की उपलब्धता या भूमि विवाद, चिकित्सालय के कार्य की अपर्याप्त अवधि, राज्य सरकार से आवश्यक प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता, विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए सहमति की अनुपलब्धता, कॉलेज और चिकित्सालय के निर्मित क्षेत्र में कमी शामिल हैं। कमियों की शुद्धि का अवसर नहीं दिया जाएगा, और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(2) मौजूदा कॉलेजों पर लागू छूट नीति नए आवेदनों के लिए तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्य रूप से प्रदान नहीं की जाती है।

(3) जारी किया गया आशय पत्र केवल उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा।

43. **अनुमति पत्र जारी करना**: (1) जिन संस्थानों को आशय पत्र प्राप्त हुआ है, वे सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, साथ ही इन विनियमों में प्रदान किए गए शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और चिकित्सालय के कर्मचारियों के विवरण और सुरक्षा जमा के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अवधि के भीतर आयोग को जमा करेंगे।

(2) सुरक्षा जमा होगी -

(क) एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए: प्रति कार्यक्रम पचास लाख रुपये;

(ख) सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए: प्रति सीट पाँच लाख रुपये;

"यह केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शासित कॉलेजों या संस्थानों पर लागू नहीं होगा यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करने का वचन देते हैं जब तक कि उनके द्वारा इंगित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक सुविधाएं पूर्ण रूप से प्रदान नहीं की जाती हैं।"

(3) सुरक्षा जमा राशि संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ होने के तीन वर्ष बाद बिना ब्याज के कॉलेज या संस्थान के खाते में वापस कर दी जाएगी, बशर्ते कि कॉलेज या संस्थान के खिलाफ कोई वित्तीय शिकायत लंबित न हो या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या आयोग द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण दंड राशि लंबित न हो।

(4) आवेदक को आवेदन या प्रस्ताव या योजना जमा करने की अंतिम तिथि से छह माह के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन या प्रस्ताव या योजना के अनुमोदन या अननुमोदन के बारे में सूचित किया जाएगा।

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को पारदर्शिता के लिए आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आधारित ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आवेदन, सत्यापन, आकलन और रेटिंग के लिए उपर्युक्त सिस्टम को बदलने का अधिकार होगा।

44. **अपील** : अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत, असंतुष्ट आवेदक निम्नलिखित स्थितियों में नीचे दिए गए माध्यम से अपील कर सकते हैं।

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति देने से अस्वीकार करने या योजना प्रस्तुत करने के छह माह के भीतर कोई आदेश पारित नहीं होने की स्थिति में, असंतुष्ट आवेदक अस्वीकृति के संचार के पंद्रह दिनों के भीतर या छह माह की अंतराल अवधि के पंद्रह दिनों के भीतर आयोग में पहली अपील कर सकता है।

(ख) पहली अपील ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मोड द्वारा या आयोग द्वारा समय-समय पर प्रदान की जा सकती है।

(ग) अपील की प्राप्ति पर आयोग अपील की जांच करेगा और असंतुष्ट आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(घ) यदि आयोग को ज्ञात होता है कि आवेदक सभी न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, तो आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को आवेदन पर विचार करने का निर्देश दे सकता है।

(ङ) यदि आवेदक न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूर्ण नहीं कर रहा है, तो आयोग आवेदन को अस्वीकृत और अननुमोदित कर देगा।

(च) किसी भी प्रकरण में आयोग अपील प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

(छ) आयोग द्वारा अस्वीकृति या ऐसी अपील प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर आयोग द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए जाने की स्थिति में, असंतुष्ट आवेदक सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार (आयुष मंत्रालय भारत सरकार) को दूसरी अपील कर सकता है।

45. **अनुमतियों का नवीनीकरण**: (1) एक बार जारी किया गया अनुमति पत्र उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा और वार्षिक आधार पर तब तक नवीनीकृत किया जाएगा जब तक कि संस्थान तालिका-12 में दिए गए अनुसार पूर्ण रूप से स्थापित स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता।

**तालिका-12**

**स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम की अनुमति और श्रेणी**

| क्रम संख्या | एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 की धारा | अनुमति या अनुमति नवीनीकरण | श्रेणी | बैच |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 29 | आशय पत्र | विचाराधीन | कोई प्रवेश नहीं |
| 2 | | अनुमति पत्र | स्थापना के अंतर्गत संस्थान | पहला बैच |
| 3 | | पहले अनुमति का नवीनीकरण | | दूसरा बैच |
| 4 | | दूसरा अनुमति का नवीनीकरण | | तीसरा बैच |
| 5 | 28 | विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति | पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता। आकलन के लिए नामित | चौथा बैच |

(2) अनुमति पत्र जारी किए गए संस्थान इन विनियमों में प्रदान किए गए न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट (स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम के अनुसार) प्रस्तुत करेंगे। अनुमति पत्र की समाप्ति से छह माह पहले संस्थान द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड निरीक्षण या दौरा (विजिटेशन) करेगा और कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या विजिटेशन के दौरान अन्वेषकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा और न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूर्ण करने पर, संस्थान को अनुमति का पहला नवीनीकरण जारी किया जाएगा।

(4) पहले नवीनीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का उपयोग अनुमति के दूसरे नवीनीकरण के लिए भी किया जाएगा।

(5) दूसरे नवीनीकरण के बाद, स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता को अधिनियम 2020 की धारा 28 के अंतर्गत 'पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता' के रूप में माना जाएगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा कार्य नहीं किया जाता है।

(6) न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूर्ण न करने और संस्थान की स्थापना के किसी भी चरण में वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त न करने के प्रकरण में, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए किसी विशेष स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता के लिए प्रवेश की अनुमति देने को अस्वीकृत कर देगा।

(7) पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा आकलन के लिए पात्र है।

## अध्याय-IX

## स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर विभागों की रेटिंग जहां स्नातक पाठ्यक्रम मौजूद है और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान

46. (1) 'विस्तारित अनुमति' स्थिति रखने वाले स्नातकोत्तर विभाग, चाहे वह स्नातक कॉलेज या स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान में हो, का प्रत्येक वर्ष आकलन किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर संस्थानों के प्रकरण में जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, आकलन पूर्ण रूप से स्थापित स्नातक संस्थान और पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों के लिए पृथक रूप से से किया जाएगा।

(3) पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों का व्यक्तिगत रूप से आकलन किया जाएगा (स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम वार आकलन)।

(4) निम्नलिखित स्नातकोत्तर संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता आकलन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(क) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत प्रतिष्ठान स्थापित किया जा रहा है;

(ख) "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत;

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति की अस्वीकृति;

(घ) अधिनियम की धारा 28 की उप धारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही।

(5) आकलन प्रक्रिया आयुर्वेद बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्रों और मानकों (गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों) के आधार पर प्रक्रिया का पालन करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या किसी नामित एजेंसी द्वारा की जाएगी।

(6) स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं का आकलन संस्थानों द्वारा बनाए गए मानकों के आधार पर किया जाएगा, जो इन विनियमों में प्रदान किए गए न्यूनतम आवश्यक मानकों से अधिक होगें।

(7) पूर्ववर्ती माह से संबंधित आंकड़ों (डेटा) के लिए प्रत्येक माह की दसवीं तिथि को या उससे पहले आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संस्थानों द्वारा समय-समय पर अपलोड किए गए आंकड़ों (स्व-प्रकटीकरण) का आकलन एवं अन्य उद्देश्यों पर विचार किया जाएगा।

(8) ऑनलाइन डेटा सत्यापन और आकलन के लिए भौतिक सत्यापन या आकलन के बीच वेटेज का अनुपात 70:30 (अर्थात् सत्तर प्रतिशत ऑनलाइन डेटा सत्यापन और तीस प्रतिशत भौतिक सत्यापन आकलन) के अनुपात में होगा।

(9) रेटिंग हेतु आकलन के पश्चात्, विस्तारित अनुमति श्रेणी के अंतर्गत व्यक्तिगत स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम को स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता द्वारा प्राप्त रेटिंग अंक के आधार पर ग्रेड 'ए', ग्रेड 'बी', ग्रेड 'सी', या ग्रेड 'डी' में वर्गीकृत किया जाएगा।

(10) प्रवेश के लिए परामर्श (काउन्सलिंग) प्रारंभ होने से पहले आकलन प्रक्रिया का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) ग्रेड 'ए' प्राप्त स्नातकोत्तर विभाग, ग्रेड 'ए' रखने के वर्षों के दौरान प्रवेशित छात्रों से संबंधित शुल्क निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त पांच प्रतिशत विकास शुल्क लेने का पात्र है।

(12) कोई भी नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, सभी मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को 'ए' या 'बी' का ग्रेड दिया गया होगा।

(13) 'ए' या 'बी' ग्रेड वाले स्नातकोत्तर विभाग केवल छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(14) यदि अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा किसी भी श्रेणी के स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम पर कार्रवाई की जाती है, तो यह माना जाएगा कि ग्रेड वापस ले लिया गया है, और ग्रेड वापस लेने के लिए कोई संचार नहीं भेजा जाएगा; यदि ऐसा कॉलेज, संस्थान या विभाग ग्रेड का उपयोग करना जारी रखता है, तो ऐसे संस्थान अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होंगे।

(15) चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों को संस्थान द्वारा प्राप्त आकलन अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा, जैसा कि तालिका-13 में दिया गया है।

**तालिका-13**

रेटिंगअंक और श्रेणी

| रेटिंग अंक | श्रेणी |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| 75 और ऊपर | ए |
| 50-74 | बी |
| 25-49 | सी |
| 24 तक | डी |
| अन्यः रेटिंग के लिए पात्र नहीं | |

(16) तालिका-14 में विस्तृत वार्षिक आकलन शुल्क का भुगतान लागू करों के साथ ऑनलाइन (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आयोग के खाते में किया जाएगा।

**तालिका-14**

आयुर्वेदिक संस्थानों के रेटिंग के लिए शुल्क

| संस्थान | स्नातक प्रवेश क्षमता और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की संख्या के अनुसार शुल्क की राशि (रुपये में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 तक | 6-10 | 11-15 | 16-20 और ऊपर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| स्नातक संस्थान में स्नातकोत्तर विभाग | Rs.1,00,000/- | Rs. 2,00,000/- | Rs. 3,00,000/- | Rs. 4,00,000/- |
| स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान | Rs.3,50,000/- (2,50,000*+1,00,000) | Rs.4,50,000/- (2,50,000*+2,00,000) | Rs.5,50,000/- (2,50,000*+3,00,000) | Rs.6,50,000/- (2,50,000*+4,00,000) |
| * स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थानों में 60 बिस्तरों वाले चिकित्सालय के लिए | | | | |

## अध्याय-X

**स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री (पीएच. डी.) डॉक्टरेट ऑफ फिलोसोफी के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकसामान्य विचार**:

47. **सामान्य विचार: (1)** पीएच. डी. कार्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम छह वर्ष की अवधि के लिए होगा। उपर्युकत सीमाओं के अतिरिक्त डिग्री की अवधि में विस्तार डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों या विश्वविद्यालयों के विधान या अध्यादेश में निर्धारित प्रासंगिक खंडों द्वारा शासित होगा, परंतु दो वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(2) महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता) को पीएच. डी. के लिए अधिकतम अवधि में दो अतिरिक्त वर्षों की छूट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, महिला उम्मीदवारों को पीएच. डी. कार्यक्रम की पूरी अवधि में एक बार 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश या शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(3) पीएच. डी. कार्यक्रम पूर्णकालिक अनुसंधान कार्यक्रम होगा।

(4) पीएच. डी. कार्यक्रम को मान्यता नहीं दी जाएगी यदि:

(क) अनुसंधान अवधि के दौरान पीएच. डी. अध्येता और पीएच. डी. पर्यवेक्षक अलग-अलग स्थानों पर होते हैं।

(ख) पीएच. डी. स्कॉलर का कार्यस्थल और पीएच. डी. के लिए पंजीकृत अनुसंधान स्थल भिन्न – भिन्न हैं।

(5) जिन लोगों ने इन विनियमों की अधिसूचना से पहले पीएच. डी. कार्यक्रम के लिए पंजीयन किया है, वे अपने पंजीयन के समय प्रचलित प्रावधानों को जारी रखेंगे।

(6) पीएच. डी. में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(7) पीएच. डी.कार्यक्रम के लिए अनुसंधान स्थान एक ऐसा आयुर्वेद संस्थान होगा जिसमें स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभाग या एक अनुसंधान प्रयोगशाला या राष्ट्रीय संस्थान या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केंद्र हों। स्नातक शिक्षण संस्थान को पीएच. डी.कार्यक्रम के लिए अनुसंधान स्थल नहीं माना जाएगा।

(8) इंटरडिसिप्लिनरी-, ट्रांस – डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अनुसंधान के लिए, संबंधित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी उत्कृष्टता केंद्र या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अनुसंधान संस्थान या राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा स्थापित स्वायत्त संगठनों के अनुसंधान संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय का स्नातकोत्तर संस्थान और इसी प्रकार के अन्य संस्थानों को एक अनुसंधान स्थल माना जाएगा।

(9) संबंधित विषय में या शिक्षण में या इंटर डिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी- या मल्टी डिसिप्लिनरी अनुसंधान क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान कार्य के लिए प्रदान की गई पीएच. डी. को समान माना जाएगा।

## अध्याय-XI

अति विशिष्ट (सुपर स्पेशलिटी) कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान या विभाग
के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक और शिक्षा के न्यूनतम मानक- (डी. एम. आयुर्वेद)

48. **सामान्य विचार**: अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) प्रोग्राम (डीएम आयुर्वेद) का उद्देश्य आयुर्वेद क्लासिक्स की गहरी समझ और समकालीन विज्ञानों में उनके विशेष क्षेत्र के लिए प्रासंगिक अद्यतन ज्ञान के साथ अतिविशिष्ट विशेषज्ञों को तैयार करना है। स्नातक प्रासंगिक नैदानिक परीक्षणों का संचालन और व्याख्या करने, सटीक निदान करने और अंशांश कल्पना का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। वे समग्र स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों का पालन करते हुए, अपनी विशेषता से संबंधित निवारक, प्रचारक, उपशामक और पुनर्वास देखभाल के लिए चिकित्सा और प्रक्रियात्मक प्रबंधन, योजना, सुझाव और प्रशासन करेंगे। वे अपनी विशेषता से संबंधित जटिलताओं की पहचान, आकलन और प्रबंधन करने, रोगियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, नैदानिक परीक्षण या प्रक्रियाओं का संचालन करने में चिकित्सा टीमों का नेतृत्व करने, चिकित्सीय, सर्जिकल, या पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं का संचालन करने और सार्वजनिक जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने में भी सक्षम होंगे।

(1) डी. एम. कार्यक्रम की संरचना (क) डी.एम. कार्यक्रम तीन वर्ष की अवधि का होगा।

(ख) डी. एम. कार्यक्रम निदान और उपचार के लिए सुपर स्पेशियलिटी प्रशिक्षण पर आधारित होगा।

(ग) डी. एम. कार्यक्रम में प्रशिक्षण के अतिरिक्त इन विनियमों में उल्लिखित शोध प्रबंध(डिसर्टेशन) और केस स्टडी शामिल होंगे।

(घ) प्रशिक्षण, शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) कार्य और केस स्टडी का पैटर्न ऐसा होगा कि उम्मीदवार एक समेकित विषय या विशेषता या निदान और उपचार में आयुर्वेद के अतिविशिष्ट विशेषज्ञ के रूप में अभ्यास करने के लिए आवश्यक सभी दक्षताओं का विकास करेगा।

(2) सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम (डी. एम. आयुर्वेद) विशेष विभाग में आयोजित किया जाएगा जैसा कि तालिका-15 में दिखाया गया है। विभिन्न डी. एम. कार्यक्रम और संबंधित विभाग तालिका-15 में दिखाए गए हैं।

**तालिका-15**

डी. एम. पाठ्यक्रम का नामकरण

| क्रम संख्या | कार्यक्रम का नाम | विभाग | विशेषज्ञ का नामकरण |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | डी. एम. मानस रोग (आयुर्वेद मनोरोग) | मानस रोग एवम मनोविज्ञान | मानस रोग विशेषज्ञ (आयुर्वेद मनोचिकित्सक) |
| 2. | डी. एम. वाजीकरण (आयुर्वेद में प्रजनन चिकित्सा और एपिजेनेटिक्स) | वाजीकरण | वाजीकरण विशेषज्ञ (प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञ और आयुर्वेद में एपिजेनेसिस्ट) |
| 3. | डी. एम. अस्थि एवं संधि (आयुर्वेद में ऑर्थोपेडिक्स और आर्थ्रोलॉजी) | अस्थि और संधि | अस्थि और संधी रोग विशेषज्ञ (आयुर्वेद में आर्थोपेडिस्ट और ऑर्थोलॉजिस्ट) |
| 4. | डी. एम. अबुर्द विज्ञान (आयुर्वेद ऑन्कोलॉजी) | अबुर्द विज्ञान | अबुर्द विशेषज्ञ (आयुर्वेद ऑन्कोलॉजिस्ट) |
| 5. | डी. एम. जरा चिकित्सा (आयुर्वेद जेरोन्टोलॉजी) | रसायन | जरा चिकित्सा विशेषज्ञ (आयुर्वेद जेरन्टालजिस्ट) |
| 6. | डी.एम . यकृत विकार (आयुर्वेद हेपेटोलॉजी) | यकृत | यकृत रोग विशेषज्ञ (आयुर्वेद हेपेटोलॉजिस्ट) |

(3) अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडः संबंधित सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम के लिए तालिका-16 में वर्णित आयुर्वेद के स्नातकोत्तर डिग्री धारक डी. एम. आयुर्वेद कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

**तालिका-16**

सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रमों (डी. एम. आयुर्वेद) में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड

| क्रम संख्या | सुपर स्पेशलिटी का नाम | प्रवेश के लिए पूर्व आवश्यकताएँ |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | डी. एम. मानस रोग (आयुर्वेद मनोरोग) | एम. डी. मानस रोग एवं मनोविज्ञान<br>एम. डी. कायचिकित्सा<br>एम .डी .स्वस्थवृत्त एवं योग<br>एम .डी .कौमार भृत्य |
| 2. | डी. एम. वाजीकरण (आयुर्वेद में प्रजनन चिकित्सा और एपिजेनेटिक्स) | एम. डी. रसायन और वाजीकरण<br>एम. डी. कायचिकित्सा<br>एम. डी. पंचकर्म<br>एम. एस. स्त्री रोग-प्रसूति तंत्र |
| 3. | डी. एम. अस्थि और संधि (आयुर्वेद में ऑर्थोपेडिक्स और आर्थ्रोलॉजी) | एम. डी. कायचिकित्सा<br>एम. एस. शल्य तंत्र<br>एम. डी. पंचकर्म |
| 4. | डी .एम .अबुर्द विज्ञान (आयुर्वेद ऑन्कोलॉजी) | एम. डी. कायचिकित्सा<br>एम. एस. शल्य तंत्र<br>एम. डी. पंचकर्म<br>एम. डी. पंचकर्म |
| 5. | डी. एम. जरा चिकित्सा (आयुर्वेद जेरोन्टोलॉजी) | एम. डी. कायचिकित्सा<br>एम. डी. पंचकर्म<br>एम .डी .स्वस्थवृत्त एवं योग |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | डी.एम . यकृत विकार<br>(आयुर्वेद हेपेटोलॉजी) | एम. डी. कायचिकित्सा<br>एम. डी. पंचकर्म<br>एम. डी. कौमार भृत्य<br>एम. डी. अगद तंत्र |

49. **सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रमों में प्रवेश का माध्यम**- (1) सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रमों में प्रवेश आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर होगा। इसमें आरक्षण नीति इन विनियमों के विनियम 18 (4) में निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) सभी सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रमों (डी. एम. आयुर्वेद) के लिए वार्षिक प्रवेश क्षमता इन विनियमों के विनियम 52 में प्रदान किए गए छात्र शिक्षक अनुपात की उपलब्धता के अधीन अधिकतम चार सीटें होंगी।

(3) सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ।

(क) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर संस्थान (या तो मौजूदा स्नातक कॉलेज या स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर कॉलेज)

(ख) क्रमानुसार पिछले पाँच शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्राप्त की;

(ग) क्रमानुसार पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा 'ए' श्रेणी का आकलन किया गया;

(4) विभागवार न्यूनतम आवश्यकताएँ;

(क) डी. एम. मानस रोग (आयुर्वेद में मनोचिकित्सा): -

(i) जिन संस्थानों में स्वतंत्र मानसरोग बाह्य रोगी विभाग कम से कम दो वर्ष से काम कर रहा है, वे मानसरोग सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम प्रारंभ करने के पात्र होंगे।

(ii) यह मानस रोग एवं मनोविज्ञान के एक विशेष विभाग के अंतर्गत होगा। न्यूनतम आवश्यक शिक्षण कर्मचारी और अन्य सुविधाएं इस प्रकार होंगी –

क. पूर्णकालिक नियमित शिक्षक (I) मानसरोग में सुपर स्पेशलिटी कार्यक्रम के लिए एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता होगी।

(II) प्रोफेसर के पद के लिएः मानसरोग में सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम में न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ डी. एम. मानसरोग या एम. डी. मानसरोग एवं मनोविज्ञान या एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म कम से कम 10 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ, जिसमें से 5 वर्ष का शिक्षण मानसरोग स्नातकोत्तर में होना चाहिए।

(III) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिएः मानसरोग में एम. डी., कायचिकित्सा में एम. डी., या पंचकर्म में एम. डी. के साथ कम से कम 5 वर्ष का स्नातकोत्तर शिक्षण अनुभव, जिसमें मानसरोग स्नातकोत्तर में कम से कम दो वर्ष का शिक्षण, या मानसरोग में डी. एम. होना आवश्यक है।

ख. डी. एम. मानसरोग में शिक्षकों की अनुपलब्धता के प्रकरण में दो शिक्षकों में से एक शिक्षक एम. डी. मानसरोग एवं मनोविज्ञान या एम. डी. कायचिकित्सा और दूसरा एम. डी. पंचकर्म से होगा।

ग. अंशकालिक शिक्षक:

(I) नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ नैदानिक मनोवैज्ञानिक

(II) मनोचिकित्सा या मानसरोग में एम. डी. या डी. एम. वाले मनोचिकित्सक।

घ. विशिष्ट मानस बाह्य रोगी विभाग; नशामुक्ति केंद्र; दस बिस्तरों के साथ अंतरंग रोगी विभाग की सुविधा; कम से कम दो सुसज्जित पंचकर्म चिकित्सा कक्ष; ई. ई. जी.; दैव व्यपाश्रय चिकित्सा (आध्यात्मिक चिकित्सा) की सुविधा; सत्ववजय चिकित्सा (योग, ध्यान कक्ष और परामर्श सुविधा) की सुविधा की आवश्यकता होगी।

ङ. अन्य कर्मचारीः पंचकर्म चिकित्सक (दो पुरुष और दो महिला), ई. ई. जी. तकनीशियन, योग प्रदर्शक, कार्यालय सहायक और एम. टी. एस।

(ख) डी. एम. वाजीकरण (आयुर्वेद में प्रजनन चिकित्सा और एपिजेनेटिक्स):

(I) कम से कम दो वर्षों के लिए स्थापित वाजीकरण बाह्य रोगी विभाग वाला संस्थान वाजीकरण सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए पात्र होगा। यह वाजीकरण के एक विशेष विभाग के अंतर्गत होगा। न्यूनतम आवश्यक शिक्षण कर्मचारी और अन्य सुविधाएं इस प्रकार होंगीः

क. पूर्णकालिक नियमित शिक्षकः- (I) डी. एम. वाजीकरण में सुपर स्पेशलिटी कार्यक्रम के लिए एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता होगी।

(II) प्रोफेसर के पद के लिएः-डी. एम. वजीकरण को वाजीकरण में सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव या एम. डी. रसायन और वाजीकरण में न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव या एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म को न्यूनतम 10 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ, जिसमें से 5 वर्ष का शिक्षण रसायन और वाजीकरण में स्नातकोत्तर या एम. एस. स्त्री रोग-प्रसूति तंत्र में 10 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ होना आवश्यक है।

(III) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिएः-न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ एम. डी. रसायन और वाजीकरण या न्यूनतम 5 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म, जिनमें से कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण रसायन और वाजीकरण स्नातकोत्तर या एम. एस. स्त्री रोग-प्रसूति तंत्र में 5 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ या डी. एम. वाजाकरण की आवश्यकता होगी।

ख. डी. एम. वाजीकरण के साथ शिक्षकों की अनुपलब्धता के प्रकरण में: दो शिक्षकों में से एक एम. डी. रसायन और वाजीकरण या एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म और एक एम. एस. स्त्री रोग-प्रसूति तंत्र होगा।

ग. अंशकालिक शिक्षक:

(I) स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ

(II) प्रजनन चिकित्सा में विशेषज्ञ या मूत्र रोग विशेषज्ञ

(III) चिकित्सा आनुवंशिकी में विशेषज्ञ

घ. पुरुष साथी के निरीक्षण हेतु और महिला साथी के निरीक्षण के लिए एक-एक अलग बाह्य चिकित्सा रोगी विभाग; सी. ए. एस. ए. (कंप्यूटर सहायता प्राप्त विश्लेषण) के साथ रेतो परीक्षा प्रयोगशाला; वीडियोग्राफी उपकरण और डिस्प्ले यूनिट के साथ एक ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप; शुक्राणु कार्य परीक्षण करने की सुविधा, सर्विकल म्यूकस परीक्षा, पोस्टकोटल टेस्ट (पीसीटी) करने की सुविधाएं, पंचकर्म प्रक्रियाओं के लिए कम से कम दो सुसज्जित पंचकर्म कक्ष; उत्तर बस्ती के लिए प्रोसीजर कक्ष, अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान और इसी प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए; 10 बिस्तरों के साथ अंतरंग रोगी विभाग सुविधा; और वैरिकोसेल निदान के लिए एक पीनाइल डॉपलर की आवश्यकता होगी।

ङ. अन्य कर्मचारीः पंचकर्म चिकित्सक (दो पुरुष और दो महिला), प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रक्रियात्मक कक्ष में नर्सिंग कर्मचारी, कार्यालय सहायक और मल्टी टास्किंग स्टाफ।

(ग) डी. एम. अस्थि और संधि (आयुर्वेद में ऑर्थोपेडिक्स और आर्थ्रोलॉजी):-(i) कम से कम दो वर्ष के लिए स्थापित अस्थि और संधि बाह्य रोगी विभाग वाला संस्थान अस्थि और संधि में सुपर स्पेशलिटी कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए पात्र होगा। यह अस्थि और संधि के एक विशेष विभाग के अंतर्गत होगा। न्यूनतम आवश्यक शिक्षण कर्मचारी और अन्य सुविधाएं होंगी –

(ii) पूर्णकालिक नियमित शिक्षक: (I) सुपर स्पेशलिटी कार्यक्रम डी. एम. अस्थि और संधि के लिए एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता होगी।

(II) प्रोफेसर के पद के लिएः अस्थि और संधि या एम.डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म या एम. एस. शल्य तंत्र में सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम में न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ डी. एम. अस्थि और संधि के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण की आवश्यकता होगी।

(III) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिएः एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म या एम. एस. शल्य तंत्र न्यूनतम 5 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ या डी. एम. अस्थि और संधि की आवश्यकता होगी।

(iii) डी. एम. अस्थि और संधि के साथ शिक्षकों की अनुपलब्धता के प्रकरण मे दो शिक्षकों में से एक एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म और दूसरा एम. एस. शल्य तंत्र होगा।

(iv) अंशकालिक शिक्षक:

(I) एक अस्थि रोग विशेषज्ञ

(II) एम. पी. टी. योग्यता के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट

(v) अस्थि और संधि के लिए अलग बाह्य रोगी विभाग.; कम से कम दो सुसज्जित पंचकर्म कक्ष; शस्त्र कर्म सुविधा; 10 बिस्तरों के साथ अंतरंग रोगी विभाग सुविधा।

(vi) अन्य कर्मचारीः पंचकर्म चिकित्सक (दो पुरुष और दो महिला), प्रक्रियात्मक कक्ष में नर्सिंग कर्मचारी, कार्यालय सहायक और मल्टी टास्किंग स्टाफ।

(घ) डी. एम. अबुर्द (आयुर्वेद ऑन्कोलॉजी):-कम से कम दो वर्ष के लिए स्थापित अबुर्द बाह्य रोगी विभाग वाला संस्थान डी. एम. अबुर्दा में अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए पात्र होगा। यह अबुर्द के एक विशेष विभाग के अंतर्गत होगा। न्यूनतम आवश्यक शिक्षण कर्मचारी और अन्य सुविधाएं होंगी -

(ii) पूर्णकालिक नियमित शिक्षकः (I) एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता होगी।

(II) प्रोफेसर के पद के लिएः-डी. एम. अबुर्द को अबुर्द या एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म या एम. एस. शल्य तंत्र में अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम में न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ न्यूनतम 10 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ आवश्यक होगा।

(III) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिएः-एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म या एम. एस. शल्य तंत्र न्यूनतम 5 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण या डी. एम. अबुर्द के साथ आवश्यक होगा।

(iii) डी. एम. अबुर्द में शिक्षकों की अनुपलब्धता के प्रकरण में : दो शिक्षकों में से एक एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म होगा और दूसरा एम. एस. शल्य तंत्र होगा।

(iv) अंशकालिक शिक्षक:

(I) अगद तंत्र विशेषज्ञ एम. डी. अगद तंत्र के साथ

(II) एक चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट

(v) अबुर्द के लिए पृथक बाह्य रोगी विभाग; कम से कम दो सुसज्जित पंचकर्म कक्ष; अनुशस्त्र कर्म सुविधा; 10 बिस्तरों के साथ अंतरंग रोगी विभाग सुविधा।

(vi) अन्य कर्मचारीः पंचकर्म चिकित्सक (दो पुरुष या दो महिला), प्रक्रियात्मक कक्ष में नर्सिंग कर्मचारी, कार्यालय सहायक और मल्टी टास्किंग स्टाफ

(ङ) डी. एम. जरा चिकित्सा (आयुर्वेद जेरोन्टोलॉजी):-कम से कम दो वर्ष के लिए स्थापित जरा चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग वाला संस्थान डी. एम. जरा चिकित्सा में अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए पात्र होगा। यह रसायन के एक विशेष विभाग के अंतर्गत होगा। न्यूनतम आवश्यक शिक्षण कर्मचारी और अन्य सुविधाएं होंगी –

(ii) पूर्णकालिक नियमित शिक्षकः (I) सुपर स्पेशलिटी कार्यक्रम डी. एम. जरा चिकित्सा के लिए एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता होगी।

(II) प्रोफेसर के पद के लिएः- न्यूनतम 10 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ जरा चिकित्सा या एम. डी. रसायन और वजीकरण या एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म में अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम में न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ डी. एम. जरा चिकित्सा की आवश्यकता होगी।

(iii) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिएः-एम. डी. रसायन और वाजीकरण या एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म न्यूनतम 5 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण या डी. एम. जरा चिकित्सा के साथ आवश्यक होंगे।

(iv) डी. एम. जरा चिकित्सा में शिक्षकों की अनुपलब्धता के प्रकरण में : दो शिक्षकों में से एक एम. डी. रसायन और वाजीकरण या एम. डी. कायचिकित्सा और दूसरा एम. डी. पंचकर्म होगा।

(v) अंशकालिक शिक्षक:

(I) फिजियोथेरिपिस्ट

(II) योग प्रदर्शक

(vi) जरा चिकित्सा के लिए पृथक बाह्य रोगी विभाग; कम से कम दो सुसज्जित पंचकर्म कक्ष; योग और फिजियोथेरेपी सुविधा; 10 बिस्तरों के साथ अंतरंग रोगी विभाग सुविधा।

(vii) अन्य कर्मचारीः पंचकर्म चिकित्सक (दो पुरुष और दो महिला), प्रक्रियात्मक कक्ष में नर्सिंग कर्मचारी, कार्यालय सहायक और मल्टी टास्किंग स्टाफ

(च) डी.एम. यकृत विकार (आयुर्वेद में हेपेटोलॉजी):-कम से कम दो वर्ष के लिए स्थापित यकृत विकार बाह्य रोगी विभाग वाला संस्थान डी. एम. यकृत विकार में अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए पात्र होगा। यह यकृत के एक विशेष विभाग के अंतर्गत होगा। न्यूनतम आवश्यक शिक्षण कर्मचारी और अन्य सुविधाएं होंगी -

(i) पूर्णकालिक नियमित शिक्षकः (I) अति विशिष्ट (सुपर स्पेशलिटी) कार्यक्रम के लिए एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की आवश्यकता होगी।

(II) प्रोफेसर पद के लिएः-न्यूनतम 10 वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के साथ यकृत विकार या एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म में अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम में न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ डी. एम. यकृत विकार की आवश्यकता होगी।

(III) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिएः-एम. डी. कायचिकित्सा या एम. डी. पंचकर्म कम से कम 5 के वर्ष स्नातकोत्तर शिक्षण या डी. एम. यकृत विकार के साथ आवश्यक होगा।

(ii) डी. एम. यकृत विकार के साथ शिक्षकों की अनुपलब्धता के प्रकरण में: दो शिक्षकों में से एक एम. डी. कायचिकित्सा और दूसरा एम. डी. पंचकर्म होगा।

(iii) अंशकालिक शिक्षक:

(I) एम. एस. शल्य तंत्र;

(II) एक हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रो-एंटेरोलॉजिस्ट या आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ।

(iv) यकृत विकार के लिए पृथक बाह्य चिकित्सा रोगी विभाग; कम से कम दो सुसज्जित पंचकर्म कक्ष; अनुशस्त्र कर्म सुविधा; 10 बिस्तरों के साथ अंतरंग रोगी विभाग सुविधा;

(v) अन्य कर्मचारीः पंचकर्म चिकित्सक (दो पुरुष और दो महिला), प्रक्रियात्मक कक्ष में नर्सिंग कर्मचारी, कार्यालय सहायक और मल्टी टास्किंग स्टाफ

50. **शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) गतिविधि**: (1) अति विशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम (डी. एम. आयुर्वेद) के सभी अध्येताओं को नैदानिक अनुसंधान करना होगा और एक शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करना होगा।

(2) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) के लिए रूपरेखा (सिनोप्सिस) कार्यक्रम के पहले तीन महीनों के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा और अंतिम शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) कार्यक्रम के 25वें और 30वें माह के बीच प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) का आकलन तीन परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(4) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) के लिए ओपन डिफेंस होगा।

(5) विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) प्रस्तुत करना पूर्व आवश्यकता होगी।-

(6) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) की स्वीकृति पूर्वआवश्यकता होगी।-

(7) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन)में ) अति विशिष्टता"सुपर स्पेशियलिटी "(भाग होगा।

51. **केस स्टडीज**- (1) शोध प्रबंध (डिसर्टेशन) के अतिरिक्त, सुपर स्पेशियलिटी का प्रत्येक अध्येता विशेषज्ञता से संबंधित कम से कम तीस केस स्टडी प्रस्तुत करनी होगी ।

(2) प्रत्येक प्रकरण का विवरण, परीक्षा, नैदानिक निष्कर्षों की व्याख्या और जांच के लिए विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, शास्त्रीय ज्ञान की सहायता से उस विशेष रोगी के पैथोफिजियोलॉजी या पंचलक्षण निदान का निर्माण किया जाएगा, अंशाश कल्पना का विश्लेषण किया जाएगा और पैथोफिजियोलॉजी और नैदानिक परिणाम के संदर्भ में दिए गए उपचार पर चर्चा की जाएगी।

52. सुपर स्पेशलिटी कार्यक्रम के लिए छात्र मार्गदर्शक अनुपात प्रोफेसर के लिए 2:1 (प्रोफेसर के लिए दो छात्र) और एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के लिए 1:1 होगा।

53. **परीक्षा**-कार्यक्रम के 36वें माह के दौरान तीसरे वर्ष के अंत में विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी। परीक्षा और अंकों की संख्या तालिका-17 में दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार होगी।

**तालिका-17**

| क्रम संख्या | जाँच | परीक्षाओं की संख्या | अंक | उत्तीर्ण करने के मानदंड |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | सिद्धांत (थ्योरी) | 4 | 400 (4*100) | परीक्षा के साथ 200 का कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत |
| 2. | व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) /नैदानिक | - | 300 | 200 का कुल योग |
| 3. | वाइवा | - | 100 | |

54. **उत्तीर्ण होने के लिए मानदंड**-सैद्धांतिक (थ्योरी) और व्यावहारिक (नैदानिक और वाइवा-वॉयस) परीक्षा में अलग अलग से 50 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करना उत्तीर्ण घोषित करने का मानदंड होगा। 65 प्रतिशत और उससे अधिक को प्रथम श्रेणी घोषित किया जाएगा और 75 प्रतिशत और उससे अधिक को विशिष्टता (डिस्टिंगक्शन) घोषित किया जाएगा।

55. **परीक्षक**-संबंधित सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम के प्रोफेसर योग्य परीक्षक होंगे। दो परीक्षक (एक आंतरिक और एक बाह्य) होंगे। सिद्धांत (थ्योरी) परीक्षा के लिए दोहरा आकलन होगा और पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।

56. **लॉग बुक**-सुपर स्पेशियलिटी का प्रत्येक छात्र संबंधित सुपर स्पेशियलिटी से संबंधित सभी गतिविधियों की एक लॉगबुक बनाए रखेगा, जिसमें अध्येता भाग लेगा या सम्मिलित होगा या उसके द्वारा संयोजित किया जाएगा।

57. **सुपर स्पेशलिटी (डी. एम. आयुर्वेद) कार्यक्रमों का प्रारंभ:** (1) अति विशिष्ट **(**सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम का प्रारंभ अधिनियम की धारा 29 के अनुसार होगा।

(2) एक स्नातक कॉलेज में एक सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सकता है जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है या एक स्वतंत्र स्नातकोत्तर कॉलेज है।

(3) आवेदन के वर्ष सहित क्रमानुसार कम से कम तीन वर्षों के लिए 'ए' श्रेणी वाले कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी।

(4) संबंधित विशिष्टता बाह्य रोगी विभाग (प्रत्येक अति विशिष्टता (सुपर स्पेशियलिटी) कार्यक्रम के लिए इन विनियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार) कम से कम चौबीस माह तक काम करेगा।

(5) सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफ़लाइन निर्धारित प्रपत्र में होगा, जैसा कि समय समय पर-भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है।

(6) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान आयोग की वेबसाइट पर अनुलग्नक और आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) प्रत्येक सुपर स्पेशियलिटी कार्यक्रम के लिए एक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) आवेदन शुल्क (प्रति आवेदन दो लाख रुपये) और प्रसंस्करण शुल्क (प्रति कार्यक्रम पांच लाख रुपये) का भुगतान नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)' भुगतान मोड के माध्यम से आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में किया जाएगा।

(9) आवेदनों की जांच, आश्य पत्र (एल. ओ. आई.), अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.), अनुशंसा पत्र (एल. ओ. आर). जारी करना और अपील प्रक्रिया अध्याय-VIII में वर्णित स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने के समान होगी।

## अध्याय - XII

## अनुशासन रखरखाव

58. **सामान्य विचार**: (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा जारी समय-सीमा, नियमों, दिशा-निर्देशों, निर्देशों और अनुपालन का पालन करना संस्थानों का उत्तरदायित्व होगा।

(2) गैर अनुपालन कार्रवाई में-निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्-

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या स्वायत्त बोर्डों द्वारा समय- समय पर जारी किए गए विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और किसी भी अन्य प्रकार के पत्राचार का पालन न करना;

(ख) संस्थानों की कोई भी गतिविधि जो स्नातकोत्तर आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा के उद्देश्यों के साथ संरेखित नहीं है, जैसे कि शुल्क के माध्यम से छात्रों का शोषण करना या उपस्थिति से संबंधित अनाचार में शामिल होना, आदि;

(ग) अवसंरचना, मानव संसाधन, नैदानिक सामग्री, व्यावहारिक सामग्री, अनुसंधान सुविधाओं और अन्य संस्थागत कार्यशीलता आदि को पूर्ण न करना जो इन विनियमों के अनुरूप नहीं हैं;

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड के द्वारा आकलन एवं रेटिंग और मूल्यांकन या किसी अन्य गतिविधि के लिए निरीक्षण या विजिटेशन प्रक्रिया में असहयोग या किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना;

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या स्वायत्त बोर्डों को मिथ्या वर्णन / झूठी जानकारी या मनगढ़ंत डेटा या जानकारी या साक्ष्य प्रदान करना;

(च) अन्वेषकों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित अधिकारियों को प्रभावित करने, दबाव बनाने, रिश्वत देने या धमकी देने का कोई प्रयास।

(3) किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा जानबूझकर गैर-अनुपालन के किसी भी कार्य के प्रकरणों में या उप-विनियमन (2) में निर्दिष्ट गैर-अनुपालन के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या तो संस्थान को दंडित करेगा या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित उचित उपाय करेगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ऐसे प्रकरणों की आगे की जांच कर सकता है, जिनमें शामिल हैं:

(क) चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए प्रत्येक गैर अनुपालन के लिए एक करोड़ रुपये-तक का मौद्रिक जुर्माना अधिरोपित करना;

(ख) चेतावनी जारी करना;

(ग) उस शैक्षणिक वर्ष के लिए या निर्धारित किए जा सकने वाले वर्षों के लिए किसी भी नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को रोकना;

(घ) अगले शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश के लिए सीटों की संख्या को कम करना;

(ङ) आगामी या बाद के शैक्षणिक वर्षों में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को रोकना;

(च) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को मान्यता वापस लेने के लिए अनुशंसा करना;

(छ) पांच शैक्षणिक वर्षों तक की अवधि के लिए चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग को रोकना और वापस लेना;

(4) यदि संस्थान की ओर से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड पर व्यक्तियों या एजेंसी के माध्यम से दबाव डालने का कोई प्रयास किया जाता है, तो चिकित्सा संस्थान द्वारा आवेदन या अनुरोध की प्रक्रिया को तत्काल रोक दिया जाएगा या अनुमति वापस ले ली जाएगी, छात्र के प्रवेश क्षमता में कमी या मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा।

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड समय समय पर लागू आपराधिक विधि के अनुसार मिथ्या वर्णन /गलत जानकारी देने या झूठे दस्तावेजों अभिलेखों / को गढ़ने के लिए ऐसे चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी प्रारंभ कर सकता है।

(6) जब आयोग को यह ज्ञात होता है कि एक स्नातकोत्तर छात्र, जिसे संबंधित संस्थान में शारीरिक / व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के साथ तीन वर्ष का अध्ययन करना आवश्यक है, नें धोखाधड़ी या गलत तरीके से या आवश्यक उपस्थिति को पूर्ण किए बिना शारीरिक रूप से अनुपस्थित होकर या संबंधित संस्थान के साथ मिलीभगत करके या अन्य रूप से या इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण किए बिना मिथ्या वर्णन / गलत जानकारी प्रदान करके स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहा है, ऐसे स्नातकोत्तर छात्र को उसके स्नातकोत्तर अध्ययन के अस्थायी निलंबन और एक वर्ष से कम के लिए राज्य पंजीयन या राष्ट्रीय पंजीयन के अस्थायी निलंबन के साथ दंडित किया जाएगा और न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार दोषी ठहराए जाने की स्थिति में उसकी स्नातकोत्तर पढ़ाई का कम से कम दो वर्ष के लिए अस्थायी निलंबन और राज्य पंजीयन या राष्ट्रीय पंजीयन का कम से कम दो वर्ष के लिए अस्थायी निलंबन और न्यूनतम दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरे और बाद में दोषी ठहराए जाने की स्थिति में राज्य या राष्ट्रीय पंजीयन को कम से कम पांच वर्ष के लिए निलंबित करने के साथसाथ स्नातकोत्तर - अध्ययन से उसका प्रवेश स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

## परिशिष्ट "ए"

(नियम 18 देखें)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (जेडसी) में निर्दिष्ट "निर्दिष्ट दिव्यांगता" से संबंधित अनुसूची निम्नानुसार प्रदान करती है: –

1. शारीरिक दिव्यांगता

क. लोकोमोटर दिव्यांगता (एक व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गतिविधि से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो मस्कुलस्केलेटल या नर्वस सिस्टम, या दोनों के रोग के परिणामस्वरूप होती है), जिसमें शामिल हैं -

(क) "कुष्ठ रोग-उपचारित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ रोग से रोग मुक्त / स्वस्थ हो चुका है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है-

(i) हाथों या पैरों में सनसनी के अनुभव का अभाव, साथ ही साथ नेत्र और पलक में सनसनी और पेरेसिस के अनुभव का अभाव, परंतु बिना किसी स्पष्ट विकृति के;

(ii) स्पष्ट विकृति और परीसिस परंतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जो उन्हें सामान्य आर्थिक गतिविधि को करने में सक्षम बनाती है;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और बढ़ती हुई आयु उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग का उपचार "शब्द की व्याख्या तदनुसार की जाएगी।

(ख) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह जो शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को क्षति पहुंचाता है, जो सामान्य रूप से जन्म के पहले, दौरान या उसके तत्काल बाद होता है।

(ग) "बौनापन (छोटे कद का व्यक्ति)" का अर्थ है एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(घ) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोगों के एक समूह से है जो मानव शरीर को गतिविधि करने के लिए महत्वपूर्ण मांसपेशियों को निर्बल करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में अशुद्ध या मिसिंग डेटा होता है, जो उन्हें (जीन) स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करने से रोकती है। यह कंकाल की मांसपेशियों के क्रमिक कमजोर होने, मांसपेशियों के प्रोटीन में असामान्यताएं, और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों के अध: पतन द्वारा चिह्नित है।

(ङ) "एसिड हमले के शिकार" एसिड या इसी प्रकार के संक्षारक पदार्थों के फेंकने से जुड़े हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्तियों को संदर्भित करता है।

ख. दृष्टि लोप2-

(क) "दृष्टीलोप" दृष्टीहीनता से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति को सर्वोत्तम सुधार के बाद भी निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती हैः

(i) पूर्ण दृष्टीहीनता

(ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलनसे कम दृश्य तीक्ष्णता (; या

(iii) 10 डिग्री से कम के कोण को घटाने वाली दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

(ख) कम दृष्टिका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की निम्न में से कोई भी स्थिति होती है ", अर्थात्:

(i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम नहीं, 3/60 या 10/200 (स्नेलन) तक, सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर नेत्र में; या

(ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक कम करती है।

ग. श्रवण दोष

(क) "बधिर का अर्थ उन व्यक्तियों से है जिनके दोनों कानों में भाषण आवृत्ति में 70 डेसिबल (डीबी) हियरिंग लॉस है।"

(ख) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके दोनों कानों से सुनने की आवृत्ति में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल का हियरिंग लॉस है।

घ. "भाषण और भाषा की अक्षमता" का अर्थ है लेरिन्जेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी अक्षमता जो आर्गेनिक या न्यूरोलॉजिकल संबंधी कारणों से भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. "बौद्धिक अक्षमता" एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या-समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं, जिसमें रोजमर्रा, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं -

(क) "विशिष्ट अधिगम अक्षमता" का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें प्रसंस्करण भाषा में कमी होती है, मौखिक या लिखित, जो स्वंय को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट कर सकती है। इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकेलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां शामिल हैं।

(ख) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति जो सामान्य रूप से जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, संबंधों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ा होता है।

3. मानसिक व्यवहार : "मानसिक रोग" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूर्ण रूप से बाधित करता है। तथापि, इसमें मंदता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मन के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से सामान्य बुद्धि की विशेषता है।

4. दिव्यांगता के कारण:

(क) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, उदाहरण के लिए

(i) "मल्टीपल स्क्लेरोसिस" का अर्थ है एक सूजन तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) का रोगी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स के एक्सॉन के आसपास माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे डिमाइलिनेशन होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स की एक दूसरे के साथ जुड़ा होने की क्षमता प्रभावित होती है।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) का एक प्रगतिशील रोग जो कंपकंपी, मांसपेशियों की कठोरता, और धीमी, अस्पष्ट गति द्वारा चिह्नित होती है, मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है, और मस्तिष्क के बेसल गैन्लिया के अध: पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ी होता है।

(ख) रक्त विकार

(i) "हीमोफीलिया" का अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो सामान्य रूप से केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, परंतु महिलाओं द्वारा उनके पुरुष शिशुओं में फैलती है, जिसकी विशेषता रक्त के सामान्य थक्के बनाने की क्षमता में कमी या क्षति है जिससे एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है।

(ii) थैलेसीमिया का अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कम या अनुपस्थित मात्रा है।

(iii) "सिकल सेल रोग" का अर्थ है एक हेमोलिटिक विकार जो पुरानी एनीमिया, पीड़ायुक्त प्रकिया और संबंधित ऊतक (टिश्यू) और अंग (ऑर्गन) क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है। "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नष्ट होने को संदर्भित करता है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन रिलीज होता है।

5. बहुविध अक्षमताएँ (उपर्युक्त निर्दिष्ट अक्षमताओं में से एक से अधिक), जिसमें बधिरता भी शामिल है, जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति को सुनने और दृष्टि दोष का संयोजन हो सकता है, जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

6. केंद्र सरकार द्वारा समयसमय पर अधिसूचित की जाने वाली कोई भी अन्य श्रेणी।-

## परिशिष्ट "बी"

(नियम 18 देखें)

दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत वाले छात्रों के "निर्दिष्ट दिव्यांगता" बीएएमएस में प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश।

1. "दिव्यांगता प्रमाणपत्र" भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i), संख्या जी. एस. आर. 591 (ई), दिनांक 15 जून, 2017 में प्रकाशित दिव्यांगजन के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।

2. किसी व्यक्ति में "निर्दिष्ट अक्षमता" की सीमा का आकलन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), संख्या एस. ओ. 76 (ई), दिनांक 04 जनवरी, 2018 में प्रकाशित "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में निर्दिष्ट दोष की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों" के अनुसार किया जाएगा।

3. विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन के लिए आरक्षण का लाभ उठाने हेतु पात्र होने के लिए दिव्यांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बेंचमार्क विकलांगताहोनी चाहिए। (

4. 'शारीरिक रूप से दिव्यांग' (पीएच) शब्द के स्थान पर 'दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) शब्द का उपयोग किया जाना है।

### तालिका

| क्र. सं. | दिव्यांगता श्रेणी | दिव्यांगता के प्रकार | निर्दिष्ट दिव्यांगता | दिव्यांगता रेंज (5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद कोर्स के लिए पात्र, पीडब्ल्यूडी आरक्षित श्रेणी के लिए पात्र नहीं | एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद कोर्स के लिए पात्र, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए पात्र | एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद कोर्स के लिए पात्र नहीं |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | |
| 1. | शारीरिक दिव्यांगता | (क) लोकोमोटर दिव्यागंता, निर्दिष्ट दिव्यागों सहित। (क से च तक) | (क) कुष्ठ रोग से उपचारित व्यक्ति * | 40% से कम दोष | 40-80% दोष<br>80% से अधिक दिव्यागंता वाले व्यक्तियों को भी प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर अनुमति दी जा सकती है। उनकी कार्यात्मक योग्यता सहायक उपकरणों की सहायता से निर्धारित की जाएगी, यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो यह देखने के लिए कि क्या यह 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास पाठ्यक्रम को संतोषजनक ढंग से आगे | 80% से अधिक |
| | | | (ख) मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी) ** | | | |
| | | | (ग) बौनापन | | | |
| | | | (घ) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी | | | |
| | | | (ङ) एसिड अटैक पीड़िता | | | |
| | | | (च) अन्य*** जैसे विच्छेदन, | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पोलियोमाइलाइटिस, आदि। | | बढ़ाने और पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त मोटर क्षमता है। | |
| | | | * उंगलियों और हाथों में संवेदना की कमी, विच्छेदन और आंखों के जुड़ाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और संबंधित सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए।<br>** दृष्टि, श्रवण, संज्ञानात्मक कार्य आदि के दोष पर ध्यान दिया जाना चाहिए और संबंधित सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए।<br>*** दोनों हाथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद पाठ्यक्रम के लिए योग्य माने जाने के लिए आवश्यक है। | | | |
| | | (ख) दृष्टि दोष (*) | (क) दृष्टिहीनता<br>(ख) कम दृष्टि | 40% से कम दोष (अर्थात श्रेणी '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%') | - | 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता। (अर्थात श्रेणी III और उससे ऊपर) |
| | | (ग) श्रवण दोष @ | (क) बधिर<br>(ख) कम सुनने वाला | 40% से कम दोष | - | 40% या उससे अधिक की अक्षमता / दोष । |
| | | | (*) 40 प्रतिशत से अधिक दृश्य अक्षमता या दृष्टिबाधित व्यक्ति एम. डी. आयुर्वेद या एम. एस. आयुर्वेद में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शिक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं, और उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि दूरबीन या मैग्निफायर जैसे उन्नत निम्न दृष्टि उपकरणों के उपयोग से उनकी दृष्टिबाधितता 40 प्रतिशत बेंचमार्क से कम हो जाए।<br>@ 40 प्रतिशत से अधिक की श्रवण अक्षमता वाले व्यक्ति एम. डी. आयुर्वेद या एम. एस. आयुर्वेद में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पात्र हो सकते हैं और उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि सहायक उपकरणों की सहायता से उनकी श्रवण अक्षमता 40 प्रतिशत से कम हो जाए।<br>इसके अतिरिक्त, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का भाषण अंतर स्कोर (विभेदन-क्षमता) होना चाहिए। | | | |
| | | (घ) भाषण और भाषा अक्षमता $ | जैविक / न्यूरोलॉजिकल कारण | 40% से कम अक्षमता | - | 40% या उससे अधिक की अक्षमता। |
| | | $ यह प्रस्तावित किया गया है कि एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद करने के लिए पात्र होने के लिए स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अप्रभावित (एसआईए) स्कोर 3 (जो 40% से कम के अनुरूप है) से अधिक नहीं होगा।<br>40 प्रतिशत तक के अफेसिया भाग (एक्यू) वाले व्यक्ति एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो सकते हैं, परंतु 40 प्रतिशत से अधिक अफेसिया भाग (एक्यू) वाले लोग न तो एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र होंगे और न ही उनके पास कोई आरक्षण होगा। | | | | |
| 2. | बौद्धिक अक्षमता | | (क) विशिष्ट सीखने की अक्षमता (अवधारणात्मक अक्षमता, | # वर्तमान में, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता (SpLD) की गंभीरता का आकलन करने के लिए कोई परिमाणीकरण पैमाना उपलब्ध नहीं है; इसलिए, 40% का कट-ऑफ एकपक्षीय है और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है। | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक अफेसिया)। # | 40% से कम दिव्यांगता | 40% दिव्यांगता के समकक्ष या उससे अधिक, हालांकि, चयन विशेषज्ञ पैनल द्वारा उपचार, सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी, सहायता और बुनियादी ढांचे में बदलाव की मदद से मूल्यांकन की गई सीखने की क्षमता पर आधारित होगा। | 80% से अधिक या गंभीर प्रकृति, या महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक / बौद्धिक दिव्यांगता। |
| | | | (ख) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार | आभाव या मध्यम अक्षमता, एस्परजर सिंड्रोम (आई. एस. ए. ए. के अनुसार 40-60% की अक्षमता), जहां व्यक्ति को एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा बीएएमएस पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त माना जाता है। | वर्तमान में, मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा को स्थापित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ विधि की कमी के कारण इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। तथापि, अक्षमता आकलन की बेहतर पद्धतियां विकसित करने के बाद भविष्य में आरक्षण/कोटा के लाभ पर विचार किया जा सकता है। | 60 प्रतिशत या उससे अधिक की अक्षमता, संज्ञानात्मक/बौद्धिक अक्षमता की उपस्थिति, और/या यदि व्यक्ति को एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमडी आयुर्वेद या एमएस आयुर्वेद पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अयोग्य माना जाता है। |
| 3. | मानसिक व्यवहार | | मानसिक रोग | अभाव या हल्की अक्षमता: 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत) | वर्तमान में, मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा को स्थापित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ विधि की कमी के कारण इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। तथापि, अक्षमता आकलन की बेहतर पद्धतियां विकसित करने के बाद भविष्य में | 40% अक्षमता के बराबर या उससे अधिक, या यदि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य माना जाता है। 'चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए फिटनेस' की परिभाषा के लिए मानकों का प्रारूप तैयार किया जा सकता है, जो भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में कई संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानकों के समान है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरक्षण/कोटा के लाभ पर विचार किया जा सकता है। | |
| 4. | अक्षमता के कारण | (क) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस | (i) मल्टीपल स्केलेरोसिस | 40% से कम अक्षमता | 40-80% अक्षमता | 80% से अधिक |
| | | | (ii) पार्किंसंस | | | |
| | | (ख) रक्त विकार | (i) हीमोफीलिया | 40% से कम अक्षमता | 40-80% अक्षमता | 80% से अधिक |
| | | | (ii) थैलेसीमिया | | | |
| | | | (iii) सिकल सेल रोग | | | |
| 5. | बधिरता दृष्टिहीनता सहित कई अक्षमता | | उपर्युकत निर्दिष्ट अक्षमता में से एक से अधिक | व्यक्तिगत प्रकरणों के लिए सिफारिशें / अनुशंसा करते समय उपर्युक्त सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से निम्नलिखित में से किसी की उपस्थिति के संबंध में: दृश्य, श्रवण, भाषण और भाषा दोष, बौद्धिक दोष और मानसिक रोग कई दिव्यांग के घटकों के रूप में।<br>भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित सूत्र का संयोजन।<br>$\frac{a + b (90-a)}{90}$<br>(जहां a = दिव्यांगता % की उच्च डिग्री और b = दिव्यांगता की कम डिग्री जैसा कि विभिन्न दिव्यांगों के लिए गणना की गई है)<br>अनुशंसित सूत्र का उपयोग किसी व्यक्ति में एक से अधिक दोष होने की स्थिति होने पर उत्पन्न होने वाली अक्षमता की गणना करने के लिए किया जाता है। यह सूत्र कई दोषों वाले प्रकरणों में लागू किया जा सकता है, और व्यक्ति में मौजूद विशिष्ट दोषों के आधार पर प्रवेश और/या आरक्षण के बारे में सिफारिशें की जाएंगी। | | |
| नोट : पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अंतर्गत चयन के लिए, उम्मीदवारों को भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा नामित दिव्यांगता आकलन बोर्डों में से एक से, परामर्श (काउंसलिंग) की निर्धारित तिथि से पहले दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। | | | | | | |

**अनुसूची –I**

स्नातक कॉलेज में स्नातकोत्तर विभागों के लिए आवश्यक अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र (न्यूनतम)

| क्रम संख्या | विभाग और इकाई | न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र )वर्ग मीटर) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | संहिता सिद्धांत और संस्कृत भाषा प्रयोगशाला सहित | 50 |
| 2. | रचना शारीर विभाग | 50 |
| 3. | क्रिया शारीर विभाग | 50 |
| 4. | द्रव्यगुण विभाग | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना विभाग | 50 |
| 6. | रोगनिदानविकृतिविज्ञान विभाग सहित- इम्यूनोलॉजी एवं हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला | 100 |
| 7. | अगदतंत्र विभाग के साथ पोइजन टेस्टिंग फैसिलिटी | 50 |
| 8. | स्वस्थवृत्त और योग विभाग | 25 |
| | नुट्रिशन लेबोरेटरी | |
| 9. | कायचिकित्सा विभाग | 25 |
| 10. | पंचकर्म विभाग | 25 |
| 11. | शल्य तंत्र विभाग | 25 |
| 12. | शालाक्य तंत्र - नेत्र विभाग | 25 |
| 13. | शालाक्यतंत्र - कर्ण नासा मुख विभाग | 25 |
| 14. | स्त्री रोग प्रसूति -तंत्र विभाग | 25 |
| 15. | कौमारभृत्य विभाग | 25 |
| स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए स्थापित किए जाने वाले विशेष विभाग या इकाइयां | | |
| 16. | एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवादात्मकअनुसंधान विभाग | 50 |
| | सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी | 150 |
| | क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी | 100 |
| | एनिमल हाउस एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी | 250 |
| | क्लीनिकल रिसर्च सेल (चिकित्सालय में स्थित होगा) | 50 |
| 17. | आयुर्वेद-जीव विज्ञान विभाग सहित मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी | 150 |
| 18. | मानसरोग एवं मनोविज्ञान | 50 |
| 19. | रसायन और वाजीकरण | 50 |
| **नोट :** | सभी प्रयोगशालाओं में कार्य प्रयोग में आने वाली मेजें कठोर पत्थर या स्टेनलेस स्टील से बनी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वॉश बेसिन में उचित अलमारियाँ और बहते पानी के नल होने चाहिए। | |

**अनुसूची-II**

स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान में स्नातकोत्तर विभागों और अन्य संबद्ध इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र

| क्रम संख्या | विभाग या इकाई | न्यूनतम निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर में |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1. | एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवादात्मकअनुसंधान विभाग | 50 |
| | (क) सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी | 150 |
| | (ख) क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी | 100 |
| | (ग) एनिमल हाउस एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी | 250 |
| | (घ) क्लीनिकल रिसर्च सेल (चिकित्सालय में स्थित होगा) | 50 |
| 2. | आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत भाषा लेबोरेटरी सहित | 75 |
| 3. | आयुर्वेद-जीव विज्ञान विभाग सहित मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी | 150 |
| 4. | रचना शारीर विच्छेदन (डी-सेक्सन) हॉल | 150 |
| 5. | क्रिया शारीर फिजियोलॉजी लेबोरेटरी सहित | 150 |
| 6. | द्रव्यगुण विज्ञान फार्माकोग्नॉसी प्रयोगशाला और फाइटोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी सहित | 150 |
| 7. | रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना टीचिंग फार्मेसी | 250 |
| 8. | रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक | 100 |
| 10. | स्वस्थवृत्त एवं योग नुट्रिशन सहित | 150 |
| 11. | कौमारभृत्य | 50 |
| 12. | कायचिकित्सा | 50 |
| 13. | पंचकर्म | 50 |
| 14. | मानसरोग एवं मनोविज्ञान | 50 |
| 15. | रसायन और वाजीकरण | 50 |
| 16. | स्त्री रोग- प्रसूति तंत्र | 50 |
| 17. | शल्य तंत्र | 50 |
| 18. | शालाक्य तंत्र - नेत्र रोग चिकित्सा | 50 |
| 19. | शालाक्य तंत्र - कर्ण नासा मुख रोग चिकित्सा | 50 |

**नोट:** संबंधित विभाग की प्रयोगशालाओं और संग्रहालयों में उपकरणों, और सहायक उपकरणों, कैमिकल, रिएजेन्ट्स आदि की सूची एमईएस-यूजी में निर्दिष्ट संबंधित अनुसूची के अनुसार होगी।

## अनुसूची –III

केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं

| | |
|---|---|
| | फाइटोकेमिकल परीक्षण सुविधा |
| 1. | **मात्रात्मक ( क्वांटिटेटिव )** |
| | 1. ऑर्गेनिक टेस्ट्स |
| | 2. इनऑर्गेनिक टेस्ट्स |
| | 3. फ्लुओरेसेन्स एनालिसिस ऑफ़ पोडर्स |
| | 4. क्रोमैटोग्राफी |
| | i. टीएलसी (थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी) |
| | ii. एनपीएसटी (नंबूरी फेज्ड स्पॉट टेस्ट) |
| | iii. कॉलम क्रोमैटोग्राफी |
| 2. | फार्माकोग्नोस्टिक |
| | (क) प्रमाणीकरण |
| | (ख) माइक्रोस्कोपिक |
| | (ग) सेक्शन माइक्रोस्कोपिक |
| | (घ) पावडर माइक्रोस्कोपिक |
| | (ङ) माइक्रोटोम सेक्शन |
| | (च) मल्टीपल स्टैंडिंग एंड परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन |
| | (छ) डिजिटल माइक्रोस्कोपी |
| | (ज) क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ( स्टोमेटा नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, वेन आइलेट नंबर) |
| 3. | माइक्रोबायोलोजिकल |
| | (क) माइक्रोबियल लिमिट्स |
| | i. टोटल बैक्टीरियल काउंट |
| | ii. टोटल फंगल काउंट |
| | iii. टेस्ट्स फॉर स्पेसिफिक पैथोजन्स |
| | (ख) एंटीमाइक्रोबिअल स्टडी (कप प्लेट मेथड, एमआईसी एंड एमबीसी ) |
| | i. एंटीबैक्टीरियल |
| | ii. एंटीफंगल |
| | (ग) माइक्रोबियल कल्चर |

| | | |
|---|---|---|
| | i. | पानी |
| | ii. | क्लिनिकल स्वैब |
| 4. | इनविट्रो अध्ययन: | |
| | (क) | एंटीऑक्सीडेंट |
| | (ख) | इम्यूनोमॉड्यूलेटरी |
| | (ग) | एंटीमाइक्रोबिअल |
| क्वांटिटेटिव | | |
| 1. | फ्लेम फोटोमेट्री – कैल्शियम, सोडियम, पोटैशियम | |
| 2. | यूवी – स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री | |
| | (क) | फिनोल, फ्लेवोनोइड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर, आयरन आदि |

**अनुसूची –IV**

गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं

| क्रम संख्या | विवरण |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. | फ्लोरेसेंस इनवर्टेड माइक्रोस्कोप विद सॉफ्टवेयर |
| 2. | यूवी विआईस-स्पेक्ट्रोफोटोमीटर |
| 3. | माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड फ्लेम फोटोमीटर |
| 4. | रोटरी इवेपोरेटर |
| 5. | स्टेबिलिटी चैम्बर |
| 6. | फ्रीज ड्रायर |
| 7. | ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप विथ सॉफ्टवेयर , कैमरा एंड प्रोजेक्शन फैसिलिटी |
| 8. | पोलरीमीटर |
| 9. | मफल फर्नेस |
| 10. | ऑर्बिटल शेकिंग इनक्यूबेटर |
| 11. | कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) इनक्यूबेटर |
| 12. | टेबलेट डिसइंटीग्रशन एपरेटस |
| 13. | ऑप्टिक एब्बे रेफ्रेक्टोमीटर |
| 14. | फ्रेबिलिटी टेस्ट एपरेटस |
| 15. | डिजिटल मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस |
| 16. | लैमिनार एयर फ्लो |
| 17. | वाटर स्टिल |
| 18. | रोटरी माइक्रोटोम एंड माइक्रोटोम ऑब्जेक्ट होल्डर |
| 19. | डिजिटल पीएच मीटर |
| 20. | मॉइस्चर एनालाइजर बैलेंस |
| 21. | ऑर्बिटल शेकर |
| 22. | मैकेनिकल स्टिरर विथ हॉट प्लेट |
| 23. | मैग्नेटिक स्टिरर |
| 24. | डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस |
| 25. | हार्डनेस टेस्टर |
| 26. | मोहस हार्डनेस स्केल |
| 27. | टेबलेट काउंटर – स्माल साइज |
| 28. | डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस |
| 29. | बल्क डेंसिटी एपरेटस |

| | |
|---|---|
| 30. | ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर |
| 31. | एनालिटिकल बैलेंस डिजिटल हाई प्रिसिशन (0.0001g - 220g) |
| 32. | इनक्यूबेटर |
| 33. | क्लैरिटी टेस्ट एपरेटस |
| 34. | ह्यूमिडिटी कंट्रोल ओवन |
| 35. | कार्ल फिशर एपरेटस |
| 36. | सीव शेकर |
| 37. | ग्रनुलेटिंग सीव सेट |
| 38. | थर्मामीटर |
| 39. | सेंट्रीफ्यूज |
| 40. | फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट |
| 41. | वाटर बाथ 12 होल्स |
| 42. | सक्शन पंप |
| 43. | सोनिकेटर |
| 44. | हीटिंग मेंटल भिन्न 2 –क्षमता के |
| 45. | डिस्टिलेशन एपरेटस ग्लास (अर्क यंत्र) |
| 46. | सॉक्सलेट एपरेटस |
| 47. | रियोमीटर |
| 48. | नेफेलो टर्बिडिटी मीटर |
| 49. | पोटैन्शियोमीटर |
| 50. | कंडक्टिविटी मीटर |
| 51. | क्लीवेंजर एपरेटस |
| 52. | ग्लास वेयर, रिएजेंट्स एंड केमिकल्स एज रिक्वायर्ड |
| **नोट :** मौजूदा स्नातक महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विभागों के प्रकरण में, एम. ई. एस.-यू. जी. में निर्दिष्ट उपकरणों के अतिरिक्त उपकरण, सहायक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। | |

**अनुसूची –V**

**पशु घर और प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं**

| क्रम संख्या | सुविधा और उपकरण |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. | सुरक्षा और विषाक्तता स्टडीज फैसिलिटी |
| 2. | व्यवहार और न्यूरो औषधीय स्टडीज फैसिलिटी |
| 3. | एंटी - कन्वल्सिव स्टडीज फैसिलिटी |
| 4. | एंटी - इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक स्टडीज फैसिलिटी |
| 5. | एंटी - अस्थमैटिक, एंटी-एलर्जिक और एंटी-हिस्टामाइन स्टडी फैसिलिटी |
| 6. | इम्यूनोमॉड्यूलेटरी स्टडी फैसिलिटी |
| 7. | वाउंड हीलिंग स्टडीज फैसिलिटी |
| 8. | एंटी डायबिटीज स्टडीज फैसिलिटी |
| 9. | एंटी ओबेसिटी स्टडीज फैसिलिटी |
| 10. | एंटी पैरेटिक स्टडीज फैसिलिटी |
| 11. | असे विथ ऑर्गन /टिश्यू बाथ |
| 12. | अंग सुरक्षात्मक अध्ययन (कार्डियोप्रोटेक्टिव, हेपेटोप्रोटेक्टिव, नेफ्रोप्रोटेक्टिव आदि) सुविधा |
| 13. | डिजिटल इलेक्ट्रो कन्वल्सिव मीटर |
| 14. | मेटाबोलिक केज (आवश्यकतानुसार) |
| 15. | हिस्टामाइन चैम्बर |
| 16. | डिजिटल रोटरोड विथ सॉफ्टवेयर |
| 17. | सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल एक्टिमीटर(एक्टिविटी केज) |
| 18. | प्लेथिस्मोग्राफ |

**अनुसूची -VI**

**स्नातकोत्तर विभागों के लिए योग्यानैदानिक कौशल प्रयोगशाला की न्यूनतम आवश्यक-**

| क्रम संख्या | मेनक्विन या सिम्युलेटर का नाम |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| 1. | कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रिंटर, इंटरनेट |
| | **(क) सभी विभागों के लिए सामान्य** |
| 2. | चेस्ट ऑस्केल्टेशन ट्रेनर |
| 3. | डिकुबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर |
| 4. | सीपीआर ट्रेनर |
| 5. | ब्लड सैंपलिंग |
| 6. | राइल्स ट्यूब इंसर्शन ट्रेनर |
| 7. | ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रेनर |
| 8. | ऑक्सीजन थेरेपी |
| 9. | यूरिनरी कैथीटेराइजेशन – पुरुष |
| 10. | यूरिनरी कैथीटेराइजेशन – स्त्री |
| | **(ख) रोग निदान** |
| 11. | चेस्ट ऑस्केल्टेशन ट्रेनर |
| 12. | डिकुबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर |
| 13. | स्पाइरोमेट्री |
| 14. | ब्लड सैंपलिंग |
| 15. | लंबर पंचर ट्रेनर |
| | **(ग) अगदतंत्र** |
| 16. | आघात का प्रलेखन और प्रमाणन |
| 17. | निदान और मृत्यु का प्रमाणन |
| 18. | आपातकालीन स्थितियों से संबंधित कानूनी कागजी कार्रवाई |
| 19. | चिकित्सकीय कानूनी मामलों का प्रमाणन (उदाहरण के लिएउम्र का अनुमान -, यौन उत्पीड़न) |
| 20. | पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ चिकित्सा / कानूनी मामलों में पत्राचार-संचार स्थापित करना। |
| 21. | ऑटोप्सी सिम्युलेटर या डिजिटल ऑटोप्सी |
| | **(घ) कायचिकित्सा** |
| 22. | इंजेक्शन (इंट्रा-मस्कुलर, इंट्रा-वेनस, इंट्रा-डर्मल, सबक्यूटेनियस) |
| 23. | एरोसोल थेरेपी या नेबुलाइजेशन |
| 24. | लंबर पंचर ट्रेनर |
| 25. | पैरासेन्टेसिस ट्रेनर |
| 26. | प्लुरल टैपिंग ट्रेनर |
| 27. | इंट्रा - वेनस इन्फ्यूजन की स्थापना और ड्रिप रेट की गणना-बुनियादी जीवनरक्षक |
| | **(ङ) शल्य तंत्र** |
| 28. | पैरासेन्टेसिस ट्रेनर |
| 29. | प्लुरल टैपिंग ट्रेनर |
| 30. | अर्ली मैनेजमेंट ऑफ़ ट्रोमा एंड ट्रोमा लाइफ सपोर्ट |
| 31. | एंडोट्रैकियल इंटुबैषेण ट्रेनर |
| 32. | दाहक पदार्थ- केमिकल एंड थर्मल और इलेक्ट्रिकल |

| | |
|---|---|
| 33. | बुनियादी इनसिजन और सुचर ट्रेनर |
| 34. | बुनियादी व्रण देखभाल |
| 35. | बैंडेज और कम्प्रेशन बैंडेज |
| 36. | इनसिजन और ड्रेनेज ट्रेनर |
| 37. | बेसिक फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन प्रबंधन ट्रेनर |
| 38. | स्तन गांठ की जांच |
| 39. | सूजन की जांच |
| 40. | प्रोस्टेट जांच ट्रेनर |
| | **(च) स्त्री रोग-प्रसूति तंत्र** |
| 41. | पर स्पेकुलम और योनि परीक्षा ट्रेनर |
| 42. | बर्थिंग सिम्युलेटर |
| 43. | स्तन परीक्षण ट्रेनर |
| 44. | इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्शन एंड रिमूवल ट्रेनर |
| 45. | एपीजीओटॉमी ट्रेनर |
| 46. | इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन ट्रेनर (इंट्रा यूटेराइन उत्तर बस्ती के लिए उपयोग किए जाने वाले समान) |
| 47. | लंबर पंचर ट्रेनर |
| 48. | एंडोट्रैकियल इंटुबैषेण ट्रेनर |
| 49. | प्रसूति परीक्षा प्रशिक्षक |
| 50. | गर्भाशय ग्रीवा का दृश्य निरीक्षण |
| | **(छ) शालाक्य तंत्र नेत्र रोग -** |
| 51. | रिफ्रक्शन ट्रेनर |
| 52. | दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण |
| 53. | डिजिटल टोनोमेट्री |
| 54. | एपिलेशन |
| 55. | आई इरिगेशन |
| 56. | इंस्टालेशन ऑफ़ आई मेडिकेशन |
| 57. | नेत्र पट्टी |
| 58. | मैनेक्विन हेड (3डी मॉडल) तर्पण के प्रशिक्षण के लिए |
| | (ज) **शालाक्य तंत्र कर्ण नासा मुख रोग –** |
| 59. | ओटोस्कोपी |
| 60. | मैनेक्विन हेड (3डी मॉडल) कर्णपुराण के प्रशिक्षण के लिए |
| | **(झ) कौमारभृत्य** |
| 61. | निओनेटल रिससिटेशन |
| 62. | चाइल्ड्स सीपीआर और एयर वे मैनेजमेंट |
| 63. | इन्फेंट ऑस्क्युलटेशन ट्रेनर |
| 64. | बाल चिकित्सा अंतःशिरा इन्फ्यूजन स्थापित करना और ड्रिप रेट की गणना करना। |
| 65. | लंबर पंचर ट्रेनर |
| 66. | आईक्यू, ऑटिज्म, एडीएचडी, एकाग्रता, अवसाद, चिंता, मानसिक मंदता का आकलन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण बैटरी। |
| 67. | फुल बॉडी (पीडियाट्रिक) मेनक्विन और 3 डी हेड मेनक्विन अभ्यास के लिए / पंचकर्म करना जैसे नस्य, पिचू, अभ्यंग, बस्ती, वेष्ठान, लेप |

| | |
|---|---|
| | **(ञ) पंचकर्म** |
| 68. | फुल बॉडी मेनक्विन (अभ्यंग के प्रदर्शन के लिए, उद्वर्तन, उत्सादनम, लेप, पत्र पोट्टालि स्वेद, स्थानिक बस्ती) |
| 69. | बस्ती कर्म के लिए एनीमा ट्रेनर |
| 70. | उत्तर बस्ती के लिए कैथीटेराइजेशन (पुरुष और महिला) |
| | **(ट) मानसरोग** |
| 71. | साइकोमेट्रिक स्केल्स और उपकरण |
| | **(ठ) रसायन और वाजीकरण** |
| 72. | उत्तर बस्ती के लिए कैथीटेराइजेशन (पुरुष और महिला) |
| नोट :– | मौजूदा स्नातक कॉलेज में स्नातकोत्तर विभागों के प्रकरण में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट विभागों के अतिरिक्त अन्य मैनेक्विन और सिमुलेटर संबंधित स्नातकोत्तर विभागों में उपलब्ध कराए जाएंगे। |

**अनुसूची-VII**

मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान प्रयोगशाला **(**बायोलॉजी**)** के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

| क्रम संख्या | उपकरण**,** सहायक उपकरण**,** रसायन और रीएजेन्टस |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| I. | **उपकरण और सहायक उपकरण** |
| 1. | माइक्रोपिपेटस (विभिन्न क्षमताएं) |
| 2. | रीयलटाइम पीसीआर मशीन |
| 3. | यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर |
| 4. | हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज (हाई वॉल्यूम) |
| 5. | हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज (स्माल वॉल्यूम) |
| 6. | यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर |
| 7. | हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम (पावर सप्लाई फॉर जेल ) |
| 8. | तापमान नियंत्रक के साथ वाटर बाथ |
| 9. | 37-डिग्री इनक्यूबेटर |
| 10 | ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप |
| 11. | वाटर पूरिफिएर (मिलीपोर वाटर सिस्टम ) |
| 12. | लेबोरेटरी हुड / कल्चर हुड |
| 13. | वजन संतुलन |
| 14. | वोर्टेक्स मिक्सर |
| 15. | थर्मोमिक्सर |
| 16. | फ्रिज |
| 17. | वैक्यूम कंसंट्रेटर |
| 18. | न्यूटेटर रोक्किंग प्लेटफॉर्म्स , ऑर्बिटल शेकर |
| 19. | इमेजिंग सिस्टम्स (केमिलुमिनेसेंस, फ्लुओरेसेन्स , फोस्फो इमेजेज) |
| 20. | आटोक्लेव |
| 21. | स्टेराइल रूम विथ लमीनार |
| 22. | - 20 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर |
| II. | उपभोग्य वस्तुएं: - ग्लास वेयर केमिकल**,** रिऐजेंट्स**,** किट्स और आवश्यकतानुसार अन्य सामान |
| नोट: | इस अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यकताओं को बनाए रखेगा। |

**अनुसूची –VIII**

**स्नातक कॉलेज में स्नातकोत्तर विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं**

| क्रम संख्या | स्नातकोत्तर विभाग | प्रोफेसर | एसोसिएट प्रोफेसर | सहायक प्रोफेसर | अभ्यास के प्रोफेसर या अंशकालिक शिक्षक |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | संहिता और सिद्धांत | एक | एक | एक | - |
| 2. | रचना शारीर | एक | एक | एक | - |
| 3. | क्रिया शारीर | एक | एक | एक | - |
| 4. | आयुर्वेद-जीव विज्ञान | एक | एक | एक | एक (एम.एससी. जैव सूचना विज्ञान) |
| 5. | द्रव्यगुण विज्ञान | एक | एक | एक | - |
| 6. | रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना | एक | एक | एक | प्रत्येक (एम.फार्मा-फार्मास्यूटिक्स, एम.एससी-रसायन विज्ञान) |
| 7. | रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान | एक | एक | एक | प्रत्येक (एमडी-पैथोलॉजी, एमडी-रेडियोडायग्नोसिस) |
| 8. | अगदतंत्र | एक | एक | एक | - |
| 9. | स्वस्थवृत्त एवं योग | एक | एक | एक | प्रत्येक (एमपीएच और एम.एससी - डायटीटिक्स) |
| 10. | कौमारभृत्य | एक | एक | एक | एक (एम.एससी - क्लीनिकल साइकोलॉजी) |
| 11. | कायचिकित्सा | एक | एक | एक | एक (एमडी-जनरल मेडिसिन) |
| 12. | पंचकर्म और उपकर्म | एक | एक | एक | एक (एमपीटी-फिजियोथेरेपी) |
| 13. | स्त्री रोग- प्रसूति तंत्र | एक | एक | एक | एक (एमएस - स्त्री रोग और प्रसूति रोग) |
| 14. | शल्य तंत्र | एक | एक | एक | प्रत्येक (एमएस-जनरल सर्जरी, एमडी-एनेस्थीसिया) |
| 15. | शालाक्य - नेत्र रोग चिकित्सा | एक | एक | एक | एक (एमएस-नेत्र विज्ञान) |
| 16. | शालाक्य – कान, नाक और मुख रोग चिकित्सा | | एक | एक | एक (एमएस-ईएनटी) |
| 17. | मानसरोग एवं मनोविज्ञान | एक | एक | एक | एक (एमडी-मनोचिकित्सा या एम.एससी -नैदानिक मनोविज्ञान) |
| 18. | रसायन और वाजीकरण | एक | एक | एक | एक (एमएस-यूरोलॉजी या एमएस-गायनेकोलॉजी और प्रसूति) |
| 19. | एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवादात्मक संबंधी अनुसंधान | एक | - | - | प्रत्येक (एमएससी-बायोकेमिस्ट्री, एमएससी-माइक्रोबायोलॉजी, एम.फार्मा-फार्माकोलॉजी, एमएससी-बायोस्टैटिस्टिक्स) |

**नोट 1:** कॉलम (3) में निर्दिष्ट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष क्रम संख्या 4, 17, 18 और 19 को छोड़कर, जहां एक विशेष प्रोफेसर उपलब्ध होगा, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों विभागों के लिए सामान्य हो सकता है।

**नोट 2:** प्रैक्टिस के प्रोफेसर का अर्थ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति से है, जैसे कि किसी उद्योग या अनुसंधान संस्थान का व्यक्ति, एक तकनीकी सलाहकार, या एक प्रसिद्ध चिकित्सक।

**नोट 3:** उच्च संकाय निम्न संकाय को पूर्ति करेगा, परंतु निम्न संकाय उच्च संकाय को पूर्ति नहीं करेगा।

**अनुसूची -IX**

स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान में विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता

| क्रम संख्या | स्नातकोत्तर विभाग | प्रोफेसर | एसोसिएट प्रोफेसर | सहायक प्रोफेसर | अभ्यास के प्रोफेसर या अंशकालिक शिक्षक |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | संहिता और सिद्धांत | एक | एक | एक | एक (एम. ए.- संस्कृत) |
| 2. | रचना शारीर | एक | एक | एक | - |
| 3. | क्रिया शारीर | एक | एक | एक | - |
| 4. | आयुर्वेद-जीव विज्ञान | एक | एक | एक | एक (एम.एससी - बायोइनफॉर्मेटिक्स) |
| 5. | द्रव्यगुण विज्ञान | एक | एक | एक | - |
| 6. | रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना | एक | एक | एक | प्रत्येक (एम.फार्मा-फार्मास्यूटिक्स और एम.एससी-केमिस्ट्री) |
| 7. | रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान | एक | एक | एक | प्रत्येक (एमडी-पैथोलॉजी, एमडी-रेडियोडायग्नोसिस) |
| 8. | अगदतंत्र | एक | एक | एक | एक (मेडिकोलीगल विशेषज्ञ) |
| 9. | स्वस्थवृत्त एवं योग | एक | एक | एक | प्रत्येक (एमपीएच और एम.एससी-डायटिटिक्स) |
| 10. | कौमारभृत्य | एक | एक | एक | एक (एम.एससी नैदानिक मनोविज्ञान) |
| 11. | कायचिकित्सा | एक | एक | एक | एक (एमडी-जनरल मेडिसिन) |
| 12. | पंचकर्म और उपकर्म | एक | एक | एक | एक (एमपीटी-फिजियोथेरेपी) |
| 13. | स्त्री रोग- प्रसूति तंत्र | एक | एक | एक | एक (एमएस - स्त्री रोग और प्रसूति) |
| 14. | शल्य तंत्र | एक | एक | एक | प्रत्येक (एमएस-जनरल सर्जरी, एमडी-एनेस्थीसिया) |
| 15. | शालाक्य - नेत्र रोग चिकित्सा | एक | एक | एक | एक (एमएस- ऑफ्थैल्मोलॉजि) |
| 16. | शालाक्य – कान, नाक और मुख रोग चिकित्सा | एक | एक | एक | एक (एमएस-ईएनटी) |
| 17. | मानसरोग एवं मनोविज्ञान | एक | एक | एक | एक (एमडी-मनोचिकित्सा या एम.एससी -नैदानिक मनोविज्ञान) |
| 18. | रसायन और वाजीकरण | एक | एक | एक | एक (एमएस-यूरोलॉजी या एमएस-गायनेकोलॉजी और प्रसूति) |
| 19. | एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवादात्मक संबंधी अनुसंधान | एक | - | - | प्रत्येक एक (एमएससी- बायोकेमिस्ट्री, एमएससी- माइक्रोबायोलॉजी, एम. फार्मा - फार्माकोलॉजी, एमएससी- बायो स्टेटिस्टिक्स) |

**नोट 1:** प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है, जैसे कि किसी उद्योग या अनुसंधान संस्थान से कोई व्यक्ति, एक तकनीकी सलाहकार, या एक प्रसिद्ध चिकित्सक।

**नोट 2:** यदि संस्थान रचना शरीर, द्रव्यगुण, और रस शास्त्र और भैसज्य कल्पना विभाग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहा है, तो एक अंशकालिक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा।

**नोट 3:** उच्च संकाय निम्न संकाय को पूर्ति करेगा, परंतु निम्न संकाय उच्च संकाय को पूर्ति नहीं करेगा।

**अनुसूची-X**

**स्नातक कॉलेजों के स्नातकोत्तर विभागों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं।**

**(एम. ई. एस.-यू. जी. में निर्दिष्ट छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातक विभागों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अतिरिक्त)**

| क्रम संख्या | विभाग | आवश्यक गैर-शिक्षण स्टाफ | आवश्यक संख्या |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| 1. | आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत भाषा प्रयोगशाला सहित | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 2. | आयुर्वेदजीव विज्ञान- | | |
| | (क) विभाग | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (ख) मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान प्रयोगशाला | लैब तकनीशियन (बी.एस.सी. जैव प्रौद्योगिकी) | 1 |
| | | लैब अटेंडेंट | 1 |
| 3. | रचना शारीर | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 4. | क्रिया शारीर | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 5. | द्रव्यगुण विज्ञान | लैब तकनीशियन (बीएससी बॉटनी) | 1 |
| | | लैब अटेंडेंट | 1 |
| | | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 6. | रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 7. | रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान सहित - इम्यूनोलॉजी प्रयोगशाला, एवं हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला | लैब तकनीशियन (डीएमएलटी) | 1 |
| | | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 8. | अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 9. | स्वस्थवृत्त एवं योग | लैब तकनीशियन (बी.एस.सी. गृह विज्ञान) | 1 |
| | | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 10. | कौमारभृत्य | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 11. | काय-चिकित्सा | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 12. | पंचकर्म | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 13. | मानसरोग एवं मनोविज्ञान | ईईजी तकनीशियन | 1 |
| | | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 14. | रसायन और वाजीकरण | लैब तकनीशियन | 1 |
| | | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 15. | स्त्री रोग- प्रसूति तंत्र | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 16. | शल्य तंत्र | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 17. | शालाक्य – नेत्र रोग चिकित्सा | ऑप्टोमेट्रिस्ट | 1 |
| | | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 18. | शालाक्य – कर्ण, नासा और मुख रोग चिकित्सा | तकनीशियन (ऑडियोमेट्री) | 1 |
| | | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 19. | एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवाद अनुसंधान विभाग | | |
| | केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला | प्रभारी (किसी भी विभाग का संकाय सदस्य जो प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से अच्छी प्रकार अवगत हो) | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | लैब तकनीशियन (बी.एससी. रसायन विज्ञान या बी.एससी. वनस्पति विज्ञान) | 1 |
| | पशु घर और प्रयोगशाला | प्रभारी (रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना, द्रव्यगुण या अगदतंत्र विभाग के संकाय सदस्य।) | 1 |
| | | लैब तकनीशियन (बी.एससी. जूलॉजी) | 1 |
| | क्लीनिकल अनुसंधान सेल | नैदानिक अनुसंधान समन्वयक (पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएएमएस या नैदानिक अनुसंधान में डिप्लोमा या एमपीएच) | 1 |
| | | क्लर्क | 1 |
| | | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| **नोट :** (1) आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीपर, अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, ड्राइवर, रसोइया और मल्टी-टास्किंग स्टाफ जैसे अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है। | | | |

**अनुसूची-XI**

स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान में विभागों के लिए गैरशिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं-

| क्रम संख्या | कर्मचारियों की श्रेणी | न्यूनतम आवश्यकता |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | (क) डिजिटल लाइब्रेरी सहित सूचना प्रौद्योगिकी सेल | |
| 1. | सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी (प्रौद्योगिकी स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक या मास्टर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन) | 1 |
| 2. | सूचना प्रौद्योगिकी सहायक (कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर ऑफ साइंस या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा) | 1 |
| 3. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (ख) प्रशासनिक अनुभाग | |
| 4. | निजी सहायक या प्रिंसिपल के निजी सचिव (सचिवीय प्रशिक्षण के साथ स्नातक) | 1 |
| 5. | कार्यालय अधीक्षक (पांच वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ स्नातक) | 1 |
| 6. | लिपिक कर्मचारी (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 2 |
| 7. | एकाउंटेंट (बैचलर कॉमर्स या कंप्यूटर ज्ञान के साथ मास्टर ऑफ कॉमर्स) | 1 |
| 8. | मल्टीटास्किंग स्टाफ- | 2 |
| | (ग) केंद्रीय पुस्तकालय | |
| 9. | लाइब्रेरियन (मास्टर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस या बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस के साथ पांच वर्ष का अनुभव) | 1 |
| 10. | सहायक लाइब्रेरियन (बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस) | 1 |
| 11. | लाइब्रेरी अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास) | 1 |
| 12. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| (घ) योग्या नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला - | | |
| 13. | प्रभारी – (मैनक्किन और सिमुलेटर के संचालन में प्रशिक्षण या अभिविन्यास के साथ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी स्नातक) | 1 |
| 14. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 15. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| (ङ) मानव संसाधन विकास सेल | | |
| 16. | प्रभारी (मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी।) | 1 |
| 17. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 18. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| (च) आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त | | |
| 19. | क्लर्क (स्नातक कंप्यूटर ज्ञान के साथ) | 1 |
| 20. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| (छ) रचना शारीर | | |
| 21. | क्लर्क (स्नातक कंप्यूटर ज्ञान के साथ) | 1 |
| 22. | कैडेवर लिफ्टर | 1 |
| 23. | परिचर (अटेंडेंट) सह संग्रहालय रक्षक | 1 |
| 24. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| (ज) क्रिया शारीर | | |
| 25. | प्रयोगशाला तकनीशियन (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा) | 1 |
| 26. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 27. | लैब अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास) | 1 |
| 28. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| (झ) हर्बल गार्डन सहित द्रव्यगुण | | |
| 29. | प्रयोगशाला तकनीशियन (बीएससी वनस्पति विज्ञान.) | 1 |
| 30. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 31. | लैब अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास) | 1 |
| 32. | म्यूजियम और हर्बेरियम कीपर | 1 |
| 33. | माली | 1 |
| 34. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| (ञ) शिक्षण फार्मेसी सहित रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना | | |
| 35. | प्रशिक्षक (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) | 1 |
| 36. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 37. | लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर (न्यूनतम 10 वीं पास) | 1 |
| 38. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| (ट) रोगनिदान और विकृति विज्ञान | | |
| 39. | मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा (डीएमएलटी) | 1 |
| 40. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 41. | लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर (न्यूनतम 10 वीं पास) | 1 |
| 42. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| (ठ) अगद तंत्र | | |
| 43. | लैब तकनीशियन (रसायन विज्ञान के साथ 12 वीं कक्षा पास) | 1 |
| 44. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 45. | लैब अटेंडेंट सह संग्रहालय कीपर | 1 |
| 46. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | (ड) स्वस्थवृत और योग- | |
| 47. | लैब तकनीशियन (बीएससी गृह-विज्ञान) | 1 |
| 48. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 49. | लैब अटेंडेंट सह संग्रहालय कीपर (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास) | 1 |
| 50. | योग प्रशिक्षक योग में मास्टर ऑफ साइंस के साथ या बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के साथ योग में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज।<br>(दो प्रशिक्षकों के प्रकरण में, एक पुरुष और एक महिला नियुक्त की जाएगी) | 1 |
| 51. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (ढ) कायचिकित्सा | |
| 52. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 53. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (ण) पंचकर्म | |
| 54. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 55. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (त) शल्य तंत्र | |
| 56. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 57. | मल्टीटास्किंग स्टाफ- | 1 |
| | (थ) शालाक्य तंत्रनेत्र रोग - | |
| 58. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 59. | मल्टीटास्किंग स्टाफ- | 1 |
| | (द) शालाक्य तंत्र -कर्ण, नासा और मुख | |
| 60. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 61. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (ध) स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र | |
| 62. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 63. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (न) कौमारभृत्य | |
| 64. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 65. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (न) आयुर्वेदजीव विज्ञान- | |
| 66. | लैब तकनीशियन (बीएससी जैव प्रौद्योगिकी) | 1 |
| 67. | लैब अटेंडेंट | 1 |
| 68. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 69. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (प) रसायन और वाजीकरण | |
| 70. | लैब तकनीशियन (डीएमएलटी) | 1 |
| 71. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (फ) मानस रोग एवं मनोविज्ञान | |
| 72. | ईईजी तकनीशियन | 1 |
| 73. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (ब) एकीकृत स्वास्थ्य और अनुवाद संबंधी अनुसंधान | |
| 74. | केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए लैब तकनीशियन (बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री या बैचलर ऑफ साइंस बॉटनी या बीएएमएस) | 1 |
| 75. | गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला | |
| | (क) प्रभारी (रस शास्त्र और भैषज्य कल्पना या द्रव्यगुण विभाग के संकाय सदस्य) | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | (ख) एनालिटिकल केमिस्ट (बैचलर ऑफ फार्मेसी या आयुर्वेद में बैचलर ऑफ फार्मेसी) | 1 |
| | (ग) फार्माकोग्नोसिस्ट | 1 |
| | (घ) लैब अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास) | 1 |
| | (ङ) क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| | (च) मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| 76. | नैदानिक अनुसंधान संयोजक (कोऑर्डनैटर) (पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएएमएस या नैदानिक अनुसंधान में डिप्लोमा या एमपीएच) | 1 |
| 77. | पशु घर और प्रयोगशाला में लैब तकनीशियन। (बी.फार्मा) | 1 |
| 78. | क्लर्क (स्नातक कंप्यूटर ज्ञान के साथ) | 1 |
| 79. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (भ) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल | |
| 80. | संयोजक (कोऑर्डनैटर) (एमबीए क्वालिटी मैनेजमेंट क्षेत्र में) | 1 |
| 81. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 82. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (म) सह और पाठ्येतर गतिविधियाँ | |
| 83. | शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक (शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम स्नातक) | 1 |
| 84. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (य) छात्र सहायता कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल | |
| 85. | काउंसलिंग के लिए काउन्सलर (अंशकालिक) | 1 |
| | (र) केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव कक्ष | |
| 86. | साइट इंजीनियर (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अधिमानतः सिविल में) | 1 |
| 87. | इलेक्ट्रीशियन | 1 |
| 88. | प्लम्बर | 1 |
| 89. | कारपेंटर | 1 |
| 90. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| | (ऱ) स्टोर (कॉलेज) | |
| 91. | क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक) | 1 |
| 92. | मल्टी-टास्किंग स्टाफ | 1 |
| नोटः (1) एक इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, माली, परिचारक या चपरासी, रखरखाव कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ-, और इसी प्रकार की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। | | |

## अनुसूची -XII
## चिकित्सालय के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

| क्रम संख्या | विभाग | आवश्यक कर्मचारी | आवश्यक संख्या |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| विभागवार आवश्यकता | | | |
| 1. | स्वस्थवृत्त एवं योग | पंचकर्म चिकित्सक | चार (दो पुरुष और दो महिलाएं) |
| 2. | कौमारभृत्य | पंचकर्म चिकित्सक | चार (दो पुरुष और दो महिलाएं) |
| | | बाल चिकित्सा फिजियोथेरेपिस्ट | प्रत्येक एक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | व्यावसायिक चिकित्सक<br>भाषण चिकित्सक | |
| 3. | स्त्री रोग – प्रसूति तंत्र<br>स्त्री रोग – प्रसूति तंत्र<br>(ओटी एंड प्रोसीजरल रूम) | ओटी नर्स | दो |
| | | आया | दो |
| 4. | शालाक्य-नेत्र रोग ओटी | ओटी नर्स | एक |
| | | आया | एक |
| 5. | शालाक्य-नेत्र रोग क्रियाकल्प कक्ष | थेरेपिस्ट | दो |
| 6. | शालाक्य-कर्ण, नासा और मुख ओटी | ओटी नर्स | एक |
| 7. | शलक्य-कर्ण, नासा और मुख<br>क्रियाकल्प कक्ष | थेरेपिस्ट | एक |
| 8. | रसायन और वाजीकरण प्रोसीजरल<br>रूम | नर्स और आया | प्रत्येक एक |
| सामान्य रूप से चिकित्सालय के अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता | | | |
| 9. | नर्सिंग स्टाफ | | प्रत्येक दस बेड<br>पर एक |
| | | | आईसीयू बेड के लिए 1:1 |
| 10. | क्लिनिकल रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट या रेजिडेंट डॉक्टर | | प्रत्येक बीस बेड के लिए<br>एक |
| 11. | आया | | प्रत्येक बीस बेड के लिए<br>एक |

**नोट** 1: एक स्नातक कॉलेज में स्नातकोत्तर विभागों के प्रकरण में, न्यूनतम चिकित्सालय कर्मचारियों की आवश्यकता भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 निर्दिष्ट प्रवेश क्षमता के अनुसार चिकित्सालय के कर्मचारियों के अतिरिक्त होगी।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 के अनुसार, स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर विभागों के प्रकरण में, न्यूनतम चिकित्सालय कर्मचारियों की आवश्यकता साठ की प्रवेश क्षमता के लिए निर्दिष्ट चिकित्सालय कर्मचारियों के अतिरिक्त होगी।

3. स्नातकोत्तर छात्रों को क्लिनिकल रजिस्ट्रार, सीनियर रेजिडेंट या रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते छात्रों को वजीफा या वेतन का भुगतान किया जाता हो।

4. सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सफाई कर्मचारी, धोबी, माली, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, रसोइया, रखरखाव कर्मचारी और बहुउद्देशीय श्रमिक, यदि आवश्यक हो, तो आउटसोर्सिंग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

## अनुसूची-XIII
## स्नातकोत्तर विभागवार न्यूनतम आवश्यक मानक

**नोट** 1: स्नातक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों के प्रकरण में, न्यूनतम आवश्यकताएं एम.ई.एस.-यू.जी. द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता के मानकों के अतिरिक्त होंगी।

**नोट** 2 : स्टैंड अलोन स्नातकोत्तर विभागों के प्रकरण में, न्यूनतम आवश्यकताएं एम.ई.एस.-यू.जी. द्वारा साठ की प्रवेश क्षमता के लिए निर्धारित मानकों के अतिरिक्त होंगी।

**नोट** 3 : प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था और ई-सामग्री (वीडियो, चित्र, सूचना, और इसी प्रकार) प्रदर्शित करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा की आवश्यकता होगी।

| क्रम संख्या | मानक या आवश्यकता | आवश्यक संख्या |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| क. संहिता और सिद्धांत | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कंप्यूटर सिस्टम भाषा प्रयोगशाला | 1:1 स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार |
| ख. रचना शारीर | | |
| 1. | 3 डी वर्चुअल डिसेक्शन टेबल | एक |
| ग. क्रिया शारीर | | |
| 2. | डिजिटल स्पाईरोमीटर | एक |
| 3. | व्यक्तित्व आकलन पैमाना | आवश्यकता के अनुसार |
| 4. | ट्राइकोस्कोप | एक |
| 5. | डिजिटल स्किनफोल्ड कैलिपर | एक |
| 6. | ऊंचाई, वजन और बीएमआई के लिए ऑटो मेजरिंग टूल | एक |
| 7. | नाडी रिकॉर्डिंग उपकरण | एक |
| घ. आयुर्वेद-जीव विज्ञान | | |
| 1. | आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला | अनुसूची-VII के अनुसार |
| ङ. द्रव्यगुण विज्ञान | | |
| 1. | स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | एक |
| 2. | हाई -परफॉरमेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) | एक |
| 3. | गैस क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (जीसी-एमएस) | एक |
| 4. | न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (NMR) स्पेक्ट्रोमीटर | एक |
| 5. | अल्ट्रावायलेट- विज़िबल (UV-VIS) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | एक |
| 6. | सेंट्रीफ्यूज | एक |
| 7. | रोटरी एवापोरेटर | एक |
| 8. | प्रोजेक्शन सिस्टम और सॉफ़्टवेयर के साथ ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप | एक |
| 9. | डिजिटल पीएच मीटर | एक |
| 10. | आटोक्लेव | एक |
| 11. | मोर्टार और पेस्टल | एक |
| 12. | फ्रीज ड्रायर (लाइओफिलाइजर) | एक |
| 13. | इनक्यूबेटर | एक |
| 14. | शेकर | एक |
| 15. | वाटर बाथ | एक |
| 16. | फ्रैक्शन कलेक्टर | एक |
| 17. | माइक्रोबैलेंस | एक |
| 18. | होमोजेनाइज़र | एक |
| 19. | हीटिंग मेंटल | एक |
| 20. | डिजिटल थर्मामीटर | एक |
| 21. | उपभोग्य वस्तुएं | आवश्यकतानुसार |
| च. अगद तंत्र | | एमईएसयूजी के अनुसार |
| छ. स्वस्थवृत्त एवं योग | | एमईएसयूजी के अनुसार |
| ज. रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना | | |
| 1. | पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप | एक |
| 2. | प्रोग्रामेबल मफल फर्नेस | एक |
| झ. रोगनिदान-विकृतिविज्ञान | | |
| 1. | केमिलुमिनेसेंस | एक |
| 2. | हिस्टोपैथोलॉजी सुविधा | आवश्यकतानुसार |
| ञ. स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र – बाह्य रोगी विभाग | | |
| 1. | वजन मशीन (माप) | एक |
| 2. | स्टेडियोमीटर | एक |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | सिम्स का स्पेकुलम | एक |
| 4. | थर्मामीटर | दो |
| 5. | कुस्को का स्पेकुलम | पांच |
| 6. | एग्जामिनेशन टेबल | एक |
| 7. | लैंप स्टैंड | एक |
| 8. | टॉर्च | दो |
| 9. | एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स | एक |
| 10. | बीपी उपकरण | दो |
| 11. | स्टेथोस्कोप | दो |
| 12. | स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स | चार |
| 13. | एंटीरियर वैजिनल वॉल रिट्रेक्टर | चार |
| 14. | पल्स ऑक्सीमीटर | एक |
| 15. | फीटल डॉपलर | एक |
| 16. | ग्लूकोमीटर | एक |
| 17. | उपभोग्य वस्तुएं | आवश्यकतानुसार |
| ट. स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र – मेजर ऑपरेशन थियेटर | | |
| 1. | लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स | दस |
| 2. | शार्ट आर्टरी फोर्सेप्स | दस |
| 3. | एलिस टिश्यू फोर्सेप्स | दस |
| 4. | यूटेरस होल्डिंग फोर्सेप्स | दो |
| 5. | कोचर का फोर्सेप्स | आठ |
| 6. | बैबकॉक का फोर्सेप्स | आठ |
| 7. | ग्रीन आर्मीटिज हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स | छह |
| 8. | ओवम फोर्सेप्स | छह |
| 9. | पंच बायोप्सी फोर्सेप्स | दो |
| 10. | लेन्स टिश्यू फोर्सेप्स | चार |
| 11. | यूटेरिन ड्रेसिंग फोरसेप्स | चार |
| 12. | स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स | चार |
| 13. | टिश्यू डिसेक्टिंग फोर्सेप्स विभिन्न आकारों में (सपाट और दांतेदार) | दस |
| 14. | वेक्टिस फोर्सेप्स | दो |
| 15. | एंटीरियर वैजिनल वॉल रिट्रेक्टर | छह |
| 16. | डोयन्स रिट्रेक्टर | दो |
| 17. | डीवर का रिट्रेक्टर | दो |
| 18. | लैंडन्स ब्लैडर रिट्रेक्टर | दो |
| 19. | कुस्कोस सेल्फ रिटेनिंग बायवल्व वैजिनल स्पेकुलम | छह |
| 20. | सिम्स का स्पेकुलम | छह |
| 21. | आउवर्ड्स सेल्फ रिटेनिंग पोस्टीरियर वैजिनल वॉल रिट्रेक्टर | दो |
| 22. | शार्मन क्यूरेट | चार |
| 23. | यूटेरिन क्यूरेट | चार |
| 24. | इलेक्ट्रोकॉटरी | एक |
| 25. | फ्लशिंग क्यूरेट | चार |
| 26. | हेगार्स डिलेटर सेट | दो |
| 27. | दास डिलेटर्स सेट | दो |
| 28. | हॉकिंस एंबलर डिलेटर- | दो |
| 29. | लॉन्ग स्ट्रैट सीज़र्स | पांच |

| | | |
|---|---|---|
| 30. | मेयोस सीज़र्स | पांच |
| 31. | मेटज़ेनबॉम्स सीज़र्स | पांच |
| 32. | बोन्नी सीज़र्स | दो |
| 33. | कर्मन प्लास्टिक सक्शन कैन्युला | दो |
| 34. | मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज | दो |
| 35. | वेंटूज़ कप | दो |
| 36. | एमटीपी सक्शन मशीन | दो |
| 37. | वल्सेलम एकल दंती), बहु (दंती- | चार |
| 38. | यूटेराइन साउंड | दो |
| 39. | ब्लैडर साउंड | दो |
| 40. | एचएसजी कैनुला | चार |
| 41. | आयर्स स्पैचुला और साइटोब्रश | आवश्यकतानुसार |
| 42. | लैरिंजेस्कोप | दो |
| 43. | ईटी ट्यूब | चार |
| 44. | अंबू बैग | दो |
| 45. | पूर्ण रूप से स्वचालित ऑपरेशन टेबल (हेड अप और हेड लो सुविधा) | एक |
| 46. | सक्शन मशीन | दो |
| 47. | ऑपरेशन थियेटर लाइट | एक |
| 48. | बॉयल का अपेरटस | एक |
| 49. | ईसीजी, बीपी, एचआर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ मल्टीचैनल मॉनिटर | एक |
| 50. | एक्स रे व्यू-बॉक्स | एक |
| 51. | रक्तचाप उपकरण | दो |
| 52. | टोर्च | दो |
| 53. | पल्स ऑक्सीमीटर | एक |
| 54. | ग्लूकोमीटर | एक |
| 55. | वेगहिंग मशीन | एक |
| 56. | ट्रॉली के साथ स्ट्रेचर | एक |
| 57. | उपभोग्य वस्तुएं | आवश्यकता अनुसार |
| ठ. स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र - प्रक्रिया कक्ष | | |
| 1. | कुस्को सेल्फ रिटेनिंग बायवल्व वैजिनल स्पेकुलम | पांच |
| 2. | सिम्स स्पेकुलम | पांच |
| 3. | लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप्स | पांच |
| 4. | स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स | दो |
| 5. | एंटीरियर वैजिनल वॉल स्ट्रक्चर | छह |
| 6. | हेगर डाइलेटर्स | आवश्यकतानुसार |
| 7. | वल्सेलम | चार |
| 8. | धूपन ऐपरैटस /हॉट प्लेट | दो |
| 9. | मैकिन्टोश रबर शीट | दो |
| 10. | स्पिरिट लैंप | दो |
| 11. | स्पॉट लाइट | दो |
| 12. | अग्निकर्म शलाका | आवश्यकतानुसार |
| 13. | एग्जामिनेशन टेबल | दो |
| 14. | लाइट सोर्स | दो |
| 15. | यूटेरिन साउंड | दो |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | उपभोग्य वस्तुएं | आवश्यकता के अनुसार |
| ड. स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र - प्रसव कक्ष | | |
| 1. | लिथोटॉमी बार के साथ प्रसव टेबल | एक |
| 2. | लाइट सोर्स शैडोलैस लैंप | विभिन्न |
| 3. | एनेस्थीसिया ट्रॉली | एक |
| 4. | इलेक्ट्रोकॉटरि | एक |
| 5. | ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क | दो |
| 6. | ब्लड प्रेशर ऐपरैटस | दो |
| 7. | स्टेरिलाइज़र | दो |
| 8. | ऑटोक्लेव | दो |
| 9. | बेबी ट्रे | आवश्यकतानुसार |
| 10. | फोटोथैरेपी यूनिट | एक |
| 11. | रेडियंट वार्मर | एक |
| 12. | सक्शन मशीन (नवजात) | एक |
| 13. | ड्रेसिंग ट्रे | एक |
| 14. | रोगी ट्रॉली | दो |
| 15. | सामान्य प्रसव सेट (आर्टरी फोर्सेप्स या क्लैंप, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, एपिसियोटोमी सीज़र्स, सुई होल्डर, सीधी सीज़र्स, घुमावदार सीज़र्स) | आवश्यकतानुसार |
| 16. | वैक्यूम एक्सट्रैक्टर | दो |
| 17. | लौ कैविटी फोर्सेप्स | दो |
| 18. | कोचर का फोर्सेप्स | चार |
| 19. | सिम्स का स्पेकुलम | पांच |
| 20. | कुस्को का स्पेकुलम | दो |
| 21. | एमटीपी सक्शन क्यूरेट | पांच |
| 22. | हीट सोर्स | विभिन्न |
| 23. | ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन पंप | दो |
| 24. | ब्लैडर साउंड | चार |
| 25. | सीटीजी मशीन | एक |
| 26. | फीटल डॉपलर | एक |
| 27. | फीटोसकोप | एक |
| 28. | रिससिटेशन किट | दो |
| 29. | ऐपरेटस ट्रॉली | दो |
| 30. | सक्शन ऐपरेटस सक्शन ट्यूब के साथ | एक |
| 31. | स्टिच रिमूवल सीज़र्स | दो |
| 32. | पल्स ऑक्सीमीटर | आवश्यकतानुसार |
| 33. | ब्लंट और शार्प क्यूरेट्स | आवश्यकतानुसार |
| 34. | एंडोट्रैकियल ट्यूब | आवश्यकतानुसार |
| 35. | कॉर्ड कटिंग ऐपरैटस | आवश्यकतानुसार |
| 36. | वजन (बाल चिकित्सा) | एक |
| 37. | इन्फेंटोमीटर | एक |
| 38. | फीटोसकोप | आवश्यकतानुसार |
| 39. | नेबुलाइज़र | आवश्यकतानुसार |
| 40. | फ्यूमिगेटर | एक |
| 41. | चीटल फोर्सेप्स | दो |
| 42. | उपभोग्य वस्तुएं | आवश्यकतानुसार |

| | | |
|---|---|---|
| ढ. शल्य तंत्र – बाह्य रोगी विभाग | | |
| 1. | एक्स रे व्यू बॉक्स- | एक |
| 2. | बीपी ऐपरेटस | एक |
| 3. | स्टेथोस्कोप | चार |
| 4. | टॉर्च | दो |
| 5. | एग्जामिनेशन टेबल | एक |
| 6. | थर्मामीटर | चार |
| 7. | वजन और ऊंचाई मापने का स्टैंड | एक |
| 8. | मापने का टेप | एक |
| 9. | नी हैमर | दो |
| ण. शल्य तंत्र – बाह्य रोगी विभाग सहित एग्जामिनेशन रूम कम माइनर ओ.टी. | | |
| 1. | इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइज़र (बॉयलर) | दो |
| 2. | पोर्टेबल ऑपरेशन थियेटर लाइट | एक |
| 3. | लिथोटॉमी टेबल | एक |
| 4. | फुट स्टेप | एक |
| 5. | उपकरण ट्रॉली | एक |
| 6. | आईवी स्टैंड | दो |
| 7. | ऑटोक्लेव | एक |
| 8. | थर्मल कॉटरि मशीन (छोटी) | एक |
| 9. | विभिन्न आकार के ड्रेसिंग ड्रम | चार |
| 10. | विभिन्न आकार के उपकरण ट्रे | चार |
| 11. | नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स (बड़े, मध्यम, छोटे) | चार |
| 12. | चीटल का फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | चार |
| 13. | मॉस्क्वीटो आर्टरी फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | छह |
| 14. | आर्टरी फोर्सेप्स (घुमावदार और सीधी, विभिन्न आकारों में) - | छह |
| 15. | टिश्यू डिसेक्टिंग फोर्सेप्स (सपाट और दांतेदार, विभिन्न आकारों में) | चार |
| 16. | साइनस फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | चार |
| 17. | स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | दो |
| 18. | एलिस फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | चार |
| 19. | स्टिच रिमूवल सीज़र्स | दो |
| 20. | पंच बायोप्सी फोर्सेप्स | दो |
| 21. | मेट्ज़नबॉम सीज़र्स (विभिन्न आकारों में) | दो |
| 22. | मेयोस सीज़र्स (विभिन्न आकारों में) | दो |
| 23. | स्ट्रैट सीज़र्स (दर्जी) | दो |
| 24. | पल्स ऑक्सीमीटर | एक |
| 25. | प्रकाश या बिना प्रकाश वाले प्रोक्टोस्कोप (बड़े, मध्यम, छोटे) | छह |
| 26. | प्रोब्स (विभिन्न आकारों में) | मिश्रित |
| 27. | एनल डिलेटर- विभिन्न आकार के | मिश्रित |
| 28. | सिम्स का स्पेकुलम (विभिन्न आकारों में) | दो |
| 29. | बाईवाल्व एनल स्पेकुलम | दो |
| 30. | आपातकालीन लाइट | एक |
| 31. | अग्निशामक यंत्र | एक |
| 32. | वर्टिकल बीपी इंस्ट्रूमेंट | एक |
| 33. | फ्यूमिगेटर | एक |
| 34. | वेनसेक्शन सेट | दो |

| | | |
|---|---|---|
| 35. | कचरा गाड़ी (पूरी तरह से सुसज्जित ) | एक |
| 36. | उपभोग्य वस्तुएं | मिश्रित |
| त. शल्य तंत्र - मेजर ऑपरेशन थिएटर | | |
| 1. | स्पॉट लाइट (शैडो लेस, छत पर फिट की गई) | एक |
| 2. | स्पॉट लाइट (खड़ी) | एक |
| 3. | हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल | एक |
| 4. | बॉयल्स ऐपरैटस | एक |
| 5. | मल्टी-पैरामीटर मॉनिटर | एक |
| 6. | सक्शन मशीन (इलेक्ट्रिकल या मैनुअल) | एक |
| 7. | उच्च दबाव ऑटोक्लेव (ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज) | एक |
| 8. | सर्जिकल डायाथर्मी कॉटरि मशीन | एक |
| 9. | इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइज़र (बॉयलर) | दो |
| 10. | विभिन्न आकार के ड्रेसिंग ड्रम | दस |
| 11. | आर्टरी फोर्सेप्स (घुमावदार और सीधी, विभिन्न आकारों में) | पंद्रह |
| 12. | टिश्यू डिसेक्टिंग फोर्सेप्स (सपाट और दांतेदार, विभिन्न आकारों में) | दस |
| 13. | बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | आठ |
| 14. | कोचर का फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | छह |
| 15. | साइनस फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | छह |
| 16. | स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | आठ |
| 17. | एलिस फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | आठ |
| 18. | राइट एंगल कोलेसिस्टेक्टॉमी फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों में) | छह |
| 19. | स्टोन होल्डिंग फोरसेप्स | चार |
| 20. | पंच बायोप्सी फोर्सेप्स | दो |
| 21. | मैगल्स फोर्सेप्स | मिश्रित |
| 22. | टांका हटाने की सीज़र्स | पांच |
| 23. | मेट्ज़नबॉम सीज़र्स (विभिन्न आकारों में) | पांच |
| 24. | मेयोस सीज़र्स (विभिन्न आकारों में) | पांच |
| 25. | सीज़र्स स्ट्रैट (दर्जी) | चार |
| 26. | बीपी हैंडल (विभिन्न आकारों में) | मिश्रित |
| 27. | स्किन ग्राफ्टिंग नाइफ विथ हैंडल | मिश्रित |
| 28. | एब्डोमिनल का रिट्रेक्टर | छह |
| 29. | प्रकाश या बिना प्रकाश वाले प्रोक्टोस्कोप (बड़े, मध्यम, छोटे) | छह |
| 30. | फिस्टुला प्रोब्स (विभिन्न आकारों में) | मिश्रित |
| 31. | सिम्स का स्पेकुलम (विभिन्न आकारों में) | मिश्रित |
| 32. | बायवाल्व एनल स्पेकुलम | दो |
| 33. | सिग्मोइडोस्कोप (लचीला/कठोर) | एक |
| 34. | बैरन पाइल्स गन | दो |
| 35. | लैरिंजेस्कोप (वयस्क/बाल चिकित्सा) | दो |
| 36. | यूरेथ्रल डिलेटर सेट | एक |
| 37. | अंबु बैग | दो |
| 38. | एंडोट्रैकियल ट्यूब | मिश्रित |
| 39. | बोन कटर | दो |
| 40. | गिगली सॉ | दो |
| 41. | स्कूप | मिश्रित |
| 42. | पेरीओस्टियम एलिवेटर | दो |

| | | |
|---|---|---|
| 43. | बोन कटर | दो |
| 44. | बोन नेब्युलर | दो |
| 45. | बोन चिसेल | एक |
| 46. | बोन ओस्टियोटॉम | एक |
| 47. | बोन होल्डिंग फोर्सेप्स | दो |
| 48. | गिगली सॉ | दो |
| 49. | स्कूप | एक |
| 50. | पेरीओस्टियम एलिवेटर | दो |
| 51. | ऑर्थोपेडिक ड्रिल (बैटरी ऑपरेटेड) | एक |
| 52. | के वायर सेट- | एक |
| 53. | बोन मैलेट | एक |
| 54. | स्क्रू ड्राइवर | दो |
| 55. | हुक रिट्रेक्टर | चार |
| 56. | उपभोग्य वस्तुएं | आवश्यकतानुसार |
| थ. शल्य तंत्र - माइनर ऑपरेशन थिएटर | | |
| 1. | एक्स-रे व्यू बॉक्स | एक |
| 2. | वर्टिकल बीपी इंस्ट्रूमेंट | एक |
| 3. | स्टेथोस्कोप | दो |
| 4. | ऑपरेशन टेबल | एक |
| 5. | इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइज़र (बॉयलर) | दो |
| 6. | पोर्टेबल ऑपरेशन थियेटर लाइट | एक |
| 7. | इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली | एक |
| 8. | ऑटोक्लेव | एक |
| 9. | थर्मल कॉटरि मशीन (छोटी) | एक |
| 10. | ड्रेसिंग ड्रम - विभिन्न आकार के | चार |
| 11. | इंस्ट्रूमेंट ट्रे - विभिन्न आकार के | चार |
| 12. | नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स (बड़े, मध्यम, छोटे) | चार |
| 13. | चीटल का फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | चार |
| 14. | मॉस्क्वीटो आर्टरी फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | छह |
| 15. | आर्टरी फोर्सेप्स (घुमावदार और सीधी - विभिन्न आकारों में | छह |
| 16. | टिश्यू डिसेक्टिंग फोर्सेप्स (सपाट और दांतेदार) - विभिन्न आकारों में | चार |
| 17. | साइनस फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | चार |
| 18. | स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | दो |
| 19. | एलिस फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | चार |
| 20. | स्टिच रिमूवल सीज़र्स | दो |
| 21. | पंच बायोप्सी फोर्सेप्स | दो |
| 22. | मेट्ज़नबॉम सीज़र्स (विभिन्न आकारों में) | दो |
| 23. | मेयोस सीज़र्स (विभिन्न आकारों में) | दो |
| 24. | सीज़र्स स्ट्रैट (दर्जी) | दो |
| 25. | बीपी हैंडल (विभिन्न आकारों में) | मिश्रित |
| 26. | किडनी ट्रे (स्टेनलेस स्टील, विभिन्न आकारों में) | मिश्रित |
| 27. | पल्स ऑक्सीमीटर | एक |
| 28. | प्रकाश या बिना प्रकाश वाले प्रोक्टोस्कोप (बड़े, मध्यम, छोटे) | छह |
| 29. | प्रोब्स - विभिन्न आकारों में | मिश्रित |
| 30. | सिम्स का स्पेकुलम - विभिन्न आकारों में | दो |

| | | |
|---|---|---|
| 31. | आपातकालीन लाइट | एक |
| 32. | अग्निशामक यंत्र | एक |
| 33. | फ्यूमिगेटर | एक |
| 34. | सक्शन मशीन (इलेक्ट्रिकल या मैनुअल) | एक |
| 35. | वेनसेक्शन सेट | एक |
| 36. | नेबुलाइज़र | एक |
| 37. | कचरा ट्रॉली - (पूरी तरह से सुसज्जित) | एक |
| 38. | उपभोग्य वस्तुएं | मिश्रित |
| द. शल्य तंत्र - अनुशस्त्र कर्म इकाई | | |
| 1. | एग्जामिनेशन और ड्रेसिंग टेबल | एक |
| 2. | पोर्टेबल ऑपरेशन थियेटर लाइट | एक |
| 3. | स्टेथोस्कोप | दो |
| 4. | वर्टिकल बीपी ऐपरैटस | एक |
| 5. | इलेक्ट्रिक स्टेरिलाइज़र (बॉयलर) | दो |
| 6. | उपकरण ट्रॉली | एक |
| 7. | ऑटोक्लेव | एक |
| 8. | थर्मल कॉटरि मशीन (छोटी) | एक |
| 9. | विभिन्न आकार के ड्रेसिंग ड्रम | चार |
| 10. | विभिन्न आकार के ऐपरैटस ट्रे | चार |
| 11. | नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स (बड़े, मध्यम, छोटे) | चार |
| 12. | चीटल का फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | चार |
| 13. | मॉस्कीटो आर्टरी फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | छह |
| 14. | आर्टरी फोर्सेप्स घुमावदार और सीधे) - विभिन्न आकारों में | छह |
| 15. | टिश्यू डिसेक्टिंग फोर्सेप्स (सपाट और दांतेदार) - विभिन्न आकारों में | चार |
| 16. | साइनस फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | चार |
| 17. | स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | दो |
| 18. | एलिस फोर्सेप्स - विभिन्न आकारों में | चार |
| 19. | स्टिच रिमूवल सीज़र्स | दो |
| 20. | पंच बायोप्सी फोर्सेप्स | दो |
| 21. | मेट्ज़नबॉम सीज़र्स - विभिन्न आकारों में | दो |
| 22. | मेयोस सीज़र्स - विभिन्न आकारों में | दो |
| 23. | स्ट्रैट सीज़र्स (दर्जी) | दो |
| 24. | बीपी हैंडल - विभिन्न आकारों में | विभिन्न |
| 25. | किडनी ट्रे (स्टेनलेस स्टील) - विभिन्न आकारों में | विभिन्न |
| 26. | पल्स ऑक्सीमीटर | एक |
| 27. | आपातकालीन लाइट | एक |
| 28. | अग्निशामक यंत्र | एक |
| 29. | फ्यूमिगेटर | एक |
| 30. | सक्शन मशीन (इलेक्ट्रिकल या मैनुअल) | एक |
| 31. | लीच टैंक | दो |
| 32. | अग्निकर्म शलाका सेट | दो |
| 33. | कपिंग सेट | दो |
| 34. | वेन सेक्शन सेट | एक |
| 35. | कचरा ट्रॉली (पूरी तरह से सुसज्जित) | एक |
| 36. | उपभोग्य वस्तुएं | मिश्रित |

| | | |
|---|---|---|
| ध. कौमार भृत्य – बाह्य रोगी विभाग | | |
| 1. | पीडियाट्रिक ईएनटी किट | एक |
| 2. | कैलिपर फॉर स्कीनफोल्ड थिकनेस | दो |
| 3. | मध्य भुजा परिधि और सिर की परिधि के लिए माप टेप | दो |
| 4. | त्वचा परीक्षण के लिए आवर्धक लेंस | दो |
| 5. | रेक्टल थर्मामीटर | दो |
| 6. | विभिन्न रंगों, आकारों, रोशनी और ध्वनियों के खिलौने | 5 से 10 |
| न. कौमार भृत्य - नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई (एनआईसीयू) | | |
| 1. | मल्टी चैनल मॉनिटर के साथ-ओपन केयर एक्सेस, टाइम सेंसर, हीट सेंसर, ऑक्सीजन और सक्शन सुविधा और अडजस्टेबले बेबी टिल्ट के साथ रेडियंट वार्म | दो |
| 2. | फोटोथैरेपी यूनिट<br>(दो सतहों के साथ, 3 से 4 सतहों तक विस्तार योग्य) | दो |
| 3. | इन्फ्यूजन पंप | दो |
| 4. | आईवी कैन्यूलेशन, ब्लड सैंपलिंग, ड्रिप इन्फ्यूजन की सुविधा | आवश्यकतानुसार |
| 5. | सीपीएपी | एक |
| 6. | वार्म चैन बॉक्स फॉर बेबी ट्रांसपोर्ट | एक |
| न. शालाक्य – नेत्र रोग – बाह्य रोगी विभाग | | |
| 1. | स्लिट लैंप (न्यूनतम 3 से 5 स्टेप्स, छात्र शिक्षा के लिए वीडियो डिस्प्ले सिस्टम सहित) | एक |
| 2. | टोनोमीटर (न्यूनतम Schwartz (1) अप्लनेशन (1) और (1) अतिरिक्त एयर पफ या एनसीटी या हैंडहेल्ड टोनोमीटर वांछनीय हैं। | एक |
| 3. | ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर | एक |
| 4. | केराटोमीटर (ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के साथ या बिना) | एक |
| 5. | चेयर यूनिट | एक |
| 6. | ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर या टोनोमीटर या अलग से पैचिमीटर | एक |
| 7. | इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप | एक |
| 8. | डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप | एक |
| 9. | फंडस फोटोग्राफी सिस्टम | एक |
| 10. | 3D ओसीटी | एक |
| 11. | पेरिमीटर | एक |
| 12. | याग लेजर | एक |
| 13. | हरा या पीला लेजर | एक |
| 14. | रेटिनोस्कोपी | एक |
| 15. | कलर विज़न चार्ट - डिजिटल या मुद्रित हार्ड कॉपी के रूप में | एक |
| प. शालाक्य – नेत्र रोग: ऑपरेशन थियेटर | | |
| 1. | ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप विथ को-एक्सियल इल्लुमिनेशन एंड फुट पेडल कंट्रोल्स ( इक्विप्ड विथ टीचिंग हेड माइक्रोस्कोप , को -असिस्टेंस हेड या असिस्ट स्कोप) | एक |
| 2. | छात्रों और थिएटर कर्मचारियों द्वारा शल्य चिकित्सा के लाइव देखने के (सर्जरी) लिए स्क्रीन के साथ वीडियो कैमरा और बाद में समीक्षा, प्रशिक्षण या व्यक्तिगत या विभागीय गुणवत्ता सुधार उद्देश्यों के लिए ऑपरेशन को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने की सुविधा (ऑप्थैल्मिक माइक्रोस्कोप में निर्मित या संलग्न) | एक |
| 3. | नेत्र सर्जरी के लिए डिज़ाइन की गई इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ऑपरेटिंग टेबल | एक |
| 4. | हाइट एडजस्टेबल सर्जन चेयर (हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्टेबल) | एक |
| 5. | ऑपरेशन थियेटर ट्रॉली (मानक आकार के साथ नेत्र ओटी में न्यूनतम 2 की | एक |

| | | |
|---|---|---|
| | संख्या में) | |
| 6. | मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा (सर्जरी) के दौरान जटिलताओं का प्रबंधन करने के लिए फेकोइमल्सीफिकेशन सिस्टम सहित एंटीरियर विट्रेक्टोमी सिस्टम । फेकोइमल्सीफिकेशन सिस्टम में फेको प्रोब, ट्यूबिंग या कैसेट, संगत फेको टिप्स, स्लीव्स, बोल्ट, विट्रोक्टोमी कटर आदि शामिल हैं। | एक |
| 7. | फॉगर फॉर ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइजेशन | एक |
| 8. | आटोक्लेव (स्टीम एवं बी क्लास) | एक |
| 9. | ईटीओ मशीन | एक |
| 10. | आटोक्लेविंग प्रक्रियाओं के लिए न्यूनतम 100 वर्ग फुट समर्पित क्षेत्र होगा। | एक |
| 11. | आवश्यक आपातकालीन और एनेस्थीसिया औषधिओं से भरी ड्रग ट्रॉली | एक |
| 12. | सक्शन मशीन (इलेक्ट्रिक - फुट पेडल के साथ) | एक |
| 13. | बॉयल्स मशीन या ऑप्थल्मिक ओटी में एनेस्थीसिया मशीन (जीए मामलों और पूर्व और पश्चात देखभाल आपात स्थिति के प्रबंधन के लिए) कनेक्टर और ब्रांच या न्यूमैटिक सिस्टम के साथ) | एक |
| 14. | मल्टीपारा मॉनिटर (नेत्र ऑपरेशन थियेटर और रिकवरी या आईपीडी में न्यूनतम एक) | एक |
| 15. | ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर (ओपीडी, आईपीडी और ओटी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की मानक नीतियों के अनुसार) | एक |
| 16. | सभी मानक आकारों के ईटी ट्यूब्स, लैरिंजेस्कोप (वयस्क और बाल चिकित्सा), अंबु बैग (वयस्क और बाल चिकित्सा) - प्रत्येक में से कम से कम एक। | एक |
| 17. | ओटी लाइट | एक |
| 18. | संपूर्ण मोतियाबिंद सर्जरी सेट (एस.आई.सी.एस. सहित सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट) या फेकोइमल्सीफिकेशन मोतियाबिंद सर्जरी इंस्ट्रूमेंट सेट, केस लोड के अनुसार भारत सरकार के मानकों के अनुसार पुन: प्रयोज्य और ऑटोक्लेवेबल। | एक |
| 19. | प्रक्रियाओं की मात्रा और भारत सरकार के मानदंडों के अनुपालन के आधार पर pterygium, rabeculectomy और अन्य सर्जरी के लिए अलग सर्जिकल उपकरण सेट। | एक |
| 20. | डीसीटी, डीसीआर जैसी संक्रामक मामलों के लिए अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट | एक |
| फ. शालाक्य - कर्ण, नासा और मुख रोग (बाह्य रोगी विभाग) | | |
| 1. | जॉबसन होम प्रॉब विद रिंग एंड कॉटन कैरियर 7' | आवश्यकतानुसार |
| 2. | वैक्स हुक विद सेरेटेड टिप स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकतानुसार |
| 3. | वेक्टिस, स्टेनलेस स्टील) एस.एस (.वायर लूप सरेटिड् के साथ | आवश्यकतानुसार |
| 4. | वेक्टिस विथ क्युरेट, डबल एंडेड, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकतानुसार |
| 5. | ईयर क्युरेट, एमसी इवेन का वीडियो सीकर, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकतानुसार |
| 6. | ईयर ड्रेसिंग फोर्सेप्स (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकतानुसार |
| 7. | चीटल फोर्सेप्स, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) 10", 8" | आवश्यकतानुसार |
| 8. | ईएनटी ओपीडी यूनिट | आवश्यकतानुसार |
| 9. | हीथ ग्रेनुलेशन फोरसेप्स, स्टाउट, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकतानुसार |
| 10. | ओटोस्काप, 3 ब्लैक स्पैचुला के साथ | आवश्यकता के अनुसार |
| 11. | ईयर स्पैचुला, स्लॉटेडस, 4 साइज केवल ब्लैक | आवश्यकता के अनुसार |
| 12. | शियाज़ ईयर स्पैचुला, 4 प्रकार का सेट, ब्लैक फिनिश | आवश्यकता के अनुसार |
| 13. | हेंकेल ग्रनुलेशन फोरसेप्स , विद फिनेस्टराइड स्कूप जॉ, क्रोकोडाइल | आवश्यकता के अनुसार |
| 14. | क्रोकोडाइल एक्शन ' ग्रुनवाल्ड्स ' फोरसेप्स टाइप स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 15. | ऑडियो मीटर-एल्कॉन-मिल डिजिटल मॉडल | आवश्यकता के अनुसार |
| 16. | नेज़ल स्पेकुलम, 3 का सेट स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) थुडिकम | आवश्यकता के अनुसार |
| 17. | नेज़ल ड्रेसिंग फोर्सेप्स, नेज़ल पैकिंग फोर्सेप्स | आवश्यकता के अनुसार |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | पोस्ट नेजल मिरर, भारतीय निर्मित 1,2,3 | आवश्यकता के अनुसार |
| 19. | सेंट क्लेयरथॉम्सन का नेज़ल op. स्पेकुलम स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) 4 प्रकार के साइज का सेट 1 1 or 2, 2, 1 or 2 & 3" ब्लेड | आवश्यकता के अनुसार |
| 20. | हेड मिरर विथ बोर्ड -हेड बैंड विथ स्क्रू | आवश्यकता के अनुसार |
| 21. | हेड लाइट, विभिन्न आकारों के साथ | आवश्यकता के अनुसार |
| 22. | विद्युत ट्रांसफार्मर 10 वोल्ट रेगुलेटर | आवश्यकता के अनुसार |
| 23. | स्पेयर बल्ब, 6 वोल्ट -5 एम्पीयर | आवश्यकता के अनुसार |
| 24. | ईयर ड्रेसिंग फोरसेप्स, टिली स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 25. | लेरिंजियल दर्पण, भारत में निर्मित | आवश्यकता के अनुसार |
| 26. | टंग डिप्रेसर, 3 का सेट लॅक स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 27. | ड्रेसिंग सीज़र्स, (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 28. | पंक्टम डाइलेटर | आवश्यकता के अनुसार |
| ब. शालाक्य-कर्ण, नासा और मुख रोग (ओटी) | | |
| 1. | यूस्टेशियन कैथेटर | आवश्यकता के अनुसार |
| 2. | मास्टॉयड रिट्रेक्टर | आवश्यकता के अनुसार |
| 3. | मास्टॉयड गॉज | आवश्यकता के अनुसार |
| 4. | मैलेट | आवश्यकता के अनुसार |
| 5. | नेज़ल पैकिंग फोर्सेप्स | आवश्यकता के अनुसार |
| 6. | नज़ल स्नेयर | आवश्यकता के अनुसार |
| 7. | ईएनटी माइक्रोस्कोप | आवश्यकता के अनुसार |
| 8. | ड्रिल मशीन | आवश्यकता के अनुसार |
| 9. | एंडोस्कोपस – 0 30 और 70 डिग्री | आवश्यकता के अनुसार |
| 10. | मॉनिटर | आवश्यकता के अनुसार |
| 11. | प्रकाश स्रोत | आवश्यकता के अनुसार |
| 12. | कैमरा | आवश्यकता के अनुसार |
| 13. | ओटी टेबल | आवश्यकता के अनुसार |
| 14. | चीटल फोर्सेप्स | आवश्यकता के अनुसार |
| 15. | सक्शन मशीन | आवश्यकता के अनुसार |
| 16. | कॉटरी मशीन | आवश्यकता के अनुसार |
| 17. | एडेनोइड क्युरेट | आवश्यकता के अनुसार |
| 18. | टॉन्सिल होल्डिंग फोरसेप | आवश्यकता के अनुसार |
| 19. | यूस्टेशियन ट्यूब 3 साइज, स्टिलेट के साथ - विभिन्न आकारों के साथ | आवश्यकता के अनुसार |
| 20. | ईयर स्पैचुला, 4 का सेट, हीथ या ग्रबर्स, ch.pl | आवश्यकता के अनुसार |
| 21. | वेक्टिस, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) वायर लूप विथ सर्राटिड | आवश्यकता के अनुसार |
| 22. | वेक्टिस के साथ क्युरेट, डबल एंडेड, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 23. | मायरिंगोटोम्स नाइफ, एंगल या बेनट शाफ्ट स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 24. | ईअर ड्रेसिंग फोरसेप्स (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 25. | हीथ का ग्रनुलेशन फोरसेप्स, स्टाउट, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 26. | ईयर स्पैचुला, स्लॉटेड, 4 साइज ओनली ब्लैक | आवश्यकता के अनुसार |
| 27. | शिया का ईयर स्पैचुला, 4 का सेट, ब्लैक फिनिश | आवश्यकता के अनुसार |
| 28. | प्लीस्टर का मास्टॉयड रिट्रैक्टर (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 29. | मोलिसन्स मास्टॉयड रिट्रैक्टर (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 30. | ईदर साइड ऑफ़ दी आर्म्स, लेफ्ट या राइट स्टेनलेस स्टील, डल फिनिश | आवश्यकता के अनुसार |
| 31. | 'लेम्पर्ट्स ',एंडॉरल बाईवाल्व स्पेक्युलुम, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) स्ट्रैट & कर्व्ड | आवश्यकता के अनुसार |

| | | |
|---|---|---|
| 32. | एंडॉरल रिट्रैक्टर,' लेम्पर्ट्स ' विथ 2 पेयर्स ऑफ़ साइड रिमूवेबल ब्लेड्स | आवश्यकता के अनुसार |
| 33. | हेनकेल्स ग्रनुलेशन फोरसेप्स, विथ फेनेस्टरॉएड स्कूप जॉ, क्रोकोडाइल | आवश्यकता के अनुसार |
| 34. | मैक्गी का वायर क्लोजिंग फोरसेप्स, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 35. | क्रोकोडाइल ईअर फोरसेप्स, सर्राटिड जॉस | आवश्यकता के अनुसार |
| 36. | "विल्सन का निबलिंग फोरसेप्स, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) (अप एंड डाउन) | आवश्यकता के अनुसार |
| 37. | क्रोकोडाइल एक्शन ईअर सीज़र्स कटिंग ब्लेड्स (st या अप या लेफ्ट या राइट स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 38. | क्रोकोडाइल एक्शन ' ग्रुनवाल्ड्स' टाइप फोरसेप्स स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 39. | ग्रोमेट इनसर्टिंग फोरसेप्स स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 40. | मास्टॉयड रौंजर्स (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 41. | ज़ोलनर्स या बेलुसिल सक्शन कैनुला ओनली | आवश्यकता के अनुसार |
| 42. | उपर्युक्त कन्नुला पर फिट होने के लिए सक्शन टिप्स 16 गेज,18 गेज,20 गेज, 22 गेज | आवश्यकता के अनुसार |
| 43. | लेम्पर्ट्स सक्शन ट्यूब 4 साइज विथ स्क्वायर थम्प | आवश्यकता के अनुसार |
| 44. | सक्शन नीडल्स (कैनुलाज) 12 गेज to 25 गेज 4" लॉन्ग | आवश्यकता के अनुसार |
| 45. | हाउस एडाप्टर फॉर सक्शन कैनुला | आवश्यकता के अनुसार |
| 46. | सक्शन -इरीगेशन कंबाइंड ट्यूब विथ थंब | आवश्यकता के अनुसार |
| 47. | ऑल मेटल बॉक्स विथ परफोरेशन ऑन साइड फॉर ऑटोक्लेविंग, फॉर ऑल माइक्रो | आवश्यकता के अनुसार |
| 48. | मैलेट फॉर चिसेल्स और गूस स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 49. | मास्टॉयड क्युरेट | आवश्यकता के अनुसार |
| 50. | फ़राबेउफ़ एलीवेटर, स्ट्रैट या कर्व्ड | आवश्यकता के अनुसार |
| 51. | ज़ोल्नर्स सेट ऑफ़ 10 टैंपॉनोप्लास्टी इंस्ट्रूमेंट्स थंब ग्रिप स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 52. | रैक एवं मेटल केस | आवश्यकता के अनुसार |
| 53. | टेफ्लॉन पिस्टन कटिंग जिग, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 54. | स्ट्रैट या कर्व्ड एंगल, एंगल पिक्स के चयन के लिए, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 55. | एलीवेटर, रोसेन या बील्स, शिया टाइप स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 56. | शिया का सिंगल एंडेड क्युरेटस स्माल या लार्ज एंगल शाफ़्ट, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 57. | हाउसेज डबल एंडेड क्यूरेट्स स्माल या लार्ज साइज स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 58. | फिश हुक स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 59. | शिया का डेप्थ गेज, 3,4,4.5,5 मिलिमीटर स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 60. | डबल एंडेड नाइफ स्माल या लार्ज स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 61. | नेज़ल स्पेकुलम, 3 का सेट, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) थुडिकम | आवश्यकता के अनुसार |
| 62. | किलियन नेज़ल स्पेकुलम, सेल्फ री ट्रेनिंग, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) ब्लेड के आकार 2, s1 or 2, s 3 ½ | आवश्यकता के अनुसार |
| 63. | नेज़ल ड्रेसिंग फोरसेप्स, (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 64. | नेज़ल पैकिंग फोरसेप्स, जेटिलीज़, 3 1 or 4" शाफ़्ट | आवश्यकता के अनुसार |
| 65. | नेज़ल स्प्रेयर, बैलेंस या ग्लेग 's, ch. प्लेटेड (1 पैकेट वायर) | आवश्यकता के अनुसार |
| 66. | पोस्ट नेज़ल मिरर, भारतीय निर्मित 1, 2 और 3 नंबर के आकार में | आवश्यकता के अनुसार |
| 67. | ल्यूक का नेज़ल टर्बिनेट फोरसेप्स, ओवल या हार्ट शेप्ड स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 68. | सेंट क्लेयरथॉम्सन का नेज़ल ऑप स्पेक्युलुम स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) 4 आकारों का सेट 1 1 या 2, 2, 1 or 2 & 3" ब्लेड | आवश्यकता के अनुसार |

| | | |
|---|---|---|
| 69. | फ्रीर का नाइफ, राउंड एजेस, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 70. | होवराथ का एलीवेटर विथ रूगाइन एन्ड, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 71. | फ्रीर का (कॉथोम्स) डबल एंडेड एलीवेटर, विथ रूगाइन एन्ड, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 72. | फ्रीर का डबल एंडेड एलीवेटर, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 73. | किलन्स (नेज़ल) पेरीकॉन्ड्रिअल एलीवेटर, विथ थंब ग्रिप, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) लेफ्ट या राइट, शार्ट या लॉन्ग ब्लेड | आवश्यकता के अनुसार |
| 74. | बैलेंजर्स स्वीवेल नाइफ, 4 मिलीमीटर, ब्लेड स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 75. | किलन्स नेज़ल गॉज, बेनट शाफ़्ट, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 76. | टिली का "वी" शेप्ड गॉज बेनट, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 77. | मैलेट, उपर्युक्त मानक आकार के लिए | आवश्यकता के अनुसार |
| 78. | नेसल कॉटरी विथ लाइट एवं कॉटरी ट्रांसफार्मर विथ पिस्टल ग्रिप | आवश्यकता के अनुसार |
| 79. | कॉटरी हैंडल एवं कॉटरी पॉइंट्स का सेट, केस में | आवश्यकता के अनुसार |
| 80. | हेजेक का रिट्रक्ट फॉर अपर लिप, (चिक रिट्रेक्टर) स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 81. | सिटेली का एंट्रम पंच फोरसेप्स, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 82. | डबल एंडेड सी.डब्लयू.एल क्यूरेट स्माल या लार्ज रिंग, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 83. | जॉ, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 84. | जानसेन - स्टूकेन सेप्टम फोरसेरप्स, कट -थ्रू जॉ, डबल, | आवश्यकता के अनुसार |
| 85. | एक्टिपन, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) एंगल ऑन शाफ़्ट | आवश्यकता के अनुसार |
| 86. | हेनक्लेल-टिली स्फेनोइड पंच फोरसेप्स , क्रोकोडाइल एक्शन | आवश्यकता के अनुसार |
| 87. | हेमैन टर्बिनेक्टॉमी सीज़र्स | आवश्यकता के अनुसार |
| 88. | नेसल पंच बायोप्सी, कट थ्रू जॉ | आवश्यकता के अनुसार |
| 89. | किल्नर का स्किन हुक रिट्रैक्टर विथ 1 साइड 3 प्रोन्ग & फ्लैट पुट्ठी ऑन अदर | आवश्यकता के अनुसार |
| 90. | जोसेफ का शार्प, कोर्स या फाइन टीथ स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 91. | चिसेल 3,5,9 मिलीमीटर स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 92. | ऑस्टियोटोम, 2,3,4,5 मिलीमीटर स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 93. | मैलेट फॉर चिसेल एवं ऑस्टियोटोम स्टैण्डर्ड टाइप | आवश्यकता के अनुसार |
| 94. | सिल्वर नेसल, चिसेल, विद गार्ड , स्ट्रैट या कर्व्ड | आवश्यकता के अनुसार |
| 95. | बॉल एवं डबल प्रोब विथ मेटल हैंडल | आवश्यकता के अनुसार |
| 96. | मैकिन्डो का नेसल चिसेल कर्व्ड 5,7,9 मिलीमीटर | आवश्यकता के अनुसार |
| 97. | वॉशम सेप्टम फोरसेप्स, (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 98. | ऐश का सेप्टम फोरसेप्स स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 99. | साइनस्कोपी के लिए नेसल सक्शन | आवश्यकता के अनुसार |
| 100. | विदियन नेसल कॉटरी इंस्ट्रूमेंट्स, कन्सिसटिंग | आवश्यकता के अनुसार |
| 101. | कॉटल एलीवेटर | आवश्यकता के अनुसार |
| 102. | डबल बॉल हुक | आवश्यकता के अनुसार |
| 103. | पेंच सहित बोर्ड-हेड बैंड हेड मिरर के साथ | आवश्यकता के अनुसार |
| 104. | हेड लाइट, "क्लार " 's' रिफ्लेक्टिंग टाइप | आवश्यकता के अनुसार |
| 105. | विद्युत ट्रांसफार्मर 10v रेगुलेटर | आवश्यकता के अनुसार |
| 106. | स्पेयर बल्ब, 6v-5 ऐम्पियर। | आवश्यकता के अनुसार |
| 107. | माउथ गैग, डेविस-बॉयल्स, गैग फ्रेम और 5 प्लैन ब्लेड के सेट के साथ, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) ब्रॉड टाइप | आवश्यकता के अनुसार |
| 108. | माउथ गैग, डेविस-बॉयल्स, विथ गैग फ्रेम एंड सेट ऑफ़ 3 टंग ब्लेड्स, चाइल्ड साइज स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |

| | | |
|---|---|---|
| 109. | माउथ गैग, डेविस-बॉयल्स, विथ गैग फ्रेम एंड सेट ऑफ़ 5 स्लॉटेड टाइप टंग ब्लेड्स,, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 110. | डेविस-बॉयल्स, माउथ गैग, विथ गैग फ्रेम एंड सेट ऑफ़ 3 चाइल्ड साइज स्लॉटेड ब्लेड्स, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 111. | डेविस-बॉयल्स, माउथ गैग, वयस्क या शिशु स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) (डॉयन्स) | आवश्यकता के अनुसार |
| 112. | जेनिंग्स माउथ गैग, वयस्क या शिशु, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 113. | ड्राफ्फिन दिप्पड विथ 4 रिंग्स 19" लॉन्ग क्रोमियम प्लेटेड | आवश्यकता के अनुसार |
| 114. | प्लेट विथ ग्रोव्स टू होल्ड ड्राफ्टिंग, बिपॉड | आवश्यकता के अनुसार |
| 115. | टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स, "डेनिसब्राउन्स", स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 116. | टॉन्सिल डिसेक्टर और पिलर रिट्रेक्टर, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 117. | टॉन्सिल डिसेक्शन फोरसेप्स (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 118. | टॉन्सिल आर्टरी फोरसेप्स (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 119. | टॉन्सिल सीज़र्स, (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 120. | टॉन्सिल स्नेयर,"ईव्स" क्रोमियम प्लेटेड ( 1पैकेट वायर्स ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 121. | नेगस नॉट टियर, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 122. | पेरिटोनसिलर एब्सेस फोर्सेज बेनट स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) 7 1 या 2" | आवश्यकता के अनुसार |
| 123. | एडेनोइड क्युरेट (विभिन्न आकारों के साथ) | आवश्यकता के अनुसार |
| 124. | "यांकनर्स" सक्शन कैनुला (ट्यूब) क्रोमियम प्लेटेड | आवश्यकता के अनुसार |
| 125. | कॉन्कोटोम, सर्कुलर, कट-थ्रू जॉ, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) | आवश्यकता के अनुसार |
| 126. | ट्रेचियल डाइलेटिंग फोरसेप्स, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) ट्रौसेउ | आवश्यकता के अनुसार |
| 127. | डबल एंडेड आर. एंगल फ्लैट पुट्टी टाइप रिट्रैक्टर | आवश्यकता के अनुसार |
| 128. | ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, "सीएच.जैक्सन " सिल्वर प्लेटेड साइज | आवश्यकता के अनुसार |
| 129. | क्रिकॉइड हुक टाइप रिट्रेक्टर, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) डबल एंडेड | आवश्यकता के अनुसार |
| 130. | लैरींगोस्कोप विथ स्लाइडिंग पैनल, वयस्क या बच्चे का आकार | आवश्यकता के अनुसार |
| 131. | "जैक्सन या नेग " टाइप विथ एफ.ओ. कैरियर सिल्वर प्लेटेड | आवश्यकता के अनुसार |
| 132. | लैरींगोस्कोप, एंटीरियर कमिसुरे टाइप " नेगस " या या सीएच.जैक्सन" टाइप, एफ.ओ. कैरियर वयस्क या बच्चे के साइज के लिए | आवश्यकता के अनुसार |
| भ. मानसरोग एवं मनोविज्ञान | | |
| 1. | ईईजी | एक |
| 2. | नशामुक्ति की सुविधा | आवश्यकता के अनुसार |
| 3. | मनोविज्ञान और मानसिक रोग से संबंधित आकलन पैमाना | आवश्यकता के अनुसार |
| म. रसायन और वाजीकरण | | |
| 1. | ट्राईनोकुलर माइक्रोस्कोप विथ वीडियोग्राफी इक्विपमेंट | एक |
| 2. | लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले | एक |
| 3. | कंप्यूटर एडेड सीमेन एनालिसिस (सीएएसए) | एक |
| 4. | सेंट्रीफ्यूज | एक |
| 5. | इन्क्यूबेटर | एक |
| 6. | वर्टेक्स मिक्सर | एक |
| 7. | -20 डीप फ्रीजर | एक |
| 8. | उपभोग्य | आवश्यकता के अनुसार |

सच्चिदानंद प्रसाद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./540/2024-25]

**अनुलग्नक -'I'**

विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा समिति
साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज़म) क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने की अनुशंसा

"विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा समिति ने दिनांक ..... को ..... विभाग से ..... के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय पंजीयन संख्या ..... वाले 2024 बैच के अनुसंधान अध्येता, ..... द्वारा प्रस्तुत किए गए '.....' शीर्षक प्रारूप (ड्राफ्ट) की साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज़म) की जांच पर रिपोर्ट की समीक्षा की है और पाया है कि आवश्यक संशोधन या सुधार किए गए, और प्लैजरिज़म अनुमेय सीमा के भीतर है।"इसलिए, विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा समिति एक प्लैजरिज़म क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश / अनुशंसा करती है।

अध्यक्ष

विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा समिति
(नाम एवं हस्ताक्षर)

**स्थान:**
**दिनांक:**

**अनुलग्नक -'II'**

साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज़म) जांच सेल
साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज़म) क्लीयरेंस प्रमाण पत्र

"यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... विभाग से ..... के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय पंजीयन संख्या ..... के साथ ..... बैच के ..... द्वारा प्रस्तुत '.....' शीर्षक ड्राफ्ट शोध प्रबंध (डिसर्टेशन ) साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज़म) से मुक्त है।

समन्वयकर्ता
साहित्यिक चोरी (प्लैजरिज़म) जांच सेल

स्थान:

दिनांक:

**अनुलग्नक - III**

**फार्म- आई**
**(राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया जाएगा)**
**नए स्नातकोत्तर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की स्थापना के लिए या मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र ।**

**संदर्भ संख्या .....** **दिनांक .....**

| **क्रमांक** | **आवेदक का मूल विवरण** | | |
|---|---|---|---|
| 1 | आवेदक का नाम | | |
| 2 | पता | | |
| 3 | संस्था का प्रकार (सरकारी/सहायता प्राप्त/निजी) | | |
| 4 | अनिवार्यता प्रमाणपत्र<br>(जो लागू हो उस पर निशान लगाएं) | | एक नया स्नातकोत्तर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज (स्टैंड-अलोन) स्थापित करना |
| | | | स्नातक महाविद्यालय में नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करना |
| | | | मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना |

<table>
<tr><td rowspan="3">5</td><td>संस्थान का नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>स्टैंडअलोन के मामले में प्रस्तावित नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>मौजूदा स्नातक महाविद्यालय के मामले में प्रस्तावित नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रस्तावित स्नातकोत्तर कार्यक्रम और प्रस्तावित प्रवेश क्षमता</td><td><table><tr><th>क्रम संख्या</th><th>स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम</th><th>प्रस्तावित सेवन क्षमता का नाम</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि</td><td><table><tr><th>क्रम संख्या</th><th>मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम</th><th>स्वीकृत प्रवेश क्षमता</th><th>प्रस्तावित प्रवेश क्षमता</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है</td></tr>
<tr><td>8</td><td>राज्य में पहले से मौजूद आयुर्वेद संस्थानों की संख्या</td><td>स्नातक : ---------<br>स्नातकोत्तर:- ------</td></tr>
<tr><td>9</td><td>राज्य में डॉक्टर (सभी पद्धतियों के पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर) और जनसंख्या अनुपात</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (रोगियों) की उपलब्धता की गुंजाइश</td><td>ख़राब/पर्याप्त</td></tr>
<tr><td>11</td><td>अस्पताल का पंजीयन क्रमांक</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>अस्पताल की मान्यता, यदि कोई हो</td><td></td></tr>
</table>

अनिवार्यता प्रमाणपत्र

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की निम्नलिखित सूची और उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के साथ (प्रस्तावित स्नातकोत्तर कॉलेज का नाम)..... (प्रस्तावित कॉलेज का पता)..... की स्थापना के लिए (आवेदक का नाम)..... को एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उपर्युक्त विवरण, तथ्यों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

| क्रम संख्या | प्रस्तावित स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम | प्रस्तावित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |

यह प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

या

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की निम्नलिखित सूची और प्रस्तावित प्रवेश क्षमताओं के साथ .....(मौजूदा कॉलेज का नाम जहां स्नातक आयुर्वेद पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है) .....(कॉलेज के पते पर) स्थित एक नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए .....(आवेदक का नाम) को अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उपर्युक्त विवरण, तथ्यों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

| क्रम संख्या | प्रस्तावित स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम | प्रस्तावित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |

यह प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

या

नीचे उल्लिखित स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए ---------- (आवेदक का नाम) को अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। ---------- (मौजूदा कॉलेज का नाम) ---------- (कॉलेज का पता) यह प्रमाणपत्र उपर्युक्त विवरण/तथ्यों/शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

| क्रम संख्या | मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम | स्वीकृत प्रवेश क्षमता | प्रवेश क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि | कुल प्रस्तावित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (3)+ (4) = (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियम और शर्तों पर जारी किया जाता है:

**1.** कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।

**2.** कॉलेज उसी परिसर में कोई अन्य कॉलेज/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति न दी जाए।

**3.** कॉलेज, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।

**4.** कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर बनाए गए विनियमन/दिशानिर्देश/नीति के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।

**5.** संस्थान स्वायत्त बोर्ड/ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/भारत सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।

**6.** कॉलेज को अन्य सोसायटी/ट्रस्ट को सौंपने के प्रकरण में, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त की जाएगी।

**7.** यदि कोई आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुसार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक सकता है।

**8.** आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज द्वारा अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कॉलेज को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने के प्रकरण में, राज्य सरकार उन छात्रों की जिम्मेदारी लेगी जिनका कॉलेज में दाखिला हो चुका है।

**(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)**
**कार्यालय सील**

**तिथि:**

**अनुलग्नक - IV**

## फॉर्म- जे

## संबद्धता की सहमति

## (संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा)

## (नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज शुरू करने/मौजूदा स्नातक, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन जमा करने के लिए संबद्धता की सहमति पूर्व-आवश्यकता है)

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय के विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | विश्वविद्यालय का नाम | |
| 2 | पता | |
| 3 | विश्वविद्यालय का प्रकार | केंद्र/राज्य/मानित-सरकारी/मानित-निजी/निजी राज्य |
| 4 | सम्पर्क करने का विवरण | |
| 5 | संपर्क व्यक्ति | |
| | (नाम एवं पदनाम) | |
| | मोबाइल नंबर | |
| 6 | मेल आईडी | |
| 7 | स्थापना का वर्ष | |
| 8 | मौजूदा संकाय | |

### संबद्धता की सहमति

विश्वविद्यालय ने स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर**, .....** सीटों की प्रवेश क्षमता/प्रवेश क्षमता में वृद्धि **.....** से **.....** तक**/**कार्यक्रम के प्रारंभ के साथ ..... (कॉलेज का नाम) को संबद्धता की सहमति सैद्धांतिक रूप से प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। शैक्षणिक वर्ष **.....**..... के लिए संबद्धता की सहमति जारी की जाती है।

**संबद्धता की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर जारी की जाती है:**

1. कॉलेज, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
2. कॉलेज, केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा संबंधित नियमों में निर्दिष्ट अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया (केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देगा।
3. कॉलेज, केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित घंटों के शिक्षण और प्रशिक्षण का संचालन सुनिश्चित करेगा।
4. कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने से कम से कम तीन माह पहले प्रत्येक वर्ष संबद्धता की निरंतरता की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
5. किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता परिवर्तन/डीम्ड स्थिति के लिए आवेदन करने के प्रकरण में वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
6. वर्तमान विश्वविद्यालय से असंबद्धता की स्थिति में, मौजूदा बैच डिग्री प्रदान किए जाने तक वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ बने रहेंगे।

**रजिस्ट्रार**

**मुहर सहित हस्ताक्षर**

**पूरा नाम**

**स्थान:**

**तिथि:**

**नोट 1:** इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई भी प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और आयोग का निर्णय इस प्रकरण में अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**नोट 2:** यदि नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

## THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2024

**F. No. BOA/2-I/2024.—**In exercise of the powers conferred under section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the National Commission for Indian System of Medicine hereby makes the following regulations, namely:—

**1. Short title and commencement**.— (1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Postgraduate Institutions and Minimum Standards for Postgraduate Education in Ayurveda) Regulations, 2024.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

### CHAPTER-I
### Preliminary

**2. Definitions**.— (1) In this regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

(b) "Annexure" means an Annexure annexed to these regulations;

(c) "Appendix" means an Appendix appended to these regulations;

(d) "applicant" means an authority representing a society or trust or University or any legal person but does not include the Central Government;

(e) "assessment" of an Institution means, the act of verifying the availability of minimum essential standards as provided in these regulations in terms of the infrastructure, human resources and functionality of an institution and its attached teaching hospital every year;

(f) "attached teaching hospital" means an Ayurveda hospital that offers standard healthcare services, attached to an Ayurveda Medical Institution for the purpose of teaching and training to the students of Ayurveda system of medicine;

(g) "Doctor of Medicine" (MD), means a Postgraduate degree awarded in accordance with these regulations;

(h) "Doctorate of Medicine" (DM), means a super-speciality degree awarded in accordance with these regulations;

(i) "extended permission" means permission extended to fully established Ayurveda medical institutions fulfilling the criteria for extended permission status as laid down in these regulations. The institutions with extended permission are allowed to participate in the counselling process for admitting students to Postgraduate programmes, in accordance with the sanctioned student intake capacity. Such institutions, may get annual permission from the MARBISM, after assessment at any time in the academic session;

(j) "functionality of the Ayurveda hospital" means an attached teaching hospital which shall remain open round the clock, shall be ready to treat or attend any type of patients at any point of time with its humanresources and infrastructure and fulfilling all the minimum essential standards as provided in these regulations; that offers clinical training to medical students and provides medical services at outpatient departments, in-patient departments and public health, including consultation, diagnosis, including clinical and investigational, treatment including surgical, procedural, medical and maternity, preventive, palliative and rehabilitative health care, medical advice, counselling, nursing care, medicine dispensing, public outreach activities with proper documentation and hospital management system and whose related expenses are reflected in official bank account of the hospital;

(k) "functionality" of the Institute means, an Ayurveda institution fulfilling all the minimum essential standards as determined by the Commission that offers teaching and training to students of Ayurveda as per the course curriculum and syllabus provided by the Commission by establishing educational ecosystem and shall be ready to impart education over and above the minimum essential standards as determined by the Commission.

***Explanation*.**—For the purposes of this clause "educational ecosystem" means an ecosystemwhere in all the stake holders of the institution, all the Departments and other units of the institution function in coordination and collaboration with each other to provide comprehensive education to students in an academic environment;

(l) "fully established institute" means the institute with either extended permission or yearly permission from the year after second renewal of permission;

(m) "letter of intent" means the preliminary approval along with conditions and timelines issued by the MARBISM to the applicant through the procedure provided in these regulations to establish a new Ayurveda medical institute, or to start any new Postgraduate programme recognised by the Commission or to increase student intake capacity in existing Postgraduate programmes;

(n) "letter of permission" means the approval granted to the applicant by the MARBISM through the procedure determined in these regulations to establish Ayurveda medical institution or to start any new Postgraduate programme recognised by the Commission or to increase student intake capacity in existing programme and to admit the students as per the sanctioned intake capacity provided by the MARBISM;

(o) "MARBISM" means the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(p) "MES-UG" means the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential standard, Assessment and Rating for Undergraduate Ayurveda colleges and Attached Teaching hospitals) Regulations, 2024;

(q) "Master of Surgery" (MS), means a Postgraduate degree awarded in accordance with these regulations;

(r) "minimum essential standards" means the mandatory minimum requirements in terms of infrastructure, human resources, functionality, quality and standards that are essential;

(s) "Ph.D" means, Doctor of Philosophy degree, or Postgraduate doctoral degree, awarded or granted to a research work carried out for not less than three years duration (after postgraduation), either in the subject concerned or in inter-disciplinary or intra-disciplinary or trans-disciplinary or multi-disciplinary research areas;

(t) "PGNET" means Post-Graduate National Entrance Test;

(u) "Postgraduate education" includes Postgraduate Degree programmes (MD and MS), Postgraduate doctoral degree (Ph.D), and Postgraduate super-speciality degree programme (Doctorate of Medicine-DM);

(v) "Postgraduate Degree" in Ayurveda includes 'Ayurveda Vachaspati (MD Ayurveda) and Ayurveda Dhanvantari (MS Ayurveda)', granted or awarded to the programme of three years' duration after graduation;

(w) "rating" of Postgraduate department means a score or measurement of how good a Postgraduate department is; rating of a fully established Postgraduate department through a rating procedure carried out by the MARBISM or any designated rating agency based on the standards and parameters laid down by the Board of Ayurveda. Rating shall be on the basis of infrastructure, human resources and functionality over and above the minimum essential standards provided in these regulations;

(x) "renewal of permission" means permission for renewal granted by the MARBISM to a new Postgraduate institution or department or speciality or establishment under section 29 of the Act through the procedure provided in these regulations for the academic years, after the issuance of a letter of permission for admitting students as per the sanctioned intake capacity provided by the MARBISM, and such renewal of permission shall

be mandatory until it attains the fully established institution or department or speciality status.

(y) "sanctioned intake capacity" means number of seats sanctioned by the MARBISM to a Postgraduate programme for admission of students based on the infrastructure, human resources and functionality of the institute or department and the attached teaching hospital;

(z) "stand-alone Postgraduate institute" means a teaching institute with attached teaching hospital dedicated for running Postgraduate programme only;

(aa) "Super Speciality Degree" means a three years super speciality programme, Doctorate of Medicine (DM) awarded, after completion of super speciality training in a particular subject after postgraduation;

(bb) "yearly permission" means permission given to fully established medical institutions every year or Postgraduate departments that are not fulfilling the criteria for extended permission status as laid down in these regulations, and participate in the counseling process for admitting students to Postgraduate programmes as per the sanctioned intake capacity only after obtaining permission from the MARBISM every year.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, rules or regulations made thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act, rules or regulation.

## CHAPTER-II
## General Considerations

**3.General considerations**.— (1) Every institute shall have to maintain minimum essential infrastructural standards, qualified and skilled human resources with a functional ecosystem as specified in these regulations.

(2) The academic hierarchy of the Postgraduate Degrees shall be in the descending order from DM to Ph.D to MD or MS**.**

(3) (a) Professor of Practice shall be appointed on part time basis by the institute in the concerned subject as provided in these regulation; such Professor shall not be provided with the unique teacher code by MARBISM;

(b) On and from the date of publication of these regulations, the Postgraduate Diploma programme shall stand abolished and students already admitted in these programme shall continue and complete the course as per the provisions of previous regulations;

(c) The seats in existing Postgraduate Diploma programmes duly permitted by MARBISM shall be converted to MD or MS seats in the parent department in the ratio of 2:1. For two Postgraduate Diploma seats one Postgraduate Degree seat shall be sanctioned, subject to the availability of Postgraduate guides and Postgraduate student ratio, that is., 1:3 for Professor; 1:2 for Associate Professor and 1:1 for Assistant Professor.

(4) (a) The institutions shall install online systems such as Learning Management Systems; HospitalInformation Management System (compatible with Ayushman Bharat Health Account, Health Professional Registry and Unique Health Identification number); Aadhaar Enabled Biometric Attendance System or iris recognition or face recognition attendance system and the like as directed by the Commission for marking attendance of Teaching staff, non-teaching staff, hospital staff and Postgraduate students;

(b) Closed Circuit Television and any other systems as directed by the Commission from time to time, shall be installed and shall be aligned or interface to the Central server as designated by the Commission and shall provide real time data or relevant data to the Commission and its autonomous Boards as required;

(c) the biometric attendance data shall be made available to the concerned regulatory body or the Commission or the Autonomous Boards of the Commission on real time basis throughout the year through any agency as assigned by the Commission;

(d) the Commission or Autonomous Boards shall have the authority to access and analyse online attendance data;

(e) the authentication of the patients shall be made through the Ayushman Bharat Health Account number;

(5) Teachers shall be accommodated in respective departments with adequate space and privacy in separateroom for each teacher. Minimum area shall be 15, 13 and 10 sq.mt. for Professor, Associate Professor and Assistant Professor respectively. Open seating arrangement for multiple teachers in the common hall or department shall not be permitted. Every teacher shall be provided with a computer or laptop, printer and internet facility.

(6) The departments and their Associated units shall have proper ventilation and lighting, with good interiors. Internal partitions shall be good enough to prevent cross disturbance and with good ambience. Each Postgraduate department shall accommodate teaching staff and non-teaching staff, departmental library, departmental computer, printer, internet and e-display facility for display of video, images, charts, information andthe like.

(7) There shall be hostels for girls and boys separately, preferably single accommodation along with a mess facility within the campus provided with adequate furniture, reading room, recreational facility and security services. In case, if the hospital is located in a separate campus, the hostels shall be within the hospital campus.

(8) Each institute shall ensure that all the stakeholders of the institution, departments, sections, and units of the institution, function in coordination and collaboration with each other to provide a comprehensive educational ecosystem to the Postgraduate students for pursuing their studies, training, and research work in an appropriate academic environment.

(9) In order to maintain the quality standards, the instruments, equipment, chemicals, reagents, furniture, electronic appliances, etc. with Bureau of Indian Standards certification may be used to the extent of availability.

(10) Annual intake capacity for any Postgraduate Degree programme shall not be more than twelve seats peryear, subject to availability of student and Postgraduate guide ratio, that, is 3:1 for Professor; 2:1 for Associate Professor and 1:1 for Assistant Professor.

## CHAPTER-III
## Postgraduate Degree Programmes

**4.** On and from the date of publication of these regulations, there shall be eighteen Postgraduate Degree programmes in Ayurveda. The list of Postgraduate specialities, nomenclature of Postgraduate Degree programmes, nomenclature of Postgraduate specialists, Postgraduate Departments that conducts the Postgraduate programmes shall be as detailed in the Table -1.

**Table-1**

Nomenclature of Postgraduate Degrees, Postgraduate Specialists and Postgraduate Departments

| Serial Number | Post Graduate Specialty | Nomenclature of Postgraduate Degree Program | Nomenclature of the Postgraduate Specialist including Equivalent Modern Terminology | Department Conducting Postgraduate Programme |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I. Ayurveda Vachaspati (MD Ayurveda): | | | | |
| 1. | Ayurveda Samhita andSiddhanta (Compendiumand Basic Principles) | MD (Samhita and Siddhanta) | Samhitist | Samhita Siddhanta andSanskrit |
| 2. | Ayurveda-Biology | MD (Ayurveda Biology) | Ayurveda-Biologist | Ayurveda Biology |
| 3. | Rachana Sharira (Human | MD (Rachana Sharira) | Sharira Rachana Tajna | Rachana Sharira |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Anatomy) | | (Ayurveda Anatomist) | |
| 4. | Kriya Sharira (Human Physiology) | MD (Kriya Sharira) | Sharira Kriya Tajna (Ayurveda Physiologist) | Kriya Sharira |
| 5. | Dravyaguna Vijnana (Ayurveda Pharmacology) | MD (DravyagunaVijnana) | Dravyaguna Tajna (Ayurveda Pharmacologist-Herbal) | Dravyaguna Vigyana |
| 6. | Rasashastra and Bhaishajya Kalpana (Pharmaceutics and Clinical Pharmacy) | MD (Rasashastra and Bhaishajya Kalpana) | Rasashastra and Bhaishajya Kalpana Tajna (Ayurveda Pharmaceutical Expert) | Rasashastra evum Bhaishajya Kalpana |
| 7. | Roganidana - Vikritivijnana (Pathology and Laboratory Diagnosis) | MD (Roganidana - Vikritivijnana) | Roganidana Tajna (Ayurveda Pathologist) | Roganidana evum Vikritivijnana |
| 8. | Agad Tantra and Vidhi Vaidyaka (Clinical Toxicology and Medical Jurisprudence) | MD (Agada Tantra and Vidhi Vaidyaka) | Agada Tantra Tajna (Ayurveda Clinical Toxicologist) | Agada Tantra |
| 9. | Swasthavritta and Yoga (Public Health, Lifestyle Management and yoga) | MD (Swasthavritta and Yoga) | SwasthaVritta Tajna (Ayurveda Expert - Public Health, Lifestyle Management and Yoga) | Swasthavritta evum Yoga |
| 10. | Kaumarabhritya (Pediatrics) | MD (Kaumarabhritya) | Kaumarabhritya Tajna (Ayurveda Pediatrician) | Kaumarabhritya |
| 11. | Kayachikitsa (Internal Medicine) | MD (Kayachikitsa) | Kayachikitsa Tajna (Ayurveda Specialist - General Medicine) | Kayachikitsa |
| 12. | Panchakarma (Procedural Management) | MD (Panchakarma) | Panchakarma Tajna (Panchakarma Specialist) | Panchakarma |
| 13. | Manasaroga and Manovijnana (Ayurveda Psychology and Psychiatry) | MD (Manasaroga and Manovijnana) | Manasaroga Tajna (Ayurveda Psychiatrist) | Manasaroga |
| 14. | Rasayana and Vajikarana (Rejuvenative and Reproductive Medicine in Ayurveda) | MD Rasayana and Vajikarana | Rasayana and Vajikarana Tajna (Ayurveda Specialist - Rejuvenative and Reproductive Medicine) | Rasayana and Vajikarana |
| II. Ayurveda Dhanvantari (MS Ayurveda): | | | | |
| 15. | Stree Roga - Prasuti Tantra (Ayurveda Gynaecology and Obstetrics) | MS (Stree Roga - Prasuti Tantra) | Stree Roga and Prasuti Tantra Tajna (Ayurveda Gynaecologist and Obstetrician) | Stree Roga - Prasuti Tantra |
| 16. | Shalya Tantra (Ayurveda Surgery) | MS (Shalya Tantra) | Shalya Tantra Tajna (Ayurveda Surgeon) | Shalya Tantra |
| 17. | Shalakya – Netra Roga Chikitsa (Ayurveda Ophthalmology) | MS (Shalakya Tantra – Netra) | Shalakya – Netra Roga Tajna (Ayurveda Ophthalmologist) | Shalakya Tantra |
| 18. | Shalakya – Karna, Naasa and Mukha Roga Chikitsa (Ayurveda Oto-Rhino-Laryngology) | MS (Shalakya Tantra – Karna, Naasa and Mukha) | Shalakya – Karna, Naasa and Mukha Roga Tajna (Ayurveda ENT Specialist) | |

**Note 1:-** The nomenclature, namely Prasuti and Stree roga awarded before publication of these regulations and Stree Roga - Prasuti Tantra in these regulations are same and equal.

**Note 2**. The nomenclature namely Mano Vijnana and Manasaroga awarded before publication of these regulationsand Manasaroga and Manovijnana in these regulations are same and equal.

(2) The nomenclature and equivalent modern terminologies of the Postgraduate Degree programmes under the Indian Medicine Central Council (Postgraduate Ayurveda Medical Education) Regulations, 2016 shall be continued as it is for the batches admitted before the publication of these regulations.

(3) From the academic session 2025-26 and onwards the existing Shalakya Postgraduate departments shall opt either Shalakya-Netra or Shalakya-KNM (Karna, Naasa and Mukha) and the Postgraduate teachers shall be provided unique teacher code accordingly. In case of availability of staff adequately as provided in these regulations, both the Postgraduate programmes may be opted. In such case the teachers shall be bifurcated into two Postgraduate programmes and issued unique teacher code accordingly. The intake capacity either single department or both the departments shall be sanctioned as per the availability of Postgraduate guides for the respective programmes for that academic sessions.

However, in any case the total sanctioned intake capacity shall not exceed the total intake capacity specified in letter of permission.

## CHAPTER-IV

## Minimum Essential Standards for Postgraduate Institution where Undergraduate Programme is in Existence

**5.General**.— (1) To run a Postgraduate Degree programme along with an undergraduate programme, there shall be an independent Postgraduate department in the concerned subject.

(2) The college or institution conducting both undergraduate programme and Postgraduate programmes shall fulfil all minimum essential standards in terms of infrastructure (constructed area, equipment and instruments), human resources and functionality as provided in MES-UG, and additional requirements as providedin these regulations for the concerned Postgraduate department or programme.

(3) In case of any action taken against undergraduate institution under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act by MARBISM, similar action shall be applicable to the corresponding Postgraduate department or programme.

(4) If any Postgraduate department fails to maintain the minimum essential standards provided in these regulations, MARBISM may deny permission for admission in the concerned Postgraduate Degree programme or may take such measures as per clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

**6.Additional requirements for Postgraduate education**.- In addition to the requirement provided underthe MES-UG the following shall be maintained additionally for the Postgraduate departments, namely:—

(1) Postgraduate Seminar Halls; (a) There shall be one seminar hall for each Postgradaute speciality or programme having minimum constructed area of 18 square feet per student (all students of three years of particulardepartment or programme) and with adequate furniture;

(b) one common seminar hall or auditorium with 20% of additional seating capacity (6.5 square feet per student) to the total strength of Postgradaute scholars (all three batches of all Postgraduate specialities or programme) of the Ayurveda Postgraduate teaching institution;

(c) postgraduate seminar halls shall be Information Communication Technology (ICT) enabled with suitable seating arrangement;

(d) there shall be sufficient lockers for all Postgradaute scholars in the respective specialty or department.

(2) Central Library: (a) Additional seating arrangements as per the Postgraduate intake capacity (1:2, one seat for every two Postgraduate students of yearly intake capacity) shall be provided in the central library. The minimumnorms and standards for Central Library shall be as provided in MES-UG;

(b) a minimum of 200 additional books for each Postgraduate department shall be made available. These additional books shall be specific to the Postgraduate department. There shall be at least 10 per cent. of yearly addition of books;

(c) in addition to the journals provided in MES-UG, a minimum of four journals (indexed) specific to each Postgraduate speciality shall be made available.

(3) Departmental Library: a minimum of 100 books shall be made available for each Postgraduate departmental library.

(4) Digital Library: Additional computer systems for Postgraduate students in the ratio of 1:5 i.e., one computer for five students (total annual intake capacity of all Postgraduate programme) shall be provided. Software or Computer Programme such as Grammarly, plagiarism check, statistical programs, citation or bibliography maker or generator and the like shall be made available in digital library.

(5) There shall be additional mannequins or simulators and other teaching technology for training of clinical skills shall be made available in Yogya-Clinical Skill Laboratory or Simulation Laboratory and the details are as provided in Schedule-VI of these regulations.

**7.Department wise minimum essential standards**.- (1) The minimum required area for each Postgraduate department shall be as provided in schedule-I of these regulations. In addition to the minimum essential standards provided for respective departments in MES-UG, the infrastructural facilities in respect to each Postgraduate department as provided below and as detailed in Schedule II of these regulations shall be made available, namely:—

(a) department of Integrative Health and Translational Research: (i) every Postgraduate institute iresepctiveof the Postgraduate programmes being conducted, shall establish this department. Central Research Laboratory, Quality Testing laboratory, Animal house, Clinical Research Cell and plagiarism scrutiny cell as applicable shall function under this department;

(ii) research commitees such as institutional research committee, institutional ethics committee for human subjects, institutional animal ethics committee and the like shall also function under this department;

(iii)this department shall also co-ordinate guide allotment process, alternate guide arrangement in case of emergencies, research monitoring and the like activities.

(b) postgraduate department of Samhita and Siddhanta – Language lab for Sanskrit shall be made available. Additional computer systems to the existing undergraduate language laboratory shall be added, so that the total number of computer systems and Postgraduate scholars (sanctioned intake capacity per year) shall be in the ratio of 1:1;

(c) postgraduate department of Rachana Sharira: 3D virtual dissection table and e-dissection software shall be made available. This department also facilitates practice of surgical techniques through Cadaveric surgery for the Postgradaute scholars of Shalya, Shalakaya and Stree Roga - Prasuti Tantra;

(d) postgraduate department of Kriya Sharira: digital spirometry, personality assessment scales, trichoscope, digital skinfold calliper, auto measuring tool for height, weight, and BMI; naadi recording equipment (advance model) along with relevant software, accessories and the like shall be made available;

(e) postgraduate department of Ayurveda-Biology: Molecular biology laboratory (schedule-VII of these regulations) and the like shall be made available;

(f) postgraduate department of Dravyaguna Vijnana: Pharmacognosy laboratory, phytochemistry laboratory, Green House and the like shall be made available;

(g) postgraduate department of Rasashastra and Bhaishajyakalpana: petrographic microscope programmeable

muffle furnace and the like shall be made available;

(h) postgraduate department of Roganidana-Vikritivijnana: Immunology laboratory, histopathology laboratory and the like shall be made available;

(i) postgraduate department of Agada Tantra: Poison detection facility; exclusive out-patient department and additional in-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds for one student), seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgradautes shall be made available. Average bed occupancy shall be not less than eighty per cent. in Agada Tantra In-patient Department;

(j) postgraduate department of Swasthavritta and Yoga: exclusive out-patient department, departmental vehicle for field visits, Nutrition laboratory with advance facilities, Panchakarma facility to administer ritusodhana and rejuvenation procedures to healthy individuals with day care facility;

(k) postgraduate department of Kaumarabhritya: (i) exclusive out-patient department; additional in-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds per Postgraduate seat intake capacity), Kaumara-panchakarma facility seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgradautes shall be made available. Average bed occupancy shall be not less than eighty per cent. in Kaumarabhritya in-patient department;

(ii) Breast Feeding area:- Demarcated area for breast feeding adjacent to OPD shall be made available;

(iii) Play area:- Demarcated area for play alongwith suitable play items shall be made available;

(iv) Neonatal Intensive Care Unit (NICU):- as per schedule-XIII of these regulations;

(v) Navajata Abhyanga and snana Unit with necessary equipments (Tub, Baby holder);

(vi) Pediatric and neonatal Procedure room with necessary equipment's, materials and medications for common pediatric procedures like Intravenous cannulation, naso-gastric tube insertion, stabilization, medication and other possible related procedures;

(vii) Child development clinic: - Each institute with Postgraduate department shall adapt at least two schools with schooling from nursery to 10th standard. The institute shall run child development clinic to assess health, growth and psychological development periodically. At-least two such assessments shall be done per year with proper health records of the child.

(l) postgraduate department of Kayachikitsa: exclusive out-patient department; additional in-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds per Postgraduate seat intake capacity), seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgraduates shall be made available. Average bed occupancy shall be not less than eighty per cent. in Kayachikitsa in-patient department;

(m) postgraduate department of Panchakarma and Upakarma: exclusive out-patient department; additional in-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds per Postgraduate seat intake capacity); seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgraduates shall be made available. Average bed occupancy of not less than eighty per cent. in Panchakarma in-patient department;

(n) postgraduate department of Stree Roga - Prasuti Tantra: exclusive two out-patient departments one each for Stree Roga - Prasuti Tantra, exclusive operation theatre to carry out Stree Roga - Prasuti Tantra related surgeries; procedure room or minor Operation Theatre to perform procedures like yonidhvana, yoni pichu and the like; Additional in-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds per Postgraduate seat intake capacity); seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgraduates shall be made available. Average bed occupancy of not less than eighty per cent. in Stree Roga - Prasuti Tantra in-patient department.; a minimum of 20 deliveries per month shall be the minimum requirement;

(o) postgraduate department of Shalya Tantra: exclusive out-patient department attached with minor operation theatre; additional in-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds per Postgraduates seat intake capacity); seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgraduates shall be made available. Average bed occupancy of not less than eighty per cent. in Shalya Tantra in-patient department. Major operation theatre, Minor operation theatre and anushastra karma facility shall be common for both undergraduate and Postgraduate departments;

(p) postgraduate department of Shalakya-Netra Roga Chikitsa: exclusive ophthalmic out-patient department having equipped with advance diagnostic facilities; exclusive ophthalmic Operation Theatre with operating microscope; additional in-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds per Postgraduate seat intake capacity); seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgraduates shall be made available. Separate in-patient department, separate kriyakalpa-netra facility. Average bed occupancy shall be not less than eighty per cent. in Shalakya-Netra beds;

(q) postgraduate department of Shalakya-Karna, Naasaa and Mukha Roga Chikitsa: exclusive Out-patient department having equipped with advance diagnostic facilities; exclusive Operation Theatre for Ear Nose-Throat surgeries; Kriyakalpa facility; additional in-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds per Postgraduate seat intake capacity); seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgraduates shall be made available. Average bed occupancy shall be not less than eighty per cent. in Shalakya-Kantha Nasa and Mukha beds;

(r) postgraduate department of Manasaroga and Manovijnana: exclusive Out-patient department; cubicles for counselling; de-addiction facility; Electro Encephalo Gram (EEG); In-patient department beds in the ratio of 4:1 (four beds per Postgraduate seat intake capacity); seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgraduates shall be made available. The in-patient department facility shall be with proper safety measures. Average bed occupancy shall be not less than eighty per cent. in Manasaroga in-patient department;

(s) postgraduate department of Rasayana and Vajikarana: exclusive out-patient department; procedure room, laboratory for carrying out retopariksha and the like, trinocular microscope with videography equipment and Light Emitting Diode display, in-patient department beds in the ratio of 4;1 (four beds per Postgraduate seat intake capacity); procedure room to perform vajikarana related procedures such as uttarbasti and the like; seating arrangement in the ward; accommodation for night duty Postgraduates shall be made available. Average bed occupancy shall be not less than eighty per cent. in Rasayan and Vajikarna in-patient department;

(t) there shall be Central Research Laboratory for carrying out various research experiments by Postgraduate scholars as well as teaching faculty. The minimum infrastructure, facilities, equipment, instruments and human resources and the like shall be as provided in Schedule-I, III, and X of these regulations;

(u) quality testing laboratory (separately or attached to central research laboratory) shall be made available in case of postgraduation in Dravyaguna and or Rasashastra & Bhaishajyakalpana. The minimum infrastructure, facilities, equipment, instruments and human resources and the like shall be as provided in Schedule-I and IV of these regulations;

(v) approved animal house and animal experimentation laboratory shall be made available in case of postgraduation in the departments of Dravyaguna; Rasashastra and Bhaishajya Kalpana; Agada Tantra; Samhita and Siddhanta. The minimum infrastructure, facilities, equipment, instruments and human resources and the like shall be as provided in Schedule-I, V and X of these regulations;

(w) there shall be Clinical Research Cell in the hospital to co-ordinate the clinical research activities of the institutions. The cell shall contain an office with furniture to accommodate research co-ordination staff as well as facilities for document storage, reserach medicines and the like. This cell shall also facilitate randomization of research subjects, blinding of trial durgs, research audit, research drug audit and the like research related activities. The minimum required staff for this cell shall be as provided in Schedule- X of these regulations;

(x) there shall be Plagiarism Scrutiny Cell in every Postgraduate institution. There shall be a coordinator (an Associate Professor of any Postgraduate department), and shall be provided computer, printer, internet and suitable software programme for checking Plagiarism.

**8.Minimum essential requirement of human resources**.— (1) There shall be minimum of one Professor, one Associate Professor or Reader and one Assistant Professor or Lecturer for each Postgraduate department or programme except for the department of integrative health and translational research. The minimum required teaching staff shall be as provided in Schedule-VIII of these regulations.

(2) Professor cum head of the department may be common for both undergraduate and Postgraduate departments of the concerned subject, provided the Professor is posessing Postgraduate Degree in the concerned subject. In case if the Professor of undergraduate department is not possessing Postgraduate Degree in concerned subject, an additional Professor with Postgraduate qualification and experience as provided in these regulations shall be required for Postgraduate speciality or Programme.

(3) Associate Professor or Reader, Assistant Professor or Lecturer shall be exculsive for Postgraduate departments and in addition to the teaching staff provided for the concerned undergraduate department as laid down in the MES-UG.

(4) Department of Integrative Health and Tanslational Research: there shall be a minimum of one full time regular Professor (Postgraduate Degree holder in Swasthavritta and Yoga preferly with Ph.D) and a biostatistician, biochemist, microbiologist and pharmacologist shall be appointed on part time basis.

(5) For the Postgraduate departments of Manasaroga evam Manovijnana, Rasayana evam Vajikarana and Ayurveda Biology in which departments there is no undergraudation, in such departments there shall be minimum of one Professor, one Associate Professor or reader and one assistant Professor or Lecturer exclusively for respective Postgraduate programme shall be appointed.

(6) In the event of the availability of more than one Professor in a Postgraduate department, the position of head of the department shall be given to each Professor for a period of three years on a rotation basis.

(7) The qualification and experience of teaching staff shall be as provided under regulation 30 of these regulations.

(8) Part-time teachers shall attend a minimal of thirty hours per month with atleast four hours per visit, preferably on fixed days.

(9) Duplication of the faculties between the undergraduate department and Postgraduate department or programmes shall not be accepted in any case.

(10) Each institute shall provide non-teaching staff additionally as provided in Schedule-X of these regulations in the concerned department in which Postgraduate programmes are conducted.

(11) Qualifications and experience for non-teaching staff shall be as per the Schedule-X of these regulations.

(12) Additional hospital staff for Postgraduate programmes shall be as provided in Schedule-XII of these regulations.

**9.Time lines to comply minimum essential standards by Postgraduate institutions established before notification of these regulations.—** (1) Separate Postgraduate departments shall be established in the departments in which Postgraduate programmes are conducted within twelve months period from the date of notification of these regulations.

(2) The timeline provided in Table-2 is the maximum and no relaxation shall be given thereafter.

**Table-2**

**Time lines to comply minimum essential standards by Postgraduate institutions established before notification of these regulations**

| Serial Number | Standard or Unit or Section or Facility | Time Line (from the date of publication of these regualtions in Official Gazzette) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Creation of Postgraduate departments | 12 months |
| 2. | Central Research Laboratory, instruments, equipement and Human Resources | 1 month |
| 3. | Quality testing Laboratory, instruments, equipement and Human Resources | 1 month |
| 4. | Clinical Research Cell and Human Resources | 18 months |
| 5. | Animal house and animal experimentation laboratory and Human Resources | 18 months |
| 6. | Plagiarism scruitiny cell | 6 months |
| 7. | OPDs for PG Specialities (as applicable) | 12 months |
| 8. | Teaching staff | 12 months |
| 9. | Department wise equipment and instruments | 6 months |
| **Note 1:** The above-mentioned time lines are for developing physical infrastructure and acquiring equipment or instruments. However, constitution of committees and functions of various units or cells shall be started within a month.<br>**Note 2:** The Medical Institutions fully established or under establishment before the publication of these regulations may continue with same infrastructure and Human resourses, except for the standards provided in Table-2 which shall be fulfilled as per the time line provided in Table. The time lines provided in the said Table are maximum and no relaxation shall be provided thereafter. | | |

## CHAPTER-V

## Minimum essential standards of stand-alone Postgraduate Institutions

**10. Land requirement.-** (1)The minimum required land to establish a stand-alone Postgraduate institution or college or centre shall be as provided in Table-3

**Table-3**
**Minimum Required Land**

| Serial Number | Area category | Minimum Required Land (in acres) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Tier I or Mega and Metro cities * | $ |
| 2. | Tier II cities, North-eastern States, Hilly areas and notified tribal areas | 3.5 |
| 3. | Any other area except the areas provided in Serial Number 1 and 2 | 5.0 |
| * Mega and Metro cities: Greater Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat as per census of India in force. | | |
| $ for the land requirements the following conditions need to be adhered;<br>(a) The land required in Mega and Metro cities shall be calculated on the basis of required constructed area as provided in these regulations and municipal corporation by-laws.<br>(b) The built-up area has to be approved by the concerned development authority as per the latest building | | |

bye-laws (development controls) in those cities.

(c) A copy of certified building by-laws shall be made available by the applicant institution.

(d) Copy of the approved plan from local statutory body and the completion plan along with completion certificate from the same body, shall be provided.

(e) The provisional occupancy certificate shall be considered only for three consecutive academic years;

(f) Thereafter only completion certificate and completion plan shall be considered for continuance of approval.

(2) The land shall be, not more than two pieces and the distance between the two pieces shall not be more than five kilometres.

(3) If the plots are separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge shall be treated as one piece of land.

(4) Applicant shall either own or possesses the land on lease for not less than thirty years, in the name of applicant body and the same shall be renewed before expiry of lease.

(5) In case of institutions having lease agreement for land, the institute shall not be granted permission for admission for the last three years of lease period unless the institute submit a notarised affidavit every yearmentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submit the renewed lease agreement before expiry of lease period.

(6) Fully established functioning Ayurveda hospital having NABH accreditation, (at least entry level) with minimum of sixty (60) beds, having average bed occupancy not less than 60 per cent. and established with all minimum essential standards as laid down in MES-UG for sixty bedded hospitals shall be the minimum requirment.

**11. The Campus in general**.- (1)The campus designated for stand-alone Postgraduate institution and attached teaching hospital shall have proper approach road, well-constructed compound wall with proper arrangements for security.

(2) The campus designated for stand-alone Postgraduate institution shall accommodate,—

(a) institute of Postgraduate Studies;

(b) attached teaching hospital;

(c) canteen;

(d) hostels.

(3) All the buildings shall have all relevant permissions from concerned authorities.

(4) There shall be fire safety, sewage treatment plant, pollution control facilities, disaster management measures, and the like with proper permission or approval from concerned authorities.

(5) Institute must provide a barrier-free environment for the independence, convenience, and safety of the physically challenged persons.

(6) The campus shall have an appropriate layout plan for free vehicular movement and demarcated parking area.

(7) The parking area shall be labeled or marked for higher officials, employees, and students.

(8) The campus shall have adequate water supply, proper drainage system and electricity supply including power back-up system.

(9) The Central Workshop, Informtion Technology Cell, college website, Biometric Attendance System, Closed Circuit survellence system, Official Contact Details, Official Banck Account Details and the like shall be as provided in MES-UG.

**12. Minimum essential standards for institute of Postgraduate studies.-** (1) Minimum constructed arearequired for various units of administration sections shall be as provided in Table- 4

**Table-4**

**Sub-Units of Administration Section and the Specifications**

| Serial Number | Unit | Minimum Required Area (square meters) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Head of the Postgraduation Institution (Director or Dean or Principal) Office including anteroom and attached toilet | 50 |
| 2. | Personal Assisstant to head of the institution | 10 |
| 3. | Pantry | 05 |
| 4. | Visitors lounge for visitors to head of the institute | 10 |
| 5. | College Office (seating arrangement to superintendent, clerks, accountants, record room and visitors lounge for office visitors) | 50 |
| 6. | College Council meeting hall | 30 |
| 7. | Central store | 30 |
| Total | | 185 |
| Note: The Medical Institutions fully established or under establishment before the publication of these regulations may continue with same infrastructure, except for the infrastructural standards provided in Table - 5 which shall be fulfilled as per the time line provided in Table-5. | | |

(2) The minimum essential standards required for each Postgraduate department and their Associated unitsshall be as detailed below:

(a) the minimum constructed area required for each Postgraduate department and their Associatedunits shall be as provided in Schedule-II attached to these regulations;

(b) the department of Integrative Health and Translational Research is the mandatory department and it shall be established in all Postgraduate institutions;

(c) seating arrangements and other facilities for teaching staff in each Postgraduate department shall be as provided in sub-regulation (6) regulation 3.

(3) (a)There shall be one seminar hall for each Postgraduate speciality or programme to accomodate all students of three years, having constructed area at the rate of 18 square feet per student with adequate seating arrangement;

(b) one common seminar hall or auditorium to accommodate all three batches of all Postgraduate specialities or programmes with twenty per cent. of additional seating capacity at the rate of 6.5 square feet per student;

(c) postgraduate seminar halls shall be information communication technology (ICT) enabled with suitable seating arrangement.

(4) There shall be sufficient lockers for all Postgraduate scholars in the respective specialty or department.

(5) (a) The area of the central library shall not be less than one hundred and fifty square metres, and the minimum number of books and other specifications, requirements, library functioning and facilities in the centrallibrary shall be as provided in the MES-UG for sixty student intake capacity;

(b) a minimum of two hundred additional books for each Postgraduate department shall be made available;

these additional books shall be specific to the Postgraduate specialty or programme or department; there shall be yearly addition of books;

(c) in addition to ten common research journals a minimum of four journals specific to each Postgraduate subject or speciality shall be made available in the central library;

(d) departmental Library with minimum of one hundred books shall be made available in each Postgraduate department.

(6) digital library shall have the total constructed area not less than forty square metres and computer systems for Postgraduate students in the ratio of 1:5 that is, one computer system for five students of annual intake capacity shall be installed. Software or programmes such as plagiarism check, statistical programs, citation or bibliography maker or generator etc. shall be made available in the digital library.

(7) Yogya-Clinical Skill Laboratory or Simulation Laboratory shall have the facilities as provided in Schedule-VI of these regulations.

(8) (a) Examination or Multipurpose or Yoga Hall having area of two square metres per Postgraduate student with additional area of twenty per cent. of the total Postgraduate students of three years, with appropriate seating arrangement shall be made available;

(b) the multi-purpose hall shall be used for conducting of programmes such as meetings, seminars, conferences, examinations, yoga training and shall be provided with audio-visual facility, closed - circuit television and toilet facility.

(9) Every stand-alone Postgraduate institute shall have a Central Research Laboratory with advance research facilities for carrying out various research experiments by students. The minimum equipment and instruments for Central Research Laboratory shall be as provided in Schedule-III of these regulations.

(10) Quality Testing Laboratory with the minimum equipment and instruments as provided in Schedule- IV of these regulations shall be made available in case of Postgraduate programme in Dravyaguna and Rasashastra evam Bhaishajyakalpana.

(11) (a) Animal House and Animal Experimentation Laboratory as provided in Schedule-V of these regulations shall be made available in case of Postgraduate Degree programme in Dravyaguna, Rashashastra evam Bhaisjyakalpana, Agadtantra and Ayurveda Samhita evam Siddhanta;

(b) in case, the college is located in university campus and if the animal house is located in the same campusas a common facility, in such case the same facility may be utilised for Ayurveda college.

(12) (a) Clinical Research Cell in the hospital shall be made available to co-ordinate the clinical researchactivities of the institutions. The Cell shall contain an office with furniture to accommodate research co-ordinationstaff as well as facilities for document storage, Reserach medicines and the like;

(b) the Cell shall also facilitate randomization research subjects and blinding of trial drugs, conduct research audit, research drug audit and the like research related activities. The minimum required staff for this cell shall beat provided in Schedule-XI of these regulations.

(13) (a) Plagiarism Scrutiny Cell shall be made available in every Ayurveda Postgraduate teaching institution, that function under the department of Integrative Health and Translational Research. There shall be a Coordinator appointed out of any of the faculty member at the level of Associate Professor and above from any Postgraduate department;

(b) the Cell shall be provided computer, printer, internet and suitable software programme for checking plagiarism.

(14) (a) Each stand-alone Postgraduate institution shall have attached hospital having minimum sixty in- patient beds, that shall fulfil all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, functionality, facilities including equipment and instruments and the like as provided in MES-UG;

(b) in addditon to the facilities available in the hospital, department wise essential requirements in those departments in which Postgraduate porgrammes are being conducted shall be made available as detailed in regulations 7 and 8.

(15) Canteen facility shall be made available with adequate space and seating arrangements in accordance with total student strength of the institute.

(16) Hostel accommodation separately for girls and boys preferably single accommodation shall be made available. There shall be mess facility, adequate furniture, reading room, recreational facility and security services. In case if the hospital is located in a separate campus, the hostels shall be within the hospital campus.

(17) Adequate facilities shall be provided for conduction of co-curricular and extra-curricular activities as under, namely:—

(a) physical educational facility;
(b) recreational facility;
(c) club activities such as fine-arts club, sports club, science club, language club, journal club, Photography club, animal lover club and other clubs as per the requirement;
(d) Student amenities like transportation, Bank or Automated Teller Machine, playground for both indoor and outdoor games, gymnasium or fitness centre, cafeteria and the like are to be made available;
(e) adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places separately for male and female students shall be provided;
(f) sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets;
(g) common room with accommodation capacity of minimum twenty per cent. of total annual intake capacity for male and female students separately with adequate area, furniture and attached toilet facilities shall be provided;
(h) each institute shall establish a herbal garden with an area of two thousand and five hundred square metres within the institute campus and shall accommodate minimum of two hundred and fifty medicinal plant species labelled with Quick Response Codes;
(i) closed-circuit television shall be installed at biometric attendance system area, classrooms, library, digital library, practical laboratories, clinical skill or simulation laboratory, corridors, multi-purpose hall and other areas as required by the institution.

(18) Human Resource Development Cell shall be established in each institute and function as laid down in MES-UG and the area required for the Human Resource Development Cell shall not be less than fifty square metres.

(19) The college council shall be established and function as per the specifications prescribed in MES-UG. The space for the college council room shall be a minimum of thirty square metres with adequate seating arrangements and records-keeping facilities.

(20) Each institute shall establish Student Support and Guidance Cell to support, guide, and encourage the students in academic, scholastic, social, emotional, personal, and career developments. It shall be constituted and function as per the university guidelines; if such guidelines are not available, it shall be as per the institution policy and procedures. The room for the Student Support and Guidance Cell shall be provided with space not less than twenty square metres with proper seating arrangements including a record-keeping facility and other related facilities.

(21) Each institute shall establish Grievance Redressal Cell to address the grievances of the students. The committee shall be constituted and function as per the institution's policies and procedures. The room allotted for the Student Support and Guidance Cell can be utilised by the Grievance Redressal Cell for their meetings and maintaining related records.

(22) Each institute shall have a Committee Against Sexual Harassment constituted and functioning as per the institution's policies and procedures for the creation of a safe, equitable and inclusive campus environment. Thecommittee shall create awareness about sexual harassment and shall deal with complaints or grievances pertaining to sexual harassment, sexual misconduct and sexual assault committed by the students, staff, and visitors on campus. It is the responsibility of the committee to ensure that the confidential procedures are followed. The room allotted for the Student Support and Guidance Cell can be utilised by the Committee Against Sexual Harassment Committeefor their meetings and maintaining related records.

(23) Each institute shall have an internal quality assurance cell for planning, guiding, and monitoring quality assurance and quality enhancement activities of the institute. The constitution and function of the cell shall be as laid down in MES-UG. A room with a minimum space of thirty square metres with proper seating arrangements and record-keeping facilities shall be provided;

(24) (a) Two common rooms for non-teaching staff one for males and one for females, shall be provided with adequate furniture, seating arrangements, attached toilets, drinking water and refreshment facilities;

(b) adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places for teaching staff and non- teaching staff shall be provided in each floor of the building;
(c) there shall be separate toilet facility for male and female staff;
(d) sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets.

**13. Minimum Requirement of Human Resourses**. - (1) Minimum requirement of Teaching Staff, non- teaching staff shall be as detailed in schedule-IX and XI of these regulations respectively.

(2) Qualification and experience of teaching staff shall be as provided in regulation 30 of these regulations.

**14. Time lines to comply minimum essential standards by stand-alone Postgraduate institutions established before publiction of these regulations**.—(1) The stand-alone Postgraduate institutions established before publiction of these regulations shall comply these regulations as detailed in Table-5.

(2) The timeline provided in Table-5 is the maximum and no relaxation shall be given thereafter.

**Table-5**
**Time lines to comply minimum essential standards by stand-alone Postgraduate institutions established before notification of these regulations**

| Serial Number | Standard or Unit or Section or Facility | Time Line from the date of publication of these regulations in official gazette |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Central Workshop or Maintenance cell | 18 months |
| 2. | Digital Library | 18 months |
| 3. | Information Technology Cell | 6 months |
| 4. | Central Research Laboratory | 1 month |
| 5. | Quality testing Laboratory | 1 month |
| 6. | Clinical Research Cell | 18 months |
| 7. | Animal house and animal experimentation laboratory | 18 months |
| 8. | Plagiarism scruitiny cell | 6 months |
| 9. | Yogya – Clinical Skill or Simulation Lab | 18 months |
| 10. | Human Resource Development Cell | 18 months |
| 11. | College Council Meeting Room | 18 months |
| 12. | Students Council Room | 18 months |
| 13. | Academic Committee | 1 month |
| 14. | Student Support, Career guidance and placement cell | 18 months |
| 15. | Grievance redressal cell | 18 months |
| 16. | Committee Against Sexual Harassment (CASH) | 1 month |
| 17. | Internal Quality assurance Cell (IQAC) | 18 months |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | Co-Curriculum and extra-curricular activity | 18 months |
| Hospital | | |
| 19. | Screening OPD | 1 month |
| 20. | Medical Record Room | 18 months |
| 21. | Visha Chikitsa OPD | 1 month |
| 22. | Visha Chikitsa Ward | 1 month |
| 23. | Clinical Classrooms | 24 months |
| 24. | Ward attached procedural rooms | 24 months |
| 25. | Anushastra karma section | 18 months |
| 26. | Kriyakalpa (Shalakya) | 18 months |
| 27. | Yoga Hall | 24 months |
| 28. | Pathya Diet Centre | 18 months |
| 29. | Doctors Lounge | 24 months |
| 30. | Hospital Staff Room | 24 months |
| 31. | Hospital Meeting Hall | 24 months |
| 32. | Garbhsanskara | 18 months |
| 33. | Pharmacovigilance cell | 18 months |
| Other new standards or additions or expansions | | |
| 34. | Construction | 18 months |
| 35. | Department wise equipment and instruments | 06 months |
| 36. | Human resources | 12 months |

Note 1: the above-mentioned time lines are for developing physical infrastructure and acquiring equipment or instruments. However, constitution of committees and functions of variousunits or cells shall be started within a month.

Note 2: The Medical Institutions fully established or under establishment before the publication of these regulations may continue with same infrastructure, except for the infrastructural standards provided in Table-5 which shall be fulfilled as per the time line provided in the Table-5 .

## CHAPTER-VI
## Inspection or Visitation or Assessment

**15.** (1) The *suo-moto* inspection, visitation, or assessment of Postgraduate departments where undergraduate programme is in existence and stand-alone Postgraduate medical institutions shall be carried out by the MARBISM every year under section 28 of the Act.

(2) In case of Postgraduate institutions where an undergraduate programme is in existence, the inspection, visitation, or assessment shall be carried out either simultaneously or seperately at different time having exclusive visitors or inspectors or assessors for Postgraduate departments.

(3) The Postgraduate institution shall be inspected, visited, or assessed individually by MARBISM. The assessment shall be carried out Postgraduate department or programme wise.

(4) Fully established Postgraduate departments shall be categorised into two categories, based on the following criteria, namely:—
(a) extended pemission; and
(b) yearly permission.

(5) Fully established Postgraduate department or specialty under section 28 that has been permitted by MARBISM consecutively for the preceeding three years shall be considered under “Extended Permission” category.

(6) Postgraduate department or specialty under the category of “extended permission” is eligible to participate in the counseling process and admit students every year as per the sanctioned student intake capacity without obtaining permission from the MARBISM unless otherwise denied by MARBISM as a result of *suo-moto* visitation or assessment. The provision of “extended permission” status shall not be applicable for the

Postgraduatedepartments or specialties under the following conditions, namely:—

(a) if the Postgraduate department or specialty acted upon by MARBISM under clause (f) of sub- section (1) of section 28 of the Act;

(b) if there are any pending legal issues or disciplinary actions against the Postgraduate department, specialty, or institution;

(c) if the college or institute violated the provisions of regulations on admission of Postgraduate students as provided in these regulations and violated the counseling and admission guidelines issued by the Commission from time to time;

(d) if the Postgraduate departments are under section 29 of the Act; however, in case of multiple Postgraduate programmes in a single department, the Postgraduate programme that is already in extended category shall be continued in extended permission status;

(e) if the institution has not deposited the annual inspection or visitation fee for the year of extended permission.

(7) Fully established Postgraduate departments or specialties under section 28 that are not fulfilling the criteria provided in sub-regulation (4) and the Postgraduate departments under section 29 shall be categorised under the "Yearly Permission" category.

(8) the Postgraduate department or specialty of Postgraduate medical institutions under the "yearly permission" category shall participate in counseling process and admit students every year only after receiving permission for admission from the MARBISM.

(9) (a) Inspection, visitation, or assessment carried out by the MARBISM shall be for continuation of extended permission or granting of yearly permission or for taking such measures under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act;

(b) all the medical institutes, irrespective of category, either extended permission or yearly permission, shall keep uploading real time or periodical datum on the Commission online portal in the format provided by MARBISM;

(c) all the Institutes, shall deposit the annual inspection or visitation fee of rupees one lakh per Postgraduate programme along with digitization fee of rupees fifty thousands per posrgraduate programme with applicable taxes within the time period in to the bank account of the Commission;

(d) for the Postgraduate departments or specialties categorised under the 'Extended Permission' category, the institutes shall submit an affidavit as per the format and period of submission provided by MARBISM;

(e) the MARBISM shall conduct inspection, visitation or assessment, in the manner and mode as decided by the MARBISM, every year at any time during the academic year to assess the fulfilment of the minimum essential standards;

(f) the period of assessment shall be of twelve months that is from preceding month of visitation, inspection or assessment; the data disclosed by the institute under clause (b) for the said twelve-month period shall be taken up for the assessment;

*Illustration:* If an institution is being assessed, inspected or visited in the month of August 2024, then the period of assessment shall be from August 1, 2023, to July 31, 2024;

(g) after assessment, MARBISM shall communicate the decision of the assessment, inspection, or visitation to the institutions under "Yearly Permission" category, ordinarily sixty days before the counselling for admission every year;

(h) if the Postgraduate department or specialty under the "Extended Permission" category did not receive any communication from MARBISM ordinarily sixty days before the commencement of counseling process of Ayush Admissions Central Counseling Committee for admission for that particular academic year, then it is presumed that the Postgraduate department or specialty holds its status of extended permission for that particular academic year and shall be allowed to participate in counseling and admission processes as per the provisions of the relevant regulations;

(i) (i) during the process of assessment or visitation or inspection if any deficiency found either in the documents or in the data or in the fulfilment of minimum essential standards or in the functionality of Postgraduate department or specialty of the Postgraduate institutes under the 'Extended Permission" category and based on this, observation if MARBISM initiates any action due to non-fulfilment of minimum essential standards under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act, such decision shallbe communicated by MARBISM to the respective college or institute ordinarily sixty days before the commencement of counseling for admission by Ayush Admissions Central Counseling Committee;

(ii) in such case, the extended permission status shall stand withdrawn for such Postgraduate department or specialty and all rules and regulations related to the 'Yearly Permission' category shall be applicable; such institutes may attain 'Extended Permission' status only after fulfilling the conditions provided in this regulation;

(j) MARBISM shall have the power to re-visit the Institutions at any time and any number of times during the academic year for assessment, inspection or visitation;

(k) (i) the institutes seeking permission for not admiting students consecutively for three academic sessions or the Postgraduate department, specialty, or institute that has been denied permission to admit students consecutively for three academic sessions by MARBISM, shall be treated as deemed to be closed and MARBISM shall recommend the closure of such institutions to the Commission;

(ii) if such institute or Postgraduate department would like to restart, it shall undergo the processof new establishment under section 29 of the Act.

(l) (i) the provision to "rectify the defects" shall not be applicable to the existing fully establishedInstitutions;

(ii) these are the minimum essential standards, no chance to "rectify the defects" shall be given to the fully established existing medical institutions or Postgraduate departments under section 28.

## CHAPTER-VII

## Minimum standards of education of Postgraduate Degree programme, Doctor of Medicine(M.D.) and Master of Surgery (M.S.)

**16.** Postgraduate Degree programmewise specific competencies—

(1) Ayurveda Samhita evum Siddhanta:
- (a) ability to read and understand the Samhitas;
- (b) ability to apply Tantra yukthies appropriately;
- (c) ability to understand and apply Anukta and Leshokta;
- (d) ability to understand commentaries and apply appropriately in understandingSamhita;
- (e) ability to establish principles described in Samhitas, considering them as hypothesis and generate a proof on the contemporary scientific lines; and
- (f) the Postgraduate in Samhita evum Siddhanta shall be the specialist in the 'Critical Appraisal of Samhita and its application in clinical practice.

(2) Ayurveda-Biology:
- (a) ability to understand and apply knowledge of Ayurveda Biology, Ayurinformatics and Ayurgenomics;
- (b) ability to establish ayurveda fundamental principles on the lines of advance scientific methods or parameters;

(c) ability to demonstrate principles of Ayurveda through experiments of molecular biology, biotechnology, genetics etc.;
(d) ability to understand and demonstrate molecular mechanisms in physiological and pathological process;
(e) ability to understand and demonstrate Bija and Bija dosha on the lines of genetics;
(f) ability for genetic counselling; and
(g) the Postgraduate in Ayurveda-Biology shall be the specialist in Ayurveda-Biology, Ayurinformatics and Ayurgenomics.

(3) Rachana Sharira:
(a) detailed understanding of structure of Human body;
(b) ability to dissect the human body systematically;
(c) ability to understand Sapta dhatu in terms of tissues of human body;
(d) ability to locate Marma in human body;
(e) ability to demonstrate surgical anatomy;
(f) ability for embalming and preparation of organs and sections of specimens for anatomy museum;
(g) ability for plastination of organs;
(h) ability to understand and demonstrate advance anatomy aids like 3D anatomy table and other e-dissection software;
(i) the Postgraduate in Rachana Sharira shall be the specialist of 'Rachana Sharira'.

(4) Kriya Sharira:
(a) ability to understand and demonstrate physiological functions of human body in detail;
(b) ability to assess and demonstrate Ayurvedic physiological entities like Prakrit, Saara, Samhanana, Dosha, KshayaVridhi and other Ayurvedic physiological concepts in detail;
(c) ability to conduct and demonstrate physiological tests and experiments;
(d) the Postgraduate in Kriya Sharira shall be the specialist of 'Kriya Sharira'.

(5) DravyagunaVijnana:
(a) ability to understand and demonstrate Rasapanchaka;
(b) ability to identify and authenticate Vanaspatikdravya (medicinal plants);
(c) ability to conduct and demonstrate pharmacognosy experiments;
(d) ability to apply Grahya and Agrahya lakshana including quality control issues of raw drugs (herbal);
(e) ability to clear controversy and suggest substitute drugs;
(f) ability to define Ayurveda pharmacological properties for new herbs;
(g) ability to conduct and demonstrate pharmacological experiments including animal studies;
(h) knowledge of tissue culture, bio-informatics, network pharmacology, stem cell experiments etc., and other emerging area related to dravyaguna;
(i) the Postgraduate in DrvyagunaVijnana shall be the specialist of 'Identification and Biological Actions of Herbs'.

(6) Rasashastra evum Bhaishajy Kalpana:
(a) fundamental and applied knowledge in Rasashastra and Bhaishajya Kalpana in detail;
(b) ability to understand the processes described in Rasashtra in the light of chemistry & chemical technology;
(c) classical and contemporary knowledge on drug manufacturing including newer dosage forms and drug development;
(d) ability to identify the need and areas of research in Rasashastra and Bhaishajyakalpana;
(e) familiar with the drug standardisation and quality control as well as quality assurance methods and related equipment;
(f) knowledge of standard databases pertaining to drug and ability for preparation of drug dossier; Familiar with drugs & cosmetic and other relevant acts;
(g) knowledge of pharmacovigilance along with its need, scope and objectives;
(h) ability to authenticate raw materials of Rasashastra;
(i) understanding and application of material and operational management, clinical pharmacy and pharmacy practice;

(j) the Postgraduate in Rasashastra and Bhaishajyakalpana shall be the specialist in 'Ayurvedic Pharmaceutics and Pharmaceuticals'.

(7) Roganidana - Vikritivijnana:

(a) ability to understand samprapti and Pancha lakshana nidana;
(b) ability for understand basic pathology, systemic pathology and pathological process and interpret or apply in Ayurveda perspective;
(c) ability to carry-out appropriate investigations, biochemical, microbiological, imaging techniques, histopathology and the like for confirmation of clinical diagnosis;
(d) Postgraduates of Roganidana-Vikritivijnana are authorized to sign and authenticate diagnostic investigations or tests to the extent of teaching and training;
(e) Postgraduates of Roganidana-Vikritivijnana are authorized to establish and manage diagnostic laboratory with the diagnostic facilities to the extent of teaching and training;
(f) the Postgraduate in Roganidana-Vikritivijnana shall be the specialist of 'Pathology and Laboratory Diagnosis'.

(8) Agad Tantra evum Vidhi Vaidyaka:

(a) ability to diagnose poisonous conditions and its medical management;
(b) ability to identify dushivisha, garavisha in present context and suggest remedial measures;
(c) ability to deal with the clinical conditions and their complications caused due to poisons and allergens;
(d) ability to deal with Medical Jurisprudence;
(e) the Postgraduate in Agada Tantra shall be the specialist of 'Visha Chikitsa & Medical Jurisprudence'.

(9) Swasthavritta evum Yoga:

(a) ability for Lifestyle Management (Dinacharya, Ritucharya) as per ayurveda in clinical practice;
(b) ability to administer Yoga for healthy and diseased individuals;
(c) ability for Dietetic practices;
(d) ability for Public Health measures;
(e) the Postgraduate in Swasthavritta evum Yoga shall be the specialist of 'Lifestyle Management & Public health'.

(10) Kaumarabhritya:

(a) ability to manage clinical conditions in general in children up to the age of 18 years;
(b) ability to understand 'normal child';
(c) implementation of immunization schedule including Swarnaprashan;
(d) ability to administer Panchakarma procedures in children up to the age of 18 years;
(e) he or she shall be the specialist in 'Management of 'Balroga'.

(11) Kayachikitsa:

(a) ability to diagnose clinically;
(b) interpret and correlate diagnostic investigational reports and arrive to diagnosis and treat the patient accordingly;
(c) ability to give appropriate treatment in acute & chronic clinical conditions;
(d) ability to manage clinical conditions in general & the referrals in particular;
(e) ability to ascertain the fitness for Panchkarma, Shalya, Shalakya, Stree roga- Prasuti Tantra procedures and give certificate for the same;
(f) ability to advise appropriate investigations, biochemical, microbiological, imaging techniques, biopsy and the like for confirmation of the diagnosis for the benefit of the patients;
(g) the Postgraduate in Kayachikitsa shall be the specialist of 'Kayachikitsa'.

(12) Panchakarma evum Upakarma:

(a) ability to identify disease conditions appropriate for any of the Panchakarma or upakarma;
(b) ability to select, plan and administer panchakarma procedures suitable to the clinical condition;
(c) ability to certify the fitness for Panchakarma;
(d) ability to administer Panchakarma Procedures;

(e) ability to manage complications of Panchakarma procedures;
(f) the Postgraduate in Panchakarma shall be the specialist of 'Panchakarma Procedural Management'.

(13) Stree roga - Prasuti Tantra:
(a) ability to Manage gynaecological conditions;
(b) ability to perform gynaecological & obstetric surgeries as per the teaching & training, and other therapeutic procedures like Uttarabasti etc., related to the speciality;
(c) ability for antenatal care and conduction of deliveries;
(d) ability to conduct diagnostic tests related to the speciality;
(e) ability to undertake conception and contraception measures as per teaching & training received;
(f) the Postgraduate in Streeroga - Prasuti Tantra shall be the specialist of 'Streeroga - Prasuti Tantra'.

(14) Shalya Tantra:
(a) ability to Perform surgeries as per the teaching & training received;
(b) ability to diagnose surgical conditions and suggesting and carrying our necessary diagnostic tests specific to the speciality and interpret the results of diagnostic tests;
(c) ability to perform surgeries as listed below:-

(i) Lekhana or Chhedana of Dushta Nija Vrana (Debridement or fasciotomy or Curettage);
(ii) bhedana of Vidradhi (Incision and Drainage of abscess), Gudavidradhi, Stana vidradhi (Perianal abscess, breast abscess, Axillary abscess, cellulitis, etc.);
(iii) sandhan Karma (all types of skin Grafting i.e., SSG, EEG, Cross Flaps) Karna Pali Sandhan (ear lobe repair), etc;
(iv) chhedan Karma of Granthi, Arbuda, (Excision of simple cyst, Sebaceous cyst, Dermoid cyst, mucosal cyst, retention cyst etc. or benign tumours (lipoma, fibroma, schwannomata of Non vital Organs);
(v) chhedan Karma of Sira-Snayu Kotha. (Excision or amputation of gangrene);
(vi) sadyo-vrana management (traumatic wound management):

(A) sivan karma (all types of suturing, Haemostatic ligatures);
(B) sandhan Karma of Sira-Kandara-Snayu (Ligation and repair of tendon and muscles):

(I) Pranashta Shalya Nirharan (Removal of metallic and non-metallic foreign bodies from non vital organs);
(II) Bhagna Chikitsa- Aanchhan- Pidan – Sankshep – Kusha Bandhan (close reduction, immobilization, splints or cast);
(III) Correction of Sandhimoksha (reduction of dislocation and subluxation);
(IV) Udara roga chikitsa, or Dakodar Visravan (Laparotomy or paracentesis);
(V) Arsha – Kshara karma, Chhedan (various methods of haemorrhoidectomy, rubber band Ligation, Sclerotherapy, IRC, Radio frequency or Laser ablation, etc.);
(VI) Parikartika, Sanniruddha Guda (Fissure in Ano – Anal Dilatation, Sphincterotomy, Anoplasty)
(VII) Bhagandara Chhedan, Ksharsutra (Fistulectomy, Fistulotomy);
(VIII) Nadivrana Chhedan, Ksharsutra (Excision of pilonidal sinus);
(IX) Guda-bhransha- Sandhan Karma (various Rectopexies);
(X) Ashmari- Nirharan (suprapubic cystostomy or cystolithotomy);
(XI) Mutragraha or Mutrakrichha- Mutramarg Vivardhan (Urethral Dilatation, meatotomy);
(XII) Niruddha Prakash (Phimosis), Parivartika (Paraphimosis Circumcision.);
(XIII) Vriddhi Roga Chikitsa, Sandhan Karma (Congenital or Inguinal or Umbilical or Epigastric or Femoral or Incisional Hernia, Herniotomy, Herniorrhaphy, Hernioplasty);
(XIV) Mutra vriddhi-Vedhan (Hydrocele Eversion of Sac);
(XV) Intercostal Drain for thoracic trauma;
(XVI) Ligation of Haemangioma, Vascular ligation, Ligation of varicocele, varicose veins or stripping surgery;
(XVII) Stan Granthi or Arbuda Chhedan. Excision of benign lesions, cyst or tumour of breast, Lump biopsy;
(XVIII) Ashukari Udarshool shastra karma-Udarpatan (Exploratory laparotomy);
(XIX) Foreign body removal from stomach (Pyloromyotomy);

(XX) Use of Advanced Nadiyantra for strotodarshanarth-kriyasaukarya. (Video proctoscopy, Sigmoidoscopy);
(XXI) Ileostomy, colostomy, Resection anastomosis in emergency;
(XXII) Sigmoidoscopic biopsies, polypectomy;
(XXIII) UnddukapuchhaShothshastrakarma (Appendicectomy);
(XXIV) Vedhan-Visravan of AbhyantarVidradhi (appendicular abscess etc.);
(XXV) Pittashmari Nirharan-chhedan (Cholecystectomy);
(XXVI) Laryngeal Mask Airway, Intubation, Bag or Mask Ventilation;
(XXVII) Supra-pubic Cystostomy;
(XXVIII) Supra-pubic Cystolithotomy;
(XXIX) Excision of Calcified Plaque Peyronie's Disease;
(XXX) Orchidopexy;
(XXXI) Orchidectomy;
(XXXII) Varicocele High Ligation;
(XXXIII) Spermatocele, Chylocele, Pyocele, Haematocele Drainage.

(d) ability to Manage surgical complications;
(e) ability to perform anushashtra karma and to manage their complications;
(f) ability to perform parasurgical procedures and to manage their complications;
(g) ability to perform diagnostic surgeries;
(h) the Postgraduate in Shalya Tantra shall be the specialist of 'Shalya Tantra & Shalya Chikitsa'.

(15) Shalakya – Netra:
(a) ability to diagnose and manage clinical conditions related to eye;
(b) ability to operate advance diagnostic tools related to ophthalmology;
(c) ability to perform routine and advance diagnostic procedures related to ophthalmology and interpret the results;
(d) ability to perform various therapeutic procedures related to eye;
(e) ability to perform surgeries related to speciality to the extent of teaching and training;
(f) ability to perform surgeries as listed below:

(i) Vartmagataroga (Diseases of Eyelids): -
(A) vatahatvartma shastra karma (surgery for ptosis i.e. sling surgery);
(B) vartmavikruti- shastra karma (Ectropion & Entropion – correction surgery);
(C) lagana-bhedan & lekhana shastra karma (Chalazion – Incision and drainage or curettage);
(D) vartma arbud chhedan karma (Benign Lid tumour – Excision Surgery).

(ii) Shuklagata Rog:
(A) Arma – Chhedana Shastrakarma (pterygium- excision & conjunctival limbal autograph or amniotic membrane graft).

(iii) Krishnagat Rog:
(A) Ajakajat – Chhedan Karma (Iris Prolapse-excision surgery).

(iv) Sarvagata Rog:
(A) Adhimantha – Bhedan Shastrakarma (Glaucoma-trabeculectomy).

(v) Nayanabhighat (Trauma to eye): Bhroo, Vartma, Shukla manadal, Krushna mandalabhighat –Sandhan Shastrakarma. (Injury to the eye brow, lid, conjunctiva, sclera and cornea- trauma repair surgery);
(vi) Tiryaknetra: Prakruta Netrasthapan Shastrkarma (Squint surgery- Esotropia, Exotropia, Horizontalmuscle resection and recession);
(vii) Puyalas: – Bhedan or Chhedana shastr karma (Dacrocystitis- DCT or Dacryocystorhinostomy [DCR]);
(viii) Linganash (Kaphaj) Shastrakarma- cataract surgery- cataract extraction with IOL implantationsurgery:-
(A) intracapsular cataract extraction (ICCE);
(B) extra capsular cataract extraction (ECCE);
(C) small incision cataract surgery (SICS);
(D) phacoemulsification;
(E) Types of IOL: - PCIOL; ACIOL; Iris Fixated IOL.

(ix) Sthanika sangyaharan (Local Anaesthesia) in eye. (ophthalmology): - peribulbar; retrobulbar; para bulbar; intra Cameral.

(g) the Postgraduate in Shalakya-Netra shall be the specialist of 'Netra Rogachikitsa'.

(16) Shalakya – Karna, Naasaa, evum Mukha Roga**:**

(a) ability to diagnose and manage clinical conditions related to karna, naasa and Mukha (KNK);

(b) ability to operate advance diagnostic tools related to karna, naasa and Mukha;

(c) ability to perform routine and advance diagnostic procedures related to karna, naasa and Mukha and interpret the results;

(d) ability to perform various therapeutic procedures related to karna, naasa and Mukha to the extent of teaching and training;

(e) ability to perform surgeries related to speciality to the extent of teaching and training;

(f) ability to perform surgeries as listed below:

(i) Karnapali sandhan shastrakarma (torn ear lobule- lobuloplasty);

(ii) Karnasrava or Ashukarimadhya karnashoth – Bhedan shastrakarma (acute supurative otitis media or glue ear or secretory or serous otitis media- Myringotomy);

(iii) Knowledge of Jirna Madhya karna Shothashastra karma (Chronic Suppurative Otitis Media- safe- tympanoplasty unsafe- mastoidectomy).

(g) Nasa (Nose):

(i) Nasanaha or Nasajavanika vakrata – shastrakarma (deviated nasal septum surgery- septoplasty or SMR);

(ii) Nasarsh – Chhedan Shastrakarma (Nasal polyp polyoectomy);

(iii) FESS surgery – Functional endoscopic sinus surgery;

(iv) nasavikruti – nasa sandhan (deformed nose – rhinoplasty).

(h) Mukha roga-

(i) Gala Roga (Throat diseases): -

A. Pharynx:

I. Ashukari Gilayu vruddhi – Bhedana Shastra karma (peritonsillar abscess – Quincy) – incisionand drainage;

II. Jirna Gilayu shotha – Gilayu Nirharana Shastrakarma (Chronic Tonsillitis – Tonsillectomy).

B. Oshthagat – Oshthabhed – Sandhan Karma (hare lip repair).

(ii) the Postgraduate in Shalakya-KNM shall be the specialist of 'Karna, Naasa and MukhaChikitsa'.

(17) Manasaroga and Manovijnana:

(a) ability to diagnose and manage Manasaroga;

(b) ability to conduct counselling;

(c) ability to manage de-addition cases and centre;

(d) ability to conduct specialised investigations related to the speciality;

(e) the Postgraduate in Manasaroga and Manovijnana shall be the specialist of 'ManasarogaChikitsa'.

(18) Rasayana & Vajikarana:

(a) ability to diagnose and manage infertility;

(b) ability to diagnose and manage sexual dysfunctions;

(c) ability to undertake measures for Susantaan;

(d) ability to select and administer Rasayana-urjaskara in respect to health promotion and rejuvenation;

(e) ability to conduct the diagnostic procedures like doppler for varicocele, penile doppler study, Retopariksha, computer aided semen analysis (CASA), cervical mucus examination, post coital test, sperm function tests, etc., related to speciality and interpret results;

(f) ability to administer therapeutic procedures like uttarabasti (both male and females), intra uterine insemination etc., related to the speciality;

(g) the Postgraduate in Rasayana & Vajikarana shall be the specialist of rejuvenation and reproductive medicine.

**17. Medium of Instruction.—** The medium of instruction shall be Sanskrit or Hindi or English or any recognised

regional language included under 8th Schedule to the Constitution. In case of Postgraduation department is admitting students from different States, in such case, common language such as Sanskrit, Hindi or English shall be adopted.

**18. Mode of admission in to Postgraduate Degree programme.-** (1) Eligibility criteria for admission in to Postgraduate programme shall be the following, namely:—

(a) a graduate of Ayurvedacharya - Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery from a recognized Institution;
(b) registered medical practitioner, registered in State or Union territory or Central register;
(c) qualified in Postgraduate National Entrance Test.

(2) There shall be a uniform entrance examination namely, Postgraduate National Entrance Test for admission in to Postgraduate Degree programmes in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Commission: Provided that the said Postgraduate National Entrance Test shall not be applicablefor foreign national candidates.

(3) Temporary registration shall be required for the entire duration of Postgraduate programme in case of admission in State or Union teritory other than the State or Union teritory of permenant registration.

(4) In order to be eligible for admission to Postgraduate degree programme for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the 'Postgraduate National EntranceTest' held for the said academic year:

Provided that in respect of—
(a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;
(b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 40th percentile.

(5) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institution and Private Institution shall be fifteen per cent. for All-India Quota and eighty-five per cent., for the State and Union territoryquota:

Provided that,—
(a) the All-India Quota for the purpose of admission in all the deemed universities (both Government and private established under central act) shall be hundred per cent.;
(b) the university and institute which are already having more than fifteen per cent. All-India Quota seats shall continue to maintain that quota;
(c) five per cent. of the sanctioned intake capacity in Government and Government-aided Institution shall be filled up by candidate with disability in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

(6) The designated authority for counselling of State and Union territory quota for admissions to Postgraduate programme in all Ayurveda Educational Institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union Territory inaccordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory, as the case may be.

(7) Online counselling for admission to Postgraduate Programmes for hundred percent of seats in Deemed Universities established by Government, Private deemed universites established under central act and the National institutes shall be conducted by the authority designated by the Commission.

(8) Online counselling for admission to postgraduate Programmes for seats under All-India Quota of Government and Government aided institutions shall be conducted by the authority designated by the Commission.

(9) All seats including management quota except foreign nationals shall be admitted through online counselling. Direct admission by any means other than online counselling shall be considered invalid.

(10) The institutions shall submit the list of students admitted in the format provided by the Commission on or before 6

pm on the cut-off date for admissions provided by the Commission for verification. Failing which a penalty upto rupees one lakh per day shall be imposed by MARBISM on recommendation by the examination cell.

(11) The counselling authorities shall submit the data of allotted students in the format, mode and timeline as provided by the Commission.

(12) (a) No authority or institution shall admit candidate to the Postgraduate programme in contravention to the criteria or procedure laid down in these regulations;

(b) any admission made in contravention of the criteria or procedure shall be invalid and the same shall be cancelled by the Commission.

**19. Annual student intake capacity and student-guide ratio**.—(1) Annual student intake capacity in each Postgraduate Degree programme shall not be more than twelve seats in a academic year.

(2) Subject to availability of student-Postgraduate guide in the ratio of 3:1, for three students for one Professor; in case of Associate Professor 2:1 two students for one Associate Professor; and in case of Assistant Professor the ration is 1:1 one student for one Assistant Professor.

**20. Duration of course and attendance.—** (1) The student shall have to undergo study for a period of three years including examination or assessment process.

(2) The student shall have to attend minimum eighty per cent. of total academic activities to become eligible for appearing in the University examination such as lectures, practical or clinical, online and offline workshops, seminars, journal clubs, clinical case presentations, group discussions and the like as scheduled by the respective Postgraduate department or institution.

(3) The student shall have to attend the hospital, department or laboratories and other duties as assigned during the course of study.

(4) The maximum duration for completion of the course shall not exceed six years from the date of commencement of the academic course as per the academic calendar issued by the Commission for that particular batch.

(5) The below provided Leave policy shall be applicable for Postgraduate scholars:
(b) casual leaves up to 12 per academic year;
(c) academic activites such as attending seminar, workshops, training programme, orientation programme, symposium including days of travelling shall be considered as 'on duty';
(d) maternity, paternity and other leaves as per respective State Government or contract rules as applicable.

(6) Acquiring requisite attendance shall be the responsibility of the Postgraduate students:

Provided that, in case of deficiency of attendance, the duration of the course shall be extended proportionately.

(7) There shall be no provision for vacation or preparatory holidays in Postgraduate Degree programme.

**21. Pattern of study and subjects**.- (1) (a) the programme shall be for three years structured into six semesters;
(b) the Postgraduate programme shall ordinarily start on the first working day of August every year;
(c) the Postgraduate programme shall start with an orientation programme (common andspecialty-specific) as determined by the Commission from time to time.

(2) (a) each semester shall be of six months of duration;
(b) the Notional learning hours in each semester shall not be less than 750 hours that are devoted to teaching, practical or clinical training, experiential learning and carrying out dissertation research activities;
(c) the method of teaching and training shall be detailed in the curriculum and syllabus;

(d) there will be mandatory core subjects and electives in each semester as detailed in Table-6.

(3) (a) 750 Notional Learning Hours are structured in to 25 credits of 30 hours each;
(b) the total Notional learning hours of the Postgraduate programme shall not be less than 4500 hours (750*6) divided in to 150 credits (25*6) for the entire duration of the programme;
(c) each credit will have teaching, practical training and experiential learning in the form of 1:2:3 such credit will have 5 hours of teaching, 10 hours of practical training and 15 hours of experiential learning.

(4) (a)the core subjects will be taught in the form of modules;
(b) each module may contain one or more credits;
(c) at the end of each module students have to undergo formative assessment.

(5) (a) there will be two categories of electives namely :-
(i) Domain Specific Electives; and
(ii) Capacity Enhancement Electives.
(b) student have to qualify one elective from Domain Specific and one elective from capacity enhancement category in each semester;
(c) a student has to qualify minimum of 12 electives (6 domain specific and 6 capacity enhancement) during the entire Postgraduate programme;
(d) elective courses shall be conducted online within the timeframe as provided by the Commission in the course curriculum.

(6) (a) at the end of every module there will be assessment;
(b) at the end of each semester, "Semester Grade Point Average (SGPA)" will be calculated;
(c) acquiring 60% of SGPA will be the eligibility criteria for appearing summative assessment;
(d) first semester SGPA for first assessment; second semester SGPA for second assessment and cumulative SGPA of 3rd, 4th, 5th, and 6th semesters will be considered for third summative assessment.

(7) (a) considering the present assessment structure and to facilitate the students for conduction of dissertation research, clinical exposure, industrial exposure and other outside postings summative assessment has been proposed at the end of 1st, 2nd and 6th semester;
(b) semester 3rd, 4th, 5th and 6th have been kept as one block period so that above activities may beperformed without interruption;
(c) the entire Postgraduate programme structure shall be as provided in the Table-6.

**Table-6**
**Semester wise subjects and activities**

| Serial Number | Course | Number of Credits |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| **Semester-1 (1-6 months)** | | |
| 1. | Samskara Orientation Program – Common | 3 |
| | Specific to Speciality | 1 |
| 2. | Research Methodology (modules) | 9 |
| 3. | Biostatistics (modules) | 8 |
| 4. | Elective – Domain Specific | 2 |
| | Elective – Capacity Enhancement | 2 |
| | **Sub Total** | **25** |
| | | **Summative Assessment-1** |
| **Semester-2 (7-12 months)** | | |
| 5. | Synopsis | 5 |
| 6. | Applied Basics of Concerned Speciality (modules) | 16 |
| 7. | Elective – Domain Specific | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | Elective – Capacity Enhancement | 2 |
| | **Sub Total** | **25** |
| | | **Summative Assessment-2** |
| | **Semester-3 (13-18 months)** | |
| 8. | Dissertation Activity | 5 |
| 9. | Mandatory Core Subjects (Modules) | 16 |
| 10. | Elective – Domain Specific | 2 |
| | Elective – Capacity Enhancement | 2 |
| | **Sub Total** | **25** |
| | **Semester-4 (19-24 months)** | |
| 11. | Dissertation Activity | 5 |
| 12. | Mandatory Core Subjects (Modules) | 16 |
| 13. | Elective – Domain Specific (any one) | 2 |
| | Elective – Capacity Enhancement (any two) | 2 |
| | **Sub Total** | **25** |
| | **Semester-5 (25-30 months)** | |
| 14. | Dissertation Activity | 5 |
| 15. | Mandatory Core Subjects (Modules) | 16 |
| 16. | Elective – Domain Specific | 2 |
| | Elective – Capacity Enhancement | 2 |
| | **Sub Total** | **25** |
| | **Semester-6 (31-36 months)** | |
| 17. | Dissertation Activity | 5 |
| 18. | Mandatory Core Subjects (Modules) | 16 |
| 19. | Elective – Domain Specific | 2 |
| | Elective – Capacity Enhancement | 2 |
| | **Sub Total** | **25** |
| | **Grand Total** | **150** |
| | | **Summative Assessment-3** |

**22. Examination and assessment**.- (1) Assessment shall be carried out in terms of formative assessment and summative assessment.

(2) The Postgraduate Degree course shall have three summative assessments or examinations conducted by the University.

(3) The University shall conduct summative examinations as detailed below:—

(a) first summative assessement at the end of the first semester for first semester syllabus;

(b) second summative assessment at the end of second semester for the second semester syllabus; and

(c) third summative assessment at the end of sixth semester for the third, fourth, fifth, and sixth semester syllabus.

(4) Before appearing for the second summative assessment at the end of second semester, it is mandatory for the student to submit the synopsis within specified period.

(5) Before appearing for the third summative assessment at the end of the sixth semester,- (a) the studentshall have been passed all core subjects of the first and second semesters of the Postgraduate Degree programme;

(a) the student shall have been qualified the number of electives as provided in the curriculum;

(b) the student shall have submitted the dissertation;

(c) the student shall have published at least one preprint out of the dissertation in preprint repository servers such as bioRxiv or medRxiv or publish or get accepted minimum one research paper in anyone of the reputed indexed (UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index or Scopus); research journals; and

(d) the student shall have been presented at least one paper in a National or international level seminar.

(6) The university shall conduct summative examinations ordinarily in the months of January and July every year.

(7) Formative assessments (modular based) shall be carried out by the concerned Postgraduate department at the end of each module as provided in the curriculum.

(8) Securing a minimum of 60 per cent. of the Semester Grade Point Average (SGPA) shall be the eligibilitycriteria for appearing in summative assessments conducted by the university as provided below-

(a) minimum sixty per cent. Semester Grade Point Average of the first semester for appearing in the first summative assessment;

(b) minimum sixty per cent. Semester Grade Point Average of the second semester for appearing in the second summative assessment;

(c) average of third, fourth, fifth and sixth semesters 'Semester Grade Point Average' shall be minimum sixty per cent. to become eligible for appearing in the third summative assessment conducted by the University; and

(d) the ineligible students due to the shortage of Semester Grade Point Average as provided in (a), (b) and (c) shall become eligible for appearing in subsequent examination only after acquiring the required Semester Grade Point Average by attending the teaching and training of the same semester in such case the duration of the programme shall be extended proportionally.

(9) The total number of subjects or papers for summative assessment and distribution of marks shall be asprovided in the Table -7.

**Table-7**

**Summative Assessments, Semester, Subjects, Number of Papers and Distribution of Marks**

| Subjects | Semester | Number of Papers | Maximum Marks | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Theory | Practical or Clinical including Viva-Voce |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Research Methodology | First | One | 100 | ---- |
| Biostatistics | First | One | 100 | ---- |
| Applied Basics of the Specialty | Second | One | 100 | 200 |
| Specialty specific subject | Sixth | Four | 400 | 400 |

(10) The calculation method of Semester Grade Point Average for each semester shall be as follow- Step 1: Calculation of Module Grade Point (MGP):—

$$\frac{\text{(Number of Notional learning hours attended in a module) X (Marks obtained in the modular assessment )}}{\text{(Total number of Notional learning hours in the module) X (Maximum marks of the module)}} \times 100$$

Step 2: Calculation of Semester Grade Point Average for each subject: Average of all Module Grade Points in a Semester

(11) For being declared successful:—

(a) in the first and second summative examinations, the student shall have to secure minimum fifty per cent. in theory and fifty per cent. in practical or clinical, including viva-voce, wherever applicable;

(b) in third summative examinations, the student shall have to secure agreegate of fifty percent of all papersand a minimum of forty percent in each paper of theory examinations and fifty percent in practical or clinical including viva-voce.

(12) A candidate obtaining sixty-five per cent. and above marks shall be awarded first class in the subject and

seventy-five per cent., and above marks shall be awarded distinction in the subject.

(13) A student fails in any component (either in theory or practical or clinical or both) in any of the summative assessments, the student shall have to appear all component of the examinations.

(14) The failed students shall appear for subsequent examinations conducted every six months by the University.

(15) The Postgraduate Degree shall be conferred after the dissertation has been accepted and the student has passed the third summative assessment

(16) There shall be no provision for grace marks in postgraduate examinations

**23. Appointment of examiners**.- (1) For each subject in semester-I and semester-II, the summative examination or assessment shall be conducted by two examiners, one of whom shall be an external examiner from any other medical institution or University and the other from the same institution as the internal examiner.

(2) There shall be double valuation for theory answer-scripts of the first and second summative assessments and the implementation of double valuation system shall be as per the guidelines issued by the Commission.

(3) The sixth semester or third summative assessment or examination shall be conducted by a team of four examiners as detailed below:—

(a) two external examiners from other Universities out of which at least one shall be from other state;

(b) two internal examiners shall be from the same institution or same university out of which at least one shall be from same institution.

(4) The theory answer-scripts of third summative assessment shall be evaluated by all four examiners, and the average of all four evaluations shall be considered as the final mark, and similarly the practical or clinical examinations including viva-voce shall be conducted by all four examiners and the average marks of all four examiners shall be considered as final mark of practical or clinical including viva-voce.

(5) There shall not be any provision for reevaluation of the answer-scripts.

**24. Eligible Postgraduate examiner**.— (1) A Postgraduate teacher with a minimum of five years of Postgraduate teaching in the concerned specialty and who has guided at least one Postgraduate dissertation and the dissertation has been accepted shall be considered eligible as a Postgraduate examiner for theory evaluation, conducting practical or clinical including viva voce.

(2) The eligible Postgraduate examiner shall also be eligible for evaluation of the synopsis, and dissertation.

(3) Same examiner shall not be appointed as examiner at same examination centre for not more than three consecutive examinations.

**25. Dissertation**.- (1) Each Postgraduate student shall carry out a dissertation work on research topic under the supervision of an eligible Postgraduate guide of the department and submit dissertation in partial fulfilment for the award of degree of postgraduation.

(2) (a) every Postgraduate institute shall have an approved Postgraduate guide allotment policy, and the policy shall facilitate fair allotment of Postgraduate guides for dissertation activities;

(b) the institute shall notify thrust areas of research as provided for the respective Postgraduate department, pecialty, or programme in these regulations for each approved Postgraduate guide, and he or she shall continue guiding allotted Postgraduate students in the same areas of research;

(c) the guide allotment shall be within the student-guide ratio in the department as provided in these regulations;

(d) in case of inter-departmental, inter-disciplinary and trans-disciplinary research, a co-guide with minimum Postgraduate Degree shall be co-opted from the concerned or collaborative specialty or unit;

(e) co-guide shall not be allowed from the same department;
(f) co-guide shall be allowed from other department only in case collaborative research activity;
(g) co-guide shall be a Postgraduate in the concerened specility of collaborative research activity.

(3) (a) the dissertation shall be innovative and translational addition to the science and helpful for the promotion of the Ayurveda system; and
(b) the topic shall be within the scope of the subject specialty and shall be from the thrust areas of theresearch of the respective department as provided in these regulations.

(4) (a) the synopsis developed as per the specifications shall be subjected to departmental review; after departmental review, the completed synopsis shall be submitted to the head of the respective department;
(b) the head of the department shall forward all synopsis of the department to the head of the institution;
(c) the head of the institution in turn forwards all the synopsis to the institutional research committee for review and approval;
(d) corrections or modifications suggested by the aforesaid committee shall be forwarded to the respective heads of departments;
(e) the synopsis corrected or modified by incorporating the suggestions shall be re-submitted by the student to the respective heads of departments and from the head of the department to the head of the institute;
(f) the head of the institute shall forward the synopsis that requires ethical clearance (clinical studies or animal studies) to the respective Institutional Ethics Committees for human subjects or the Institutional Animal Ethics Committee for animal studies, as the case may be;
(g) corrections or modifications suggested by the aforesaid committees shall be forwarded to the respective departments;
(h) the synopsis corrected or modified by incorporating the suggestions of the concerned committee by the student shall be re-submitted to the respective departmental head, who in turn forwards it to the head of the institute;
(i) submission of synopsis at all stages shall be in soft copy; one hard copy of the final synopsis duly signed by the student, guide, head of the department and head of the institute shall be retained in the concerned department.

(5) (a) soft copy of the synopsis, completed in all aspects and obtaining approval from relevant institutionalresearch and ethics committees, shall be forwarded to the University by the head of the institute on or before the last working day of the $9^{th}$ month of the Postgraduate Degree programme during the semester-II for registration;
(b) submission of synopsis within the prescribed time is a mandatory criterion to appear for the second semester summative examination conducted by the University;
(c) if the student fails to submit the title of the dissertation and synopsis within the period provided under clause (a), his term for the second semester of the Postgraduate Degree programme shall be extended for six months, and the synopsis shall be submitted before appearing for the second summative examination. Failing which he or she shall not be eligible to appear for the second summative examination, and the second semester shall be extended for another six months and so on;
(d) once the student submitted the synopsis, it is mandatory for the institutes to complete the approval process in stipulated time;
(e) Institutes shall not charge any additional fees for synopsis approval process.

(6) (a) upon receipt of the dissertation title and synopsis, the University shall register the title of the dissertation and synopsis by allotting registered number;
(b) the University shall intimate the registered list of dissertation titles and synopsis to the concerned Postgraduate institute and display the same on the University website; the same shall be displayed on the respective college website by the institute;
(c) once the title of the dissertation is registered by the University, the student shall not be allowed to change the title of the dissertation without the permission of the University.

(7) (a) dissertation research activity shall be started only after registration of title and synopsis by the University;
(b) after receiving the registration notification from the University, the student, under the guidance of the respective guide, prepares a calendar of events of research activity and submits it to the head of the

department; the same shall be verified by the institutional research committee while reviewing the progress of the study;

(c) the institutional research committee shall periodically monitor the dissertation activity in terms of:-

(i) progress of research activity with respect to the calendar of research activity submitted by the scholar;

(ii) quality of research and adherence to the methods and standards as per the approved synopsis.

(8) (a) on completion of research or dissertation activity with the recommendation of a guide through the head of the department, pre-submission of the dissertation shall be arranged from the 30th to the 32nd month of the Postgraduate Degree programme, wherein the institutional research research committee reviews the entire study;

(b) the institutional research committee may approve or suggest corrections or modifications, and the same shall be communicated to the student through the head of the department;

(c) after incorporating the modifications or corrections suggested by the institutional research committee the draft dissertation shall be forwarded by the student to the plagiarism scrutiny cell as provided in the regulation 27 through the guide and head of the department;

(d) after plagiarism checking, if the plagiarism scrutiny cell finds the plagiarism is within the permissible limits of not more than fifteen per cent., the plagiarism scrutiny cell shall issue a plagiarism clearance certificate in Annexure-I;

(e) in case, the plagiarism is more than fifteen per cent. the draft dissertation shall be referred back to the concerned department with a plagiarism check report;

(f) the plagiarism check report shall be reviewed by the departmental academic integrity committee comprising the head of the department as chairman of the committee, one faculty member from the concerned department, and one faculty member from another department and if satisfied, the committee shall recommend to the plagiarism scrutiny cell in Annexure-II to issue a plagiarism clearance certificate; if the committee is not satisfied, the student shall be directed to modify and resubmit the draft dissertation to plagiarism scrutiny cell;

(g) the resubmitted draft dissertation shall undergo the same process specified in clause (f);

(h) the final dissertation, with certificates including a plagiarism clearance certificate, shall be submitted to the head of the institute through the head of the department in soft copy, between 31st and 32nd month of the Postgraduate Degree programme;

(i) one hard copy of the dissertation signed by the student, guide, head of the department, and head of the institute shall be retained in the department; and

(j) the plagiarism related procedures are specified in Figure- 1,-

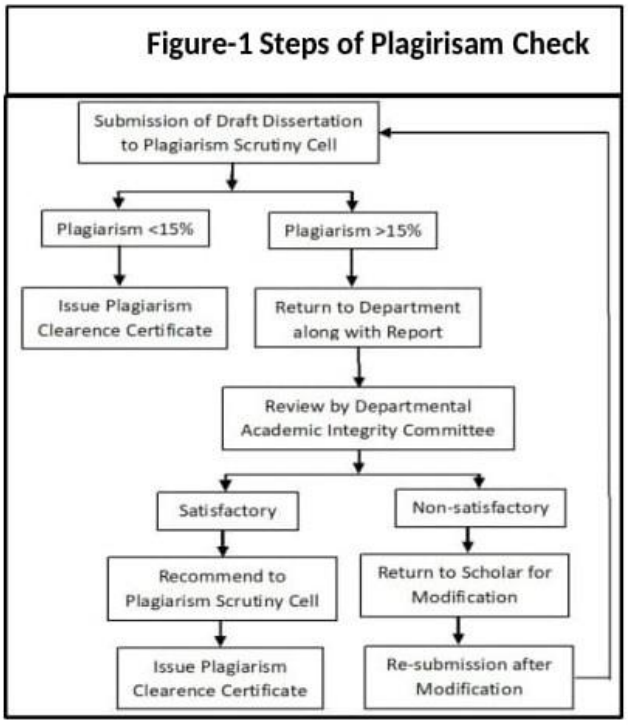

(9) The format and specifications in terms of pages, words, font type, line spacing, shall be as per the guidelines provided in the curriculum specified by the Commission.

(10) (a) all the dissertations approved by the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee, as the case may be, shall be forwarded in soft copy to the University by the head of the institute;

(b) dissertations shall be submitted to the University during the 33rd month of the Postgraduate Degree programme during the sixth semester and the 33rd month shall be counted from the month of commencement of the course as per the academic calendar issued by the Commission;

(c) the head of the institute shall notify the dates for the below-provided events well in advance, namely:–

(i) dates for pre-submission;

(ii) date of submission of the dissertation to the department;

(iii) date of submission by departments to the head of the institution; and

(iv) date of submission by the head of the institute to the affiliated university;

(d) no student shall be allowed to submit the dissertation before the thirty-first month of the course or programme and the student shall continue his or her regular study at the institution after the submission of the dissertation to complete three years of the course.

(11) (a) the dissertation shall be evaluated or assessed by three examiners;

(b) the evaluation results of the dissertation shall be declared in terms of Accepted or Rejected as provided in the Table-8.

**Table-8**

**Evaluation of Dissertation and Results**

| **Evaluator-I** | **Evaluator-II** | **Evaluator-III** | **Results and Remarks** |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| Accepted | Accepted | Accepted | Accepted |
| Accepted | Accepted | Rejected | Accepted |
| Accepted | Rejected | Rejected | Referred to the Fourth Evaluator (If accepted by the fourth evaluator, then the dissertation shall be considered accepted. If rejected, then the dissertation shall be considered rejected and need resubmission of dissertation) |
| Rejected | Rejected | Rejected | Rejected (Need resubmission of the dissertation) |

(12) Submission of the dissertation shall be the pre-requisite for the students to appear in the third university summative examination conducted at the end of the sixth semester. In the event of a delay in submission by the student, the student shall not be eligible to appear in third summative assessment or examination until submission of the dissertation.

(13) In case of a delay in the evaluation process of the dissertation, the examination results of those students shall be withheld until the approval of their dissertation.

(14) All the approved dissertations shall be displayed either as titles or as complete dissertations on the institutional website, the university website, and other related databases such as Shodhaganga.

(15) Once the portal for synopsis as well as the dissertation management system of the National Commission for Indian System of Medicine is operational, the process of synopsis submission and approval, research progress monitoring, dissertation submission and evaluation, and the like shall be through the Commission portal.

**26. Postgraduate guide eligibility**.- (1) A Postgraduate teacher after three years of Postgraduate teaching shall be eligible to guide Postgraduate students of respective speciality for dissertation work provided:

(a) undergone postgraduate guide orientation programme "Scientific Writing, Publication Ethics and Research Integrity" conducted by Commission or by any designated agency or any other equivalent programme as recommended by the Commission from time to time.
(b) the affiliating university issued Postgraduate guide approval letter.

(2) The maximum number of students including Postgraduate students and Postgraduate doctoral students such as Doctor of Philosopy and Doctorate of Medicine to be guided by a Postgraduate guide shall not exceed ten at any given point of time.

(3) Co-guide if required shall be a Postgraduate in the concerned research area of collaboration.

(4) The teaching staff engaged on contractual basis shall not be eligible to guide the students for their dissertation.

(5) A deputed teacher shall not be allotted students to guide postgraduation dissertation unless the duration of the deputation is not less than three years from the date of allotment of students for guiding.

**27. Research committees**.- (1) All Postgraduate institutes shall constitute the below provided research committees as per requirement,-

(a) every Postgraduate institute shall constitute Institutional Research Committee. There shall be a common Institutional Research Committee upto five Postgraduate programmes. In case of postgraduation programme more than five, there shall be two institutional Research Commitees, namely:-

(i)institutional Research Committee for Conceptual and Experimental Studies;
(ii) institutional Research Committee for Clinical Studies.

(b) the committee shall perform the activities, namely:—

(i)screen the dissertation proposals and monitor dissertation or research activities;
(ii) ensure that the selected topics are within the listed thrust areas of research as provided by the Commission in these regulations;
(iii) in case of inter-disciplinary or trans-disciplinary studies, ensure the co-guide from the collaborating department, institute, or organisation;
(iv) all activities of the Institutional Research Committee, shall be coordinated by the Department of Integrative Health and Translational Research;
(v) the composition of the committee shall be as provided in Table -9.

**Table-9**
**Composition of the Institutional Research Committee**

| **Serial Number** | **Name of the officials** | **Designation** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Head of the Institution | Chairman |
| 2 | Postgraduate Coordinator or Dean-Postgraduate studies or Dean-Research | Member |
| 3 | Heads of Postgraduate Departments | Members |
| 4 | Biostatistician | Member |
| 5 | Two external members (one from basic sciences and one from medical sciences) from Research Councils or other Medical or Ayurveda or Pharmacy institutions | Members |
| 6 | Head of the Department of Integrative Health and Translational Research | Member secretary |
| **Note:** 1. Representation from each Postgraduate department shall be ensured.<br>2. The external members shall be experts in relevant fields of Postgraduate departments. | | |

(2) Every Postgraduate institute shall constitute institutional research committee (IRC) and institutional Ethics committee (IEC) for human subjects as per Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) or Indian Council of Medical Research (ICMR), norms.

(3) Institutional Animal Ethics Committee for Animal Studies: Institutional Animal Ethics Committee shall be constituted as per the Committee for Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals guidelines and should be approved by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.

(4) All the constituted committees shall have clearly defined Standard Operating Procedures. The committees apart from reviewing and approving the research proposals shall also monitor the studies and ensure the adherence to standards of research.

**28. Areas of Reaseach**.- (1) Areas of Research listed below under each department or specialty shall be the thrust areas of research for that concerned speciality. The dissertation topics shall be relevant to any one of the thrust areas of research provided for that particular speciality. This facilitates longitudinal research in selected areas and may lead to translational research and innovation. A guideline may be issued by the Commission from time to time to incorporate the newer emerging areas of research.

(2) The same shall be adopted by all Postgraduate institutes or colleges—

(a) Ayurveda Sahita and Siddhanta:

(i) critical analysis of different commentaries;

(ii) compilation and comparison of literature available on a particular concept in different Samhita and creation of hypothesis and its validation;

(iii) review and assessment of Manuscripts;

(iv) validation of basic concepts or hypothesis with the help of different scientific tools;

(v) development of demonstrative methods or techniques for fundamental principles of Samhitas;

(vi) development of tools or scores or methods for assessment of different Ayurvedic concepts;

(vii) applications of ancient tools such as tantrayukti etc. to understand Ayurvedic texts;

(viii) critical study of research methodology used to understand Indian Knowledge with special reference to Samhitas and creating instrumentation or tools for the same;

(ix) applications of Pramana;

(x) development of Research Methods for Ayurveda;

(xi) use of mathematical thinking, computational thinking for understanding basic principles of Ayurveda; and

(xii) development of Samhita based Teaching methods, Teaching technology and Teaching tools for Ayurveda.

(b) Rachana Sharira:

(i) clinical applications of unique Ayurvedic concepts such as Marma, Kala, Srotas, Anguli and Anjali Pramana;

(ii) understanding Garbha-Sharira in the context of contemporary embryology;

(iii) mrita Sharira Samshodhan (as per Sushruta) and Mrita Sharira Samrakshana (preservation method of human cadaver);

(iv) studies related to applied anatomy in relation to surgical anatomy, Panchakarma, Anushastra karma, kriyakalpa etc.;

(v) studies related to dhatus and tissues, Srotas, controversial organs like kloma etc.;

(vi) histological studies of dhatus; and

(vii) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Rachana Sharira.

(c) Kriya Sharira:

(i) elucidation of Dhatu-Poshana theories;

(ii) association between maintenance of health and process of Ahara Parinama;

(iii) Understanding Dosha – Dhatu – Mala in the context of contemporary sciences and advanced techniques like multi-omics;

(iv) exploring concepts of Mana and Indriya and their role in cognition;
(v) role of Srotas-Vichara in understanding functions of various systems in human body;
(vi) development and validation of scales or instruments or tools for various concepts like Agni, Koshtha, Sara, Samhanana, Prakriti etc.;
(vii) application of prakriti in various professions; and
(viii) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Kriya Sharir.

(d) Ayurveda-Biology:
(i) exploring ayurveda fundamentals in terms of contemporary scientific tools;
(ii) studies on fundamental principles of ayurveda on the lines of biological tools;
(iii) integration of fundamental principles and biological process of human body in physiological and pathological state;
(iv) development of demonstrative and assessment tools for guna;
(v) studies on bija in terms of genes;
(vi) exploration and validation of bijadusti;
(vii) studies related to atulyagotriya;
(viii) Application of mathematical thinking and computational thinking in Ayurveda;
(ix) dhatu concepts on the lines of stem cells; and
(x) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Ayurveda-Biology.

(e) Dravyaguna Vigyan:
(i) development of tools to estimate or assess Rasapanchaka;
(ii) determination of Rasa, Guna, Veerya, Vipaka and Prabhava of new drugs;
(iii) Traditional vis-à-vis conventional methods of drug identification;
(iv) clinical Pharmacology: Aushada Prayoga (Marga or Gamitwa, Kalpana, Matra, Anupana, Sevan Kala etc.)-experimental studies;
(v) agrya Sangraha- Experimental studies;
(vi) anuktha Dravya, abhavapratinidhi Dravya, ethnopharmacology;
(vii) addition of new drugs:
(viii) in silico studies- Network pharmacology;
(ix) quality, safety and efficacy testing (experimental) using Charakokta Bheshaja Pariksha;
(x) good cultivation, collection practices and storage practices;
(xi) pharmacovigilance of Ayurveda, Siddha and Unani drugs;
(xii) efficacy testing: in vitro or animal;
(xiii) Effect of new cultivation technologies on the medicinal properties of medicinal and aeromatic plants;
(xiv) Pharmacoepidemiology; and
(xv) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Dravyaguna.

(f) Rasa Shastra and Bhaishajya Kalpana:
(i) advanced methods of Bhasma Nirmana (Shodhana and Marana procedures);
(ii) characterization of different Bhasma;
(iii) safety and efficacy evaluation of different Bhasma;
(iv) stage-wise understanding chemistry and chemical technology of Rasa-Bhasma preparations;
(v) creation of new Rasaushadhis and Bhasmas. Hypothesis and experimentation including mathematical modeling;
(vi) exploring concept of Bhaishajya Kala through experimental studies;
(vii) exploring new dosage forms through experimental studies;
(viii) establishment of Bhasma Pariksha and development of technique and technology for Bhasma pariksha including advanced microscopy and image processing;
(ix) development of pharmaceutical technology; and
(x) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Rasashastra and Bhaishajya kalpana.

(g) Agadatantra evum Vidhi Vaidyaka:

(i) contemporary approaches to Garavisha and Dushi visha –food adulterations;
(ii) concept of Viruddhahar and the time taken for its adverse effects on health by using biochemical parameters;
(iii) JanapadodhvansaVyadhi in context of air pollution, water pollution, soil pollution, etc. and their management;
(iv) chathurvinshati Upakrama (24 management procedures) and their practical utility;
(v) management of food poisoning;
(vi) general and Emergency medical management of poisoning – Ayurvedic aspects;
(vii) diagnosis and management of dermatological manifestations of Visha or contact poisons - Ayurvedic aspects;
(viii) experimental and clinical studies on different Agada;
(ix) experimental studies on herbal or mineral chelating agents; and
(x) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Agadatantra.

(h) Swasthavritta and Yoga:

(i) relevance of Dinacharya, Ratricharya and Ritucharya in Health Promotion;
(ii) development of objective parameters for determination of Ritu and Desha;
(iii) clinical impact of suppressible and non-suppressible urges;
(iv) conceptual and clinical studies of Diet and Nutrition in Ayurveda;
(v) concept of Bala and Ojas in relation to health& creation of objective parameters for the same along with the tools or scales;
(vi) role of Ritusodhana and Rasayana in promotion of health and prevention of diseases;
(vii) scope of Rasayana in Geriatrics and Reproductive and Child Health;
(viii) role of Swasthavritta in communicable and non-communicable diseases and life style disorders;
(ix) integration of Ayurveda and Yoga – as preventive as well as curative aspects for management of various lifestyle disorders;
(x) epidemiological surveys to understand prevalence of diseases as defined by Ayurveda e.g., obesity ≠ BMI as per Ayurveda;
(xi) epidemiological studies to understand prevalence of Doshas in the prevalent diseases;
(xii) relationship between Nidra and various lifestyle or psycho-somatic disorders or immunity;
(xiii) Development of Ayurveda based fitness parameters;
(xiv) development of assessment scales like assessment of Nidra etc; and
(xv) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Swasthavritta and yoga.

(i) Roganidana - Vikritivijnana:

(i) understanding of Samprapti of diseases in Nidana Sthana of different classics in contemporary context;
(ii) ama- understanding the concept, its impact and developing objective parameters for its assessment;
(iii) shotha-understanding the concept, objective parameters including different inflammatory markers, recent advances and its association with Samprapti;
(iv) newer etiological factors and their impact e.g., continental food, commuting ways etc;
(v) understanding concept of Avarana and developing diagnostics for avarana;
(vi) understanding Shatkriyakala in different diseases;
(vii) application of concepts like Upadrava and Arishta in prognosis and development of objective parameters;
(viii) development of tools for Deha Bala, Roga Bala, Agnibala and Chetas Bala;
(ix) development of diagnostic tools based on Ayurvedic principles;
(x) development of methodology for interpretation or study of contemporary diagnostic test reports in terms of ayurveda principles; and
(xi) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Roganidana.

(j) Panchakarma:

(i) development of instruments or equipment for Panchakarma - possible modifications;
(ii) defining endpoints of Panchakarma procedures and its objective parameters;

(iii) applications of Panchakarma in preventive health, promotive health, curative health, rehabilitative health and geriatric health;
(iv) elucidating mechanisms of the procedures;
(v) contemporary modifications in procedures;
(vi) standardisation of panchakarma and upakarma procedures;
(vii) biochemical parameters to ascertain the effect of different shodhana procedures:
(viii) exploration and establishment of various medicinal, preparations explained for panchakarma;
(ix) development of fitness system of each procedure and SOPs for procedures;
(x) development of integrative approach with physiotherapy, sports medicine etc.; and
(xi) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Panchakarma.

(k) Kayachikitsa:
(i) emergency management of the acute clinical conditions;
(ii) ayurvedic medical management of terminally ill patients;
(iii) infections with respect to strengthning of host, strotas, dhatu, mala and the like;
(iv) clinical management of systemic diseases or disorders like nervous system, musculoskeletal system, cardiovascular system, gastro-intestinal system, urogenital system etc;
(v) palliative care;
(vi) degenerative conditions;
(vii) genetic diseases or disorders;
(viii) metabolic diseases;
(ix) geriatric problems;
(x) Gastrointestinal tract (GIT) disorders;
(xi) neurological conditions;
(xii) auto-immune disorders;
(xiii) endocrine disorders;
(xiv) Noncommunicable diseases (NCDs) prevention;
(xv) vyadiharana Rasayana; and
(xvi) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Kayachikitsa.

(l) Shalya Tantra:
(i) development of instruments or equipment for different procedures;
(ii) standardization of different procedures;
(iii) standardisation of surgical procedures;
(iv) modifications in existing surgical practices;
(v) exploration and establishment of classical procedures not in practice;
(vi) exploration of new methods, technology etc. for various Anushastra karmas;
(vii) expansion of scope of ksharasutra; and
(viii) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for shalya tantra.

(m) Shalakya Tantra- Netra:
(i) development of instruments or equipment for different procedures;
(ii) development of diagnostic technology;
(iii) standardization of different procedures;
(iv) standardisation of surgical procedures;
(v) modifications in existing surgical practices;
(vi) exploration and establishment of classical procedures not in practice;
(vii) exploration of new methods, technology, tools etc. for various kriyakalpa procedures; and
(viii) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Shalakya-Netra.

(n) Shalakya Tantra- Karna, Nasa and Mukha Roga:
(i) development of instruments or equipment for different procedures;
(ii) development of diagnostic technology;
(iii) standardization of different procedures;

(iv) standardisation of surgical procedures;
(v) modifications in existing surgical practices;
(vi) exploration and establishment of classical procedures not in practice;
(vii) exploration of new methods, technology, tools etc. for various kriyakalpa procedures; and
(viii) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Shalakya-Karna Nasa and Mukha.

(o) Kaumarabhritya:
(i) growth and development;
(ii) parameters of 'normal child' in India;
(iii) recurrent infections;
(iv) nutrition, malnutrition and childhood obesity;
(v) general immunity, dietary allergies;
(vi) stanyadushti and diseases occurring in infants;
(vii) gadget addiction, Behavioural problems;
(viii) autism, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) etc;
(ix) cerebral palsy;
(x) vaccine adjuvants;
(xi) svarnaprashan and other samskaras;
(xii) medhya Rasayana& cognitive functions;
(xiii) kaumara panchakarma
(xiv) prakriti, saara etc. assessment in children
(xv) genetic, congenital diseases& congenital anomalies;
(xvi) anaemia, worm infestation etc.; and
(xvii) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Balaroga.

(p) Streeroga - Prasuti Tantra:
(i) female Infertility;
(ii) issues related to fallopian tubes;
(iii) preconceptional care;
(iv) prenatal, natal and post- natal care;
(v) endometriosis and other uterine disfunctions;
(vi) menstrual irregularities, ovulatory issues, Polycystic Ovary Syndrome or Polycystic Ovarian Disease;
(vii) intra Uterine Growth Retardation;
(viii) anaemia in pregnancy, Gestational Diabetise, eclampsia etc,
(ix) speciality related endocrine problems;
(x) cervicitis, leucorrhoea etc.
(xi) premenstrual syndrome;
(xii) Menopausal syndrome;
(xiii) female sexual dysfunctions;
(xiv) ante natal care;
(xv) garbhasanskara; and
(xvi) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Stree Roga - Prasuti Tantra.

(q) Manasaroga evum Manovijnana:
(i) development of assessment scales for satva, kaya and other Manobhavas;
(ii) Manasarogas and its Ayurvedic management;
(iii) establishing Samprapti and Sampraptighataka for the newly emerging mental conditions;
(iv) developing counselling techniques;
(v) studies related to Management of Manasaroga;
(vi) studies related to Manasikaswasthya, Nidra etc; and
(vii) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Manasaroga evum Manovijnana.

(r) Rasyana and Vajikarana:
(i) development of assessment scales for various vajikarana bhava;
(ii) studies related to Retopariksha, cervical mucus, post coital tests;
(iii) studies related to management of infertility, sexual dysfunctions;
(iv) studies related to Susantaan (in collaboration with Stree Roga - Prasuti Tantra)
(v) standardisation of procedures like Uttarbasti etc.;
(vi) exploring various unexplored Vajikarana drugs and formulations;
(vii) intra uterine insemination and role of prajasthapana drugs;
(viii) collaborative studies with techniques of invitro fertilisation and role of vajikarana;
(ix) exploration of various panchakarma procedures for Vajikarana issues (in collaboration with panchakarma department); and
(x) development of teaching methods, teaching technology and teaching tools for Rasayana and Vajikarana.

(3) only one student per year out of all Postgraduate departments shall be allowed to select dissertation topic in the thrust area of "development of teaching methods, teaching technology and tools for teaching".

**29. Stipend for Postgraduate students.—** For Postgraduate students belonging to the Central Government, State Government, and Union territory Institutions, the stipend shall be paid on par with other medical systems under the respective Governments and there shall be no discrepancy between medical systems.

**30. Qualifications and experience of the Postgraduate teaching faculty**.- (1) Possessing Postgraduate Degree in the concerned specialty or subject obtained from a recognised University, and included in Second Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) or recognised under section 35 and section 36 of the Act.

(2) A valid registration with concerned State Board or Council or a valid Central or National registration certificate issued by the Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine; however, the registration certificate is not applicable for the teachers of non-medical qualifications.

(3) For the post of Professor.- (a) teacher having ten years of regular teching experience in Postgraduate teaching in the concerned subject or five years of teaching experience in Postgraduate teaching as Associate Professor on regular basis in the concerned subject; or

(b) total ten years of research experience as full-time researcher after possessing Postgraduate Degree qualification in the concerned subject on regular appointment in Research Institutions or Councils of Central Government or State Government or Union Territory Administration or University or National institutes or Research Laboratories having accredition by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), provided on fulfilling the below determined criteria:
(i) qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; and
(ii) minimum five research papers published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus); or two published books or manuals relevant to Ayurveda; or
(iii) investigator for any major research project with a duration of the project three years and above.

(4) for the post of Associate Professor: (a) total teaching experience of five years as regular teacher in Postgraduate teaching in the concerned subject; or

(b) total five years of research experience as full-time researcher after possessing Postgraduate Degree qualification in the concerned subject on regular appointment in Research Institutions or Councils of Central Government or State Government or Union Territory Administration or University or National institutes or Research Laboratories having accredition by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), provided on fulfilling the below determined criteria:
(i) qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission; and
(ii) minimum three research papers published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus); or one published book or manual relevant to Ayurveda;

or

(iii) investigator for any research project with a duration of the project not less than three years.

(5) Research experience shall not be considered for appointment as a teaching faculty in the Postgraduate departments of Shalya Tantra, Shalakya -Netra, Shalakya- Karna Nasa and Mukha; and Streeroga - Pasuti Tantra.

(6) For holding the post of Assistant Professor a person shall have been qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission.

(7) Qualifying in National Teachers Eligibility Test is mandatory irrespective of cadre who would like to enter in to Teaching profession in Ayurveda.

(8) The actual research experience acquired during a regular full-time Doctor of Philosophy programme, from the date of joining to the date of submission of the thesis and not more than three years shall be considered as teaching experience and Ph.D seat allotment letter, proof of joining to full-time Ph.D programme and proof of submission of thesis to the University shall be considered as evidence in this regard.

(9) Department of Integrative Health and Tanslational Research, there shall be a minimum of one full time regular Professor having Postgraduate Degree holder in Swasthavritta and Yoga preferly with Ph.D and a biochemist, microbiologist, pharmacologist and Biostatistician shall be appointed on part time basis.

(10) (a) Temporary appointments or contractual appointments shall not be allowed. However, in case of Government Institutions contractual appointments may be allowed with following conditions, namely:—

(i) shall be as stop gap arrangement;

(ii) shall not be more than two years for a particular post in particular department;

(iii) shall be qualified in National Teachers Eligibility test.

(b) temporary promotion or promotion without salary benefits in accordance to respective cadre shall not be allowed.

(11) Qualification and experience for the post of head of the institution, Principal or Dean or Director shall be of the same qualification and experience prescribed for the post of Professor in these regulations with minimum three years of administrative experience viz. vice principal or head of the department or deputy medical superintendentor medical superintendent:

(a) shall have been attended, the capacity bulding programme on 'Educational Administration' conducted by the Commission or any other equivalent programme approved by the Commission or shall attend within six months period from the date of joining as head of the institution;

(b) the successful completion of the orientation programme on educational administration is a mandatory requirement for holding the post of the head of the institution;

(c) failing which, the incumbent shall not be considered for the post of head of the institution by MARBISM.

(12) (a) Every eligible teacher as per these regulations shall be provided unique teacher code by MARBISM;

(b) the procedure of obtaining unique teacher code and the details on withdrawal of unique teacher code shall be as per the provisions in the MES-UG.

(13) Age of superannuation of the teacher:— The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central, State, or Union territory administration and retired teachers fulfilling the eligibility norms may be re-employed up to the age of sixty-five years as full-time regular teachers.

(14) Attendance of teacher:-(a) each teacher shall have not less than seventy-five per cent. of attendance during the working days of every calendar year or assessment year as applicable.

(b) the attendance shall be calculated in terms of Teacher days.

***Explanation***.—For the purposes of these regulations, "Teacher Days' means total number of days, a full-time regular teacher attended or performed duty in twelve-month period, in the college and its teaching hospital wherein appointed, based on the attendance system implemented by the Commission.

(15) the regulations on relieving and replacement of teaching staff, deputation of teaching staff and experience of consultants and teaching staff before issuing of Letter of Permission shall be as per the provisions provided in the MES-UG.

(16) each teaching faculty shall undergo "Medical Education Technology or Quality Improvement Programme or Faculty Development Programme" once in three years.

**31. Tuition Fee.-**The tuition Fee as laid down and fixed by the respective Fee Fixation Committee or Fee Regulatory Committee or Governing Committee constituted by the State government or Union territory administration or University shall be charged only for three years of course period and no tuition fee shall be charged for extended duration of the study in case of failing in examination or by any other reasons.

**32. Course Commencement and cut-off date of admission.-** (1) The first year Postgraduate programme shall ordinarily starts from first working day of August every year and the cut-off date of admission in Postgraduate Degree programme shall be ordinarily on the 31st July of each academic session or as laid down by the Commission from time to time.

(2) Each institute shall conduct the academic activities or events as per the academic calendar laid down in Table-10.

**Table-10**
**Tentative Academic Calendar for Postgraduate Degree Programmes**
**(Doctor of Medicine-MD or Master of Surgery-MS)**
**(Total Duration of the Programme - 36 Months)**

| Serial Number | Academic Activity or Event | Timelines |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Programme Commencement | First Working Day of August |
| 2 | Postgraduate Orientation Programme | Fifteen to twenty Working Days |
| 3 | Guide Allotment for Postgraduate Dissertation Activity | October (third month) |
| 4 | First Summative Assessment by the University | Third or fourth week of January (sixth month) (at the end of first semester) |
| 5 | Submission of Synopsis | April (ninth month) |
| 6 | Second Summative Assessment by the University | Third or fourth week of July (twelth month) (at the end of second semester) |
| 7 | First Progress Review | Eighteenth month (January) |
| 8 | Second Progress Review | Twenty fourth month (July) |
| 9 | Third Progress Review | Thirtieth month (January) |
| 10 | Pre-Submission of Dissertation Work | January-March (thirtieth to thirty-second months) |
| 11 | Submission of Dissertation | January-March (thirtieth to thirty-second months) |
| 12 | Submission of Dissertation to the University by the Head of theInstitution | April (thirty-third month) |
| 13 | Third Summative Assessment by the University | Third or fourth week of July (thirty-sixth month) (at the end of sixth semester) |

Note:- Last day of third summative assessment (theory or practical or clinical as the case may be) may be treated as last working day of the programme.

## CHAPTER VIII

## Starting of New Postgraduate Programmes (Doctor of Medicine-MD or Master of Surgery-MS) and Increase in Student Intake Capacity in Existing Postgraduate Programmes

**33. Starting of New Postgraduate Programmes**, etc.—(1) Starting of a new medical institution or increase student intake capacity or starting of any Postgraduate programme shall be after obtaining permission in writing from the

MARBISM in response to an application in this regard.

(2) The starting of new medical institutions, the starting of Postgraduate Degree programmes and the increase in student intake capacity shall be as per section 29 of the Act.

**34. General considerations.—** (1) The last date for the receipt of application for new schemes shall be as displayed by the MARBISM on the Commission website every year.

(2) Applications shall be submitted by a person university, society, trust, or any other body (but does not include the Central Government).

(3) Applications shall be submitted online or offline as provided by the MARBISM from time to time shall be submitted for starting a new Postgraduate programme or for increase in intake capacity.

(4) Applications shall be submitted along with the prescribed application fee and processing fee as provided in Table-11 of these regulations.

(5) There is no provision for withdrawal of applications after the last date.

(6) In case of withdrawal of application before the last date, the application fee shall not be refunded.

(7) Any document in the local language shall be submitted in a transcript of Hindi and or English;

(8) It is understood that, before submission of the application, the applicant should have gone through and understood the Act and the concerned regulations.

**35. Pre-requisites.-**(1) An essentiality certificate from the respective State government or Union territory administration shall be submitted at the time of application in the prescribed format annexed to these regulations for establishing a Postgraduate medical institution or starting of new Postgraduate programmes or increase in the seats or student intake capacity (Annexure-III).

(2) The consent of affiliation from the respective university clearly mentioning the academic year or years of affiliation in the prescribed format (Annexure-IV)

(3) The radial distance between any two Ayurveda medical colleges run by the same trust, society or university shall not be less than twenty-five kilometres.

(4) (a) in case of a stand-alone Postgraduate institution, at the time of submission of an application, proposal, or scheme, it shall have a fully functional sixty-bed Ayurveda hospital that has been completed a minimum of twenty-four months (i.e., two years of functionality) of existence after establishment with proper registration;

(b) the hospital shall have fulfilled all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, functionality, facilities, including equipment and instruments and the like as provided in the MES-UG at the time of submission of an application.

(5) The following shall be considered for the two years of functionality of the hospital:
(a) bank transactions depicting the salary of consultants and other hospital staff in a nationalisedbank in an independent account in the name of the hospital;
(b) the bank transactions indicating the functionality of the hospital, such as periodic purchases of medicines and hospital consumables, payment of relevant taxes, hospital income, and the like;
(c) well documented (physical or electronic as prescribed by MARBISM) hospital records, including patient attendance in Out-Patient Departments and In-Patient Departments, documents showing maintenance of the hospital, and renewal of the necessary permissions from local or concerned authorities;
(d) the hospital shall have at least entry-level National Accreditation Board for Hospitals certification at the time of application.

**36. For making application to start Postgraduate Degree programme in an undergraduate college.—** The college shall fulfil the following:–

(1) fully established undergraduate college or institution under section 28 of the Act;
(2) the undergraduate college with intake capacity of hundred (100), one hundred fifty (150), two hundred (200) and rated grade 'A' or 'B' by MARBISM shall be eligible to start Postgraduate programme.

**37. Department wise eligibility**: (1) The undergraduate departments in which Postgraduate programme is proposed shall fulfil the following eligibility criteria:-

(a) no deficiency in terms of infrasturctre, human resources and functionality in the departments in which Postgraduate programme is proposed shall have been observed by MARBISM during the last three academic session including the year of application;
(b) the department has not been acted upon by MARBISM under the clause (f) of sub section (1) of section 28 the Act;
(c) the in-patient bed occupancy shall not be less than eighty per cent. in the departmental inpatient wards in which postgraduation programme is proposed; and
(d) minimum of twenty deliveries per month for the department of Stree Roga - Prastui.

**38. Eligibility for making an application to establish for Stand-alone Postgraduate institute**.– (1) For making an application under these regulations, a person or society or trust or university or institute or any other body shall be eligible if,—

(a) the applicant's objectives shall be to impart education in the Indian System of Medicineor Ayurveda;
(b) the minimum required land and other specifications shall be as provided in regulation 10 in these regulations;
(c) in case of institutions having lease agreement for land, the institute shall not be granted permission for admission for the last three years of lease period unless the institute submits a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submits the renewed lease agreement before expiry of lease period;
(d) fully established functioning Ayurveda hospital having at least entry-level accreditation of the National Accreditation Board for Hospitals (NABH) with sixty beds having bed occupancy not less than sixty per cent. and established with all minimum essential standards provided for teaching hospital attached to under-graduate college or institution with sixty student intake capacity as provided in the MES-UG;
(e) able to produce documentary evidences in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per the Commission norms;
(f) furnishes an affidavit that, the land and buildings designated for Postgraduate departments shall be maintained exclusively for the Postgraduate departments or Speciality and no other courses or colleges or programmes shall be conducted;
(g) furnishes an affidavit that the only those students who qualified in Postgraduate National Entrance Test shall be admitted through Central or State or Union territory online counselling strictly on the merit basis except foreign nationals;
(h) furnishes an affidavit that the nomenclature of Postgraduate Degree and teacher-student ratio shall be maintained as per the specifications laid down in these regulations, shall be in a position to establish infrastructure and manpower in such manner as provided in these regulations.

**39. Eligibility for making an application for increase in student intake capacity in the existing Postgraduate programmes**.—(1) For making an application, a person or society or trust or university or instituteor any other body shall be eligible if,—

(a) the Postgraduate department or specialty having rated grade "A" or "B" in the rating process carried out by the MARBISM or designated authority at the time of submission of application or proposal or scheme;
(b) fulfilled the pre-requisites provided in the sub-regulation (1) and (2) under regulation 35 of these regulations;
(c) furnishes an affidavit that Postgraduate National Entrance Test qualified students only shall be admitted only through Central or State or Union territory online counselling strictly on the merit basis except foreign nationals, Government of India sponsored candidates;

(d) furnishes an affidavit that the teacher-student ratio shall be maintained as per the specifications laid down in these regulations for increasing number of seats;
(e) shall be in a position to establish infrastructure and manpower in such manner as provided in these regulations.

**40. Method of application**.- (1) Applicant fulfilling the pre-requisite and eligibility criteria as provided in these regulations, may submit the application or proposal or scheme as per the mode (online or offline or both) and timeline as provided by the MARBISM from time to time.

(2) Individual applications for each Postgraduate specialty or programme shall be submitted.

(3) Non-refundable Application fee and Processing fee with applicable taxes as shown in Table-11 shall be paid through online mode (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the Commissionaccount in favour of "National Commission Fund for Indian System of Medicine".

**Table-11**
**Application Fee and Processing Fee for establishment of Postgraduate programmes and increase in intake capacity**

| Particulars | Fee Details | |
|---|---|---|
| | Application Fee | Processing Fee |
| (1) | (2) | (3) |
| To start Postgraduate Degree programme in existing undergraduate college | Rs.2,00,000/- per Postgraduate programme | Rs.10,00,000/- per Postgraduate programme |
| To start stand-alone Postgraduate Institution | Rs.2,00,000/- | Rs.10,00,000/- per Postgraduate programme |
| To start additional Postgraduate Degree programme | Rs.2,00,000/- per Postgraduate programme | Rs.10,00,000/- per Postgraduate programme |
| To increase student intake capacity | Rs.2,00,000/- per postgradaute programme | Rs.5,00,000/- per seat |

(4) Application with all necessary documents as provided in these regulations shall be submitted within thetime frame and mode (online or offline or both) as provided by the MARBISM from time to time.

**41. Processing of application**.- All the received applications shall be subjected to scrutiny by the MARBISM as per the following criteria:

(1) Applicant eligibility;
(2) Pre-requisites;
(3) Fulfilment of Minimum Essential Standards as provided in these regulations;
(4) Application fee and Processing fee with applicable taxes;
(5) Supportive documents;
(6) Hospital data;
(7) Transactions in official bank accounts (separate account for hospital and college) in nationalised banks;
(8) Any other as provided by the MARBISM from time to time.

**42. Issue of letter of intent.-** (1) After the scrutiny, the applications shall be grouped under following categories namely:–

(a) The applications fulfilling minimum essential standards and other requisites;
(b) The applications with shortcomings;
(c) The applications with non-rectifiable shortcomings;

(a) The applications fulfilling minimum essential standards and other requisites:

(i) such institutes shall be inspected or visited by the MARBISM.

(ii) the MARBISM shall verify the data submitted by the institute along with the application and the observations made by the visitors during the inspection or visitation and if found satisfied, the institute will be issued Letter of Intent under Section 29 of the Act;

(iii) in case any shortcomings noticed during inspection or visitation, the same shall be communicated and an opportunity shall be given for rectification except for the shortcomings provided in item (a) of sub- clause (v) of the regulations;

(iv) the compliance report along with necessary supporting documents submitted by the institutes that have been given an opportunity for rectification, will be subjected for scrutiny for the shortcomings provided;

(v) if found satisfied the application is approved and Letter of Intent will be issued; and

(vi) if not found satisfied or the compliance report if not received within the due date as provided by the MARBISM the application shall be disapproved and rejected:

(b) The applications with shortcomings: (i) The applications found with shortcomings will be communicated to the applicant for rectification;

(ii) the compliance report along with supporting documents submitted by the institutions within the provided duration, will be scrutinised once again by the MARBISM; if found satisfactory, the institution shall be inspected or visited;

(iii) the MARBISM will examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors; if found satisfactory, the institute shall be issued Letter of Intent; if not found satisfactory the application shall be disapproved and rejected.

(c) The applications with non-rectifiable shortcomings: However, shortcomings of serious nature like deficiencies in minimum essential standards as provided in these regulation such as functionality of the hospital, land availability or dispute of land, insufficient time duration of functioning hospital, non-availability of essentiality certificate from state government, non-availability of consent of affiliation from the university, deficiency in constructed area of college and hospital etc. an opportunity to rectify the defects shall not be given and such applications shall stand disapproved.

(2) The relaxation policy applicable to the existing colleges shall not be applicable for new applications unless otherwise provided by the MARBISM; and

(3) Letter of Intent issued shall be valid for that particular academic session only.

**43. Issue of letter of permission**.- (1) The institutes that have received Letter of Intent shall submit the compliance report by fulfilling all the minimum essential standards; details of teaching staff, non-teaching staff and hospital staff appointed as provided in these regulations and security deposit to the Commission within the duration as provided by the MARBISM.

(2) the security deposit shall be—

(a) for starting of a new Postgraduate course or programme: rupees fifty lakhs per programme;

(b) for increase in number of seats: rupees five lakhs per seat:

Provided that it shall not apply to the colleges or institutes governed by Central or State or Union territory if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them.

(3) The security deposit amount shall be returned to the college or institution account without interest after three years of commencement of concerned Postgraduate programme provided there shall not be any financial grievance pending against the college or institute or pending penalty amount due to disciplinary action taken by the MARBISM or the Commission.

(4) The applicant shall be communicated either approval or disapproval of the application or proposal or scheme

by the MARBISM within six months from the last date of submission of application or proposal or scheme.

(5) The MARBISM shall be the authority to transform the above-mentioned system for application, verification, assessment and rating through Artificial Intelligence based online system for transparency.

**44. Appeal**.—(1) Under section 29 of the Act, aggrieved applicants may prefer an appeal in the followingsituations in the manner provided below:—

(a) in case of denial of permission by the MARBISM, or no order is passed within six months of submitting a scheme, the aggrieved applicant may prefer first appeal to the Commission within fifteen days ofcommunication of disapproval or within fifteen days after lapse period of six months as the case may be;
(b) the first appeal may be submitted by online or offline mode or as provided by the Commission from time to time;
(c) upon receipt of appeal, the Commission shall examine the appeal and the aggrieved applicant shall be given an opportunity for hearing;
(d) in case if the Commission found that, the applicant is fulfilling all the minimum essential standard requirements, the Commission may direct the MARBISM to consider the application;
(e) in case if the applicant is not fulfilling the minimum essential standards, the Commission shall disapprove and reject the application;
(f) in any case the Commission shall communicate the decision to the applicant within fifteen days of receipt of the appeal.
(g) in case of disapproval by the Commission or no order has been passed by the Commission within fifteen days from the date of receipt of such an appeal, the aggrieved applicant may prefer a second appeal to the Central Government (Ministry of Ayush) within seven days.

**45. Renewal of permission.-** (1) Letter of Permission issued once shall be valid for that particular academicsession and shall be renewed on yearly basis until the institute achieves fully established status as provided in Table-12.

**Table-12**
**Permission and Category of Postgraduate Department or Programme**

| Serial Number | Section of NCISM Act, 2020 | Permission or Renewal of Permission | Category | Batch |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 29 | Letter of Intent | Under consideration | No admission |
| 2 | | Letter of Permission | Institution under Establishment | First batch |
| 3 | | First Renewal of Permission | | Second batch |
| 4 | | Second Renewal of Permission | | Third batch |
| 5 | 28 | Extended Permission or Yearly Permission | Fully Established Postgraduate Department or Specialty. Entitled for Rating | Fourth batch |

(2) The institutes issued Letter of Permission shall submit the compliance (Postgraduate department orspecialty or programmewise) in respect to the fulfilment of minimum essential standards as provided in these regulations. The compliance report shall be submitted by the institution prior to six months to the expiry of Letter of Permission.

(3) The MARBISM shall conduct inspection or visitation and examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors during inspection or visitation and on fulfilment of minimum essential standards, the institute shall be issued the first renewal of permission.

(4) The same method followed for first renewal, shall be followed for second renewal of permission.

(5) After second renewal, the Postgraduate department or specialty shall be treated as 'Fully Established Postgraduate department or specialty' under section 28 of the Act 2020, unless otherwise acted upon by the MARBISM as per the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

(6) In case of non-fulfilment of minimum essential standards and not attaining annual targets at any phase of

establishment of the institution, in such case the MARBISM shall deny permission for admission for a particular Postgraduate department or specialty for that particular academic session.

(7) The fully established Postgraduate department or specialty is eligible for rating by the MARBISM.

## CHAPTER-IX

### Rating of Postgraduate Departments in Postgraduate Medical Institutions where Undergraduate Course is in Existence and Stand-Alone Postgraduates Institutions

**46.** (1) The Postgraduate department possessing "extended permission" status either in undergraduate college or stand-alone Postgraduate medical institution shall be rated every year.

(2) In case of Postgraduate institutions where undergraduate course is in existence, the rating shall be carried out for fully established undergraduate institution and fully established Postgraduate departments separately.

(3) Fully established Postgraduate departments shall be rated individually (Postgraduate department or specialty or program wise rating).

(4) The following Postgraduate institute or Postgraduate department or specialty shall not be eligible forrating:
(a) undergoing establishment under section 29 of the Act;
(b) categorised under the "yearly permission" category;
(c) denied permission by MARBISM;
(d) measures taken by the MARBISM under clause (f) of sub section (1) of section 28 of the Act.

(5) The rating process shall be carried out by the MARBISM, or by any designated agency through the procedure based on the key areas and standards (qualitatively and quantitatively) determined by Board of Ayurved.

(6) The Postgraduate departments or specialties shall be rated based on the standards maintained by the institutions over and above the minimum essential standards provided in these regulations.

(7) The data uploaded periodically (on or before tenth of every month for the data pertaining to preceding month) by the institutions (self-disclosure) on the Commission's online platform shall be considered for rating and other purposes.

(8) The proportion of weightage between online data verification and physical verification or assessment for rating shall be in ratio of 70:30 (that is seventy per cent online data verification and thirty per cent physical verification or assessment).

(9) After the assessment for rating, the individual Postgraduate department or specialty or programme under the extended permission category shall be graded into Grade 'A', Grade 'B', Grade 'C', or Grade 'D' based on the assessment score obtained by the Postgraduate department or specialty.

(10) The result of the rating process shall be made available on the Commission's web site or in the public domain before the commencement of counselling for admission.

(11) The Postgraduate department awarded Grade 'A' is entitled to charge five percent development fee over and above the prescribed fee by the concerned fee fixation authority from the students admitted during the years of possessing Grade 'A'.

(12) To start any new Postgraduate programme, all existing Postgraduate programmes shall have been rated 'A' or 'B'.

(13) The Postgraduate departments having grades of 'A' or 'B' shall only be eligible to apply for an increase in student intake capacity.

(14) Any Postgraduate department or programme of any grade, if acted upon by MARBISM under clause (f) of sub section (1) of section 28 of the Act, shall be deemed to have been withdrawn the grade, and no communication will be sent for the withdrawal of the grade; if such college, institute, or department continues to use the grade, such institutes shall be subjected to disciplinary action by the MARBISM under clause (f) of sub section (1) of section 28 of the Act.

(15) Medical institutions or Postgraduate departments shall be graded based on the rating score obtained by the institute, as provided in Table-13

**Table-13**
**Rating Score and Grades**

| Rating Score | Grade |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| 75 and above | A |
| 50-74 | B |
| 25-49 | C |
| Up to 24 | D |
| Others: Not Eligible for Rating | |

(16) Annual rating fee as detailed in Table-14 shall be paid along with applicable taxes through online (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the Commissions for account within the period prescribed by the MARBISM.

**Table-14**
**Fee for Rating of Ayurvedic Institutions**

| Institution | Amount of fee (in rupees) as per undergraduate intake capacity and number of Post Graduate Programmes | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Upto 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 and above |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Postgraduate departments in undergraduate institution | Rs.1,00,000/- | Rs. 2,00,000/- | Rs. 3,00,000/- | Rs. 4,00,000/- |
| Stand-alone Post Graduate institution | Rs.3,50,000/- (2,50,000*+1,00,000) | Rs.4,50,000/- (2,50,000*+2,00,000) | Rs.5,50,000/- (2,50,000*+3,00,000) | Rs.6,50,000/- (2,50,000*+4,00,000) |
| * for 60 beded hospital in standalone Postgraduate institutions | | | | |

## CHAPTER- X
## Minimum essential standards for Postgraduate Doctoral Degree (Ph.D.) Doctorate of Philosphy

**47. General consideration**.- (1) Ph.D. programme shall be for a minimum duration of three years and a maximum of six years. Extension beyond the above limits will be governed by the relevant clauses as stipulated in the Statute or Ordinance of the degree awarding Institutions or Universities, but shall not be more than two years.

(2) Women candidates and Persons with Disabilities (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of two more years for a Ph.D. in the maximum duration. In addition, women candidates may be provided Maternity Leave or Child Care Leave for up to 240 days once in the entire duration of Ph.D.

(3) The Ph.D. programme shall be a full-time research programme.

(4) Ph.D. programme shall not be recognised in case if
(a) The Ph.D scholar and the Ph.D supervisor are at different places during the research period;
(b) the working place of Ph.D scholar and the research place registered for Ph.D are different.

(5) Those who have registered for Ph.D. programme before notification of these regulations shall continue with the

provisions prevailed at the time of their registration.

(6) Admission to Ph.D. shall be through the entrance examination conducted by the university.

(7) The research place for Ph.D. programme shall be an Ayurveda institute having independent Postgraduate department or a research laboratory or national institutes or Institutes of national Importance or research centres of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. An undergraduate teaching institute shall not be considered as a research place for Ph.D programme

(8) For inter-disciplinary, trans-disciplinary and multi-disciplinary research, a Postgraduate institute of the concerned subject recognised by the concerned university or an Institute of National Importance or any centreof excellence established by a state or central government or a research institute run by the state or central government or research institutes of autonomous organisations established by state or central governments and the like shall be considered as a research place.

(9) Ph.D awarded for research work carried out either in the concerned subject or in discipline or intra- disciplinary or inter-disciplinary or trans-disciplinary or multi-disciplinary research areas shall be considered equal.

## CHAPTER-XI

## Minimum essential Standards and Minimum Standards of Education for Institution or Department offering Super Speciality Programme - (DM Ayurveda)

**48. General considerations.—** Super speciality Programme (DM Ayurveda) are intended to produce super specialists with deep understanding in Ayuveda classics with updated knowledge in contemporary sciences in relevant speciality area, who can conduct relevant diagnostic tests and interpret the results of diagnostic tests; diagnose precisely, able to analyse amshamasa kalpana; administer medical as well as procedural management; able to plan, suggest and administer preventive, promotive, palliative, rehabilitative care related to speciality, but on the lines of holistic health care; able to identify, assess and manage complications (related to speciality); able to communicate effectively with the patients; able to lead the medical teams in conducting diagnostic tests or procedures; administering therapeutic or surgical or para-surgical procedures and able to conduct public awarenessactivities.

(1) Structure of the DM programme:- (a) The DM programme shall be of three years duration;

(b) the DM programme shall be based on super speciality training for diagnosis and treatment;

(c) the DM programme shall include dissertation and case studies as mentioned in these regulations in addition to the training;

(d) the pattern of the training, thesis work, and case studies shall be such that the candidate shall develop all competencies required to practice as a super specialist of Ayurveda in a concerened subjects or speciality or diagnosis and treatment.

(2) Super Speciality programme (DM Ayurveda) shall be conducted in exclusive department as shown in Table -15. Various DM programmes and the respectivedepartments shall be as shown in Table-15.

**Table-15**
**Nomenclature of DM Course**

| Serial Number | Name of the Programme | Department | Nomenclature of the Specialist |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | DM Manasaroga (Ayurveda Psychiatry) | Manasaroga evum Manovijnana | Manasaroga Visheshajna (Ayurveda Psychiatrist) |
| 2. | DM Vajikarana (Reproductive Medicine and Epigenetics in Ayurveda) | Vajikarana | Vajikarana Visheshajna (Reproductive Medicine Specialist and Epigenecist in Ayurveda) |
| 3. | DM Asthi and Sandhi (Orthopedics and Arthrology in Ayurveda) | Asthi and Sandhi | Asthi and Sandhi Roga Visheshajna (Orthopedist and Arthrologist in Ayurveda) |
| 4. | DM Arbuda Vijnana (Ayurveda Oncology) | Arbuda Vijnana | Arbuda Visheshajna (Ayurveda Oncologist) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | DM Jara Chikitsa (Ayurveda Gerontology) | Rasayana | Jara Chikitsa Visheshajna (Ayurveda Gerontologist) |
| 6. | DM Yakrit Vikara (Ayurveda Hepatology) | Yakrit | Yakrit Roga Visheshajna (Ayurveda Hepatologist) |

(3) Eligibility Criteria for Admission in to Super Specialty Programmes: Postgraduate Degree holders of Ayurveda as detailed in Table-16 for respective super speciality programme shall be eligible for admission in to DM Ayurveda programme.

**Table-16**
**Eligibility Criteria for Admission in to Super Specialty Programmes (DM Ayurveda)**

| Serial Number | Name of the Super Specialty | Prior Requirement for Admission |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | DM Manasaroga (Ayurveda Psychiatry) | MD Manasaroga evum Manovijnana<br>MD Kayachikitsa<br>MD Swasthavritta & Yoga<br>MD Kaumarabhritya |
| 2. | DM Vajikarana (Reproductive Medicine and Epigenetics in Ayurveda) | MD Rasayana and Vajikarana<br>MD Kayachikitsa<br>MD Panchakarma<br>MS Stree Roga - Prasuti Tantra |
| 3. | DM Asthi and Sandhi (Orthopedics and Arthrology in Ayurveda) | MD Kayachikitsa<br>MS Shalya Tantra<br>MD Panchakarma |
| 4. | DM Arbuda (Ayurveda Oncology) | MD Kayachikitsa<br>MS Shalya Tantra<br>MD Panchakarma<br>MD Agada Tantra |
| 5. | DM Jara Chikitsa (Ayurveda Gerontology) | MD Kayachikitsa<br>MD Panchakarma<br>MD Swasthavritta & Yoga |
| 6. | DM Yakrit Vikara (Ayurveda Hepatology) | MD Kayachikitsa<br>MD Panchakarma<br>MD Kaumarabhritya<br>MD Agada Tantra |

**49. Mode of admission in to super-specialty programmes.-** (1) Admission into super speciality programme shall be on the basis of merit obtained in the entrance examination conducted by the Commission from time to time. The reservation policy in this shall be as specified in regulation 18 (4) of these regulations.

(2) The annual intake capacity for all super specialty programme (DM Ayurveda) shall be maximum of four seats subject to availability of student teacher ratio as provided in these regulations 52.

(3) Minimum requirements for starting of super specialty programmes:

a. fully established Postgraduate institute (either existing in undergraduate college or stand-alone Postgraduate college) under section 28 of the Act;
b. obtained permission to admit the students consecutively for the last five preceding academic sessions;
c. rated 'A' grade by MARBISM consecutively for the last three preceding academic sessions.

(4) Department wise minimum requirements:

a. DM Manasaroga (Psychiatry in Ayurveda):-
   (i) the institutes having independent Manasaroga Out-patient department functioning for not less than two years shall be eligible to start Manasaroga super specialty programme;

(ii) it shall be under an exclusive department of Manasaroga evum Manovijnana. The minimum required teaching staff and other facilities shall be:

(A) Fulltime Regular Teachers: (I) One Professor and one Associate Professor shall be required for the super speciality programme in Manasaroga.

(II) for the post of Professor: DM Manasaroga with minimum 5 years of teaching experience in super speciality programme in Manasaroga or MD Manasaroga evam Manovijnana or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma with minimum 10 years of Postgraduate teaching, out of which 5 years of teaching shall be in Manasaroga Postgraduation shall be required.

(III) for the post of Associate Professor: MD Manasaroga evam Manovijnana or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma with minimum 5 years of Postgraduate teaching, out of which at least two years of teaching in Manasaroga Postgraduation or DM Manasroga shall be required.

(B) In case of non-availability of teachers with DM Manasaroga: out of two teachers one teacher shall beMD Manasaroga evam Manovijnana or MD Kayachikitsa and another from MD Panchakarma.

(C) Part-time Teachers:

(I)Clinical Psychologist with Postgraduation in clinical psychology;

(II) Psychiatrist with MD or DM in Psychiatry or Mental illness.

(D) Exclusive Manasa Out-patient department; De-addiction centre; In-patient department facility with ten beds; a minimum of two well equipped panchakarma therapy rooms; EEG; facility for daiva-vyapashraya chikitsa (spiritual therapy); facility for satwavajay chikitsa (yoga, meditation room and counselling facility) shallbe required.

(E) Other staff: Panchakarma therapists (two male and two female), EEG technician, yoga demonstrator, office assistant and MTS.

b. DM Vajikarana (Reproductive Medicine & Epigenetics in Ayurveda):-

(i)Institute with established Vajikarana Out-patient department for not less than two years shall be eligible to start Vajikarana super specialty programme. It shall be under an exclusive department of Vajikarana. The minimum required teaching staff and other facilities shall be:

(A) Fulltime Regular Teachers: - (I) One Professor and one Associate Professor shall be required for the super speciality programme in DM Vajikarana.

(II) For the post of Professor:- DM Vajikarana with minimum 5 years of teaching experience in super speciality programme in Vajikarana or MD Rasayana & Vajikarana with minimum10 years of teaching experience or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma with minimum 10 years of Postgraduate teaching, out of which 5 yrs of teaching shall be in Rasayana & Vajikarana Postgraduation or MS Stree Roga - Prasuti Tantra with 10 years of Postgraduate teaching shall be required.

(III) For the Post of Associate Professor:- MD Rasayana & Vajikarana with minimum 5 years of teaching experience or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma with minimum 5 years of Postgraduate teaching, out of which at least 2 yrs of teaching shall be in Rasayana & Vajikarana Postgraduation or MS Stree Roga - Prasuti Tantra with 5 years of Postgraduate teaching or DM Vajikarana shall be required.

(B) In case of non-availability of teachers with DM Vajikarana: out of two teachers one shall be MD Rasayana & Vajikarana or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma and one shall be MS Stree Roga - PrasutiTantra.

(C) Part-time Teachers:-

(I) Gynaecologist & Obstetrician;

(II) Specialist in Reproductive Medicine or Urologist;

(III) Specialist in Medical Genetics.

(D) separate OPD one each for male partner evaluation and one for female partner evaluation; retopariksha laboratory with CASA (computer aided semen analysis); trinocular microscope with videography equipment and display unit, facility to carryout sperm function tests, cervical mucus examination, post coital test, a minimum oftwo well equipped panchakarma rooms for panchkarma; procedural room for uttaravasti, intrauterine insemination and the like procedures; IPD facility with 10 beds; penile doppler for varicocele diagnosis shall be required;

(E) other staff: Panchakarma therapists (two male and two female), lab technician, nursing staff in procedural room, office assistant and MTS.

c. DM Asthi and Sandhi (Orthopedics and Arthrology in Ayurveda):-(i) Institute with established Asthi & Sandhi OPD for not less than two years shall be eligible to start super specialty programmein Asthi and sandhi. It shall be under an exclusive department of Asthi and sandhi. The minimum required teaching staff and other facilities shall be:

(ii) Fulltime Regular Teachers:- (I) One Professor and one Associate Professor shall be required for thesuper speciality programme DM Asthi & Sandhi.

(II) For the post of Professor: DM Asthi & Sandhi with minimum 5 years of teaching experience in super speciality programmein Asthi & Sandhi or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma or MS Shalya Tantra with minimum 10 years of Postgraduate teaching shall be required.

(III) For the Post of Associate Professor: MD Kayachikitsa or MD Panchakarma or MS Shalya Tantra with minimum 5 years of Postgraduate teaching or DM Asthi & Sandhi shall be required.

(iii) In case of non-availability of teachers with DM asthi & Sandhi: out of two teachers one shall be MD Kayachikitsa or MD Panchakarma and another shall be MS Shalya Tantra.

(iv) Part-time Teachers:-
(I) One Orthopaedist;
(II) One physiotherapist with MPT qualification.

(v) Separate OPD for asthi & Sandhi; a minimum of two well equipped panchakarma rooms; anushastra karma facility; IPD facility with 10 beds;

(vi) Other staff: Panchakarma therapists (two male and two female), nursing staff in procedural room, office assistant and MTS.

d. DM Arbuda (Ayurveda Oncology):- Institute with established Arbuda OPD for not less than two yearsshall be eligible to start super specialty programme in DM Arbuda. It shall be under an exclusive department of Arbuda. The minimum required teaching staff and other facilities shall be:

(ii) Fulltime Regular Teachers:- (I) One Professor and one Associate Professor shall be required;

(II) For the post of Professor:- DM Arbuda with minimum 5 years of teaching experience in super speciality programme in Arbuda or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma or MS Shalya Tantra with minimum 10 years of Postgraduate teaching shall be required;

(III) For the Post of Associate Professor:- MD Kayachikitsa or MD Panchakarma or MS Shalya Tantra withminimum 5 years of Postgraduate teaching or DM Arbuda shall be required.

(iii) In case of non-availability of teachers with DM Arbuda: out of two teachers one shall be MD Kayachikitsa or MD Panchakarma and another shall be MS shalya Tantra.

(iv) Part-time Teachers:-
(I) Agada Tantra Specialist with MD Agada Tantra;
(II) One Medical Oncologist.

(v) Separate OPD for Arbuda; a minimum of two well equipped panchakarma rooms; anushastra karma facility; IPD facility with 10 beds;

(vi) Other staff: Panchakarma therapists (two male or two female), nursing staff in procedural room, office assistant and MTS.

e. DM Jara Chikitsa (Ayurveda Gerontology):- Institute with established Jara Chikitsa OPD for not less than two years shall be eligible to start super specialty programme in DM Jara Chikitsa. It shall be under an exclusive department of Rasayana. The minimum required teaching staff and other facilities shall be:

(ii) Fulltime Regular Teachers: (I) One Professor and one Associate Professor shall be required for the super speciality programme DM Jara Chikitsa;

(II) For the post of Professor:- DM Jara Chikitsa with minimum 5 years of teaching experience in super speciality programme in Jara Chikitsa or MD Rasayan and Vajiakarana or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma with minimum 10 years of Postgraduate teaching shall be required;

(iii) For the Post of Associate Professor :- MD Rasayana and Vajiakarana or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma with minimum 5 years of Postgraduate teaching or DM Jara Chikitsa shall be required.

(iv) In case of non-availability of teachers with DM Jara Chikitsa: out of two teachers one shall be MD Rasayana and Vajiakarana or MD Kayachikitsa and another shall be MD Panchakarma.

(v) Part-time Teachers:-
(I) Physiotheripst;
(II) Yoga Demonstrator;

(vi) Separate OPD for Jara Chikitsa; a minimum of two well equipped panchakarma rooms; yoga and physiotherapy facility; IPD facility with 10 beds;

(vii) Other staff: Panchakarma therapists (two male and two female), nursing staff in procedural room, office assistant and MTS.

f. DM Yakrit Vikara (Hepatology in Ayurveda):-Institute with established Yakrit Vikara OPD for not less than two years shall be eligible to start super specialty programme in DM Yakrit Vikara. It shall be under an exclusive department of Yakrit. The minimum required teaching staff and other facilities shall be:

(i) Fulltime Regular Teachers:- (I) One Professor and one Associate Professor shall be required for the super speciality programme DM Yakrit Vikara.

(II) For the post Professor:- DM Yakrit Vikara with minimum 5 years of teaching experience in super speciality programme in Yakrit Vikara or MD Kayachikitsa or MD Panchakarma with minimum 10 years ofPostgraduate teaching shall be required.

(III) For the Post of Associate Professor:- MD Kayachikitsa or MD Panchakarma with minimum 5 years of Postgraduate teaching or DM Yakrit Vikara shall be required.

(ii) In case of non-availability of teachers with DM Yakrit Vikara: out of two teachers one shall be MD Kayachikitsa and another shall be MD Panchakarma.

(iii) Part-time Teachers:-

(I) MS Shalya Tantra;

(II) One Hepatologist or Gastro-enterologist or Internal Medicine specialist.

(iv) Separate OPD for Yakrit Vikara; a minimum of two well equipped panchakarma rooms; anushastra karma facility; IPD facility with 10 beds;

(v) Other staff: Panchakarma therapists (two male and two female), nursing staff in procedural room, office assistant and MTS.

**50. Dissertation activity**.— (1) All the scholars of super speciality programme (DM Ayurveda) shall have to conduct clinical research and submit a dissertation.

(2) The synopsis for the dissertation shall be submitted during first three months of the programme and the final dissertation shall be submitted between 25$^{th}$and 30$^{th}$ month of the programme.

(3) The dissertation shall be evaluated by three examiners.

(4) There shall be open defence for dissertation.

(5) Submission of dissertation shall be the pre-requisite for appearing in university examination.

(6) Acceptance of dissertation shall be the pre-requisite for announcing the results of university examinations.

(7) The dissertation shall have "super speciality" component.

**51. Case studies.—** (1) Apart from dissertation, each scholar of super speciality shall submit a minimum ofthirty case studies pertaining to the speciality.

(2) Each case shall be studied in detail for history, examination, interpretation of clinical findings and investigations, construct the pathophysiology or panchalakshana nidana of that particular patient with the help of classical knowledge, analyse amshaamsha kalpana and discuss the treatment administered in the context of pathophysiology and clinical outcome.

**52. Student** Guide Ratio for super speciality programme shall be 2:1 for Professor (two students for Professor) and 1:1 for Associate Professor or reader.

**53. Examination.—** at the end of third year during 36$^{th}$ month of the programme there shall be university examination. Number of papers and marks shall be as detailed in Table-17.

**Table -17**

| S.No | Examination | Number of papers | Marks | Passing criteria |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Theory | 4 | 400 (4*100) | Aggregate of 200 with paper minimum 40% |
| | Practical/ Clinical | - | 300 | Aggregate of 200 |
| | Viva | - | 100 | |

**54. Pass criteria**.- Obtaining 50% and above marks independently in theory and practical (clinical and viva- voce) examination shall be criteria to declare pass. 65% and above shall be declared as first class and 75% and above shall be declared as distinction.

**55. Examiners.-** Professors of concerned super speciality programme shall be the eligible examiners. Thereshall be two examiners (one internal and one external). There shall be double valuation for theory examination and there shall not be revaluation.

**56. Log book.-** every student of super speciality shall maintain a logbook of all activities related to the concerned super speciality, attended or participated or organised by the scholar.

**57. Starting of Super-speciality (DM Ayurveda) Programmes.-** (1) Starting of super speciality programme shall be as per section 29 of the Act.

(2) Super speciality programme may be started in an undergraduate college having postgraduation or stand- alone Postgraduate college.

(3) Super speciality programme shall be permitted in the colleges rated 'A' grade consecutively for at least three years including the year of application.

(4) Concerned speciality OPD (as provided in these regulations for each super speciality programme) shall be functioning for not less than twenty-four months.

(5) Application for starting of super speciality programme shall be in prescribed form, online or offline as provided by MARBISM from time to time.

(6) Application along with Annexures and requisite fee shall be submitted during the period as displayed by MARBISM in Commissions website.

(7) A separate application for each super speciality programme shall be submitted.

(8) The application fee (rupees two lakhs per application) and processing fee (rupees five lakhs per programme) shall be paid into the official bank account of the Commission through NEFT or RTGS payment mode.

(9) The scrutiny of applications, issue of LOI, LOP, LOR and appeal process shall be same as to that of starting of Postgraduate programme as detailed in Chapter-VIII

## CHAPTER-XII

## Discipline Maintaninence

**58. General considerations.—** (1) Compliance with the regulations, directions, instructions and adherence to the time-line issued by the MARBISM or National Commission for Indian System of Medicine shall be the responsibility of the institutions.

(2) Non-compliance action includes the follpwing, namely:—

(a) non-compliance with regulations, notifications, circulars, guidelines, and any other types of communication issued by Autonomous boards or National Commission for Indian system of Medicine fromtime to time;
(b) any activities of the institutions, that are not in accordance with the objectives of Postgraduate Ayurveda medical education and practices like exploitation of students on fees, mal practices of attendance etc;
(c) non-fulfilment of infrastructure, human resources, clinical material, practical material, research facilities and other institutional functionality etc that are not in accordance with these regulations;
(d) non-cooperation or any sort of disturbance to inspection or visitation process for assessment and rating or any other activities of the MARBISM or the National Commission for Indian System of Medicine;
(e) providing falsified information or fabricated data or information or evidence to Autonomous boards or to the National Commission for Indian System of Medicine;
(f) any attempt to influence, pressurise, bribe or threaten assessors or officials of the National Commission for Indian System of Medicine or officials designated by the National Commission for IndianSystem of Medicine.

(3) For any of the non-compliance as provided in sub-regulation (2) or intentional attempt of non-complianceact or ommission by the medical institution, the MARBISM shall either penalise the medical institution or take such

measures as provided in the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act or conduct further enquiry into such incidence, namely:—

(a) impose monetary penalty not exceeding rupees one crore per every non-compliance committed by the medical institution;
(b) issuance of warning;
(c) withholding processing of application for any new scheme for that academic year or for a such number of years as may be determined;
(d) reducing the number of seats to be admitted by the medical institution in the next academic year;
(e) stoppage of admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic years;
(f) recommending the National Commission for Indian System of Medicine for the withdrawal of recognition;
(g) withholding and withdrawal of rating of the medical institutions for a period up to five academic years.

(4) If any attempt from the institution side to pressurise the MARBISM or the Commission through individuals or agency shall lead to immediate halt of the processing the application or request by the medical institution or withdrawal of permission, reduction in student intake capacity or monetary penalty.

(5) The MARBISM or the Commission may also initiate criminal proceedings for furnishing false information or fabrication of false documents as per the criminal law applicable from time to time.

(6) Where the Commission finds that a Postgraduate Student, who is required to undertake three years of study with physical presence in the concerned institution, is obtaining Postgraduation degree by fraud or misrepresentation or by physically absent without fulfilling the requisite attendance or by providing false information in this behalf either in collusion with respective institution or otherwise or without fulfilling the requirements as specified under these regulations or any such guidelines notified in this regard by the Commission from time to time, such Postgraduate Student shall be penalised with temporary suspension of his Postgraduationstudies and temporary suspension of State Registration or National registration for not less than one year and impose a minimum penalty of five lakh rupees; in the event of second conviction temporary suspension of his Postgraduation studies for not less than two years and temporary suspension of State Registration or National registration for not less than two year and impose a minimum penalty of ten lakh rupees, and in the event of third and subsequent conviction there shall be permanent cancellation of his or her admission from Postgraduation studies along with suspension of State or National registration for not less than five years shall imposed.

**Appendix "A"**

(See regulation 18)

SCHEDULE relating to "SPECIFIED DISABILITY" referred to in clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), provides as under:-

1. Physical disability.—

(A) Loco motor disability a person's inability to execute distinctive activities Associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;
(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;
(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle

coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue; (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violentassaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

(B) Visual impairment—2

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or
(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to10 degree.

(C) Hearing impairment -
(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;
(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(D) "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—
(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;
(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently Associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—
(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;
(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people Associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—
(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male

children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor would may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to Associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government from time to time.

## Appendix "B"

(See regulation 18)

### Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in MD Ayurveda or MS Ayurveda

1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017.

2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)", published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4thJanuary, 2018.

3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH).

### Table

| Sl. No. | Disability category | Type of Disabilities | Specified Disability | Disability Range (5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Eligible for MD Ayurveda or MS Ayurveda Course, Not Eligible for PwD Quota | Eligible for MD Ayurveda or MS Ayurveda Course, Eligible for PwD Quota | Not Eligible for MD Ayurveda or MS Ayurveda Course |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | |
| 1. | Physical Disability | (A) Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f). | (a) Leprosy cured person* | Less than 40% disability | 40-80% disability Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their function a incompetency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as | More than 80% |
| | | | (b) Cerebral Palsy** | | | |
| | | | (c) Dwarfism | | | |
| | | | (d) Muscular Dystrophy | | | |
| | | | (e) Acid attack Victims | | | |
| | | | (f) Others*** such as | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Amputation, Poliomyelitis, etc. | | required to pursue and complete the course satisfactorily. | |
| | | | * Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at.<br>** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at.<br>*** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for MD Ayurveda or MS Ayurveda course | | | |
| | | (B) Visual Impairment (*) | (a) Blindness<br>(b) Low vision | Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%') | - | Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III and above) |
| | | (C) Hearing impairment@ | (a) Deaf<br>(b) Hard of Hearing | Less than40% Disability | - | Equal to or more than 40%Disability |
| | | | (*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Post-graduate Programme, MD Ayurveda or MS Ayurveda. Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.<br><br>@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Post-graduate Programme, MD Ayurveda or MS Ayurveda. Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices.<br><br>In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%. | | | |
| | | (D) Speech & language disability$ | Organic/ neurological causes | Less than 40% Disability | - | Equal to or more than 40% Disability |
| | | $ It is proposed that for admission to MD Ayurveda or MS Ayurveda programme the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the MD Ayurveda or MS Ayurveda programme.The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the MD Ayurveda or MS Ayurveda programme.<br><br>Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue MD Ayurveda or MS Ayurveda programme but beyond that they will neither be eligible to pursue the MD Ayurveda or MS Ayurveda programme nor will they have any reservation. | | | |
| 2. | Intellectual disability | | (a) Specific learning disabilities (Perceptual | # currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed. | | |
| | | | disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)# | Less than 40% Disability | Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel | More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (b) Autism spectrum disorders | Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40-60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for MD Ayurveda or MS Ayurveda programme by an expertpanel | Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation / quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment. | Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing MD Ayurveda or MS Ayurveda programme by an expertpanel |
| 3. | Mental behaviour | | Mental illness | Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS) | Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/ quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment. | Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfitto perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other thanIndia. |
| 4. | Disability caused due to | (a) Chronic Neurological Conditions | (i) Multiple Sclerosis | Less than 40% Disability | 40-80% disability | More than 80% |
| | | | (ii) Parkinsonism | | | |
| | | (b) Blood Disorders | (i) Haemophilia | Less than 40% Disability | 40-80% disability | More than 80% |
| | | | (ii) Thalassemia | | | |
| | | | (iii) Sickle cell disease | | | |
| 5. | Multiple disabilities including deaf blindness | | More than one of the above specified disabilities | Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability.<br><br>Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India<br><br>$\frac{a + b\,(90-a)}{90}$<br>(where a=higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities)<br><br>Is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual. | | |
| **Note:** For selection under PwD category, candidates will be required to produce Disability Certificate before their scheduled date of counselling from one of the disability assessment boards as designated by concerned Authority of Government of India | | | | | | |

**Schedule –I**

**Additional Constructed Area (minimum) required for Postgraduate Departments in undergraduate college**

| Serial | Departments and unit | Minimum RequiredArea (sq.mt.) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Samhita Siddhanta and Sanskrit including Language lab | 50 |
| 2. | Rachana Sharir Department | 50 |
| 3. | Kriya Sharir Department | 50 |
| 4. | Dravyaguna Department | 50 |
| 5. | Rasashastra and Bhaishajya Kalpana Department | 50 |
| 6. | Roganidana - Vikritivijnana Department including Immunology laboratory, histopathology laboratory | 100 |
| 7. | Agada Tantra Department along with Poison testing Facility | 50 |
| 8. | Swasthavritta and Yoga Department | 25 |
| | Nutrition Laboratory | |
| 9. | Kayachikitsa Department | 25 |
| 10. | Panchakarma Department | 25 |
| 11. | Shalya Tantra Department | 25 |
| 12. | Shalakya Tantra-Netra Department | 25 |
| 13. | Shalakya Tantra-Karna Nasa Mukha Department | 25 |
| 14. | Stree Roga - Prasuti Tantra Department | 25 |
| 15. | Kaumarabhritya Department | 25 |
| Exclusive departments or units to be established for postgraduation | | |
| 16. | Department of Integrative Health and Translational Research | 50 |
| | (a) Central Research Laboratory | 150 |
| | (b) Quality testing laboratory | 100 |
| | (c) Animal house and animal experimentation laboratory | 250 |
| | (d) Clinical research cell (shall be located in hospital) | 50 |
| 17. | Ayurveda-Biology Department including Molecular biology laboratory | 150 |
| 18. | Manasaroga evam Manovignana | 50 |
| 19. | Rasayana and Vajikarana | 50 |
| ***Note-*** Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins. | | |

**Schedule -II**

**Minimum constructed area required for Postgraduate departments and other Associated units in Standalone Postgraduate institution**

| Serial number | Departments or unit | Minimum Constructed Area in Sq. Mt |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Integrative Health and Transitional Research | 50 |
| | (a) Central Research Laboratory | 150 |
| | (b) Quality testing laboratory | 100 |
| | (c) Animal house and animal experimentation laboratory | 250 |
| | (d) Clinical research cell (shall be located in hospital) | 50 |
| 2. | Ayurveda Samhita evum Siddhanta including Language laboratory | 75 |
| 3. | Ayurveda-Biology including Molecular biology laboratory | 150 |
| 4. | Rachana Sharira including dissection hall | 150 |
| 5. | Kriya Sharira including physiology laboratory | 150 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Dravyaguna Vijnana including Pharmacognosy laboratory and Phytochemistry laboratory | 150 |
| 7. | Rasashastra and Bhaishajya Kalpana including Teaching Pharmacy | 250 |
| 8. | Roganidana – Vikritivijnana | 50 |
| 9. | Agad Tantra and Vidhi Vaidyaka | 100 |
| 10. | Swasthavritta and Yoga including nutrition laboratory | 150 |
| 11. | Kaumarabhritya | 50 |
| 12. | Kayachikitsa | 50 |
| 13. | Panchakarma | 50 |
| 14. | Manasaroga evam Manovignana | 50 |
| 15. | Rasayana and Vajikarana | 50 |
| 16. | Stree Roga - Prasuti Tantra | 50 |
| 17. | Shalya Tantra | 50 |
| 18. | Shalakya – Netra Roga Chikitsa | 50 |
| 19. | Shalakya – Karna, Naasa and Mukha Roga Chikitsa | 50 |
| ***Note*:** The list of instruments, equipment, chemical, reagents etc. in the laboratories and museums of the concerned department shall be as per the concerned schedules specified in MES-UG. | | |

**Schedule –III**

**Minimum required facilities for Central Research Laboratory**

| | |
|---|---|
| **Phytochemical test facility** | |
| 1. | **Qualitative** |
| | 1.Organic tests |
| | 2.Inorganic tests |
| | 3.Fluorescence analysis of powders |
| | 4.Chromatography |
| | i. TLC (Thin Layer Chromatography) |
| | ii. NPST (Namboori Phased Spot Test) |
| | iii. Column Chromatography |
| 2. | **Pharmacognostic** |
| | (a) Authentication |
| | (b) Macroscopic |
| | (c) Section microscopy |
| | (d) Powder microscopy |
| | (e) Microtome section |
| | (f) Multiple staining and permanent slide preparation |
| | (g) Digital microscopy |
| | **(h)** Quantitative microscopy (Stomata number, Stomatal Index, Palisade number, Vein islet number) |
| 3. | **Microbiological** |
| | (a) Microbial limits |
| | i. Total bacterial count |
| | ii. Total Fungal count |
| | iii. Tests for specific pathogens |
| | (b)Antimicrobial study (Cup Plate method, MIC and MBC) |
| | i. Antibacterial |
| | ii. Antifungal |
| | (c) Microbial culture |
| | i. Water |
| | ii. Clinical Swab |

| | |
|---|---|
| 4. | **Invitro Studies:** |
| | (a) Antioxidant |
| | (b) Immunomodulatory |
| | (c) Antimicrobial |
| **Quantitative** | |
| 1. | Flame photometry – Calcium, Sodium, Potassium, |
| 2. | UV – Spectrophotometry |
| | (a) Phenols, Flavonoids, Carbohydrate, Proteins, Sugar, Iron etc |

**Schedule –IV**

**Minimum requirements for Quality Testing Laboratory**

| Serial number | Particulars |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| 1. | Florescence inverted Microscope with software |
| 2. | UV-VIS Spectrophotometer |
| 3. | Micro Controller Based Flame Photometer |
| 4. | Rota Evaporator |
| 5. | Stability Chamber |
| 6. | Freeze dryer |
| 7. | Trinocular Microscope with software, camera and projection facility |
| 8. | Polarimeter |
| 9. | Muffle furnace |
| 10. | Orbital Shaking Incubator |
| 11. | Co 2 Incubator |
| 12. | Tablet Disintegration Apparatus |
| 13. | Optic Abbe Refractometer |
| 14. | Friability Test Apparatus |
| 15. | Digital Melting Point Apparatus |
| 16. | Laminar Air Flow |
| 17. | Water still |
| 18. | Rotary Microtome and Microtome Object Holder |
| 19. | Digital pH Meter |
| 20. | Moisture analyzer Balance |
| 21. | Orbital Shaker |
| 22. | Mechanical Stirrer with Hot Plate |
| 23. | Magnetic Stirrer |
| 24. | Dissolution Test Apparatus |
| 25. | Hardness tester |
| 26. | Mohs hardness scale |
| 27. | Tablet counter–small size |
| 28. | Dissolution Test Apparatus |
| 29. | Bulk Density Apparatus |
| 30. | Ostwald’s Viscometer |
| 31. | Analytical Balance Digital High precision (0.0001g – 220g) |
| 32. | Incubator |
| 33. | Clarity test apparatus |
| 34. | Humidity Control Oven |
| 35. | Karlfischer Apparatus |
| 36. | Sieve Shaker |
| 37. | Granulating sieve set |
| 38. | Thermometers |
| 39. | Centrifuge |

| | |
|---|---|
| 40. | Filtration equipment |
| 41. | Water bath 12 holes |
| 42. | Suction Pump |
| 43. | Sonicator |
| 44. | Heating Mantle different capacity |
| 45. | Distillation Apparatus Glass (Ark Yantra) |
| 46. | Soxhlet apparatus |
| 47. | Rheometer |
| 48. | Nephelo Turbidity meter |
| 49. | Potentiometer |
| 50. | Conductivity meter |
| 51. | Clevenger's apparatus |
| 52. | Glass ware, reagents and chemicals as required |
| Note :- In case of Postgraduate departments in existing undergraduate college, the instruments or equipment or facilities other than specified in MES-UG shall be made available. | |

**Schedule –V**

**Minimum requirements for animal house and animal experimentation laboratory**

| **Serial Number** | **Facility and equipment** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1. | Safety and Toxicity studies facility |
| 2. | Behavioral and Neuro pharmacological studies facility |
| 3. | Anti-convulsive studies facility |
| 4. | Anti-inflammatory and Analgesic studies facility |
| 5. | Anti-asthmatic, Anti-allergic and Anti-histamine studies facility |
| 6. | Immuno-modulatory study facility |
| 7. | Wound healing studies facility |
| 8. | Antidiabetes studies facility |
| 9. | Antiobesity studies facility |
| 10. | Antipyretic studies facility |
| 11. | Assay with Organ/Tissue bath |
| 12. | Organ Protective studies (Cardioprotective, Hepatoprotective, Nephroprotective etc.) facility |
| 13. | Digital Elecrtro convunsimeter |
| 14. | Metobolic cages (as required) |
| 15. | Histamine Chamber |
| 16. | Digital rotarod with software |
| 17. | Digital Actimeter with software (Activity cage) |
| 18. | Plethysmograph |

**Schedule -VI**

**Minimum essential requirement of Yogya-clinical skill laboratory for Postgraduate departments**

| **Serial number** | **Name of the mannequin or simulator** |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| 1. | Computer, internet with printer |
| **A. Common to all departments** | |
| 2. | Chest auscultation trainer |
| 3. | Nursing trainer for decubitus |
| 4. | CPR Trainer |

| | |
|---|---|
| 5. | Blood sampling |
| 6. | Ryle's tube insertion trainer |
| 7. | Blood transfusion trainer |
| 8. | Oxygen therapy |
| 9. | Urinary catheterization – male |
| 10. | Urinary catheterization – female |
| **B. Roga Nidana** | |
| 11. | Chest auscultation trainer |
| 12. | Nursing trainer for decubitus |
| 13. | Spirometry |
| 14. | Blood sampling |
| 15. | Lumber Puncture Trainer |
| **C. Agadatantra** | |
| 16. | Documentation and certification of trauma |
| 17. | Diagnosis and certification of death |
| 18. | Legal documentation related to emergency cases |
| 19. | Certification of medico legal cases (for example- age estimation, sexual assault) |
| 20. | Establishing communication in medico legal cases with police, public health authorities, other concerned departments |
| 21. | Autopsy simulator or Digital Autopsy |
| **D. Kayachikitsa** | |
| 22. | Injections (intra-muscular, intra-venous, intra-dermal, subcutaneous) |
| 23. | Aerosol therapy or nebulization |
| 24. | Lumber Puncture Trainer |
| 25. | Paracentesis trainer |
| 26. | Plural tapping trainer |
| 27. | Setting up intra-venous infusion and calculation of drip rate – basic life support |
| **E. Shalya Tantra** | |
| 28. | Paracentesis trainer |
| 29. | Plural tapping trainer |
| 30. | Early management of trauma and trauma life support |
| 31. | Endotracheal intubation trainer |
| 32. | Cautery – chemical and thermal or electrical |
| 33. | Basic incision and suture trainer |
| 34. | Basic wound care |
| 35. | Basic bandaging including compression bandage |
| 36. | Incision and drainage trainer |
| 37. | Basic fracture and dislocation management trainer |
| 38. | Examination of breast lump |
| 39. | Examination of swelling |
| 40. | Prostate examination trainer |
| **F. Stree Roga - Prasuti Tantra** | |
| 41. | Per speculum and per vaginal examination trainer |
| 42. | Birthing simulator |
| 43. | Breast examination trainer |
| 44. | Intra uterine contraceptive device insertion and removal trainer |
| 45. | Episiotomy trainer |
| 46. | Intra uterine insemination trainer (same to be used for intra uterine uttaravasti) |
| 47. | Lumber Puncture Trainer |
| 48. | Endotracheal intubation trainer |
| 49. | Obstetric examination trainer |
| 50. | Visual inspection of cervix |

| | |
|---|---|
| **G. Shalakya Tantra-Netra Roga** | |
| 51. | Refraction trainer |
| 52. | Visual acuity testing |
| 53. | Digital tonometry |
| 54. | Epilation |
| 55. | Eye irrigation |
| 56. | Instillation of eye medication |
| 57. | Ocular bandaging |
| 58. | Mannequin head (3D model) for training tarpana |
| **H. Shalakya Tantra- Karna Nasa Mukha Roga** | |
| 59. | Otoscopy |
| 60. | Mannequin head (3D model) for training Karnapurana |
| **I. Kaumarabhritya** | |
| 61. | Neonatal resuscitation |
| 62. | Childs CPR and air way management |
| 63. | Infant auscultation trainer |
| 64. | Setting up paediatric intra-venous infusion and calculating drip rate |
| 65. | Lumber Puncture Trainer |
| 66. | Psychological test batteries for assessing IQ, Autism, ADHD, Concentration, depression, anxiety, Mental retardation. |
| 67. | Full body (Pediatric) mannequin and 3D head mannequin for practicing/performing Panchakarmas like nasya, pichu, abhyanga, basti, veshthana, lepa |
| **J. Panchakarma** | |
| 68. | Full body mannequin (for demonstration of abhyanga, udvartana, utsadana, lepa, patrapottalisweda, sthanikavasti) |
| 69. | Enema trainer for vasti administration |
| 70. | Catheterization (male and female) for uttaravasti |
| **K. Manasroga** | |
| 71. | Psychometric scales and tools |
| **L. Rasayan and Vajikaran** | |
| 72. | Catheterization (male and female) for uttaravasti |
| Note:- In case of Postgraduate departments in existing undergraduate college the mannequins and simulators other than specified in MES-UG shall be made available in respective Postgraduatedepartments. | |

**Schedule-VII**

**Minimum essential requirements for molecular biology laboratory**

| Serial Number | Equipment, Instruments, Chemicals and Reagents |
|---|---|
| **(1)** | **(2)** |
| **I. Equipment and Instruments** | |
| 1. | Micropipettes (Different capacities) |
| 2. | Realtime PCR machine |
| 3. | UV Spectrophotometer |
| 4. | High speed centrifuge (high volume) |
| 5. | High speed centrifuge (small volume) |
| 6. | UV transilluminator |
| 7. | Horizontal gel electrophoresis system (Power supply for gel ) |
| 8. | Water bath with temperature controller |
| 9. | 37-degree incubator |
| 10 | Trinocular Microscope |
| 11. | Water purifier (Millipore water system) |

| | |
|---|---|
| 12. | Laboratory Hood/ culture Hood |
| 13. | Weigh balance |
| 14. | Vortex mixture |
| 15. | Thermomixer |
| 16. | Refrigerator |
| 17. | Vaccum concentrator |
| 18. | Nutator, Rocking platforms, Orbital shaker |
| 19. | Imaging systems (Chemiluminescence, fluorescence, phosphoimages) |
| 20. | Autoclave |
| 21. | Sterile room with laminar |
| 22. | - 20 degree Celsius freezer |
| **II. Consumables: -** Glassware, Chemicals, reagents, kits and other accessories as required | |
| **Note:** The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the department shall maintain all requirements as per the need of the syllabus, teaching, training, andresearch. | |

**Schedule –VIII**

**Minimum Essential requirement of Teaching Staff for Postgraduate departments in undergraduate college**

| Serial Number | Postgraduate Department | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Professor of practice or Part time teachers |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Samhita and Siddhanta | One | One | One | - |
| 2. | Rachana Sharira | One | One | One | - |
| 3. | Kriya Sharira | One | One | One | - |
| 4. | Ayurveda-Biology | One | One | One | One (M.Sc. Bioinformatics) |
| 5. | Dravyaguna Vijnana | One | One | One | - |
| 6. | Rasashastra and Bhaishajya Kalpana | One | One | One | One each (M.Pharma-Pharmaceutics, M.Sc-Chemistry) |
| 7. | Roganidana – Vikritivijnana | One | One | One | One each (MD-Pathology, MD-Radiodiagnosis) |
| 8. | Agada Tantra | One | One | One | - |
| 9. | Swasthavritta and Yoga | One | One | One | One each (MPH and M.Sc Dietitics) |
| 10. | Kaumarabhritya | One | One | One | One (M.Sc Clinical Psychology) |
| 11. | Kayachikitsa | One | One | One | One (MD-General Medicine) |
| 12. | Panchakarma and Upakarma | One | One | One | One (MPT-Physiotherapy) |
| 13. | Stree Roga - Prasuti Tantra | One | One | One | One (MS-Gynaecology and |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Obstetrics) |
| 14. | Shalya Tantra | One | One | One | One each (MS-General Surgery, MD-Anasthesia) |
| 15. | Shalakya-Netra Roga Chikitsa | One | One | One | One (MS-Opthalmology) |
| 16. | Shalakya-Karna, Naasaa and Mukha Roga Chikitsa | | One | One | One (MS-ENT) |
| 17. | Manasaroga evam Manovijnana | One | One | One | One (MD-Psychiatry or M.Sc Clinical Psychology) |
| 18. | Rasayana and Vajikarana | One | One | One | One (MS-Urology or MS-Gynaecology and obstetrics) |
| 19. | Integrative Health and Translational Research | One | - | - | One each (M.Sc-Biochemistry, M.Sc-Microbiology, M.Pharma-Pharmacology, M.Sc-Biostatistics) |

***Note** 1*: Professor cum Head of the Department specified in column (3) may be common for both undergraduate and Postgraduate departments except sr. no. 4, 17,18 and 19 wherein exclusive Professor shall be available.

***Note** 2*: Professor of practice means a person having a minimum of ten years of experience in the field other than teaching in Ayurveda medical colleges, like a person from an industry or research institute, a technical consultant, a renowned practitioner.

***Note** 3*: Higher Faculty shall compensate lower faculty, but lower faculty shall not compensate higher faculty.

## Schedule –IX

**Minimum Essential requirement of Teaching Staff for departments in standalone Postgraduate institute**

| Serial Number | Postgraduate Department | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Professor of practice or Part time teachers |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Samhita and Siddhanta | One | One | One | One (MA- Sanskrit) |
| 2. | Rachana Sharira | One | One | One | - |
| 3. | Kriya Sharira | One | One | One | - |
| 4. | Ayurveda-Biology | One | One | One | One (M.Sc. Bioinformatics) |
| 5. | Dravyaguna Vijnana | One | One | One | - |
| 6. | Rasashastra and Bhaishajya Kalpana | One | One | One | One each (M.Pharma-Pharmaceutics and M.Sc-Chemistry)) |
| 7. | Roga Nidana – Vikritivijnana | One | One | One | One each (MD-Pathology, MD-Radiodiagnosis) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Agada Tantra | One | One | One | One (Medicolegal expert) |
| 9. | Swasthavritta and Yoga | One | One | One | One each (MPH and M.Sc Dietitics) |
| 10. | Kaumarabhritya | One | One | One | One (M.Sc Clinical Psychology) |
| 11. | Kayachikitsa | One | One | One | One (MD-General Medicine) |
| 12. | Panchakarma and Upakarma | One | One | One | One (MPT-Physiotherapy) |
| 13. | Stree Roga - Prasuti Tantra | One | One | One | One (MS-Gynaecology and Obstetrics) |
| 14. | Shalya Tantra | One | One | One | One each (MS-General Surgery, MD-Anasthesia) |
| 15. | Shalakya-Netra Roga Chikitsa | One | One | One | One (MS-Opthalmology) |
| 16. | Shalakya-Karna, Naasaa and Mukha Roga Chikitsa | One | One | One | One (MS-ENT) |
| 17. | Manasaroga evam Manovijnana | One | One | One | One (MD-Psychiatry or M.Sc Clinical Psychology) |
| 18. | Rasayana and Vajikarana | One | One | One | One (MS-Urology or MS-Gynaecology and obstetrics) |
| 19. | Integrative Health and Translational Research | One | - | - | One each M.Sc-Biochemistry, M.Sc-Microbiology, M.Pharma- Pharmacology, M.Sc-Biostatistics) |

**Note** 1: Professor of practice means a person having a minimum of ten years of experience in the field other than teaching in Ayurveda medical colleges, like a person from an industry or research institute, a technical consultant, a renowned practitioner.

**Note** 2: In-case the institute is not conducting the Postgraduate programmes in the department of Rachana Sharira, Dravyaguna and Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana the teacher on part-time basis shall be appointed

**Note** 3: Higher Faculty shall compensate lower faculty, but lower faculty shall not compensate higher faculty.

## Schedule –X

## Minimum Essential Requirements of Non-Teaching Staff for Postgraduate departments in undergraduate college

(In addition to the non-teaching staff in undergraduate departments as per student intake capacity specified in MES-UG)

| Serial number | Department | Required Non-Teaching Staff | Required Numbers |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ayurveda Samhita evum Siddhanta including Language laboratory | Multitasking Staff | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Ayurveda-Biology | | |
| | (a) Department | Multitasking Staff | 1 |
| | (b) Molecular biology laboratory | Lab Technician (B.Sc. Biotechnology) | 1 |
| | | Lab Attendant | 1 |
| 3. | Rachana Sharira | Multitasking Staff | 1 |
| 4. | Kriya Sharira | Multitasking Staff | 1 |
| 5. | Dravyaguna Vijnana | Lab Technician (B.Sc. Botany) | 1 |
| | | Lab Attendant | 1 |
| | | Multitasking Staff | 1 |
| 6. | Rasashastra and Bhaishajya Kalpana | Multitasking Staff | 1 |
| 7. | Roganidana - Vikritivijnana including Immunology laboratory, histopathology laboratory | Lab Technician (DMLT) | 1 |
| | | Multitasking Staff | 1 |
| 8. | Agad Tantra ad Vidhi Vaidyaka | Multitasking Staff | 1 |
| 9. | Swasthavritta and Yoga | Lab Technician (B.Sc. Home science) | 1 |
| | | Multitasking staff | 1 |
| 10. | Kaumarabhritya | Multitasking Staff | 1 |
| 11. | Kayachikitsa | Multitasking Staff | 1 |
| 12. | Panchakarma | Multitasking Staff | 1 |
| 13. | Manasaroga evam Manovijnana | EEG Technician | 1 |
| | | Multitasking Staff | 1 |
| 14. | Rasayana and Vajikarana | Lab Technician | 1 |
| | | Multitasking Staff | 1 |
| 15. | Stree Roga – Prasuti Tantra | Multitasking Staff | 1 |
| 16. | Shalya Tantra | Multitasking Staff | 1 |
| 17. | Shalakya – Netra Roga Chikitsa | Optometrist | 1 |
| | | Multitasking Staff | 1 |
| 18. | Shalakya – Karna, Naasa and Mukha Roga Chikitsa | Technician (audiometry) | 1 |
| | | Multitasking Staff | 1 |
| 19. | Department of In Integrative Health and Translational Research | | |
| | (a) Central Research Laboratory | In-Charge (Faculty member of any department well-versed with laboratory and analytical equipment) | 1 |
| | | Lab Technician (B.Sc. Chemistry or B.Sc. Botany) | 1 |
| | (b) Animal house and experimentation Laboratory | In-Charge (Faculty member of department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana or Dravyaguna or Agadtantra) | 1 |
| | | Lab Technician (B.Sc. Zoology) | 1 |
| | | Clinical Research Coordinator (BAMS with | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (c) Clinical Research Cell | Post graduation degree or Diploma inClinical Research or MPH) | |
| | | Clerk | 1 |
| | | Multitasking Staff | 1 |
| **Note:** (1) Additional staff like sweeper, attendant, data entry operator, security guards, electrician, plumber, carpenter, driver, cook, multi-tasking staff, etc may be appointed by outsourcing based on the requirement. | | | |

**Schedule-XI**

**Minimum essential requirements of non-teaching staff for departments in standalone Postgraduate institute**

| Serial Number | Category of staff | Minimum requirement |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| A. | Information technology cell including digital library | |
| 1. | Information Technology Officer (Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering in Computer Science or Master of Computer Application) | 1 |
| 2. | Information Technology Assistant (Bachelor of Science in Computer Application or Diploma in Computer Science) | 1 |
| 3. | Multi-tasking staff | 1 |
| B. | Administrative section | |
| 4. | Personal Assistant or Personal Secretary to Principal (graduation with secretarial training) | 1 |
| 5. | Office Superintendent (graduation with five years of administrative experience) | 1 |
| 6. | Clerical Staff (graduation with computer knowledge) | 2 |
| 7. | Accountants (Bachelor of Commerce or Master of Commerce with computer knowledge) | 1 |
| 8. | Multi-tasking staff | 2 |
| C. | Central library | |
| 9. | Librarian (Master of Library and Information Science or Bachelor of Library and Information Science with five years of Library experience) | 1 |
| 10. | Assistant Librarian (Bachelor of Library and Information Science) | 1 |
| 11. | Library Attendant (minimum $10^{th}$ standard pass) | 1 |
| 12. | Multi-tasking staff | 1 |
| D. | Yogya – Clinical Skill or Simulation laboratory | |
| 13. | In-charge (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery graduate with training or orientation on handling of mannequinsand simulators) | 1 |
| 14. | Clerk (graduation with computer knowledge) | 1 |
| 15. | Multi-tasking staff | 1 |
| E. | Human resource development cell | |
| 16. | In-charge (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery withMaster of Business Administration in Human Resource Management) | 1 |
| 17. | Clerk (graduation with computer knowledge) | 1 |
| 18. | Multi-tasking staff | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| F. | Ayurveda Samhita Siddhant | |
| 19. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 20. | Multi-tasking staff | 1 |
| G. | Rachana Sharira | |
| 21. | Clerk (Graduate with computer knowledge) | 1 |
| 22. | Cadaver lifter | 1 |
| 23. | Attendant cum museum keeper | 1 |
| 24. | Multi-tasking staff | 1 |
| H. | Kriya Sharira | |
| 25. | Lab Technician (Diploma in Medical Laboratory Technology) | 1 |
| 26. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 27. | Lab Attendant (minimum 10th Standard pass) | 1 |
| 28. | Multi-tasking staff | 1 |
| I. | Dravyaguna including Herbal Garden | |
| 29. | Lab Technician (B.Sc Botany) | 1 |
| 30. | Clerk (Graduate with computer knowledge) | 1 |
| 31. | Lab Attendant (minimum 10th standard) | 1 |
| 32. | Museum and Herbarium Keeper | 1 |
| 33. | Gardener | 1 |
| 34. | Multi-tasking staff | 1 |
| J. | Rasashastra and Bhaishajya Kalpana including teaching pharmacy | |
| 35. | Instructor (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) | 1 |
| 36. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 37. | Lab Attendant cum Museum Keeper (Minimum 10th standard pass) | 1 |
| 38. | Multi-tasking staff | 1 |
| K. | Roga Nidana – Vikritivijnana | |
| 39. | Lab Technician Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) | 1 |
| 40. | Clerk (Graduate with computer knowledge) | 1 |
| 41. | Lab Attendant cum Museum Keeper (Minimum 10th standard) | 1 |
| 42. | Multi-tasking staff | 1 |
| L. | Agada Tantra | |
| 43. | Lab Technician (12th standard with Chemistry) | 1 |
| 44. | Clerk (Graduate with computer knowledge) | 1 |
| 45. | Lab Attendant cum Museum keeper | 1 |
| 46. | Multi-tasking staff | 1 |
| M. | Swasthavritta and Yoga | |
| 47. | Lab Technician (B.Sc Home-science) | 1 |
| 48. | Clerk (Graduate with computer knowledge) | 1 |
| 49. | Lab Attendant cum Museum Keeper (Minimum 10th standard) | 1 |
| 50. | Yoga Instructor with Master of Science Yoga or Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery with Diploma in Yoga or Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (In case of two instructors, one male and one female shall be appointed) | 1 |
| 51. | Multi-tasking staff | 1 |
| N. | Kayachikitsa | |
| 52. | Clerk (Graduate with computer knowledge) | 1 |
| 53. | Multi-tasking staff | 1 |
| O. | Panchakarma | |
| 54. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 55. | Multi-tasking staff | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| P. | Shalya Tantra | |
| 56. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 57. | Multi-tasking staff | 1 |
| Q. | Shalakya Tantra-Netra Roga | |
| 58. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 59. | Multi-tasking staff | 1 |
| R. | Shalakya Tantra- Karna Nasa Mukha Roga | |
| 60. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 61. | Multi-tasking staff | 1 |
| S. | Stree Roga - Prasuti Tantra | |
| 62. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 63. | Multi-tasking staff | 1 |
| T. | Kaumarabhritya | |
| 64. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 65. | Multi-tasking staff | 1 |
| U. | Ayurveda-Biology | |
| 66. | Lab Technician (B.Sc. Biotechnology) | 1 |
| 67. | Lab Attendant | 1 |
| 68. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 69. | Multi-tasking staff | 1 |
| V. | Rasayana and Vajikarana | |
| 70. | Lab Technician (DMLT) | 1 |
| 71. | Multi-tasking staff | 1 |
| W. | Manasaroga evam Manovijnana | |
| 72. | EEG Technician | 1 |
| 73. | Multi-tasking staff | 1 |
| X. | Integrative Health and Translational Research | |
| 74. | Lab Technician for Central Research Laboratory (B.Sc. Chemistry or B.Sc. Botany or BAMS) | 1 |
| 75. | Quality Testing Laboratory | |
| | (a) In-charge (Faculty member of department of Rasa Shastra and Bhaishajya Kalpana or Dravyaguna) | 1 |
| | (b) Analytical Chemist (Bachelor of Pharmacy or Bachelor of Pharmacy in Ayurveda) | 1 |
| | (c) Pharmacognosist | 1 |
| | (d) Lab attendant (Minimum 10th standard pass) | 1 |
| | (e) Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| | (f) Multi-tasking staff | 1 |
| 76. | Clinical Research Coordinator (BAMS with Post graduation degree or diploma in Clinical Research or MPH) | 1 |
| 77. | Lab Technician in Animal House and experimentation laboratory (B.Pharma) | 1 |
| 78. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 79. | Multitasking Staff | 1 |
| Y. | Internal Quality Assurance Cell | |
| 80. | Coordinator (MBA in Quality Management) | 1 |
| 81. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 82. | Multi-tasking staff | 1 |
| Z. | Co and extra-Curricular activities | |
| 83. | Physical Education Instructor (minimum Bachelor in Physical Education) | 1 |
| 84. | Multi-tasking staff | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| AA. Student support career guidance and placement Cell | | |
| 85. | Councillor for counselling (part time) | 1 |
| BB. Central Workshop or Maintenance Cell | | |
| 86. | Site Engineer (Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology preferably in civil) | 1 |
| 87. | Electrician | 1 |
| 88. | Plumber | 1 |
| 89. | Carpenter | 1 |
| 90. | Multi-tasking staff | 1 |
| CC. Store (College) | | |
| 91. | Clerk (graduate with computer knowledge) | 1 |
| 92. | Multi-tasking staff | 1 |
| **Note:** (1) Services of electrician, plumber, gardener, attendant or peon, maintenance staff, Multi-tasking staff and the like may be obtained by outsourcing. | | |

**Schedule- XII**

**Minimum Essential Requirements of Hospital Staff**

| Serial number | Department | Required Staff | Required Numbers |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Department wise requirement | | | |
| 1. | Swasthvritta | Panchakarma therapists | Four (Two males and Two females) |
| 2. | Kaumarabhritya | Panchkarma therapists | Four (Two males and Two females) |
| | | Pediatric Physiotherapist, Occupational Therapist, Speech Therapist | One each |
| 3. | Stree Roga - Prasuti Tantra (OTand Procedural Room) | OT Nurse | Two |
| | | Ayah | Two |
| 4. | Shalakya-Netra Roga OT | OT Nurse | One |
| | | Ayah | One |
| 5. | Shalakya-Netra Roga Kriyakalpa room | Therapists | Two |
| 6. | Shalakya-Karna, Naasaa and Mukha OT | OT Nurse | One |
| 7. | Shalakya-Karna, Naasaa and Mukha Kriyakalpa room | Therapist | One |
| 8. | Rasayana and Vajikarana procedural room | Nurse and Ayah | One each |
| 2. Additional Hospital staff requirement in general | | | |
| 9. | Nursing staff | | One for every ten beds |
| | | | 1:1 for ICU beds |
| 10. | Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor | | One for every twenty beds |
| 11. | Ayah | | One for every twenty beds |
| **Note:** 1. In case of Postgraduate departments in an undergraduate college minimum hospital staff requirement shall be in addition to the hospital staff specified as per intake capacity as per MES-UG<br>2.In case of standalone Postgraduate departments, minimum hospital staff requirement shall be in | | | |

addition tothe hospital staff specified for sixty intake capacity as per MES-UG.

3. Post Graduate Students may be appointed as Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor provided the students shall be paid stipend or salary.
4. Security guards, electrician, plumber, sanitation workers, washer man, gardener, driver, housekeeping staff, cook, maintenance staff, multipurpose worker, if additionally needed, may be obtained by out-sourcing.

**Schedule-XIII**

**Postgraduate department-wise minimum essential standards**

**Note:** 1 In case of Postgraduate departments in an undergraduate college minimum requirement shall be in addition to the standards specified as per intake capacity as per MES-UG.

**Note: 2** In case of standalone Postgraduate departments, minimum requirement shall be in addition to the standards specified for sixty intake capacity as per MES-UG.

**Note: 3** Departmental library, computers, printers and internet facility, seating arrangement for non-teaching staff, E-display facility to display e-content (videos, images, information and the like) shall be required for each department

| Serial number | Standard or requirement | Required number |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| A. | Samhita and Siddhanta | |
| 1. | Language lab, Computer systems | 1:1 as per sanctioned intake capacity |
| B. | Rachana Sharira | |
| 1. | 3D virtual dissection table | One |
| C. | Kriya Sharira | |
| 1. | Digital spirometry | One |
| 2. | Personality assessment scales | As required |
| 3. | Trichoscope | One |
| 4. | Digital skinfold caliper | One |
| 5. | Auto measuring tool for height, weight, and BMI | One |
| 6. | Naadi recording equipment | One |
| D. | Ayurveda-Biology | |
| 1. | Molecular biology laboratory | As per Schedule-VII |
| E. | Dravyaguna Vijnana | |
| 1. | Spectrophotometer | One |
| 2. | High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) | One |
| 3. | Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) | One |
| 4. | Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectrometer | One |
| 5. | Ultraviolet-Visible (UV-VIS) Spectrophotometer | One |
| 6. | Centrifuge | One |
| 7. | Rotary Evaporator | One |
| 8. | Trinocular Microscope with projection system and software | One |
| 9. | Digital pH Meter | One |
| 10. | Autoclave | One |
| 11. | Mortar and Pestle | One |
| 12. | Freeze Dryer (Lyophilizer) | One |
| 13. | Incubator | One |
| 14. | Shaker | One |
| 15. | Water Bath | One |
| 16. | Fraction Collector | One |
| 17. | Microbalance | One |
| 18. | Homogenizer | One |

| | | |
|---|---|---|
| 19. | Heating Mantle | One |
| 20. | Digital Thermometer | One |
| 21. | Consumables | As required |
| F. | Agadatantra | As per MES UG |
| G. | Swasthvrita and Yoga | As per MES UG |
| H. | Rasashastra and Bhaishajyakalpana | |
| 1. | Petrographic microscope | One |
| 2. | Programmable muffle furnace | One |
| I. | Roga Nidana and Vikritivijnana | |
| 1. | Chemiluminescence | one |
| 2. | Histopathology facility | As required |
| J. | Stree Roga - PrasutiTantra :- OPD | |
| 1. | Weighing machine | One |
| 2. | Stadiometer | One |
| 3. | Sims's speculum | Five |
| 4. | Thermometer | Two |
| 5. | Cusco's speculum | Five |
| 6. | Examination Table | One |
| 7. | Lamp stand | One |
| 8. | Torch | Two |
| 9. | X-Ray Viewing Box | One |
| 10. | BP Apparatus | Two |
| 11. | Stethoscope | Two |
| 12. | Sponge holding Forceps | Four |
| 13. | Anterior Vaginal wall Retractor | Four |
| 14. | Pulse oximeter | One |
| 15. | Fetal Doppler | One |
| 16. | Glucometer | One |
| 17. | Consumables | As Required |
| K. | Stree Roga - PrasutiTantra :- Major OT | |
| 1. | Long Artery Forceps | Ten |
| 2. | Short Artery Forceps | Ten |
| 3. | Allis Tissue Forceps | Ten |
| 4. | Uterus Holding Forceps | Two |
| 5. | Kochers Forceps | Eight |
| 6. | Babcocks Forceps | Eight |
| 7. | Green Armytage Haemostatic Forceps | Six |
| 8. | Ovum Forceps | Six |
| 9. | Punch Biopsy Forceps | Two |
| 10. | Lanes Tissue Forceps | Four |
| 11. | Uterine Dressing Forceps | Four |
| 12. | Sponge Holding Forceps | Four |
| 13. | Tissue Dissecting Forceps(Plain & Toothed ) Different Sizes | Ten |
| 14. | Vectis Forceps | Two |
| 15. | Anterior Vaginal Wall Retractor | Six |
| 16. | Doyens Retractor | Two |
| 17. | Deaver's Retractor | Two |
| 18. | Landons Bladder Retractor | Two |
| 19. | Cuscos self retaining bivalve vaginal speculum | Six |
| 20. | Sims Speculum | Six |
| 21. | Auvards Self Retaining Posterior Vaginal Wall Retractor | Two |

| | | |
|---|---|---|
| 22. | Sharmans Curette | Four |
| 23. | Uterine Curette | Four |
| 24. | Electro cautery | One |
| 25. | Flushing Curette | Four |
| 26. | Hegars Dilator set | Two |
| 27. | Das Dilators set | Two |
| 28. | Hawkin- Ambler Dilator | Two |
| 29. | Long Straight Scissors | Five |
| 30. | Mayos Scissors | Five |
| 31. | Metzenbaums Scissor | Five |
| 32. | Bonney Scissor | Two |
| 33. | Karmans Plastic Suction Cannula | Two |
| 34. | ManualVaccume Aspiration Syringe | Two |
| 35. | Ventouse Cups | Two |
| 36. | Mtp Suction Machine | Two |
| 37. | Vulsellum – Single Toothed, Multiple Toothed | Four |
| 38. | Uterine Sound | Two |
| 39. | Bladder Sound | Two |
| 40. | HSG Cannula | Four |
| 41. | Ayres Spatula and Cytobrush | As required |
| 42. | Laryngoscope | Two |
| 43. | Et Tube | Four |
| 44. | Ambu Bag | Two |
| 45. | Fully Automatic OT Table – Head up and Head low facility | one |
| 46. | Suction Machine | Two |
| 47. | OT Light | One |
| 48. | Boyel's Apparatus | One |
| 49. | Multichannel monitor with ECG, BP, HR, Pulse oxymeter | One |
| 50. | X- ray View Box | One |
| 51. | Blood Pressure Apparatus | Two |
| 52. | Torch | Two |
| 53. | Pulse oximeter | One |
| 54. | Glucometer | One |
| 55. | Weighing Machine | One |
| 56. | Stretcher with Trolley | One |
| 57. | Consumables | As required |
| L. Stree Roga - PrasutiTantra :- Procedure Room | | |
| 1. | Cuscos self retaining bivalve vaginal speculum | Five |
| 2. | Sims Speculum | Five |
| 3. | Long artery Forcep | Five |
| 4. | Sponge holding Forceps | Two |
| 5. | Anterior Vaginal wall Retractor | Six |
| 6. | Hegars Dilator | As Required |
| 7. | Vulsellum | Four |
| 8. | Dhoopan Apparatus/ Hot Plate Induction Stove | Two |
| 9. | Spot Light | Two |
| 10. | Agnikarma shalaka | As Required |
| 11. | Examination Table | Two |
| 12. | Light Source | Two |
| 13. | Uterine Sound | Two |
| 14. | Consumables: | As Required |
| M. Stree Roga - PrasutiTantra :- Labor Room | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Labour table with lithotomy bars | One |
| 2. | Shadowless Lamp | Two |
| 3. | Anesthesia Trolley | One |
| 4. | Electrocautery | One |
| 5. | Oxygen Cylinder and Mask | Two |
| 6. | Blood Pressure Apparatus | Two |
| 7. | Sterilizer | Two |
| 8. | Autoclave | Two |
| 9. | Baby Tray | As required |
| 10. | Phototherapy Unit | One |
| 11. | Radiant Warmer | One |
| 12. | Suction Machine (Neonatal) | One |
| 13. | Dressing Tray | One |
| 14. | Patient Trolley | Two |
| 15. | Normal Delivery Set (Artery Forceps or Clamp, Sponge Holding Forceps,Episiotomy Scissor,Needle Holder,Straight Scissor,Curved Scissor) | As Required |
| 16. | Vaccum Extractor | Two |
| 17. | Low Cavity Forceps | Two |
| 18. | Kocher's forceps | Four |
| 19. | Sims's speculum | Five |
| 20. | Cusco's speculum | Two |
| 21. | MTP Suction Curette | Five |
| 22. | Light Source | Assorted |
| 23. | Heat Source | Assorted |
| 24. | Oxytocin Infusion Pump | Two |
| 25. | Bladder Sound | Four |
| 26. | Cardiocotography (CTG) Machine | One |
| 27. | Fetal Doppler | One |
| 28. | Fetoscope | One |
| 29. | Resuscitation Kit | Two |
| 30. | Instrument Trolley | Two |
| 31. | Suction Apparatus with suction tube | One |
| 32. | Stitch Removal Scissor | Two |
| 33. | Pulse oximeter | As required |
| 34. | Blunt and sharp curettes | As required |
| 35. | Endotracheal Tubes | As required |
| 36. | Cord Cutting appliances | As required |
| 37. | Weighing (Paediatric) | One |
| 38. | Infantometer | One |
| 39. | Fetoscope | As required |
| 40. | Nebulizer | As required |
| 41. | Fumigator | One |
| 42. | Cheatle Forcep's | Two |
| 43. | Consumables | As required |
| N. | Shalya Tantra :- OPD | |
| 1. | X-Ray view Box | One |
| 2. | BP apparatus | One |
| 3. | Stethoscope | Four |
| 4. | Torch | Two |
| 5. | Examination Table | One |
| 6. | Thermometer | Four |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Weight and height measuring stand | One |
| 8. | Measuring tape | One |
| 9. | Knee hammer | Two |
| O. | Shalya Tantra : OPD attacehed Examination room cum minor OT | |
| 1. | Electric sterilizer (boilers) | Two |
| 2. | Portable OT light | One |
| 3. | Lithotomy table | One |
| 4. | Foot step | One |
| 5. | Instrument trolley | One |
| 6. | IV stand | Two |
| 7. | Autoclave | One |
| 8. | Thermal cautery machine-small | One |
| 9. | Dressing drums - different sizes | Four |
| 10. | Instrument tray – different sizes | Four |
| 11. | Needle holding forceps (big- medium-small) | Four |
| 12. | Cheatle's forceps - different sizes | Four |
| 13. | Mosquito artery forceps – different sizes | Six |
| 14. | Artery forceps (curved & straight) – different sizes | Six |
| 15. | Tissue dissecting forceps (plain & toothed) – different sizes | Four |
| 16. | Sinus forceps – different sizes | Four |
| 17. | Sponge holding forceps – different sizes | Two |
| 18. | Allis forceps – different sizes | Four |
| 19. | Stitch removal scissors | Two |
| 20. | Punch biopsy forceps | Two |
| 21. | Metzenbaum scissors – different sizes | Two |
| 22. | Mayo's scissors – different sizes | Two |
| 23. | Scissors straight (Tailor) | Two |
| 24. | Pulse oximeter | One |
| 25. | Proctoscopes with or without illumination (large-medium-small) | Six |
| 26. | Probes – different sizes | Assorted |
| 27. | Anal dilators – different sizes | Assorted |
| 28. | Sim's speculum – different sizes | Two |
| 29. | Bivalve anal speculum | Two |
| 30. | Emergency light | One |
| 31. | Fire Extinguisher | One |
| 32. | Vertical BP instrument | One |
| 33. | Fumigator | One |
| 34. | Venesection set | Two |
| 35. | Trash cart (fully equipped) | One |
| 36. | Consumables | Assorted |
| P. | Shalya Tantra :- Major Operation Theatre | |
| 1. | Spot light (Shadow less ceiling fitted) | One |
| 2. | Spot light (Standing) | One |
| 3. | Hydraulic operation table | One |
| 4. | Boyle's apparatus | One |
| 5. | Multi-parameter monitor | One |
| 6. | Suction machine - Electrical or manual | One |
| 7. | High pressure autoclave-horizontal/vertical | One |
| 8. | Nitrous oxide cylinder | One |
| 9. | Electric sterilizer (boilers) | Two |
| 10. | Dressing drums - different sizes | Ten |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | Artery forceps (curved & straight) – different sizes | Fifteen |
| 12. | Tissue dissecting forceps (plain & toothed) – different sizes | Ten |
| 13. | Babcock tissue forceps – different sizes | Eight |
| 14. | Kocher's forceps – different sizes | Six |
| 15. | Sinus forceps – different sizes | Six |
| 16. | Sponge holding forceps – different sizes | Eight |
| 17. | Allis forceps – different sizes | Eight |
| 18. | Right angle cholecystectomy forceps – different sizes | Six |
| 19. | Stone holding forceps | Four |
| 20. | Punch biopsy forceps | Two |
| 21. | Maggles forceps | Assorted |
| 22. | Stitch removal scissors | Five |
| 23. | Metzenbaum scissors – different sizes | Five |
| 24. | Mayo's scissors – different sizes | Five |
| 25. | Scissors straight (tailor) | Four |
| 26. | BP handle of different size | Assorted |
| 27. | Skin grafting knife with handle | Assorted |
| 28. | Abdominal retractors | Six |
| 29. | Proctoscopes with or without illumination (large-medium-small) | Six |
| 30. | Fistula probes – different sizes | Assorted |
| 31. | Sim's speculum – different sizes | Assorted |
| 32. | Bivalve anal speculum | Two |
| 33. | Sigmoidoscope -rigid/flexible | One |
| 34. | Barron pile's gun | Two |
| 35. | Laryngoscope- paediatric/adult | Two |
| 36. | Urethral dilators set | One |
| 37. | Ambu bag | Two |
| 38. | Endotracheal Tube | Assorted |
| 39. | Bone cutter | Two |
| 40. | Gigli saw | Two |
| 41. | Scoop | Assorted |
| 42. | Periosteum elevator | Two |
| 43. | Bone cutter | Two |
| 44. | Bone nebular | Two |
| 45. | Bone chisel | One |
| 46. | Bone osteotome | 0ne |
| 47. | Bone holding forceps | Two |
| 48. | Gigli saw | Two |
| 49. | Scoop | One |
| 50. | Periosteum elevator | Two |
| 51. | Orthopaedic drill (battery operated) | One |
| 52. | K-wire Set | One |
| 53. | Bone mallet | One |
| 54. | Screw driver | Two |
| 55. | Hook retractor | Four |
| 56. | Consumables | As required |
| Q. | Shalya Tantra :- Minor Operation Theatre | |
| 1. | X-Ray View Box | One |
| 2. | Vertical BP instrument | One |
| 3. | Stethoscope | Two |
| 4. | OT table | One |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Electric sterilizer (Boilers) | Two |
| 6. | Portable OT light | One |
| 7. | Instrument trolley | One |
| 8. | Autoclave | One |
| 9. | Thermal cautery machine-small | One |
| 10. | Dressing drums - different sizes | Four |
| 11. | Instrument tray – different sizes | Four |
| 12. | Needle holding forceps (big- medium-small) | Four |
| 13. | Cheatle's forceps - different sizes | Four |
| 14. | Mosquito artery forceps – different sizes | Six |
| 15. | Artery forceps (curved & straight) – different sizes | Six |
| 16. | Tissue dissecting forceps (plain & toothed) – different sizes | Four |
| 17. | Sinus forceps – different sizes | Four |
| 18. | Sponge holding forceps – different sizes | Two |
| 19. | Allis forceps – different sizes | Four |
| 20. | Stitch removal scissors | Two |
| 21. | Punch biopsy forceps | Two |
| 22. | Metzenbaum scissors – different sizes | Two |
| 23. | Mayo's scissors – different sizes | Two |
| 24. | Scissors straight (tailor) | Two |
| 25. | BP handle of different size | Assorted |
| 26. | Kidney tray S.S. – different sizes | Assorted |
| 27. | Pulse oximeter | One |
| 28. | Proctoscopes with or without illumination (large-medium-small) | Six |
| 29. | Probes – different sizes | Assorted |
| 30. | Sim's speculum – different sizes | Two |
| 31. | Emergency light | One |
| 32. | Fire extinguisher | One |
| 33. | Fumigator | One |
| 34. | Suction machine - Electrical or manual | One |
| 35. | Venesection set | One |
| 36. | Nebulizer | One |
| 37. | Trash cart (fully equipped) | One |
| 38. | Consumables | Assorted |
| R. | Shalya Tantra :- Anu Sastra Unit | |
| 1. | Examination and dressing table | One |
| 2. | Portable OT light | One |
| 3. | Stethoscope | Two |
| 4. | Vertical BP Apparatus | One |
| 5. | Electric sterilizer (boilers) | Two |
| 6. | Instrument trolley | One |
| 7. | Autoclave | One |
| 8. | Thermal cautery machine-small | One |
| 9. | Dressing drums - different sizes | Four |
| 10. | Instrument tray – different sizes | Four |
| 11. | Needle holding forceps (Big- medium-small) | Four |
| 12. | Cheatle's forceps - different sizes | Four |
| 13. | Mosquito artery forceps – different sizes | Six |
| 14. | Artery forceps (curved & straight) – different sizes | Six |
| 15. | Tissue dissecting forceps (plain & toothed) – different sizes | Four |
| 16. | Sinus forceps – different sizes | Four |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | Sponge holding forceps – different sizes | Two |
| 18. | Allis forceps – different sizes | Four |
| 19. | Stitch removal scissors | Two |
| 20. | Punch biopsy forceps | Two |
| 21. | Metzenbaum scissors – different sizes | Two |
| 22. | Mayo's scissors – different sizes | Two |
| 23. | Scissors straight (tailor) | Two |
| 24. | BP handle of different size | Assorted |
| 25. | Kidney tray S.S. – different sizes | Assorted |
| 26. | Pulse oximeter | One |
| 27. | Emergency light | One |
| 28. | Fire extinguisher | One |
| 29. | Fumigator | One |
| 30. | Suction machine - electrical or manual | One |
| 31. | Leech Tank | Two |
| 32. | Agnikarma Shalaka set | Two |
| 33. | Cupping set | Two |
| 34. | Venesection set | One |
| 35. | Trash cart (fully equipped) | One |
| 36. | Consumables | Assorted |
| S. | Kaumarabhritya :-OPD | |
| 1. | Pediatric ENT Kit | One |
| 2. | Caliper for skinfold thickness | Two |
| 3. | Tape for Mid arm circumference and Head circumference | Two |
| 4. | Magnifying lens for skin examination | Two |
| 5. | Rectal thermometer | Two |
| 6. | Consumables | Five to ten |
| T. | Kaumarabhritya :-NICU | |
| 1. | Radiant warm with Open care access with multi-channel monitor, time sensor,heat sensor, oxygen and suction facility and adjustable baby tilt | 2 |
| 2. | Photo therapy unit with two surface expandable to 3 to 4 surfaces | 2 |
| 3. | Infusion Pump | 2 |
| 4. | Facility for IV cannulation, blood sampling, drip infusion | As required |
| 5. | CPAP | One |
| 6. | Warm chain box for baby transport | One |
| U. | Shalakya-Netra Roga :- (OPD) | |
| 1. | Slit Lamp Minimum (3 step to 5 steps with video display system for education of students | One |
| 2. | Tonometer (Minimum Schwartz minimum 1, Applanation 1,Additional Air Puff or NCT or Handheld Tonometer are desirable | One |
| 3. | Auto refractometer | One |
| 4. | Keratometer (with or without auto refractometer) | One |
| 5. | Chair Unit | One |
| 6. | Pachymeter along with Auto refractometer or tonometer or separate | One |
| 7. | Indirect Ophthalmoscope | One |
| 8. | Direct Ophthalmoscope | One |
| 9. | Fundus Photography System | One |
| 10. | 3 D OCT | One |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | Perimeter | One |
| 12. | Yag Laser | One |
| 13. | Green or Yellow Laser | One |
| 14. | Retinoscopy | One |
| 15. | Colour vision chart Digital or Printed Hard Copy | One |
| V. | Shalakya-Netra Roga :- (OT) | |
| 1. | Operating Microscope with co-axial illumination and foot pedal controls (equipped with teaching head microscope, co- assistance head or assist scope). | One |
| 2. | Video camera with screen for live viewing of surgery by Students and theatre staff and the facility to record the operation digitally for later review, training or personal ordepartmental quality improvement purposes (built in or attached to ophthalmic microscope). | One |
| 3. | Electric Motorised Operating Table Designed for Ophthalmic Surgeries | One |
| 4. | Hight Adjustable Surgeon Chair (Hydraulic or Electric Hight Adjustable) | One |
| 5. | Operation Theatre Trolley (minimum 2 in Ophthalmic OT with Standard Size) | One |
| 6. | Phacoemulsification System with Anterior Vitrectomy System to manage complications during cataract surgery. (Phacoemulsification System Includes Phaco Probe, Tubbingor Cassette, Compatible Phaco Tips, Sleeves, Bolt, Vitrectomy Cutter, Etc) | One |
| 7. | Fogger For Operation Theatre Sterilization | One |
| 8. | Autoclave (Steam & B Class) | One |
| 9. | ETO Machine | One |
| 10. | There should be dedicated separate area Minimum 100 Sq. ft for autoclaving procedures. | One |
| 11. | Drug Trolly Loaded with Essential Emergency and Anaesthesia Medicines | One |
| 12. | Suction Machine (Electric with Foot Pedal) | One |
| 13. | Boyles Machine or Anaesthesia Machine in Ophthalmic OT for GA Cases & Handling Emergencies during, Pre, Post Care ( with Connector and Branch or Pneumatic System). | One |
| 14. | Multipara Monitor (minimum separate 1 in Ophthalmic Operation Theatres and Recovery or IPD) | One |
| 15. | Oxygen and Nitrous Oxide Cylinder's (As per Requirement of Standard Policies of Govt Of India in OPD, IPD & OT Areas) | One |
| 16. | E.T. Tube's of All Standard Sizes, Laryngoscope (Adult & Paediatric), Ambo Bag (Adult & Paediatric) Minimum Each One, etc | One |
| 17. | O.T. Light | One |
| 18. | Complete Cataract Surgery Set (Surgical Instrument Set including S.I.C.S. & or or Phacoemulsification Cataract Surgery Instrument Set, Reusable &Autoclavable as per Standard of Govt of India Norms according to load of cases) | One |
| 19. | Separate Surgical Instrument Set for Pterygium, Trabeculectomy, etc surgeries according to load of | One |

| | | |
|---|---|---|
| | surgeriesand as per Government of India Norms and load of cases). | |
| 20. | Separate Surgical Instruments Set's for Infective Cases eg. For DCT, DCR | One |
| W. | Shalakya-Karna, Naasaa and Mukha Roga (OPD) | |
| 1. | Jobson home probe with ring & cotton carrier 7' | As required |
| 2. | Wax hook, with serrated tip, s. s | As required |
| 3. | Vectis, s.s. wire loop with serrated | As required |
| 4. | Vectis with curette, double ended, s. s | As required |
| 5. | Ear currete, mc ewen'swith seeker, s. s | As required |
| 6. | Ear dressing forceps – different sizes | Assorted |
| 7. | Cheatle forceps, s.s. 10", 8" | As required |
| 8. | Ent opd unit | As required |
| 9. | Heith's granulation forceps, stout, s. s | As required |
| 10. | Otoscope, with 3 black specula | As required |
| 11. | Ear specula, slotted,4 size only black | As required |
| 12. | Shea's ear speculla, set of 4, black finish | As required |
| 13. | Henckels granulation forceps, with fenestrated scoop jaws, crocodile | As required |
| 14. | Crocodile action 'grunwalds' type forceps s. s | As required |
| 15. | Audio meter-elcon-mill digital model | As required |
| 16. | Nasal speculum, set of 3 s.s.thudicums | As required |
| 17. | Nasal dressing forceps, Nasal packing forceps | As required |
| 18. | Post nasal mirrors, indian 1,2,3 | As required |
| 19. | St. clairthomson's nasal op. speculum s.s. set of 4 sizes 1 1 or 2, 2, 1 or 2 & 3" blades | As required |
| 20. | Head mirror with board-head band with screw | As required |
| 21. | Head light with different types | As required |
| 22. | Electrical transformer 10v regulator | As required |
| 23. | Spare bulbs, 6v-5 amp. | As required |
| 24. | Heith's granulation forceps, stout, s. s | As required |
| 25. | Laryngeal mirrors, indian make | As required |
| 26. | Tongue depressors, set of 3. lack's s.s. | As required |
| 27. | Dressing scissors with different sizes | As required |
| 28. | Punctum dilator | As required |
| X. | Shalakya-Karna, Naasaa and Mukha Roga (OT) | |
| 1. | Eustachiamn catheter | As required |
| 2. | Mastoid retractor | As required |
| 3. | Mastoid gouge | As required |
| 4. | Mallet | As required |
| 5. | Nasal packing forceps | As required |
| 6. | Nasal snare | As required |
| 7. | Ent microscope | As required |
| 8. | Drill machine | As required |
| 9. | Endoscopes – 0 30 and 70 degrees | As required |
| 10. | Monitor | As required |
| 11. | Light source | As required |
| 12. | Camera | As required |
| 13. | Ot table | As required |
| 14. | Chetelforcep | As required |
| 15. | Suction machine | As required |
| 16. | Cautery machine | As required |
| 17. | Adenoid curette | As required |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | Tonsil holding forcep | As required |
| 19. | Eustechian catheter with stillette – different sizes | As required |
| 20. | Ear specula, set of 4, health's or grubers, ch.pl | As required |
| 21. | Vectis, s.s. wire loop with serrated | As required |
| 22. | Vectis with curette, double ended, s. s | As required |
| 23. | Myringotomes, knife, angled or bayonet shaft, s.s. | As required |
| 24. | Ear dressing forceps with different sizes | As required |
| 25. | Heith's granulation forceps, stout, s. s | As required |
| 26. | Ear specula, slotted,4 size only black | As required |
| 27. | Shea's ear speculla, set of 4, black finish | As required |
| 28. | Pleasters mastoid retractors – with different sizes | As required |
| 29. | Mollisons mastoid retractor – with different sizes | As required |
| 30. | Either side of the arms, left or right stainless steel (s.s), dull finish | As required |
| 31. | Lemperts, enduralbivaleve speculum, stainless steel (s.s) straight and curved | As required |
| 32. | Endural retractors,'lemperts' with 2 pairs of side removable blades | As required |
| 33. | Henckels granulation forceps, with fenestrated scoop jaws, crocodile | As required |
| 34. | Mcgee's wire closing forceps, stainless steel (s.s) | As required |
| 35. | Crocodile ear forceps, serreted jaws | As required |
| 36. | wilson's nibbling forceps, stainless steel (s.s) | As required |
| 37. | Crocodile action ear scissors cutting blades, stainless steel (s.s) | As required |
| 38. | Crocodile action 'grunwalds' type forceps stainless steel (s.s) | As required |
| 39. | Gromet inserting forceps stainless steel (s.s) | As required |
| 40. | Mastoid roungers – with different sizes | As required |
| 41. | Zollners or belluccil suction cannula only | As required |
| 42. | Suction tips to fit on above cannula,16g,18g,20g,22g | As required |
| 43. | Lemperts suction tubes 4 sizes with square thump | As required |
| 44. | Suction needles (cannulas) 12g to 25g 4" long | As required |
| 45. | House's adaptor for suction cannulas | As required |
| 46. | Suction-irrigation combined tube with thumb | As required |
| 47. | All metal box with perferation on side for autoclaving, for all micro | As required |
| 48. | Mallet for chisels & gouses stainless steel (s.s) | As required |
| 49. | Mastoid currettes | As required |
| 50. | Farabeuf elevator, straight or curved | As required |
| 51. | Zollners set of 10 tampanolastry instruments thump grip stainless steel (s.s) | As required |
| 52. | Rack & metal case | As required |
| 53. | Teflon piston cutting jig, stainless steel (s.s) | As required |
| 54. | Straight or curved angle to obtuse angle picks, stainless steel (s.s) | As required |
| 55. | Elevator, rosen's or beales, shea's type stainless steel (s.s) | As required |
| 56. | Shea's single ended currettes, small or large angled shaft, stainless steel (s.s) | As required |
| 57. | Houses double ended currettes small or large size stainless steel (s.s) | As required |
| 58. | Fisch hook stainless steel (s.s) | As required |
| 59. | Shea's depth guage,3,4,4.5,5 mm stainless steel (s.s) | As required |

| | | |
|---|---|---|
| 60. | Double ended knife small or large stainless steel (s.s) | As required |
| 61. | Nasal speculum, set of 3 stainless steel (s.s) thudicums | As required |
| 62. | Killians nasal speculums, self retraining, s.s sizes of blades 2, s1 or 2, s 3 ½ | As required |
| 63. | Nasal dressing forceps – with different sizes | As required |
| 64. | Nasal packing forceps,jtilleys, 3 1 or 4" shaft | As required |
| 65. | Nasal snare, balances or glegg's, ch. plated (1 pkt. wires) | As required |
| 66. | Post nasal mirrors, indian 1,2,3 | As required |
| 67. | Luc,s nasal turbinate forceps, oval or heart shaped s.s | As required |
| 68. | St. clairthomson's nasal op. speculum s.s. set of 4 sizes 1 1 or 2, 2, 1 or 2 & 3" blades | As required |
| 69. | Freer's knife, rounded edges, s.s. | As required |
| 70. | Howrath'seelevator with rugine end, s.s. | As required |
| 71. | Freer's (cawthomes) double dned elevator, with rugine end, s.s. | As required |
| 72. | Freer's double ended elevator, s.s. | As required |
| 73. | Killans (nasasl) parichondrial elevator, with thumb grip, s.s left or right, short or long blades | As required |
| 74. | Ballangers swivel knife, 4mm, blade s.s. | As required |
| 75. | Killans nasal gouge, bayonet shaft, s.s. | As required |
| 76. | Tilley's "v" shaped gouge, bayonet, s.s | As required |
| 77. | Mailet, for above standard size | As required |
| 78. | Nasal caute4ry with light & cautery transformer with pistol grip | As required |
| 79. | Cautery handle & set of 3 cautery points, in case | As required |
| 80. | Hjek's retract for upper lip, (cheek retractor) s.s | As required |
| 81. | Citelli's antrum punch forceps, s.s. | As required |
| 82. | Double ended c.w.l. curette, small or larage ring s.s. | As required |
| 83. | Jaws, s.s. | As required |
| 84. | Jansen-struycken septum forcerps, cut-through jawas, double, | As required |
| 85. | Actipn, s.s. angle on shaft | As required |
| 86. | Henclel-tilley sphenoidal punch foraceps, crocodile action | As required |
| 87. | Heymanturbinectomey scissor | As required |
| 88. | Nasal punch biopsy,cut through jaw | As required |
| 89. | Kilner's skin hook retractor with 1 side 3 prong & flat putti on other | As required |
| 90. | Joseph's rhasp,coarse or fine teeth s.s | As required |
| 91. | Chisel's 3,5,9 mm s.s | As required |
| 92. | Osteotomes, 2,3,4,5 mm s.s | As required |
| 93. | Mallet for chisels &osteotome standard type | As required |
| 94. | Silver nasal,chisels,withguard,straight or curved | As required |
| 95. | Ball & double probe with metal handle | As required |
| 96. | Mcindoe's nasal chisel's curved 5,7,9 mm | As required |
| 97. | Walsham septum forceps – with different shapes | As required |
| 98. | Ash's septum forceps s.s | As required |
| 99. | Nasal suction for sinuscopy | As required |
| 100. | Vidian nasal cautery instruments, consisting | As required |
| 101. | Cottle elevator | As required |
| 102. | Double ball hook | As required |
| 103. | Head mirror with board-head band with screw | As required |
| 104. | Head light | As required |
| 105. | Electrical transformer 10v regulator | As required |

| | | |
|---|---|---|
| 106. | Spare bulbs, 6v-5 amp. | As required |
| 107. | Mouth gag, davis-boyles, with gag frame and set of 5 plain blades, s.s. broad type | As required |
| 108. | Mouth gag, davis-boyles, with gag frame and set of 3 tongue blades, child size s.s. | As required |
| 109. | Mouth gag, davis-boyles, with gag frame and set of 5 slotted type tongue blades, s.s. | As required |
| 110. | Davis-boyles, mouth gag, with gag frame and set of 3 child size slotted blades, s.s. | As required |
| 111. | Davis-boyles, mouth gag, adult or child s.s. (doynes) | As required |
| 112. | Jennings mouth gag, adult or child, s.s. | As required |
| 113. | Draffinbipped with 4 rings, 19" long, ch. plated | As required |
| 114. | Plate with groves to hold drafting, bipod | As required |
| 115. | Tonsil holding forceps, "dennisbrownes", s.s. | As required |
| 116. | Tonsil dissector and pillar retractor, s.s. | As required |
| 117. | Tonsil dissection forceps, – with different sizes | As required |
| 118. | Tonsil artery forceps – with different sizes | As required |
| 119. | Tonsil scissors, – with different sizes | As required |
| 120. | Tonsil snare,"eve's" ch.plated ( 1pkt.wires ) | As required |
| 121. | Negus knot tier,s.s | As required |
| 122. | Peritonsillar abscess forces baynot, s.s. 7 1 or 2" | As required |
| 123. | Adenoid curreette – with different types | As required |
| 124. | "yankaners" suction cannula (tube), ch plated | As required |
| 125. | Conchotome, circuler, cut-through jaws, s.s. | As required |
| 126. | Trancheal dilating forceps, s.s. trousseau's | As required |
| 127. | Double ended r. angled flat putti type retractor | As required |
| 128. | Tracheostomy tubes, "ch.jacksons" the silver plated sizes | As required |
| 129. | Cricoid hook type retractor, s.s. double ended | As required |
| 130. | Laryngoscopes with sliding panel, adult or child size. | As required |
| 131. | "jackson or negue" type with f.o. carrier ch.plated | As required |
| 132. | Laryngoscopes, anteriercommisure type "negus" or ch.jackson" type f.o. carrier adult or Child size | As required |
| Y. | Manasaroga evam Manovijnana | |
| 1. | EEG | One |
| 2. | De-addiction facility | As required |
| 3. | Assessment scales related to psychology and mental illness | As required |
| Z. | Rasayana and Vajikarana | |
| 1. | Trinocular microscope with videography equipment Foloroscence and Dark field faculty | One |
| 2. | Light Emitting Diode display | One |
| 3. | Computer aided semen analysis (CASA) | One |
| 4. | Centrifuge | One |
| 5. | Incubator | One |
| 6. | Vertex mixer | One |
| 7. | -20 Deep freezer | One |
| 8. | Consumables: - Glassware, Chemicals, reagents, kits and other accessories | As required |

SACHIDANAND PRASAD, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./540/2024-25]

**Annexure- I**

## DEPARTMENTAL ACADEMIC INTEGRITY COMMITTEE

**Recommendation to issue Plagiarism Clearence Certificate**

The Departmental Academic Integrity Committee has reviewed the report on the plagiarism check ofthe draft dissertation entitled….....submitted by Dr…… (research scholar) of ..... ..... batch bearing University registration number ..... under the supervision or guidance of Dr..... from..... Department on.....(date) and found that necessary modifications or corrections were made, and the plagiarism is within the permissible limits. Hence, the Departmental Academic Integrity Committee recommends to issue plagiarism clearance certificate.

**Chairman,**

Departmental Academic Integrity Committee

(Name and Signature)

**Place:**
**Date:**

**Annexure-II**

## PLAGIARISM SCRUTINY CELL

**Plagiarism Clearance Certificate**

This is to certify that the draft dissertation entitled ..…… …….. submitted by Dr .....of ……..batch with university registration number.....under the guidance of Dr. …….. from .....Department, is free from plagiarism.

**Coordinator**
**Plagiarism Scrutiny Cell**

**Place:**
**Date:**

**Annexure-III**

**FORM-I**

**(To be issued by State Government/UT)**

**ESSENTIALITY CERTIFICATE FOR THE ESTABLISHMENT OF NEW POST-GRADUATE AYURVEDA MEDICAL COLLEGE OR POSTGRADUATE PROGRAMMES OR FOR INCREASE IN INTAKE CAPACITY IN EXISTING POSTGRADUATE PROGRAMMES**

Ref. No…….. Dated…….

<table>
<tr><td>Serial Number</td><td colspan="3">Basic Details of Applicant</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Name of the Applicant</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Address</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Type of institution (Govt./Aided/Private)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">Essentiality Certificate<br><br>(Tick whichever is applicable)</td><td></td><td>To Establish a New Postgraduate Ayurveda Medical College (Stand-alone)</td></tr>
<tr><td></td><td>To start new Postgraduate programmes in undergraduate college</td></tr>
<tr><td></td><td>To increase in intake capacity in existing Postgraduate programmes</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td>Name and address of the institute</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Proposed name and address in case of standalone</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Proposed name and address in case of existing undergraduate college</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Proposed postgraduate programmes and proposed intake capacity</td><td colspan="2"><table><tr><td>Serial number</td><td>Name of postgraduate programme</td><td>Name of proposed intake capacity</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Proposed increase in intake capacity in existing postgraduate programmes</td><td colspan="2"><table><tr><td>Serial number</td><td>Name of existing postgraduate programme</td><td>Sanctioned intake capacity</td><td>Proposed intake capacity</td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="4">To be filled by the certificate issuing authority</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Number of Ayurveda institutions already existing in the State</td><td colspan="2">UG:- ------<br>PG:- ------</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Doctors (Registered Medical Practitioners of all Systems) and population ratio in the State</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of Ayurveda Medical college</td><td colspan="2">Poor/Adequate</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Registration Number of the hospital</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Accreditation of hospital, if any</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

**ESSENTIALITY CERTIFICATE**

Essentiality certificate is issued to (name of the applicant) for the establishment of ---------- (name of the proposed Postgraduate college) at ---------- (address of the proposed college) with the given below list of postgraduate programmes and sanctioned intake capacity. This certificate is issued in consideration of above details/facts/conditions.

| Serial number | Name of the proposed postgraduate programme | Proposed intake capacity |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

OR

Essentiality certificate is issued to ---------- (name of the applicant) To start new Postgraduation Programme in ---------- (name of the existing college where Undergraduate Ayurveda course is running) at ---------- (address of the college) with the given below list of postgraduate programmesand proposed intake capacity. This certificate is issued in consideration of above details/facts/conditions.

| Serial number | Name of the proposed postgraduate programme | Proposed intake capacity |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

OR

Essentiality certificate is issued to ---------- (name of the applicant) to increase in intake capacity in below mentioned postgraduation programme in ---------- (name of the existing college) at ---------- (address of the college). This certificate is issued in consideration of above details/facts/conditions.

| Serial number | Name of existing postgraduate programme | Sanctioned intake capacity | Proposed increase in intake capacity | Total Intake Capacity |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (3) + (4) =(5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

**The Essentiality Certificate is issued on the following term and conditions:**

1. College shall admit the students as per the student intake capacity sanctioned by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
2. College shall not conduct any other colleges/courses/programs in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
3. College shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine.
4. College shall admit the students as per the regulation/guidelines/policy framed by National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
5. The institute shall abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards/National Commission for Indian System of Medicine/Government of India/University.
6. In case of handing over the college to other society/trust, prior NOC shall obtained from the state government/ Union Territory.
7. In case, if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Ayurveda Medical College as per the minimum standards specified by National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board.
8. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by MARBISM due to non-compliance of the college for Minimum Essential Standards as prescribed by the Commission or MARBISM, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the College.

**(Signature of the Competent Authority)**

**Office Seal**

**Date:**

**Annexure-IV**

**FORM- J**

**CONSENT OF AFFILIATION**

(To be issued by Affiliating University)

(Consent of affiliation is the pre-requisite for submission of application for starting of new Ayurvedamedical college/increase intake capacity in existing undergraduate, postgraduate programs/ starting of new postgraduate programs)

| Sl.No. | University Details | |
|---|---|---|
| 1 | Name of the University | |
| 2 | Address | |
| 3 | Type of University | Central/State/Deemed-Govt./Deemed-Private/Private State |
| 4 | Contact Details | |
| 5 | Contact Person (Name & Designation) | |
| | Mobile Number | |
| | Mail ID | |
| 6 | Year of Establishment | |
| 7 | Existing Faculties | |
| 8 | Accreditation if any | |

**CONSENT OF AFFILIATION**

The university on the basis of local enquiry committee report is agreed upon in principle to issue consent of affiliation to…… **(Name of the college)**…….. with intake capacity of …… seats/ increase in intake capacity from……. to……../starting of ……programs. The consent of affiliation is issued for the academic year……

**Consent of affiliation is issued on the following conditions:**

1. The college shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine.
2. The college shall admit the students through online counselling process (Central/State/UT) only as specified by National Commission for Indian System of Medicine in concerned regulations.
3. The college shall ensure the conduction of stipulated hours of teaching and training as specified by National Commission for Indian System of Medicine.
4. The colleges shall obtain continuation of affiliation every year at least three months before the commencement of admission process.
5. Prior No Objection Certificate shall be obtained from the present affiliating university in case of change of affiliation to other university/applying for Deemed status.
6. In case of disaffiliation with the present university, the existing batches shall continue with the present university till award of degree.

**Registrar**
**Signature with seal**
**Full Name**

**Place:**
**Date:**

**Note 1:** Any question as to the interpretation of these regulations shall be decided by the Commission and its decision shall be final and binding in the matter.

**Note 2:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of the regulations, the English version will be treated as the final

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.07 16:50:40 +05'30'